


Hindi Bhasha Sanrachna-1



Institute of Open and Distance Education

Faculty of Arts

Hindi Bhasha Sanrachna-1



1BA1



Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, BILASPUR, (C. G.),
Ph. : +07753-253801, +07753-253872
E-mail : info@cvru.ac.in | Website : www.cvru.ac.in



DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur

A STATUTORY UNIVERSITY UNDER SECTION 2(F) OF THE UGC ACT

1BA1

हिंदी भाषा संरचना -I

1BA1, Hindi Bhasha Sanrachna - I

Edition: March 2024

Compiled, reviewed and edited by Subject Expert team of University

1. Dr. Radha Sharma

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

2. Dr. Pooja Yadav

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

3. Pragya Sharma

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

Warning:

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Published by:

Dr. C.V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C. G.),

Ph. +07753-253801, 07753-253872

E-mail: info@cvru.ac.in

Website: www.cvru.ac.in

अनुक्रमणिका

1.	भारत वन्दना: सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'	1
2.	जाग तुझको दूर जाना : सुश्री महादेवी वर्मा	5
3.	स्वतंत्रता पुकारती : जयशंकर प्रसाद	10
4.	हम अनिकेतन : बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	14
5.	भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप	18
6.	भाषा कौशल	24
7.	करुणा (निबंध) : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	29
8.	समन्वय की प्रक्रिया (निबंध) : रामधारी सिंह 'दिनकर'	33
9.	बिच्छी बुआ (कहानी) : डॉ. लक्ष्मण विष्ट 'वटरोही'	36
10.	अनुवाद	41
11.	हिन्दी की शब्द सम्पदा	48
12.	पारिभाषिक शब्दावली	56
13.	विलायत पहुँच ही गया (आत्म कथांश) : महात्मा गाँधी.	64
14.	अफसर (व्यंग्य) : शरद जोशी	67
15.	तीर्थयात्रा (कहानी) : डॉ. मिथिलेश कुमार मिश्र.	71
16.	मकड़ी का जाला (व्यंग्य) : डॉ. रामप्रकाश सक्सेना	74
17.	वाक्य-संरचना : तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी	77
18.	अप्य दीपो भव (वक्तव्य कला) : स्वामी श्रद्धानंद	107
19.	भारत का सामाजिक व्यक्तित्व (प्रस्तावना) : पं. जवाहरलाल नेहरू	110
20.	पत्र मैसूर के महाराजा को (पत्र लेखन) : स्वामी विवेकानन्द.	114
21.	बनी रहेंगी किताबें (आलेख)	117
22.	पत्र लेखन : महत्त्व और उसके विविध रूप	121
23.	सड़क पर दौड़ते ईहा मृग (निबंध) : डॉ. श्यामसुन्दर दुबे.	131
24.	योग की शक्ति (डायरी)	134
25.	कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता (साक्षात्कार)	137
26.	नीग्रो सैनिक से भेंट (यात्रा-संस्मरण) : डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी.	140
27.	यदि 'बा' न होती तो शायद गाँधी को यह ऊँचाई न मिलती (साक्षात्कार) : गिरिराज किशोर से सत्येन्द्र शर्मा	144
28.	सार लेखन, भाव-पल्लवन, साक्षात्कार और कौशल	148

इकाई : 1

1. भारत वन्दना

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

NOTES

भारति जय विजय करे!
कनक शस्य कमल धरे!

लंका पदतल शतदल,
गर्जितोर्मि सागर - जल
धोता शुचि चरण युगल!
स्तव कर बहु अर्थ भरे!

तरू - तृण वन लता वसन,
अंचल में खचित सुमन
गंगा ज्योतिर्जल - कण
धवल धार हार गले!

मुकुट शुभ्र हिम - तुषार,
प्राण प्रणव ओंकार,
ध्वनित दिशाएँ उदार
शतमुख शतरव मुखरे!

कवि परिचय :- हिन्दी कविता के छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का जन्म 11 फरवरी 1896 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। उनका जन्म रविवार को हुआ था इसलिए उन्हें सूर्यकुमार भी कहा जाता था उनके पिता और पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव (बैसवाड़ा) के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे।

शिक्षा-दीक्षा :- निराला जी उच्च शिक्षा ग्रहण न कर सके केवल हाईस्कूल तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसके बाद उन्होंने हिन्दी, संस्कृत और बांगला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी के कारण अभावग्रस्त जीवन तथा मान-अपमान का परिचय उन्हें बचपन में ही हो गया था। तीन वर्ष की आयु में उनकी माता तथा बीस वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहावसान हो गया।

प्रमुख कृतियाँ :- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार थे। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में 20 जून 1920 में प्रकाशित हुई इसके बाद अनामिका (1923), परिमल (1930), गीतिका (1936), द्वितीय अनामिका (1938), कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नये पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना गीतगुंज तथा सांध्यकाकलि आदि अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई।

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, सनालोचना एवं जीवनी आदि विविध साहित्य रूपों की समृद्धि में भी अपना योगदान दिया है 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार निराला जी ने हिन्दी गद्य तथा पद्य दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है जिसने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को विकसित किया है।

कविता का सारांश :- हिन्दी साहित्य में छायावाद के आधार स्तम्भ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 'भारत वंदना' कविता के माध्यम से भारत माता की स्तुति करते हुए भारत भूमि के गौरव का वर्णन किया है।

कवि भारत माता की स्तुति करते हुआ कहता है कि 'हे भारत माता, हे विज्ञायिनी तेरी जय हो। तुम सोना, अन्न और कमल धारण करनेवाली हो' अर्थात् तुम सुंदर कमलों से सुसज्जित और धन - धान्य से परिपूर्ण हो। तुम सरस्वती के समान सुन्दर हरे-हरे स्वर्ण कमल धारण किये हुए हो।

कवि निराला जी इसमें भारत माता को कहते हैं कि लंका तुम्हारे चरण कमल में है। सागर की गरजती लहरें तुम्हारे चरण कमलों को धोती है और बड़े प्रेम भाव से तुम्हारी वन्दना कर स्तुती करती है।

NOTES

भारत माता की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ये वन, पेड़-पौधे और लताएँ तेरे वस्त्र हैं जो सुन्दर फलों से जड़े हुए हैं। गंगा की श्वेत धारा भारत माता के गले का हार है, जो उसके कंठ में शोभित हो रहा है।

भारत की भौगोलिक स्थिति का सुंदर चित्रण करते हुए निराला जी कहते हैं कि भारत भूमि की उत्तर दिशा विशाल उत्तुंग हिमालय से सुशोभित है जो शुभ्र चांदी के मुकुट के समान शोभायमान है। भारत माता के भारतीय पुत्र नित ओंकार मंत्र में ऊँ का गायन करते हैं। भारतीयों के मुख से निकलने वाले ऊँकार का मंत्र भारत माता की चारो दिशाओं में लिंग भुजायमान होता रहता है अर्थात् भारत में सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रभु परमात्मा की उपासना करते हैं जिसका स्वर चारों दिशाओं में गूंजता रहता है।

इस प्रकार 'भारत वंदना' कविता के माध्यम से कवि ने भारत के सुंदर सौंदर्य से युक्त भारत देश व भारत माता के विजय की कामना की है इस प्रकार कवि ने उपरोक्त कविता में स्वर्णकमल, तरू, तृणमल लता रूपी वस्त्र, गर्जना करता सागर जल, आंचल मे विकसित सुमन की श्वेत धारा, समुद्र से घिरी लंका, मस्तक पर श्वेत हिमालय, जल प्रवत, ओंकार मंत्र आदि उपादानों का उपयोग करते हुए गौरवमान किया है।

कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ :- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के माध्यम से भारत के मानवीकरण दृष्टव्य को स्पष्ट करते हुए भारत भूमि का गौरव गान किया है

भारति जय विजय करे... कनक शस्य कमल धरे

अर्थ :- भारत वंदना कविता में कवि ने भारत माता की वंदना करते हुए भारत भूमि के गौरव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार भारत की हमेशा विजय हो और कनक अर्थात् स्वर्ण, शस्य अर्थात् फसलें। कवि का कहना है कि स्वर्ण रूपी धनन्धान्य से भारत समृद्ध हो। इसी प्रकार कमल की सुंदरता के समान ही भारत में स्वर्ण रूपी फसलों का सुंदर रूप विद्यमान रहे।

लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल अर्थ

कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए लंका की उपमा शतदल से की है। लंका (श्री लंका) जो कि भारत के दक्षिण दिशा में है जो भारत माता के चरणों में स्थित है इसलिए भारत माता के प्रति भक्ति भावना के अंतर्गत निरालाजी ने श्रीलंका को भारत भूमि के चरणों में अर्पित कमल के समान अनुभव किया है।

धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे।

अर्थ:- उपरोक्त व्यक्तियों में कवि कहता है कि भारत के दक्षिण मे विशाल हिन्द महासागर है जो नित्य प्रति भारत के चरणों में स्थित है भारत माता के चरणों को सागर अपनी गर्जना करती लहरों से धोता रहता है अर्थात् गर्जना के स्वरों से स्तुति करते रहता है इस प्रकार सागर की गर्जना केवल गर्जना नहीं है बल्कि भारतमाता के प्रति श्रद्धा भावनापूर्ण और अनेक अर्थों से भरी सागर की स्तुति है।

तरूतृण वन लता वसन... अचल में सचित सुमन

गंगा ज्योति जल - कण, धवल धार, हार गले।

अर्थ :- कवि निराला ने यहाँ भारत की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहा है कि वृक्ष, घास, वन तथा लताएँ आदि भारत माता के वस्त्र हैं। भारत में उगने वाले सारे फूल भारत माता के वस्त्रों में टके हुए सितारों के समान हैं।

इसी प्रकार भारत माता गंगा के चमकते हुए जलकणों की श्वेत धारा का धवल हार अपने गले में धारण किये हुए है।

मुकुट शुभ्र हिम तुषार... प्राण प्रणव ओंकार।

अर्थ :- कवि निराला ने उपरोक्त पंक्तियों में भारत माता का गौरव गान करते हुए कहा है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत पर बर्फ श्वेत मुकुट हार है इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र ओम् (ओंकार) ही है। प्रत्येक भारत वासी ओम्, ओऽम या 'ऊँ' का जाप कर अपने आपको धन्य समझता है। दानव ही नहीं ब्रम्हा, विष्णु, महेश भी ओंकार के मन्त्र का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ओंकार शब्द प्रत्येक भारतवासी की जीवन शक्ति है। ओम् के उच्चारण से मानव मात्र को आंतरिक शांति मिलती है। सम्पूर्ण भारत

वर्ष में प्रणव ओंकार महामन्त्र का वही महत्व है जो शरीर में प्राण - तत्व का है । जिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में प्राण विद्यमान है ठीक उसी प्रकार प्रणव ओंकार महामन्त्र, प्रत्येक के जन - जन का कंठहार बन गया है। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र प्राणों का आधार है, प्राणों के सामान प्रिय है और परम शक्ति से सम्पन्न परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है ।

ध्वनित दिशाएँ उदार...शतमुख शतरव मुखरे

अर्थ :- भारत वंदना कविता में कवि निराला जी ने स्पष्ट किया है कि भारत की समस्त दिशाओं में पूर्व श्रद्धा-भावना से युक्त सैंकड़ों मुख परमेश्वर के स्तुतिगान के साथ ही साथ भारत माता की वंदना भी कर रहे हैं।

समानार्थी शब्द

भारति	-	भारत भूमि, भारतवर्ष, हिंदुस्तान
विजय	-	जीत, जय, विजेया, विजयी
कनक	-	स्वर्ण, पलाक्ष, सोना, कंचन
शस्य	-	फसल, तृण, सद्गुण, नई घास, खार
शतदल	-	कमल, जलज, सरोज, अरविंद
वसन	-	वस्त्र, आवरण, कपड़ा, अम्बर
सुमन	-	पुष्प, फूल, कुसुम
जल	-	पानी, नीर, उदक, पय, सलिल
चरण	-	पैर, पग, पाँव, कदम
सागर	-	समुद्र, पयोधि, नीरधि, उदाधि
तरु	-	पेड़, वृक्ष, झाड़, विटप, द्रम
धवल	-	उजला, सफेद, रूपहला-सुंदर
शुभ्र	-	श्वेत, सफेद, उज्ज्वल, चमकीला
ओंकार	-	ओम, एकाक्षरी मंत्र, परब्रम्हा का वाचक शब्द

विलोम (विरुद्धार्थी शब्द)

विजय	-	पराजय	मुखर	-	मूक	बहु	-	अल्प
ध्वनित	-	निःशब्द	रूचि	-	अरूचि	हिम	-	अग्नि
उदार	-	अनुदार	धवल	-	मलिन			

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. कवि निराला जी ने कनक, शस्य और कमल धारण करने की बात भारत विजय के संदर्भ में क्यों कही है।
2. लंका (श्री लंका) की उपमा "शतदल" से क्यों की गई है।
3. स्तव कर बहु अर्थ भरे "पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो।
4. कवि निराला जी ने भारत माता की शोभा के लिए किन-किन उपादानों का उपयोग किया है।
5. कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखो।
6. भारति जय विजय करे "पंक्ति का आशय स्पष्ट करो
7. "ध्वनित दिशाएँ उदार" से क्या आशय है।
8. "शतमुख शतरव" का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
9. कवि निराला जी ने भारत वंदना कविता में किन सामाजिक चिन्हों का उपयोग किया है वे लिखो।

दीर्घउत्तरी प्रश्न

1. भारत वंदना कविता में भारत भूमि का गौरव गान किस प्रकार किया है ।
2. प्राण प्रणव ओंकार “का विस्तृत में अर्थ स्पष्ट करो ।
3. कनक, वसन, सुमन, सागर, शस्त्र , तरु के समानार्थी शब्द लिखो ।
4. कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो ।
5. मुखर, धवल, हिम, बहु, रूचि, विजय, खनिज के विरुद्धार्थी शब्द लिखो ।
6. लंका पदतल शतदल पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो ।

NOTES

वस्तुनिष्ठप्रश्न:

- (1) भारत वंदना कविता के कवि...

i) जयशंकर प्रसाद	ii) सुमित्रानंदन पंत
iii) महादेवी वर्मा	iv) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
- (2) कवि निराला ने भारत वंदना कविता में किस पर्वत को भारत मुकुट कहा है

i) हिमालय	ii) अरावली
iii) सतपुड़ा	iv) विंध्याचल
- (3) कवि ने भारतमाता के वस्त्रों की उपमा किसे दी है ।

i) वृक्ष, वन, लताएँ	ii) नदियों
iii) पर्वतों	iv) विशाल सागर को
- (4) ‘भारत वंदना’ में लंका की उपमा किस रूप में की है ।

i) सागर	ii) शतदल
iii) हिम	iv) हिमालय
- 5) कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म

i) पश्चिम बंगाल (मेदिनीपुर)	ii) इलाहाबाद
iii) मध्यप्रदेश (भोपाल)	iv) बैसवाड़ा (उन्नाव)
- 6) भारत के उत्तर में विशाल मुकुट

i) हिमालय	ii) नदियाँ
iii) शिखर	iv) इनमें से कोई नहीं
- 7) भारत में सामान्यतः भारतवासी प्राचीन काल से किस मंत्र का जाप करते आए हैं

i) हरी नाम	ii) ओंकार
iii) राधे - राधे	iv) जय श्रीराम
- 8) भारत के दक्षिण में कौन-सा देश है

i) लंका (श्रीलंका)	ii) पाकिस्तान
iii) नेपाल	iv) अफगानिस्तान

उत्तर :- 1. (iv); 2. (i); 3.(ii); 4. (ii); 5. (i); 6. (i); 7. (ii); 8.(i)



2. जाग तुझको दूर जाना

‘सुश्री महादेवी वर्मा’

लेखिका परिचय :- महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तरप्रदेश के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। इनके परिवार या वंश में लगभग 200 वर्षों या सात पीढ़ियों के बाद किसी पुत्री का जन्म महादेवी वर्मा के रूप में हुआ। इनकी माता का नाम हेमरानी और पिता का नाम गोविन्द प्रसाद था। महादेवी की एक छोटी बहन तथा दो छोटे भाई थे।

शिक्षा :- महादेवी की शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा इन्हें अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी गई। 1916 की अल्प आयु में उनका विवाह हुआ। विवाहोपरांत 1919 में बाई का बाग स्थित क्रास्थवेट कॉलेज, इलाहाबाद में प्रवेश लिया। 1921 में महादेवी आँठवी कक्षा में प्रांत भर में प्रथम आयी और यहीं से उनकी कविता यात्रा के विकास की शुरुवात हुई। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और साहित्य के क्षेत्र में लेखक प्रारंभ कर दिया। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी से 1929 में B.A. तथा 1933 में M.A. संस्कृत की डिग्री पास की।

महादेवी की प्रमुख रचनाएँ व साहित्यक योगदान :- महादेवी वर्मा हिन्दी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य में 1914 से 1938 तक छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिन्दी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें “आधुनिक मीराबाई” के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएँ लिखी। महादेवी जी ने गद्य और पद्य दोनों रूपों में अपनी रचनाएँ लिखी। उन्होंने कविताओं के साथ - ही - साथ कहानी, रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण आदि के माध्यम से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। महादेवी वर्मा सरल सहज कवियत्री हैं। उन्होंने यहाँ इस कविता में देशवासियों को जाग्रत करने के लिये कविता की पक्तियों में ओज एव पौरुषपूर्ण भाव व्यक्त किये गये हैं। जैसे-

बाँध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले?

पथ की बाधा बनेंगे तिलियों के पर रंगीले?

उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ - नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, आधुनिक कवि, संधिनी, गीतपर्व, परिक्रमा आदि थी। इसी प्रकार गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, मेरा परिवार, स्मारिका, दृष्टिबोध और सम्भाषण प्रमुख रचनाएँ हैं।

चिर सजग आँखे उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना!

जाग तुझको दूर जाना!

अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कम्प हो ले,

या प्रलय के आँसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले,

आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,

जाग या विद्युत् - शिखाओं में निटुर तुफान बोले,

पर तुझे है नाश - पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना!

जाग तुझको दूर जाना!

बाँध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बन्धन सजीले?

पथ की बाधा बनेंगे तिलियों के पर रंगीले?

विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन,

क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस-गीले?

तू न अपनी छाँह को अपने लिए कारा बनाना!

जाग तुझको दूर जाना !

NOTES

NOTES

वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया,
 दे किसे जीवन सुधा दो घूँट मदिरा माँग लाया?
 सो गयी आँधी मलय की वात का उपधान ले क्या?
 विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया?
 अमरता - सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना!
 जाग तुझको दूर जाना!
 कह न टंडी साँस में अब भूल वह जलती कहानी,
 आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी,
 हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका,
 राख क्षणिक पंतग की है अमर दीपक की निशानी!
 है तुझे अंगार - शैया पर मृदुल कलियाँ बिछाना!
 जाग तुझको दूर जाना!

कविता का सारांश : हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्य में जितनी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं वे सभी विशेषताएँ महादेवीजी कविताओं में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान हैं। भारत की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता आंदोलन को लेकर अनेक कवियों ने अपनी रचनाएँ लिखी परंतु महादेवी की स्वतंत्रता के प्रति रचनाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं।

प्रस्तुत कविता “जाग तुझको दूर जाना” में कवियित्री महादेवी वर्मा ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की नींद में सोये भारत देश एवं उनके देशवासियों को जगाने के लिए प्रेरित किया है। वह कहती हैं कि तुम्हारी आँखें नींद से भरी हुई हैं तथा वस्त्र भी अस्त व्यस्त है। इसलिए उठो जागो अपनी आँखों को सजग या सचेत कर अपने को व्यवस्थित कर तैयार हो जाओ। यह जीवन आसान नहीं है।

स्वतंत्रता का सफर अभी बहुत लम्बा तथा कठिन है इसीलिए वे भारत की जनता से कहती हैं कि जागो तुम्हें बहुत दूर जाना है।

आज चाहे अविचल (स्थिर) खड़े विशाल हिमालय की कंपन हो जाये या प्रलय के अश्रुओं में मूक अलसाया हुआ आकाश रूदन करने लगे या अंधकार की काली छाया भले ही उजाले का पान - पान पर ले या दामिनी के द्वारा निष्ठुर बंवडर बोलने लगे, पर तुझे इस विनाश की राह में अपने पद-चिन्हों को छोड़ देना होगा और तुझे जागना होगा क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है।

कवियित्री महादेवी वर्मा पूछती हैं कि ‘क्या तुझे ये नाजुक या कोमल मोम से बंधन बाँधकर रोक सकते?’

इस प्रकार महादेवी जी ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। उनकी इस रचना में अधिकांश स्थानों पर शोकगीतों की धुनें व्यक्त हुई हैं अर्थात् कहीं - कहीं पंक्तियों में निराशा व दुःख स्पष्ट झलकता है। यह प्रसाद गुण का मुख्य लक्षण है। दुनियाँ का रंगीलापन, उनका आकर्षण तेरे मार्ग की बाधा बनेंगे? संसार के क्रंदन को, दुखभरी चित्कारों को, भंवरोँ की मधुर गुंजन क्यों भुला देगी? फूलों के ओसकण क्या तुझे अपने दलदल में डुबो देंगे। नहीं। अपनी छाया को अपनी कैद मत बना। अर्थात् तुझे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना है? जागजा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है।

कवियित्री कहती हैं कि मातृभूमि के लिये जीवन का उत्सर्ग करने वालों का हृदय वज्र के समान कठोर अर्थात् दृढ-निश्चयी होता है, किन्तु सांसारिक मोहमाया उसे विचलित कर देती है। मदिरापान जैसी क्षणिक मस्ती में लिप्त होकर देश के लिये कुर्बानी देना अर्थात् अमरत्व पद का मार्ग तूने क्यों छोड़ दिया है? आँधी भी मलय की हवा का तकिया बनाकर सो गई है क्या? गहरी निद्रा के रूप में क्या तुझे विश्व का अभिशाप बनकर, तुझ पर पड़ा है? हे अमरता के पुत्र, तू क्यों मौत को अपने हृदय में बसाना चाहता है? तुझे अपरत्व का लम्बा जीना है तो क्यों तू मौत के करीब जा रहा है? इसलिए उठ जागजा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है?

कवियित्री अंतिम पंक्तियों में कह रही है कि तू निराश होकर अपनी पुरानी कहानियाँ मत सुना, उसे तू भुला दे। जब दिल में आग होती तो अपने अंतरमन में जोश होता है। और इसी जोश से तीव्र होकर कोई भी कार्य किया जा सकता है ऐसा करते समय यदि कभी पराजय भी मिली तो वह पराजय नहीं बल्कि विजय ही कहलाएगी। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है परंतु वह है तो क्षणिक ही क्योंकि दीपक तो हमेशा जलता रहता है वह ता अमर है तुझे अंगारो की शैय्या पर सुंदर कोमल कलियाँ बिछाना है अर्थात् मुश्किल समय में भी तुझे सफलता प्राप्त करना है इसीलिए तू जागजा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है।

पंक्तियों का सरल अर्थ:

1. चिर सजग आँखे उनींदी, आज कैसा व्यस्त बना जाग तुझको दूर जाना।

अर्थ: – सुश्री महादेवी वर्मा ने 'जाग तुझको दूर जाना' कविता की प्रारंभिक पंक्ति में ही अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इन्होंने देश के आम देशवासियों को सजग करते हुए कहा है कि सदा सजग रहने वाली आँखे नींद और उन्माद से भरी हुई है ये कैसी अस्त व्यस्त दशा बना रखी है।

कवियित्री महादेवी वर्मा ने देश के लोगों को आह्वान करते हुए कहा है कि उठो जागो तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लम्बे सफर पर जाना है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवियित्री ने युवा स्वतंत्रता सेनानियों को जागरण का संदेश दिया है।

2. अचल हिमगीरि.....चिन्ह छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना है।

अर्थ: – यहाँ इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती है। कि तू जागजा यदि तेरे मार्ग में स्थित खड़ा हुआ हिमालय पर्वत भी किसी कारणवश कंपित हो जावे या प्रलय काल की वर्षा से संसार जलपूर्ण हो जावे अथवा इस प्रकार की अन्धकार की माया अपने में समेटकर संसार में अंधकार कर देवे या बिजली गिर-गिरकर भस्मसात ही हो जावे, तूफान आ जावे। फिर भी तू डरना नहीं। चाहे कितनी ही कठोर तपस्या क्यों ने करनी पड़े। पर तू संसार के विनाश काल के समय अपने साहस को नहीं छोड़ना तथा वहाँ अपनी छाप छोड़ना है अर्थात् अपनी पहचान छोड़ना है और विपरीत परिस्थितियों में भी तुझे आगे बढ़ना है। इसीलिए तू जाग, तुझे बहुत दूर जाना है। यह जीवन संघर्षमय है तुझे बहुत दूर जाना है।

3. बाँध लेंगे क्या तुझे.....कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना है।

अर्थ: – प्रस्तुत पंक्तियों में कवियित्री कहती है कि हे वीरो तुम दृढ़ निश्चयी, अमरपुत्र, विजयी हो। तुम्हें संसार का यह मोह जाल, प्रेम, बंधन, रीतिरिवाज, आकर्षण अपने प्रेम जाल में नहीं बाँध पायेगा, दिशा भ्रमित नहीं कर पायेगी क्योंकि तुम वज्र के समान हृदय वाले है। तुम किसी भी बंधनों में नहीं बाँध पाओगे। वहाँ तुम्हें अनेक आकर्षण मिलेंगे अर्थात् नारियों के रंगीले पंख तेरी राह में बाधक होंगे। कवियित्री का कहना है कि यहाँ मोम के बन्धन सजीले अर्थात् अपने आसपास के नाजुक कोमल समझे जाने वाले पारिवारिक तथा सामाजिक बंधन आपकी राह में रोड़ा बनेंगे परंतु तुम्हें रूकना नहीं है।

इस संसार में असंख्य पीड़ित मनुष्यों की करुणापूर्ण आहें तुम भूल जाओगे और सांसारिक मायाजाल के आनंद में तुम्हारा मन लग जायेगा। भँवरों की गुनगुन से तुम्हें सांसारिक प्रेम याद आ जायेगा। फल पर पड़े ओसबिन्दु को देख क्या तुम्हें अपने प्रिया या प्रियजनों की विरहावस्था याद नहीं आयेगी? और ऐसा की हो सकता है कि तुम उनके कारण अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर चले जाओ मार्ग से भटक जाओ, परंतु कवियित्री सचेत करते कह रही है कि तुम कल्पित की अपने मार्ग से दूर न होना, इन पारिवारिक बंधनों में न फँसना और हमेशा कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाना।

4. वज्र का उर.....उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना।

अर्थ: – उपरोक्त पंक्तियों में कवियित्री महादेवी वर्मा कहती है कि तुम्हारा मानव – हृदय वज्र से भी अधिक कठोर था। तुमने उसे प्रिया के प्रेम से विचलित कर कोमल बना लिया है। अर्थात् तुम उसे दुखी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा हृदय अमृत की साधना की व्याप्ति था। तुम प्रेम में पागल होने की शराब (मदिरा) कहाँ से लाये हो।

आगे की पंक्तियों में कवियित्री कहती है कि मलयागिरि पर छाये चंदनवन से बहनेवाली हवा की सुवास देशप्रेम की ललक है। यही मलय पवन जब आँधी बन जाती है तब स्वाधीनता संघर्ष का रूप ले लेती है। देश प्रेम का जोश और संघर्ष जब शिथिल होने लगता है। कवियित्री कहते हैं कि मलय आँधी थम गई

NOTES

है और मलय चंदन की सुवास का तकिया बनाकर सो गई है? इस प्रकार इस पंक्ति में कवयित्री ने रूपक अंलकार का प्रयोग किया है।

गहरी निद्रा के रूप में क्या तुझे विश्व का अभिशाप बनकर, तुझ पर पड़ा है। हे अमरता के पुत्र, तू क्यों मौत को अपने हृदय में बसाना चाहता है? तुझे अमरत्व का लम्बा जीवन जीना है तो क्यों तू मौत के करीब जा रहा है? इसलिए उठ जाग तुझे बहुत दूर जाना है?

NOTES

5. कह न टंडी.....कलियाँ बिछाना। जाग तुझको दूर है जाना।

अर्थ: – उपरोक्त पंक्तियों में महादेवी जी कहती है कि तू टंडी सांस भरकर, अर्थात् जीवन से निराश होकर अपनी गुलामी की पुरानी कहानी मत सुन। क्योंकि जब दिल में ज्वाला होती है तो मनुष्य और अधिक जोश से कार्य करता है। आँखों में उत्साह के आँसू होते हैं। स्वतंत्रता पाने की राह पर यदि तुम्हें पराजय या असफलता भी मिले तो यह तेरी असफलता नहीं बल्कि सफलता का मार्ग कहलाएगा।

जिस प्रकार दीपक की लौ में पंतगा जलकर राख हो जाता है वह क्षणिक ही है लेकिन वह दीपक तो हमेशा ज्वलंत रहता है वह शैय्या पर सुंदर तथा कोमल कलियाँ बिछाना है अर्थात् मुश्किलों में भी तुझे सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ना है। उठ जाग अब तुझे स्वतंत्रता के लिए लम्बी लड़ाई लड़ना है।

समानार्थी शब्द:

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| 1. हिमगिरि | : | हिमालय, पर्वतराज |
| 2. आलोक | : | प्रकाश, |
| 3. क्रन्दन | : | चीत्कार, रूदन, रूलाई |
| 4. कारा | : | जेल, बंदीगृह |
| 5. सुधा | : | अमृत, मधु |
| 6. हवा | : | वायु, पवन |
| 7. व्योग | : | आकाश, अंतरिक्ष |
| 8. तिमिर | : | अंधेरा |
| 9. उपधान | : | ऊपर रखना, तकिया, सहारा |

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न: –

1. महादेवी जी ने 'जाग तुझको दूर जाना' कविता में जागरण शब्द के माध्यम से मनुष्य को जाग्रत करने के लिए ओज और पौरुषपूर्ण भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है।
2. जीवन एक लम्बी और कठिन यात्रा है जिसके मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है।
3. महादेवी जी की 'जाग तुझको दूर जाना' कविता में प्रसाद गुण की रूपकता है। स्पष्ट करो।
4. 'चिर सजग आँखें उनींदी' से क्या तात्पर्य है।
5. 'जाग तुझको दूर जाना' कविता स्वतंत्रता आंदोलन से अभिप्रेत है, स्पष्ट करो।
6. हिमगिरि, आलोक, सुधा, तिमिर, वान के समानार्थी शब्द लिखो।
7. मोम के बंधन सजीले.....पंक्ति का आशय लिखो।
8. जाग तुझको दूर जाना से क्या तात्पर्य है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. महादेवी वर्मा का परिचय व उनकी कृतियाँ लिखो ।
2. 'जाग तुझको दूर जाना' कविता का सारांश लिखो ।
3. सो गयी आँधी मलय की.....पंक्ति का अर्थ लिखो ।
4. मातृभूमि के लिए जीवन का उत्सर्ग करने वालों का हृदय वज्र के समान हो ऐसा कवियित्री ने क्यों कहा है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. 'जाग तुझको दूर जाना' कविता स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा गान है ।

(i) लोकगीत	(ii) राष्ट्रीय गीत
(iii) जागरण गीत	(iv) सामाजिक गीत
2. महादेवी वर्मा का जन्म.....

(i) 26 मार्च 1907	(ii) 10 नवंबर 1907
(iii) 21 जून 1894	(iv) 22 फरवरी 1907
3. पथ की बाधा बनते हैं.....

(i) गिलहरियों के रंग	(ii) चिड़ियों के पर रंगीले
(iii) जीवन के रंग	(iv) तितलियों के पर रंगीले
4. वज्र को उर धो गलाया....

(i) पानी ने	(ii) अश्रुकण ने
(iii) सुधा ने	(iv) दूध ने
5. जाग तुझको दूर जाना कविता की रचनाकार....

(i) जय शंकर प्रसाद	(ii) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
(iii) सुमित्रानंदन पंत	(iv) महादेवी वर्मा
6. स्थिर खड़े अविचल हिमालय में क्या हो सकता है

(i) कंपन	(ii) बाढ़
(iii) गर्जन	(iv) हास
7. मातृभूमि के लिए जीवन का उत्सर्ग करने वालों का हृदय.....

(i) वज्र होता है	(ii) मुलायाम होना है
(iii) कोमल होता है	(iv) उग्र होता है

उत्तर:- 1. (iii) 2. (i) 3. (ii) 4. (ii) 5. (iv) 6. (i) 7. (i)



NOTES

3. स्वतंत्रता पुकारती

‘जयशंकर प्रसाद’

NOTES

लेखक परिचय: – आधुनिक हिन्दी साहित्य में जयशंकर ‘प्रसाद’ का उदय बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारम्भ में ही हो गया था। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ई. दिन गुरुवार को काशी के सणधगोवर्धन में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवीप्रसाद तथा दादा का नाम शिवरतन साहू था। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहवसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही उनपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा।

शिक्षादीक्षा: – प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कालेज में हुई किंतु बाद में घर पर इनकी दीक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी का इन्होंने अध्ययन किया। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ‘कलाधर’ के नाम से वज्रभाषा में एक सवैया लिखकर ‘रसमय सिद्ध’ जो इनके गुरु थे उन्हें दिखाया था।

जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ व साहित्यिक योगदान आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावादी युग के आधारस्तम्भ के रूप में मानी जाती हैं वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिन्दी को गौरव करने लायक कृतियाँ दी। कवि के रूप में निराला, पंत, महादेवी के साथ चौथे छायावाद के स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना ‘खोलो द्वार’ 1914 में इंदु पात्रिका में प्रकाशित हुई। काव्य में उनकी प्रमुख रचनाएँ चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आँसू, लहर और कामायनी थी।

इसी प्रकार नाटक में विशाखा, प्रायश्चित्त, कल्याणी परिणय, यशोधर्म देव, राज्यपक्षी, अज्ञातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुत्रस्वामिनी आदि प्रमुख रचनाएँ थी।

इसी प्रकार कंकाल, तितली, इरावती उनके प्रमुख उपन्यास तथा छाया, आँधी, प्रतिध्वनि उनके प्रमुख कहानी संग्रह थे।

हिन्दी के विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को नवीन युग प्रवर्तियों के सजग और प्रभावशाली श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में मान्य किया है। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान-पान एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ‘क्षय’ रोग के कारण सोमवार 15 नवंबर 1937 के दिन प्रातः काल उनका देहांत हो गया।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से

प्रबुद्ध शुद्ध भारती।

स्वयंप्रभा समुज्ज्वला

स्वतन्त्रता पुकारती।

अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ - प्रतिज्ञ सोच लो

प्रशस्त पुण्य पन्थ है - चलो, बढ़े चलो।

अंसख्य कीर्ति - रश्मियाँ,

विकीर्ण दिव्य दाह - सी।

सपूत मातृभूमि के -

रूको न शूर साहसी।

अराति सैन्य सिन्धु में - सूबाड़ वाग्नि से जलो।

प्रवीर हो, जयी बनो - बढ़े चलो, बढ़े चलो।।

कविता का सारांश: - 'स्वतंत्रता पुकारती' छायावादी युग के आधार स्तम्भ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देशवासियों को देशप्रेम का संदेश देने वाली एक कविता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद भारतमाता को स्वतंत्र रूप में देखना चाहते थे। प्रसाद जी के समय हमारा देश अंग्रेजों के आधीन था। वे चाहते थे कि भारत शीघ्र स्वतंत्र हो। अतः उन्होंने अपनी संवेदना को 'स्वतंत्रता पुकारती' कविता के माध्यम से स्पष्ट किया। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने की हार्दिक इच्छा ही इनकी कविता की जननी की प्रेरणा है।

प्रसाद जी की यह कविता उनके सुप्रसिद्ध नाटक "चन्द्रगुप्त" से ली गई है, कवि ने देशवासियों के सामने अपने देश की स्वतंत्रता की महत्ता को समझाते हुए यह संदेश दिया है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वीर जवानों तैयार हो जाओ। प्रसाद जी ने कहा है कि भारत माता के वीर सपूतों! आज गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई भारतमाता स्वतंत्रता हिमालय की ऊँची - ऊँची चोटियों से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुम भारतमाता के अमर, वीर और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी सपूत हो। मातृभूमि (भारतभूमि) की रक्षा के लिये बलिदान होने का मार्ग बड़ा पुण्य वाला है, तुम्हारे यश की अनंत किरणें बिखेर कर शत्रुओं के लिए दाहक सिद्ध होगी। अतः हे भारतभूमि के वीर सिपाहियों तुम इस त्याग और बलिदान के मार्ग पर अग्रसर होते हुए स्वतंत्रता सेना के समुद्र में बड़वाग्नि की तरह प्रज्वलित हो और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर विजय प्राप्त करो

कविता में कवि ने भारत माता के पुत्रों के लिए अमर वीर, दृढ़, प्रतिज्ञा, सपूत, शूरवीर, साहसी, प्रवीर आदि विशेषणों का भी प्रयोग किया है।

इस प्रकार इस कविता में प्रसाद जी ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता के विरुद्ध भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों और संघर्षों की भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। साथ ही कविता में स्वतंत्रता की विशेषताएँ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता प्रबुद्ध, शुद्ध, स्वयंप्रभा, समुज्ज्वला, और भारती अर्थात् राष्ट्रप्रेम से भरी होती है।

कविता का सरल अर्थ: -

1. हिमाद्रि तुंग, श्रृंग से प्रबुद्ध भारती।

स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।

अर्थ: - जयशंकर प्रसाद की यह कविता राष्ट्रीय वीर भावना से ओतप्रोत है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में एक अजेय प्रहरी के रूप में स्थित है। इसकी ऊँची - ऊँची चोटियाँ भारत के उत्तर में प्रहरी के रूप में रक्षा कर रही है। जब शत्रु हमारे देश पर नजर डालता है तो हिमालय की तुंग - श्रृंग से हिमालय स्वतंत्रता की पुकार करता है तब कवि कहते हैं कि हे भारत माता के शपूतों माँ भारत की स्वतंत्रता अमर बनाये रखने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ रक्षा के इस पुण्य मार्ग पर सदैव अपने कदम बढ़ाते रहो।

स्वतंत्रता का अपना एक सुख और प्रकाश होता है। वह स्वयं की प्रभा या प्रकाश से आलोकित होता है। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उसे सुख का भाव प्रदान करती है। स्वतंत्र मानव उत्साह एवं पुलकित भावों से अपने कार्य सम्पन्न करता है इसलिए स्वतंत्रता को स्वयंप्रभा समुज्ज्वला कहा गया है।

2. अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो।

प्रशस्त पुण्य पथ है - बड़े चलो, बड़े चलो।

अर्थ: - कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि तुम भारतमाता के अमर, वीर और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी सपूत हो। मातृभूमि की रक्षा के लिये बलिदान होने का मार्ग बड़ा पुण्य वाला है। तुम्हारे यश की अनंत किरणें बिखर कर शत्रुओं के लिए दाहक सिद्ध होंगी।

3. असंख्य कीर्ति - रश्मियाँ, विकीर्ण दिव्य दाहसी।

सपूत मातृभूमि के - रूको न शूर साहसी।

अर्थ: - स्वतंत्रता पुकारती कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय वीरों को आव्हान करते हुए कहा है कि हे अमर भारतीय सपूतों! स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करो। यह मार्ग आपको जीवन में यश व सफलता फैलायेगा। यह मार्ग अनेकनिक कीर्ति की रश्मियों से आलोकित हो रहा है। तुम इस मार्ग पर चलो यहाँ कीर्ति

NOTES

रश्मियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जो देश की स्वतंत्रता के लिये शहीद हो जाते हैं, वे यश प्राप्त करते हैं उनकी कीर्ति की किरणें सदैव विद्यमान रहती हैं। इस मार्ग पर चलने से तुम्हें अलौकिक आनन्द प्राप्त होगा क्योंकि तुम मातृभूमि के सपूत हो। तुम शौर्यवान हो। वीर हो। तुम कभी रूको नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहो।

NOTES

4. अराति सैन्य सिन्धु में - सुबाड़वाग्नि से जलो।

प्रवीर हो जयी बनो - बढ़े चलो बढ़े चलो।

अर्थ: - इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे पुत्रो। तुम श्रेष्ठ वीर हो और शत्रुओं की विशाल शक्तिशाली सेना समुद्र की तरह है जिसकी ओर आगे बढ़ते हुए उसी प्रकार तुम विजयश्री का वरण करो जैसे बड़वाग्नि समुद्र में प्रज्ज्वलित होकर समुद्र की विशाल जलराशि को नष्ट करने का प्रयास करती है और उसमें निवास करने वाले जीव - जन्तुओं को काल - कवलित करके वह अग्नि समुद्र को परास्त कर देती है। इस प्रकार यहाँ शत्रुओं की सेना को सिंधु की उपमा दी गई है और भारतीय वीरों को बड़वाग्नि के समान प्रज्ज्वलित होने की प्रेरणा दी है और भारतीय वीरों को आवाहन करते कवि कहते हैं कि तुम गुलामी को समाप्त कर विजय श्री प्राप्त करो।

समानार्थी शब्द:

- | | | | |
|----|-----------|---|---|
| 1. | हिमाद्रि | : | हिमालय, हिमालय का विशाल भाग |
| 2. | मुंग | : | पर्वत, पश्चिमी हिमालय का एक झाड़दार पेड़, बहुत ऊँचा |
| 3. | भारती | : | सरस्वती नामक देवी, स्वर, वचन, एक प्रकार का कुल नाम: दशनामी सन्यासियों का एक केन्द्र |
| 4. | अमर्त्य | : | न मरने वाला, अमर |
| 5. | वीर | : | साहसी |
| 6. | प्रतिज्ञा | : | शपथ, कसम |
| 7. | रश्मियाँ | : | किरणें |
| 8. | प्रवीर | : | वीर व्यक्ति, महान योद्धा |

विरुद्धार्थी शब्द:

- | | | | |
|----|---------|---|------------|
| 1. | विकीर्ण | : | प्रविकीर्ण |
| 2. | तुंग | : | निम्न |
| 3. | शुद्ध | : | अशुद्ध |
| 4. | कीर्ति | : | अपकीर्ति |
| 5. | सपूत | : | कपूत |
| 6. | जय | : | पराजय |
| 7. | शूर | : | कायर |
| 8. | श्रृंग | : | पाद |
| 9. | प्रशस्त | : | अप्रशस्त |

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखो।
2. प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ कौनसी हैं।

3. तुंग, श्रृंग, शुद्ध, स्वतंत्रता, प्रशस्त, कीर्ति, विकीर्ण का विलोम (विरुद्धार्थी) शब्द लिखों।
4. कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का क्या संदेश दिया है।
5. स्वतंत्रता पुकारती कविता का पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
6. असंख्य कीर्ति राशियाँ.....पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. स्वतंत्रता पुकारती कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो।
2. स्वतंत्रता को स्वयंप्रभा और समुज्ज्वला क्यों कहा गया है।
3. हिमाद्रि, भारती, वीर, प्रवीर, विकीर्ण का समानार्थी शब्द लिखो।
4. प्रसाद ने स्वतंत्रता की कौन सी विशेषताएँ बतलायी है।
5. भारत माता के पुत्रों के लिए कवि ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है।
6. कीर्ति राशियों के बारे में कवि के क्या विचार हैं।
7. सिन्धु और सुबाङ्ग्वाग्नि का प्रयोग कवि ने क्यों और किस प्रकार किया है।
8. हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती का अर्थ स्पष्ट किजिए?
9. “अराति सैन्य सिन्धु में.....सुबाङ्ग्वाग्नि से जलों का अर्थ स्पष्ट करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. “स्वतंत्रता पुकारती” कविता के कवि.....

(i) मैथिलीशरण गुप्त	(ii) जयशंकर प्रसाद
(iii) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	(iv) महादेवी वर्मा
2. स्वतंत्रता पुकारती कविता प्रसाद के किस नाटक से ली गई है।

(i) समुद्रगुप्त	(ii) चंद्रगुप्त
(iii) स्कन्धगुप्त	(iv) शुंगवंश
3. स्वतंत्रता किस प्रकार रही है।

(i) नेताओं को	(ii) युवकों को
(iii) कवियों को	(iv) महिलाओं को
4. ‘स्वतंत्रता पुकारती’ कविता में कौन पुकार रहा है।

(i) जयशंकर प्रसाद	(ii) हिन्दी भाषा
(iii) भारतमाता	(iv) देशवासी
5. जयशंकर प्रसाद का जन्म।

(i) 30 जनवरी 1930	(ii) 30 जनवरी 1890
(iii) 30 जनवरी 1809	(iv) 30 जनवरी 1947

उत्तर: - 1. (ii) 2. (ii) 3. (ii) 4. (iii) 5. (ii)



NOTES

4. हम अनिकेतन

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

NOTES

1

हम अनिकेतन, हम अनिकेतन
हम तो रमते राम हमारा क्या घर?
क्या दर? कैसा वतन?
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन।

2

अब तक इतनी यों ही काटी
अब क्या सीखें नव परिपाटी?
कौन बनाये आज घरोंदा
हाथों चुन - चुन कंकड़ माटी
ठाठ फकीराना है अपना
बाघाम्बर सोहे अपने तन
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन।

3

देखें महल झोंपड़े देखें
देखें हास - विलास सब देखे
संग्रह के विग्रह सब देखे
जँचे नहीं कुछ अपने लेखे
लालच लगा, कभी पर हिय में
मच न सका शोणित उद्वेलन
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन।

4

हम जो भटके अब तक दर - दर
अब क्या खाक बनाएँगे घर?
हमने देखा, सदन बने हैं
लोगो का अपनापन लेकर
हम क्यों सने ईंट गारे में बेमन?
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन।

5

ठहरे अगर किसी के दर पर
कुछ शरमाकर, कुछ सकुचाकर
यों दरबान कह उठा, बाबा
आगे जा देखो कोई घर,
हम दाता बनकर बिचरे, पर -
हमें भिक्षु समझे, जग के जन।
हम अनिकेतन, हम अनिकेतन।

जीवन परिचय: - हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म 8 दिसम्बर 1897 को ग्राम भयाना, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में हुआ। बालकृष्ण शर्मा जी द्विवेदी युग के कवि हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान हेतु 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

साहित्यिक योगदान रचनाएँ: - बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्रीय तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आता है आपने ब्रजभाषा के प्रभाव से युक्त 'खड़ी बोली' हिन्दी में काव्य रचना की। प्राणार्पण, उर्मिला, रश्मिरेखा, कुंकुम, क्वासी, अपलक, विनोवा - स्तवन, हम विषपायी जन्म के, विप्लव

गायन, असिधारा पथ, प्राप्तव्य, भिक्षा, फागुन, मन मीन, मेह की झड़ी लगी, सदा चाँदनी, साजन जोंगरी, हिंडोला, घन गरजे आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अनेक दोहे भी लिखे उनके दोहों को 10 भागों में प्रकाशित किया गया। 29 अप्रैल 1960 ई. को इनकी मृत्यु हो गई

कविता का सारांश: – कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन अपनी कविता “हम अनिकेतन” में कहते हैं कि हम तो अनिकेतन हैं अर्थात् हमारा कोई घरबार आसरा नहीं है। हम तो स्वतंत्र और स्वच्छन्द रूप से घूमने-फिरने वाले, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले रमते जोगी हैं। अर्थात् हम जैसे लोगों का कोई घर द्वार, देश नहीं होता है।

कवि कहते हैं कि हमने अपना अब तक का जीवन यँ ही घूमते-फिरते व्यतीत कर दिया है अतः जीवन के शेष बचे समय में हम जीवन का क्या तरीका सीख पाएँगे बाकी बचे हुए जीवन जीने के लिए हमें किसी नए तरीके को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने हाथों से मिट्टी कंकड़ चुनकर घर नहीं बनाना चाहते क्योंकि वास्क्विकता में हमें घर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जीवन तो फकीरों जैसा है। हमारे शरीर पर तो अब साधुओं के समान बाघ की खाल सुशोभित है अर्थात् अब हमारा जीवन साधुओं के समान संसार से विरक्त हो चुका है।

आगे कवि नवीन कहते हैं कि हमने अपने जीवन में इस संसार के महलों का वैभव, झोपड़ियों की गरीबी तथा जीवन की आनंद क्रीड़ाओं को बहुत देखा है। अब किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा है। इस संसार में धन – संग्रह के लिए संघर्षों को और उन्हे बिखरते देखा है। दुनियाँ के इस वैभव को प्राप्त करने की लालसा अवश्य मन में उत्पन्न हुई परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमने कभी संघर्ष नहीं किया है।

कवि कहते हैं कि अभी तक का जीवन इधर – उधर भटकते – भटकते निकल गया। शेष बचे जीवन में अब क्या खाक घर बनाएँगे? हमने देखा है कि जो लोग अपने सुख के लिए भवन बनाते हैं उसके बदले में वे अपनों का ही प्रेम और अपनापन खो देते हैं। अतः हम घर बनाने की मेहनत क्यों करें? क्यों हम व्यर्थ में दूसरों की नजर में पराये बनें। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं?

कवि महोदय कहते हैं कि यदि हम किसी दरवाजे पर सकुचाते हुए, शरमाते हुए जाकर रूक भी गए तो उस घर का दरबान हमारी स्थिति देखकर हमें भिखारी समझकर भगा देगा या बाबा किसी और घर जाओ कहेगा। हमें घूमता देखकर यह संसार हमें याचक, भिखारी समझता है। जबकि हम तो रमते जोगी हैं। भिक्षुक नहीं वास्तव में हम तो दाता हैं।

इस प्रकार कवि नवीन ने कहा है कि हम अनिकेतन रहना चाहते हैं। क्योंकि सारा संसार ही उनका घर है। उनका अनिकेतन होना उन्हे दुनियाँ की मोह – माया से बचाकर रखने में मदद करता है। जिन – जिन लोगों ने धन वैभव का संग्रह किया है वहाँ संघर्ष ही हुए हैं। जबकि वे तो सबके साथ प्रेम से परिपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। इसीलिए कवि अनिकेतन बने रहने की बात यहाँ कविता में कह रह है।

कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ:-

1. हम अनिकेतन हमारा क्या घर? क्या दर? कैसा वतन?

हम अनिकेतन.....

अर्थ:- द्विवेदी युग के कवियों में बालकृष्ण शर्मा का विशेष स्थान एवं महत्व है। हम अनिकेतन कविता में कवि कहता है कि हम अनिकेतन हैं अर्थात् हमारा कोई घर – घाट नहीं है हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। हम तो स्वच्छंद रूप से घूमने फिरने वाले हैं। घुमक्कड़ जीवन जीने वाले रमते जोगी हैं। अतः न कोई घर है। न कोई देश है।

2. अब तक इतनी यों हम अनिकेतन।

कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हमने अब तक का अपना जीवन यँ ही घूमते – फिरते निकाल दिया अब शेष बचे जीवन में जीने का तरीका क्या सीख पाएँगे। बाकी बचे हुए जीवन के लिए हमें कोई नया तरीका अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अपने हाथों से मिट्टी, कंकड़ चुनकर घरोंदा बनाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमारे जीवन के ठाठ तो आज भी पीर – फकीरों जैसा है। हमारा जीवन तो अब संत, साधुओं के समान संसार से विरक्त हो गया है।

NOTES

NOTES

3. देखें महल हम अनिकेतन।

कवि कहता है कि हमने अपने जीवन काल में इस संसार के महलों का वैभव, झोपड़ियों की गरीबी तथा जीवन के ऊँच-नीच, सुख-दुःख की अनेक क्रीड़ाओं को देखा है। अब किसी के भी प्रति मन में कोई आकर्षण नहीं है। इस संसार में धन - संग्रह के लिए सघर्षों को और उन्हें बिखरते देखा है परन्तु मेरे जीवन में इन वैभवों को प्राप्त करने की लालसा बिल्कुल जागृत नहीं हुई है, अर्थात् हमारे खून में कोई तीव्र लालसा का प्रवाह भी नहीं हुआ है। कवि कहता है कि मनुष्य इस संसार में धन - संग्रह करने के लिए सघर्षों में उलझा रहता है अर्थात् धन संग्रह के लिए वह अपने सम्बंधों का विग्रह करने लगता है। धन के लिए वह अपनों से ही प्रेम एवं स्नेह के संबंधों को तोड़ लेता है परन्तु मेरे जीवन में इन वैभवों को प्राप्त करने की लालसा बिल्कुल जागृत नहीं हुई है अर्थात् हमारे खून में कोई तीव्र लालसा का प्रवाह भी नहीं हुआ है।

4. हम जो भटके हम अनिकेतन।

अर्थ:- कवि कहता है कि अभी तक हम अपने जीवन में इधर - उधर भटकते रहे। शेष बचे जीवन के लिए अब हम क्या घर बनायें क्योंकि कवि का कहना है कि हमने अक्सर देखा है जो लोग अपने सुख के लिए भवन बनाते हैं उसके बदले में वे लोग अपनों को ही खो देते हैं। अर्थात् जीवन में इतना पैसा और वैभव न हो कि पिता की लाठीमन बिगड़ने पर छोटा, डाक्टर से पहले वकील को ही बुला लाए। आगे कहते हैं कि हम क्यों ईंट-गारे से बने मकान की सोचकर व्यर्थ में दूसरों की नजर में पराये बने?

5. ठहरे अगर हम अनिकेतन।

अर्थ:- कवि कहता है कि यदि हम किसी के दरवाजे पर ठहर भी जाएँ तो हमारी स्थिति देखकर हमें भिखारी समझ अगले दरवाजे पर जाने को कह देते हैं। कवि कहता है कि है कि हम तो पीर फकीर हैं जो कि संसार को देने आए हैं परन्तु लोग भिक्षुक समझकर आगे बढ़ जाने को कह रहे हैं।

समानार्थी शब्द:-

1. अनिकेतन	=	सन्यासी, खानाबदोश, जिसके पास घर न हो
2. वतन	=	देश
3. परिपाटी	=	परम्परा, नियम, रीति-रिवाज, दस्तूर
4. घरौंदा	=	छोटा घर
5. ठाठ	=	सुख, समृद्धि, तड़क - भड़क
6. हिय	=	हृदय, दिल, मन
7. बेमन	=	बिना मन के

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. कवि नवीन की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो
2. कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि धन संग्रह के लिए रिशतों का विग्रह करना पड़ता है।
3. कविता में किस व्यक्ति को अनिकेतन कहा गया है।
4. अनिकेतन, घरौंदा, ठाठ, हिय, परिपाटी के समानार्थी शब्द लिखो।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

1. कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो।
2. कवि अनिकेतन बने रहना क्यों चाहता है।
3. हम अनिकेतन में दाता को भिक्षुक समझने का क्या आशय है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. अनिकेतन से तात्पर्य है कि
 - i) बेघर
 - ii) व्यवसायी
 - iii) राजा
 - iv) पुजारी
2. हम अनिकेतन के कवि
 - i) निराला
 - ii) महादेवी वर्मा
 - iii) बालकृष्ण शर्मा
 - iv) तिवारी
3. अत्यधिक संग्रह से
 - i) रिश्तों में विग्रह
 - ii) जीवन में दुःख
 - iii) जीवन में सुख
 - iv) इनमें से कोई नहीं
4. कवि ने यहाँ अनिकेतन को
 - i) भिखारी कहा है
 - ii) रमता जोगी कहा है
 - iii) पुजारी कहा है
 - iv) राजा कहा है
5. कवि ने यहाँ अनिकेतन को
 - i) भिखारी कहा है
 - ii) रमता जोगी कहा है
 - iii) पुजारी कहा है
 - iv) राजा कहा है

उत्तर:- 1. (i) 2. (iii) 3. (i) 4. (ii)



NOTES

5. भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप

NOTES

भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा का संबंध व्यक्ति, समाज और देश से होता है इसलिए भाषा का विशेष महत्व पाया जाता है। अल्पायु वाला बालक हँसकर या रोकर अपनी बात को प्रकट करता है। गूंगा व्यक्ति संकेतों और अस्पष्ट आवाजों से अपने विचारों को प्रकट करने की चेष्टा करता है। मनुष्य तो मनुष्य, मनुष्यों के अलावा प्राणियों पर संकट आने पर चिड़ियाँ विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती हैं जिससे चिड़ियों का पूरा समूह एक-दूसरे का संकेत समझकर उड़ जाता है। जंगल में शेर दिखने पर बंदर विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जिसको सुनकर सारे जानवर भाग खड़े होते हैं। क्या इन सुरीली, डरी सी, ध्वनियों, संकेतों को भाषा कहा जा सकता है? उत्तर आता है नहीं।

भाषा का अर्थ एवं परिभाषा:— जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह सामाजिक व्यवहार का एक प्रमुख साधन है। भाषा ही मनुष्य को पशु-समाज से पृथक करती है। भाषा के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

1. **डॉ. भोलानाथ तिवारी** के अनुसार, “भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों तथा विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
2. **स्वीट** के अनुसार, “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है।” इस प्रकार उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। मुख, कण्ठ, तालु आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई वह ध्वनि है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
3. **क्रोचे** के शब्दों में, “भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं।”
4. **सुप्रसिद्ध वैयाकरण कामना प्रसाद** के अनुसार “भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है।
5. **ब्लॉक तथा ट्रेगर** के अनुसार: भाषा, मानव वाक-इन्द्रियों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक भाषा समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

भाषा की विशेषताएँ:— पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की विविध रूपों में व्याख्या की है। विविध विद्वानों के विचार एवं व्याख्या के बाद भाषा की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार बतलायी जा सकती हैं।

1. भाषा मनुष्य की वाक-इन्द्रियों द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेत है।
2. ये ध्वनि-संकेत रूढ़ एवं परम्परागत होते हैं।
3. भाषा पैतृक सम्पत्ति है। भाषा सीखी जाती है। यह धन की तरह माता-पिता से अनायास प्राप्त नहीं होती है।
4. भाषा आरम्भ से लेकर अन्त एक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति, उसका प्रयोग और उसका अर्जन सब कुछ समाज द्वारा होता है।
5. भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।

6. भाषा चिरपरिवर्तनशील है। भाषा शारीरिक, मानसिक, भौतिक कई कारणों से सतत बदलती रहती है।
7. भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि यह सदैव परिवर्तनशील है।
8. भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है।
9. भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है।
10. भाषा मानव मुख से उच्चारित उन सार्थक ध्वनि-संकेतों को कहते हैं जिनकी सहायता से एक समुदाय वाले आपस में विचार-विनिमय करते हैं तथा भावों का आदान-प्रदान करते हैं।

भाषा का महत्व : भाषा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। मनुष्य ने अपने जीवन-यापन के लिए भाषा का विकास किया है और इसमें निरंतर विकसित होते जा रहा है। मानव जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **विचार विनिमय का प्रमुख माध्यम-** भाषा हमारे विचारों के आदान-प्रदान का एक प्रमुख माध्यम है। बालक भाषा स्वाभाविक रूप से व अनुकरण से सीखता है। इसीलिए भाषा विचार-विनिमय का एक सरल माध्यम है।

2. **ज्ञान तथा कौशल के हस्तान्तरण का माध्यम-** भाषा के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आसानी से किया जा सकता है।

3. **व्यक्तित्व-विकास में सहायक-** भाषा की सहायता से ही व्यक्ति अपने भावों-विचारों को विकसित करता है तथा उन्हें अभिव्यक्त करता है। जिस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट एवं सशक्त होगी, वह अपने व्यक्तित्व का विकास उतने ही प्रभावशाली स्वरूप में कर पायेगा।

4. **कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में सहायक-** किसी भी भाषा का विकास उसके साहित्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। साहित्य के साथ कला के स्वर भी भाषा में ही मुखरित होते हैं। भाषा की सहायता से ही मनुष्य अपने समाज के आचार-विचार, संस्कृति और विशिष्ट जीवन शैली से परिचित होता है।

5. **चिन्तन-मनन का माध्यम-** व्यक्ति अपना चिन्तन-मनन भाषा के माध्यम से ही करता है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है।

6. **राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायक-** भाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता का एक आधार है। राष्ट्र के विभिन्न भागों के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने तथा एक-दूसरे के विचारों को समझने का माध्यम भाषा ही है।

भाषा के विविध रूप: भावों को प्रकट करने की दृष्टि से विश्व की सभी भाषाएँ सामान्यतः समान होती हैं क्योंकि सभी भाषाएँ विचार विनिमय के मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। भाषा के विविध रूप पाए जाते हैं।

1. **बोली:** स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। सामान्यतः इसका अस्तित्व मौखिक होता है। इसका प्रयोग करते समय भावों को प्रकट करने के लिए विविध भाव-भंगिमाओं की सहायता ली जाती है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि “बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है।”

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार : बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है। किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सके, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं-कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।”

NOTES

सामान्यतः बोली की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

1. इसका क्षेत्र सीमित होता है।
2. बोली का साहित्य नहीं मिलता है।
3. यह स्थानीय और घरेलू होती है।
4. इसका रूप साहित्यिक नहीं होता है।
5. इसकी शब्दावली सीमित होती है।

2. विभाषा: जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि बोली का बड़ा एवं विस्तृत क्षेत्र ही विभाषा है।

3. परिनिष्ठित भाषा: जब कोई उपभाषा या विभाषा अपने सुव्यवास्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होनें लगती है, तब निष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। इस परिनिष्ठित भाषा का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य-रचना, सूचना एवं सरकारी काम-काज में होनें लगता है। दैनिक समाचार-पत्र, पाठ्य-पुस्तकों तथा सरकारी सूचनाओं में इसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है।

4. साहित्यिक भाषा: जिस भाषा को मुख्य रूप से साहित्य रचनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न तथा परिनिष्ठित भाषा के निकट होती है। कवि, लेखक एवं साहित्यकार इसी भाषा का व्यवहार में प्रयोग करते हैं। वर्तमान हिन्दी साहित्य इसी भाषाओं में लिखा जाने लगा है।

5. विशिष्ट भाषा: जो भाषा बोली, विभाषा एवं परिनिष्ठित भाषा से सर्वथा भिन्न विविध व्यवसायों अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित की गई हो उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। जैसे-कानून की भाषा। कानूनी कार्यवाही, न्यायालय, आदि में जो भाषा व्यवहार में लाई जाती है, उसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। और वह केवल इसी विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रयुक्त की जाती है। इसीलिए इस प्रकार की भाषा को विशिष्ट भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार पंडितों की भाषा, सराफों की भाषा, खेल की भाषा, डाक्टरों की भाषा, शेयर बाजार की भाषा, विशिष्ट भाषा है। यह दूसरी भाषाओं से अपेक्षाकृत भिन्न एवं अपनी शब्दावली के कारण भी विशिष्ट होती है।

6. राजभाषा: राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो राजकाज, प्रशासनतन्त्र के कार्य के सम्पादन में गतिविधि की, कार्यकलापों की भाषा हो जैसे हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झण्डे होते हैं और उसे राष्ट्रध्वज के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह हर देश की समग्रता की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप रखने वाली उसकी गतिविधि के सम्पादन की एक भाषा भी होती है। राष्ट्र के भिन्न-भिन्न राज्यों की अलग-अलग राजभाषाएँ हैं वहाँ संघ राष्ट्रों में जहाँ आमतौर पर समस्त देश में अथवा देश के अधिकांश भागों में परस्पर भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के बीच सम्पर्क माध्यम का कार्य तो करती ही है, देश की शिक्षा, देश का ज्ञान, विज्ञान, रीति-नीति, कला, संस्कृति आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यव्यापारों का निर्वाह भी करती है। हिन्दी इन दायित्वों का निर्वाह करती है। यह आजादी से पहले मुगल शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल में अनेक देशी राजाओं के राज्य की राजभाषा, देश के व्यापक क्षेत्रों की सम्पर्क भाषा तथा मुगल एवं अंग्रेजी शासन में ऊपरी तौर पर द्वितीय राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती है।

राष्ट्रभाषा की विशेषताएँ- इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. राष्ट्रभाषा पूर्ण विकसित भाषा होती है।
2. यह शिक्षा, प्रशासन और जनसम्पर्क की निर्विवाद भाषा होती है।
3. यह शिष्ट, परिमार्जित तथा व्याकरणसम्मत होती है।
4. देश की विभिन्न भाषाओं से इसका सम्बन्ध होता है।
5. इसका अपना साहित्य होता है।
6. यह राष्ट्र की सम्पर्क भाषा होती है और जनजीवन को प्रभावित करती है।

7. राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा होती है।
8. प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने के कारण यह राजभाषा भी होती है।
9. प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है।

स्वतंत्रता की लड़ाई में इसे विभिन्न भाषा-भाषी सेनानियों के बीच भावों, विचारों एवं कार्य योजनाओं के सम्पादन के लिए सम्पर्क भाषा के रूप अपनाया गया। यही कारण था कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को इस प्रांजल भारतीय सम्पर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा को संघ की राजभाषा बनाने का संकल्प पारित किया। भारत के संविधान के अनुसार, “देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी”। वस्तुतः संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित देश की 22 भाषाएँ देश की राजभाषाएँ हैं। परन्तु जब हम पूरे देश को ध्यान में रखकर राजभाषा की चर्चा करते हैं तो उसका एकमात्र अर्थ होता है संघ की राजभाषा जो संघ के प्रशासनिक कार्यों, संघ और राज्यों की बीच सम्पर्क तथा अपने देश का दूसरों देशों के साथ राजनायिक सम्बन्ध और परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। यही हिन्दी भारत के संघ की राजभाषा है।

7. राष्ट्रभाषा: जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाषियों के पारस्परिक विचार-विनिमयक सशक्त माध्यम बन जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस तरह राष्ट्र की जितनी भी भाषाएँ हैं, सभी राष्ट्रभाषा हैं फलस्वरूप भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के अतिरिक्त देश की दर्जनों अन्य भाषाएँ भी जो अपने-अपने क्षेत्रों में लोक सम्प्रेषण का माध्यम हैं हमारी राष्ट्र भाषाएँ हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान में इनमें से किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित नहीं किया गया है। यही राजभाषा, संघभाषा अथवा सम्पर्क भाषा जैसे शब्दों का ही व्यवहार हुआ है। परन्तु इतना होते हुए भी एक विशिष्ट अर्थ में राष्ट्रभाषा की संकल्पना और उसकी सार्थकता से हम इन्कार नहीं कर सकते और इस सार्थकता एवं यथार्थता की अधिकारी भी अपनी स्थिति के चलते हिन्दी ही है।

राजभाषा अथवा सम्पर्क भाषा अपनी एक सीमा में (परिधि) में बंधी है, परन्तु उस सीमा के आर-पार विस्तृत (व्यापक) आयामों में परिव्यास, राष्ट्र के प्रशासन, समस्त कार्य, व्यापार, व्यवसाय, रीति-नीति, तकनीक तथा संस्कृति और परम्परा को अभिव्यक्ति देने वाली तथा विश्व के विभिन्न देशों तक इन्हें पहुँचाने में समर्थ राष्ट्र की एक सुगम, सुबोध एवं सशक्त भाषा राष्ट्र भाषा होती है। भारत में इस रूप में राष्ट्रभाषा के स्वरूप में भी हिन्दी स्वभावतः प्रतिष्ठित है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वह भाषा होती है जो अपने व्यापक परिवेश और विकासोन्मुख प्रवर्धमान शक्तियों के चलते अपनी क्षेत्रीयता की सीमा से ऊपर उठते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों के संवेदन-स्पंदन को अपनी आत्मा में समेट कर उसे प्रकाश, अभिव्यक्ति देती है और जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करने में सेतु का काम करती है। हिन्दी इन दोनों ही दायित्वों का सार्थक निर्वाह कर रही है और इसलिए इसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलना किसी कृत्रिम प्रयास का नहीं, स्वाभाविक गति का परिणाम है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा: जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार-विनिमय तथा पत्र-व्यवहार आदि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा अनेक राष्ट्रों में रहने वाले लोगों में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। सयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा का गौरव प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी भाषा का व्यवहार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। संख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी, स्पैनिश और हिन्दी की स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन आपसी विचार विनिमय के लिए अंग्रेजी का वर्चस्व सर्वमान्य है। इसीलिए अंग्रेजी को ही अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है।

9. मातृ भाषा : मातृभाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपनी माता की गोद से सीखता है अर्थात् उसे माँ-बाप, अड़ोस-पड़ोस, उसके अपने संस्कार की भाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा की पहचान के सम्बन्ध में गुलाब राय ने अपने लेख “मातृभाषा की महत्ता” में लिखा है कि यदि किसी की मातृभाषा का पता करना हो और, यह किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाएँ तो अचानक पीछे से उसकी पीठ पर मुक्का मारो। ऐसी स्थिति में जिस भाषा में वह अपनी आह व्यक्त करे वहीं उसकी मातृभाषा होगी। कारण, कोई कितना भी विदेशी भाषा का ज्ञान रखने वाला हो, अतिशय सुख अथवा अतिशय दुख की अवस्था में वह अपनी मातृभाषा में ही अपने हृदय के भाव व्यक्त करेगा। आरम्भ में हिन्दी मातृभाषा के रूप में मात्र दिल्ली और उससे लगे मेरठ जिले एवं उसके आस-पास के एक छोटे से भू-भाग में प्रयोग में रही, किन्तु आज मातृभाषा के रूप में लगभग सारे भारत के विस्तार में प्राजल सम्पर्क का एक मात्र साधन बन चुकी है।

10. **कार्यालयीन भाषा:** कार्यालयीन भाषा से आशय है- सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और हिन्दी को 14 सितम्बर, 1949 के दिन राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया। भारत के संविधान के अनुसार राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा। राजभाषा के लिये अंग्रेजी शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। कार्यालयीन हिन्दी को अनुकूलन दिशा और गति प्रदान करने में कार्यालयों में प्रयुक्त प्रारूपण, टिप्पण, सार लेखन, रिपोर्ट आदि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

हिन्दी भाषा का मानकीकरण

‘मानकीकरण’ भाषा की एक सहज सामाजिक प्रक्रिया है। मानक भाषा अर्थात् ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा को नागर भाषा, परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, साधु भाषा और टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ‘स्टैण्डर्ड लैंग्वेज’ कहते हैं। मानक का अर्थ स्थिर, शुद्ध तथा स्तरीय भाषा होती है। भाषा के अनेक रूप होते हैं। मानक भाषा का रूप संसार में एक समान होता है। उसका प्रयोग पठन-पाठन, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-संस्कृति में भी एक समान होता है। और साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा एक क्षेत्र विशेष की विशिष्ट भाषा होती है। उसका अपना निश्चित व्याकरण होता है। मानक भाषा का एक पूर्ण शब्दकोश होता है तथा सभी से उसे मान्यता प्राप्त होती है। आज जो हिन्दी प्रयोग में आ रही है, वह मानक हिन्दी है। मानक हिन्दी भाषा उसे कहते हैं, जो व्याकरणयुक्त सर्वमान्य राजभाषा हो, जिसमें एकरूपता, स्थिरता, स्वायत्तता और कार्य-व्यापार में प्रयोग की अधिकता हो, जिसे सामाजिक जीवन में बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त किया जाता हो। वह अपने आदर्श रूप में साहित्य रचना योग्य हो। जिसमें, विश्वविद्यालयीन अध्ययन-अध्यापन एवं शोधकार्य किया जा सकता हो तथा जिसमें दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हों।

मानक भाषा सामाजिक जीवन की आदर्श भाषा होती है। वह परिष्कृत रूप में सामाजिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। इस दृष्टि से हिन्दी एक पूर्ण वैज्ञानिक मानक भाषा है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी मानक भाषा है। उसमें लिपि और व्याकरण की दृष्टि से जितनी परिपूर्णता है, उतनी विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं है। हिन्दी जब राजभाषा के पद पर आसीन हुई तो उसके लिये भाषा के मानक रूप की जरूरत पड़ी जिसमें स्पष्टता, एकरूपता, सुनिश्चितता तथा औचित्य का समावेश होना आवश्यक समझा गया। अतः आजादी के बाद से आज तक हिन्दी को अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक बनाने की दिशा में प्रयत्न कर इस क्षेत्र में उसका मानक रूप तैयार किया जा रहा है।

भाषा के मानकीकरण की विशेषताएँ :-

डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल ने भाषा के मानकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं।

1. मानकीकरण का आधार सामाजिक अभिस्वीकृति है।
2. मानकीकरण समाज-सापेक्ष है।
3. मानकीकरण, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के भाषिक स्वरूप से अपना स्वरूप निर्धारित करती है।
4. मानकीकरण, समाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
5. मानकीकरण जन एवं तन्त्र दोनों द्वारा मान्य होता है।
6. मानकीकरण का रूप प्राप्त कर लेने पर भाषा का परिक्षेत्र वृहत्तर हो जाता है।
7. मानकीकरण का प्रयोग समस्त औपचारिक सन्दर्भों में होता है अथवा मान्य किया जाता है।
8. मानकीकरण अपने क्षेत्र में प्राप्त बोलियों के स्तर पर स्थापित सर्वमान्य भाषा रूप है।
9. मानकीकरण को सर्वभौमिक प्रतिष्ठा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है।
10. मानकीकरण भाषा, समाज तथा संस्कृति की प्रतिष्ठा का मापदण्ड है।

11. मानकीकरण भाषा, के साथ सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।
12. मानकीकरण सदा के लिए स्थिर और कोष्ठबद्ध नहीं होता है।
13. मानकीकरण में आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति होती है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

NOTES

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. बोली का अर्थ स्पष्ट करो।
2. परिनिष्ठित भाषा से तुम क्या समझते हो।
3. साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं।
4. राजभाषा हिन्दी को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया।
5. कार्यालयीन भाषा को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया।
6. मातृभाषा किसे कहते हैं।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भाषा की परिभाषा लिखकर, उसकी व्याख्या करो।
2. भाषा की विशेषताएँ लिखो।
3. भाषा का महत्व स्पष्ट करो।
4. बोली और विभाषा में अंतर स्पष्ट करो।
5. भाषा के मानकीकरण का विस्तृत में अर्थ लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

1. सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा
i. राष्ट्रभाषा ii. राजभाषा iii. बोली iv. राज्यभाषा
2. विचारों के आदान-प्रदान को क्या कहते हैं
i. बोली ii. भाषा iii. राष्ट्रभाषा iv. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा
3. संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा
i. बोली ii. राजभाषा iii. विभाषा iv. राष्ट्रभाषा
4. निम्न में से भाषा के रूप
i. बोली ii. राजभाषा iii. राष्ट्रभाषा iv. उपरोक्त सभी
5. भारत में राजभाषा किस लिपि में स्वीकृत की गई है
i. देवनागिरी ii. मराठी iii. गुजराती iv. खड़ी बोली

उत्तर: 1. (iii) 2. (ii) 3. (ii) 4. (iv) 5. (i)



6. भाषा-कौशल

NOTES

मानव की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के अभाव में मनुष्य अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाता। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है और उन विचारों को फिर समाज, समूहों तथा व्यक्ति तक पहुँचाता है।

प्राचीन काल से मनुष्य अपने समाज और परिवेश से भाषा का अर्जन करते आया है परंतु भाषा भी समाज के विकास के साथ विकसित और परिवर्तित होती रही है। भाषा की गतिशीलता का सम्बंध हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक ओर भाषा का एक रूप यदि स्थिर रहता है तो दूसरा रूप परिवर्तित होता रहता है। भाषा का जो रूप परिवर्तित नहीं होता उसके शब्दों को व्याकरण की भाषा में अविकारी शब्द कहा जाता है। और लिंग, वचन, कारक आदि के फलस्वरूप जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे-

विकारी - संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण

अविकारी - क्रिया विशेषण, सम्बंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक आदि
भाषा के कौशल को पूर्णतः समझने के लिए हम इनका विस्तृत में अध्ययन करेंगे।

विकारी शब्द

(I). **संज्ञा** :- 'संज्ञा' उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। यहाँ 'वस्तु' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन् उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में 'वस्तु' का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अन्तर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं।

हिन्दी-व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः पाँच भेद हैं-- 1. व्यक्तिवाचक, 2. जातिवाचक, 3. भाववाचक, 4. समूहवाचक, और 5. द्रव्यवाचक। प.गुरु के अनुसार, "समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है।"

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा : जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे 'व्यक्तिवाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे- राम, गाँधीजी, गंगा, काशी इत्यादि। 'राम', 'गाँधीजी' कहने से एक-एक व्यक्ति का 'गंगा' कहने से एक नदी का और 'काशी' कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम हैं।

2. जातिवाचक संज्ञा : जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें 'जातिवाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे- मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। 'मनुष्य' कहने से संसार की मनुष्य जाति का, 'घर' कहने से सभी तरह के घरों का, 'पहाड़' कहने से संसार के सभी पहाड़ों का और 'नदी' कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है।

3. भाववाचक संज्ञा : जिस संज्ञा-शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे 'भाववाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे- लम्बाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। 'धर्म, गुण, अर्थ' और 'भाव' प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं।

4. समूहवाचक संज्ञा : जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे 'समूहवाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे- व्यक्तियों का समूह-सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह- गुच्छा, कुंज, मण्डल, आदि।

5. द्रव्यवाचक संज्ञा : जिस संज्ञा से नाप-तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे 'द्रव्यवाचक संज्ञा' कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे-लोहा, सोना, चाँदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि।

(II). **सर्वनाम** :- 'सर्वनाम' उस विकारी शब्द को कहते हैं, जो पूर्वापरसम्बन्ध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है जैसे-मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्व (सब) नामों (संज्ञाओं) के बदले जो शब्द आते हैं, उन्हें 'सर्वनाम' कहते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है, जिसका वह संज्ञा है,

हिन्दी में कुल ग्यारह सर्वनाम हैं-मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के छः भेद हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. पुरुषवाचक सर्वनाम : 'पुरुषवाचक सर्वनाम' पुरुषों (स्त्री या पुरुष) के नाम के बदले आते हैं। उत्तमपुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यमपुरुष में पाठक या श्रोता और अन्यपुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं।

2. निजवाचक सर्वनाम : 'निजवाचक सर्वनाम' का रूप 'आप' है। लेकिन, पुरुषवाचक के अन्यपुरुष वाले 'आप' से इसका प्रयोग सर्वथा अलग है। यह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक 'आप' बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे-आप मेरे सिर-आँखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं? किन्तु निजवाचक 'आप' एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

3. निश्चयवाचक सर्वनाम : जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे 'निश्चयवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे-यह, वह। उदाहरणार्थ-पास की वस्तु के लिए-यह कोई नया काम नहीं है, दूर की वस्तु के लिए-रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है।

4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम : जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे-कोई, कुछ। उदाहरणार्थ-कोई-ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कुछ-उसने कुछ नहीं खाया।

5. सम्बन्धवाचक सर्वनाम : जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध स्थापित किया जाए, उसे 'सम्बन्धवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे-जो, सो। उदाहरणार्थ-वह कौन हैं, जो पड़ा रो रहा है, वह जो न करें, सो थोड़ा।

6. प्रश्नवाचक सर्वनाम : प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें 'प्रश्नवाचक सर्वनाम' कहते हैं। जैसे-कौन, क्या। उदाहरणार्थ-कौन आता है? तुम क्या खा रहे हो?

(III). **क्रिया** :- जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे 'क्रिया' कहते हैं। जैसे-पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यह हिन्दी की अपनी विशेषता है। क्रिया का मूल 'धातु' है। 'धातु' क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह कि जिन मूल शब्दों से क्रियाएँ बनती हैं, उन्हें 'धातु' कहते हैं। उदाहरणार्थ, 'पढ़ना' क्रिया को लें। इसमें 'ना' प्रत्यय है, जो मूल धातु 'पढ़' में लगा है। इस प्रकार, 'पढ़ना' क्रिया की धातु 'पढ़' है। इसी प्रकार, 'खाना' क्रिया 'खा' धातु में 'ना' प्रत्यय लगाने से बनी है। हिन्दी में क्रिया का सामान्य रूप मूलधातु में 'ना' जोड़कर बनाया जाता है। जैसे-चल + ना = चलना, देख + ना = देखना। इन सामान्य रूपों में 'ना' हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं-

1. सकर्मक क्रिया : 'सकर्मक क्रिया' उसे कहते हैं, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की सम्भावना हो, अर्थात् जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात् कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ-श्याम आम खाता है। इस वाक्य में 'श्याम' कर्ता है, 'खाने' के साथ उसका कर्ता रूप से सम्बन्ध है। प्रश्न है, क्या खाता है? उत्तर है, 'आम'। इस तरह 'आम' का सीधा 'खाने' से सम्बन्ध है। अतः 'आम' कर्मकारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल 'आम' पर अर्थात् कर्म पर पड़ता है। इसलिए, 'खाना' क्रिया सकर्मक है। कभी-कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है। जैसे-वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ 'गीत' और 'पुस्तक' जैसे कर्म छिपे हैं।

2. अकर्मक क्रिया : जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, वे 'अकर्मक' कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का 'कर्म' नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए-श्याम सोता है। इसमें 'सोना' क्रिया अकर्मक है। 'श्याम' कर्ता है, 'सोने' की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है। इसलिए 'सोना' क्रिया अकर्मक है।

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान :- सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान 'क्या', 'किसे' या 'किसको' आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले, तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि न मिले तो अकर्मक होगी। कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है।

NOTES

अकर्मक

1. उसका सिर खुजलाता है।
2. बूँद-बूँद से घड़ा भरता है।
3. तुम्हारा जी ललचाता है।

सकर्मक

1. वह अपना सिर खुजलाता है।
2. मैं घड़ा भरता हूँ।
3. ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं।

(IV). **विशेषण :-** जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे 'विशेषण' कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, वह 'विशेष्य' कहलाता है। दूसरों शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषणरहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे, 'घोड़ा' संज्ञा से घोड़ा-जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर 'काला घोड़ा' कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ 'काला' विशेषण से 'घोड़ा' संज्ञा की व्याप्ति सीमित हो गई है।

व्याकरण की दृष्टि से विशेषण के चार भेद होते हैं।

1. सार्वनामिक विशेषण : पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम (मैं, तू, वह) के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तब वे 'सार्वनामिक विशेषण' कहलाते हैं। जैसे-वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ 'नौकर' और 'घोड़ा' संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में 'वह' और 'यह' सर्वनाम आए हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं-

- (i) **मौलिक सार्वनामिक विशेषण**-जो बिना रूपान्तर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे-यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि।
- (ii) **यौगिक सार्वनामिक विशेषण**-जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे- ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि।

2. गुणवाचक विशेषण : जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, उसे 'गुणवाचक विशेषण' कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है।

3. संख्यावाचक विशेषण : जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो, उसे 'संख्यावाचक विशेषण' कहते हैं। जैसे-चार घोड़े, तीस दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ चार, तीस, कुछ और सब-संख्यावाचक विशेषण हैं।

संख्यावाचक विशेषण के तीन मुख्य भेद हैं-i. निश्चित संख्यावाचक, ii. अनिश्चित संख्यावाचक, iii. परिमाणबोधक।

4. परिणामबोधक विशेषण : संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिणामबोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे- सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ इत्यादि। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाणबोधक विशेषण के दो भेद किए गए हैं।

1. निश्चित परिमाणबोधक विशेषण - दो सेर घी, दस हाथ जगह, चार गज मलमल।
2. अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण - बहुत दूध, सब धन, पूरा आनन्द इत्यादि।

अविकारी शब्द

विकारी शब्दों के बाद अविकारी शब्दों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे।

1. क्रिया-विशेषण :- जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे- जल्दी-जल्दी, उतना, जितना, यहाँ-वहाँ, धीरे-धीरे आदि।

क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं -

- i. **परिमाणवाचक** :- बहुत, अति, थोड़ा, किंचित, केवल, यथेष्ट, इतना आदि।
- ii. **रीतिवाचक** :- ऐसे, वैसे, कैसे, सही, नहीं, थोड़ा, बहुत, कम आदि।
- iii. **स्थानवाचक** :- भीतर, ऊपर, कहाँ, यहाँ, नीचे आदि।
- iv. **कालवाचक** :- क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे- कल, जब, प्रतिदिन आदि।

NOTES

2. **संबंधबोधक** :- जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से दिखाते हैं अथवा जोड़ते हैं, उन्हें संबंधबोधक कहते हैं, जैसे पास, तक बिना, पहले, अनुसार आदि। प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के दो प्रकार हैं: संबद्ध संबंधबोधक तथा अनुबद्ध संबंधबोधक।

3. **समुच्चयबोधक अव्यय**:- दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अविकारी शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं, जैसे यदि, या, और, क्यों, तथा, किन्तु-परन्तु क्योंकि, अथवा इत्यादि। समुच्चयबोधक अव्यय के तीन प्रकार होते हैं।

- (i). **संयोजक** :- जो समुच्चयबोधक अव्यय जोड़ने के अर्थ में आएँ, उन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे- और, एवं।
- (ii). **विभाजक** :- जो समुच्चयबोधक अव्यय भेद प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त हों, उन्हें विभाजक कहते हैं, जैसे - परंतु, मगर, वरन, बल्कि, क्योंकि।
- (iv). **विकल्पसूचक** :- जो समुच्चयबोधक अव्यय विकल्प का बोध कराएँ, उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं, जैसे - या, अथवा, या-या, न कि।

4. **विस्मयादिबोधक**:- जिन अव्ययों से आश्चर्य, हर्ष, भय, तिरस्कार, शोक, दुःख, क्रोध आदि भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ओह !, वाह !, आदि। विस्मयबोधक अव्यय, आश्चर्यबोधक, शोक या दुःखसूचक, आनंदबोधक, विवशताबोधक, अनुमोदनबोधक, तिरस्कारबोधक, सम्बोधनबोधक, भयबोधक, आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न -

1. संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसके विविध प्रकारों का वर्णन करो।
2. विकारी और अविकारी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करो।
3. हिन्दी में क्रिया के कितने और कौनसे रूप होते हैं।
4. विस्मयादिबोधक अव्यय का आशय लिखो
5. सर्वनाम का अर्थ लिखकर उसके भेद लिखो।
6. क्रिया की परिभाषा लिखो।
7. सकर्मक और अकर्मक क्रिया का वर्णन करो।
8. विशेषण के प्रकार स्पष्ट करो
9. संबंधबोधक से क्या तात्पर्य है।

NOTES

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. 'राम' कौनसी संज्ञा है।
i) व्यक्तिवाचक ii) जातिवाचक iii) समूहवाचक iv) द्रव्यवाचक
2. सर्वनाम के भेद कितने होते हैं।
i) 3 ii) 4 iii) 6 iv) 8
3. जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उसे
i) विकारी शब्द ii) अविकारी शब्द iii) रूपक शब्द iv) इनमें से कोई नहीं
4. जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं।
i) संज्ञा ii) सर्वनाम iii) क्रिया iv) विशेषण
5. रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं।
i) 1 ii) 2 iii) 3 iv) 4
6. उपरोक्त में से विस्मयादिबोधक शब्द
i) वाह ! ii) क्या ? iii) क्यों ? iv) अथवा ।

उत्तर :- 1. (i) 2. (iii) 3. (i) 4. (iii) 5. (ii) 6. (i)



इकाई : 2

7. करूणा (निबंध)

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल'

NOTES

लेखक परिचय :- आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले (उत्तरप्रदेश) के अगोना नामक गाँव में हुआ। पिता पं. चंद्रबली शुक्ल कानूनगो पद पर मिर्जापुर में आसीन हुए तो पूरा परिवार मिर्जापुर आ गया। शुक्ल जी 9 वर्ष के थे जब उनके माता का देहावसान हो गया। अध्ययन के प्रति बचपन से ही वे लगनशील थे। अनुकूल वातावरण न मिलने के बाद भी उन्होंने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की। पिता की इच्छा थी कि वे वकालत करें परंतु उनकी रुचि साहित्य में थी। आगे चलकर वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी समय से उनके लेख पत्र - पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे-धीरे उनकी विद्वत्ता का यश चारों ओर फैल गया।

अपनी विद्वत्ता के कारण वे काशी नगरी प्रचारिणी सभा में हिन्दी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर कार्य करने लगे। आगे चलकर वे वहीं संपादक भी बने। शुक्ल जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापन का कार्य भी किया। बाबू श्याम सुन्दर दास की मृत्यु के बाद वे वहाँ हिन्दी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2 फरवरी 1941 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया।

शुक्ल जी की कृतियों को तीन भागों में रखा जा सकता है जो निम्न प्रकार है -

1. **मौलिक कृतियाँ** :- चिंतामणि, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, हिन्दी साहित्य।
2. **अनुदित कृतियाँ** :- शशांक, विश्वप्रपंच, आदर्शजीवन, का इतिहास, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनन्द।
3. **संपादित कृतियाँ** :- हिन्दी शब्दसागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमरगीतसार सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली।

'करूणा' पाठ का सारांश :- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार करूणा एक मनोवृत्ति है। दूसरों के दुःख से दुःखी होने के भाव का नाम ही करूणा है। जैसे ही बालक को सम्बन्ध का ज्ञान होने लगता है वैसे ही करूणा का उदय होता है। माँ को बिना कुछ कहे और झूठ - मूठ रोती देखकर वह स्वयं भी रोने लगता है। भाई - बहनों के पीटे जाने पर वे चंचल हो उठते हैं।

यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि करूणा वह अनुभूति है, जो हमें किसी दूसरे के दुःख का ज्ञान होने पर होती है।

क्रोध एवं करूणा :- दुःख वर्ग में जो स्थान क्रोध का है ठीक उसके विपरीत भाव करूणा का है। क्रोध में किसी के अहित का भाव छिपा रहता है तथा करूणा में उसकी भलाई करने की भावना होती है। जिस व्यक्ति या वस्तु से किसी को लोभ होगा वह उसको हानि कभी नहीं पहुँचायेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ा पर उसमें मिलने वाले हीरे - जवाहरातों को बड़े सम्भाल कर रखा। इसी प्रकार रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर अफगान को तो मरवाया पर नूरजहाँ को बड़े प्यार से रखा। इस प्रकार लोभ आनन्द वर्ग में आता है। सुख की अपेक्षा दुःख का व्यापार स्थल विस्तृत है- मनुष्य के समाज में उसके दुःख सुख का बहुत-सा अंश दूसरों की क्रिया पर निर्भर हो जाता है। वह दूसरों के दुःख से दुःखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। वह दूसरों के सुख से उतना सुखी नहीं होता जितना दूसरों के दुःख से दुखी होता है। अज्ञात व्यक्ति के दुःख से भी हम तब तक दुखी होते रहेंगे, जब तक हमको यह ज्ञात न हो जाये कि सताये गये मनुष्य ने अपराध या अत्याचार किया है। ऐसा होने पर सताये व्यक्ति के अत्याचार या अपराध हमारे सामने आ जाते हैं और हमारा दुःख क्रोध या अत्याचार में बदल जाता है। करूणा के लिए केवल दुःख की ही आवश्यकता होती है, किन्तु दूसरे के सुख से हम तभी आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, जब वह हमारा निकटतम सम्बन्धी या मित्र हो अथवा समाज का परम हितैषी हो। अतः निष्कर्ष यह निकला कि दूसरों के आनन्द से सुखी होने की अपेक्षा दूसरों के दुःखों से दुखी होना अधिक व्यापक है।

निकटम सम्बन्ध और करुणा :- करुणा का व्यापार स्थल विस्तृत है। जब हम अपरिचित व्यक्ति के दुःख से दुःखी हो उठते हैं तो परिचित और गुणियों, सदाचारियों, सम्बन्धियों, सुन्दर-रमणियों तथा परोपकारियों को देखकर तो हमारे हृदय में करुणा अवश्य ही उत्पन्न होगी।

करुणा एक मनोवेग है, जिसका आरम्भ बच्चे के जन्म से ही हो जाता है। बच्चा जब यह समझने लगता है कि किस कार्य का क्या कारण था, तभी उसे दुःख के उस भेद का ज्ञान होने लगता है जिसे करुणा कहते हैं। शुरू में बच्चा अपने ही समान अन्य प्राणियों को समझता है। किसी बात का विचार किये बिना ही वह अनुभवों से दूसरे प्राणियों की दशा पर सोचता है। जब उसे धीरे-धीरे यह समझने का अभ्यास हो जाता है कि किस कार्य का क्या कारण था, तब दूसरे के दुःख से स्वयं दुःखी होने लगता है। इस प्रकार करुणा का भाव जाग्रत होता है।

करुणा से शील और सात्विकता का उदय :- करुणा के कारण ही मनुष्य में शील और सात्विकता के भाव उत्पन्न होते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। जो कार्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाले होते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। करुणा से दूसरों को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए करुणा का भाव श्रेष्ठ भावों की कोटि में आता है। दूसरों के दुःख को देखकर करुणा उत्पन्न होना साधारण मनोविकार है, किन्तु ऐसा कार्य करना जिसमें भविष्य में किसी को किसी से किसी प्रकार का कष्ट न हो, शील या सद्वृत्ति कहलाता है। शीलवान व्यक्ति कभी किसी के हृदय पर चोट नहीं करता है। उसके कार्यों से उसे तो कष्ट हो सकता है किन्तु वह दूसरो को दुःख कभी नहीं पहुँचाता है।

करुणा सात्विक वृत्ति उत्पन्न करती है :- सत्य बोलना तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चारित्रिक नियम के अन्तर्गत हैं, शील या सद्भाव के अन्तर्गत नहीं। झूठ बोलने से अनर्थ होता है, अतः सत्य बोलने का नियम है। किन्हीं मामलों में मनोरंजन, खुशामद तथा शिष्टाचार में झूठ बोलना नियम के अनुकूल है, क्योंकि ऐसा करना मनोवृत्ति के अन्तर्गत है। मनोवृत्ति के विपरीत सदाचार या कोई नियम व्यर्थ का दम्भ है। करुणा के द्वारा ही अन्तःकरण में सात्विक वृत्ति जाग्रत होती है।

करुणा अपना बीज आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती :- कथन से 'करुणा' निबन्ध के लेखक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का आशय यह है कि करुणा अपना बीज आलम्बन या पात्र में फेंककर बदले में उससे पुनः करुणा प्राप्ति की आशा नहीं करती। अर्थात् करुणा जिस पर की जाती है वह करुणा करने पर बदले में करुणा नहीं करता। जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है। अपितु वह कृतज्ञता, श्रद्धा अथवा प्रेम प्रदर्शित करता है।

मोह और करुणा :- प्रिय के वियोग से जो दुःख होता है उसमें भी करुणा का अंश रहता है, संयोग से प्रिय के सुख का जो निश्चय है वियोग में वह अनिश्चय में बदल जाता है, इसी से करुणा उत्पन्न हो जाती है। अनिश्चित बात पर सुखी या दुःखी होना, अज्ञान है। इसी से करुणा को कभी-कभी मोह भी कहा जाता है। राम के वन तथा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके प्रियजन इस मोह के वशीभूत हो विकल हो रहे थे। मनुष्य का संसार उसके मित्रों, परिचितों तथा सम्बन्धियों से ही बनता है। अतः किसी ऐसे घनिष्ठ का दूर होना उसके वियोग में करुणा उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार किसी की मृत्यु पर करुणा जनित वेदना हृदय को पीड़ित करती रहती है। करुणा सामाजिक भाव है जो प्रतिफल की दृष्टि से नहीं की जाती है सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार जरूरी है। पश्चिमी समाजशास्त्रियों का कहना है कि एक-दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के लिये की जाती है, किन्तु सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली करुणा ही है। एक-दूसरे की सहायता तो मन की प्रवृत्तिकारिणी प्रेरणा से की जाती है।

सहानुभूति एवं अन्य मनोवेगो का तुलनात्मक महत्व :- दूसरों के, विशेषकर अपने परिचितों के दुःखों पर जो दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। लेकिन आजकल शिष्टाचार पर झूठी सहानुभूति बहुत चल गई है। करुणा जिस पर की जाती है वह करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है। अपितु वह कृतज्ञता, श्रद्धा अथवा प्रेम प्रदर्शित करता है। स्मृति तथा अनुमान आदि भाव मनोविकारों के सहायक हैं। वे ही करुणा की भावना को तीव्र या मन्द करते रहते हैं। मनोवेगों का जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि उनके बिना स्मृति, बुद्धि तथा कल्पना आदि व्यर्थ हैं। जो धार्मिक मनोवेगों को दूर करने का उपदेश देते हैं वे पाखण्डी हैं। उनसे अच्छे तो कवि हैं जो उन्हें परिमार्जित कर उपयोगी बनाते हैं। मनोवेगो को मारने से जीवन का स्वाद समाप्त हो जाता है। आधुनिक जीवन की कठिनाइयों में पड़कर अब मनोवेग कुछ दब गये हैं। पूर्व की भाँति अनेक दृश्यों को देखकर अब वे उस गति से नहीं उमड़ते हैं।

आवश्यकता, नियम एवं न्याय मनोवेगों पर शासन करते हैं :- जीवन में मनोवेगों के अनुसार कार्य न करना आवश्यकता, नियम और न्याय के कारण भी सम्भव होता है। वृद्ध नौकर पर करुणा आने पर भी आवश्यकतावश उसे हटाना पड़ता है। दुष्ट अफसर के दुर्व्यवहार हैं उतने वह दूसरों के सुख से सुखी नहीं होते हैं। हम अनजान व्यक्ति के दुःख से भी दुःखी होते हैं और तब तक दुखी होते रहेंगे, जब तक हमको यह ज्ञात न हो जाये कि सताया गया व्यक्ति अपराधी या अत्याचारी है। ऐसा जानने पर अपराधी या अत्याचारी का क्लेश हमारे क्रोध को सन्तुष्ट कर देता है। करुणा के लिये व्यक्ति के दुःख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं, किन्तु हमारे आनन्द के लिये उसे हमारा मित्र, सम्बन्धी, शीलवान, चरित्रवान या समाज हितैषी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि दूसरों को सुखी देख हमें जो आनन्द होता है उसका कोई अलग नाम नहीं रखा गया है, किन्तु दूसरों के दुःख से जो दुःखी होता है उसे हम करुणा, दया इत्यादि नाम से पुकारते हैं।

पाठ में प्रयुक्त तत्सम शब्दावली :-

दुःख, करुणा, आनन्द, शीलवान, चरित्रवान, सद्वृत्ति, दम्भ, अंतःकरण, स्मृति, नीतिज्ञ, कृतज्ञ, निष्ठुर आदि।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. करुणा का उल्टा क्या है।
2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की कृतियों की जानकारी लिखो।
3. करुणा की प्राप्ति के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है।
4. मोह का उदाहरण लिखो।
5. करुणा किसे कहते हैं।
6. पाठ में आए तत्सम शब्दावली के शब्द लिखो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. करुणा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो।
2. सामाजिक विकास में करुणा का क्या योगदान है, स्पष्ट करो।
3. सहानुभूति एवं अन्य मनोवेगों का तुलनात्मक महत्व स्पष्ट करो।
4. क्रोध और करुणा का क्या सम्बन्ध है।
5. करुणा सात्विक वृत्ति उत्पन्न करती है, स्पष्ट करो।
6. मोह और करुणा का सम्बन्ध लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जन्म
(i) 1884 (ii) 1850 (iii) 1853 (iv) 1854
2. करुणा का उलटा है -
(i) क्रोध (ii) कठोरता (iii) निर्दयता (iv) बैर
3. "परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।" उक्त पंक्ति के रचयिता कौन हैं-
(i) तुलसीदासजी (ii) सूरदास (iii) रामचन्द्र शुक्ल (iv) निराला

NOTES

NOTES

4. करूणा का विषय दूसरों का है।
(i) सुख (ii) दुःख (iii) क्रोध (iv) दया
5. उपरोक्त में से शुक्ल जी की कृति
(i) तुलसीदास के दोहे (ii) चिंतामणि (iii) रश्मि रथी (iv) कामायनी
6. 'करूणा' रचना एक है।
(i) कहानी (ii) व्यंग्य (iii) आत्मकथा (iv) निबन्ध
7. "मनुष्य के अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करूणा है।" यह विचार है -
(i) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का (ii) आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का
(iii) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का (iv) आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का
8. दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करूणा का विपरित है -
(i) सुख (ii) भय (iii) शील (iv) क्रोध

उत्तर :- 1. (i) 2. (i) 3. (i) 4. (ii) 5. (ii) 6. (iv) 7. (i) 8. (iv)



8. समन्वय की प्रक्रिया (निबंध)

रामधारी सिंह 'दिनकर'

लेखक परिचय :- रामधारी दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, मुंगेर बिहार में हुआ। पटना विश्वविद्यालय से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक रहे। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब - रजिस्टार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर रहे। 1950 में 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रहे।

उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों में तानाबाना दिया। उनकी प्रमुख रचनाएँ रश्मि रथी, परशुराम, की प्रतीक्षा, उर्वशी, आदि थी। 24 अप्रैल 1974 में उनकी मृत्यु हो गई।

NOTES

समन्वय की प्रक्रिया पाठ का सारांश

समन्वय शब्द से आशय संयोग या मेल-मिलाप से है। किसी एक चीज का किसी दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे को स्वीकारना या अपनाना समन्वय कहलाता है। रामधारी सिंह 'दिनकर' द्वारा रचित "समन्वय की प्रक्रिया" भी भारत में आर्य एवं आर्यतर संस्कृति के समन्वय के संबंध में लिखा गया एक सांस्कृतिक निबंध है। इस रचना में दिनकरजी ने लिखा है कि आर्यों द्वारा संचालित जाति प्रथा को भारत की अन्य जातियों द्वारा स्वीकारना हमारे देश में संस्कृतियों के समन्वय की शुरुआत थी। आर्य, द्रविड़, औपिक, नीग्रो तथा मंगोल जातियों की संस्कृतियों के समन्वय के परिणामस्वरूप जो नया समाज उभरकर सामने आया, वही हिन्दू समाज कहलाया। इसी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाठ में किया गया है।

भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया का प्रारम्भ :- समन्वय की इस प्रक्रिया में आर्य एवं अन्य जातियों की आदतों, रस्मों - रिवाज आदि एक-दूसरे को प्रभावित करने लगे। इसमें सबसे बड़ी अचरज की बात यह हुई कि आर्य लोग जिन बातों पर विशेष रूप से बल देते थे, वे मात्र पण्डितों और पोथियों तक सिमटकर रह गईं, जबकि जनसामान्य ने कई उन बातों, रीति-रिवाजों को अपना लिया जो द्रविड़ समाज तथा अन्य आर्यतर जातियों में चले आ रहे थे। हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृति का आज जो रूप है, उसके भीतर प्रधानता उन बातों की नहीं है, जो सबसे प्राचीन वेद 'ऋग्वेद' में लिखी मिलती हैं, बल्कि हमारे समाज की बहुत-सी रीतियाँ और हमारे धर्म के बहुत-से अनुष्ठान ऐसे हैं जिनका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता उनके बारे में विद्वानों का मत है कि या तो वे आर्यतर सभ्यता की देन हैं अथवा उनका विकास आर्यों के आने के बाद आर्य और आर्यतर दोनों संस्कृतियों के मेल से हुआ है।

आर्य संस्कृति का मूल उद्गम द्रविड़ संस्कृति :- हमारे मूल ग्रंथ कहे जाने वाले वेदों से हमारी संस्कृति के कई रूपों के केवल बीज ही मिलते हैं। आर्य संस्कृति के इन बीजों का विकास द्रविड़ संस्कृति के सम्पर्क में आकर हुआ। हिन्दू धर्म सम्बन्धी सारी जानकारी हमें केवल वेदों से ही नहीं मिलती। उदाहरणस्वरूप आज शिव की पूजा का जो स्वरूप समाज में प्रचलित है वह रूप वेद में नहीं मिलता। वेद में रुद्र शिव प्राकृतिक प्रकोपों की कल्पना पर आधारित है, जबकि उनका भाँग-धतूरा खाने वाला, मुंडमाल पहनने, श्मशान की धूल शरीर पर लगाने वाले जैसे रूप के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी वेदों में नहीं मिलती। इसी तरह उमा के चामुंडा-काली रूपों की कल्पना की जानकारी नहीं मिलती। इस तरह की और भी कई बातें जो हिन्दू धर्म में प्रचलित हैं उनका मूल वेदों से ज्ञात नहीं होता। ये सारी बातें आर्यतर समाज, खासकर औपिक और नीग्रो से आर्यों में समाहित हुईं।

आर्य संस्कृति: प्रकृति के उपासक :- आर्य प्रकृति-पूजक थे तथा उनके प्रधान देवता अग्नि, इन्द्र वरुण, पूषण, सोम, उषा तथा वर्जन्त्य वेदों के इन देवताओं का स्थान तैत्तिरीय करोड़ देवी-देवताओं ने कैसे ले लिया? हिन्दू समाज में सैकड़ों व्रतों, अनुष्ठानों तथा रिवाजों का जो प्रचलन हुआ, इनकी जानकारी वेदों में नहीं मिलती। वेदों के पश्चात आने वाले पुराणों में जिन कथा-कहानियों का अम्बार है, वे केवल आर्यों के द्वारा ही नहीं रची गई थी, अपितु इनमें द्रविड़, औपिक, नीग्रो, मंगोल, यूनानी, शक आमीर आदि जातियों में प्रचलित दंतकथाओं का भी समावेश हो गया, जिन्हें हमारे ऋषि ने आवश्यकतानुसार नया स्वरूप दे दिया इसका एक

प्रमाण यह भी है कि बहुत ज्यादा कहानियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में दक्षिण के प्राचीन साहित्य में भी मिलती हैं, तथा उनका समावेश बौद्ध जातकों में पाया जाता है।

आर्येत्तर और जातियाँ :- इस समन्वय का कारण यह है कि जब ये आर्य और आर्येत्तर जातियाँ एक-दूसरे के सम्पर्क में आईं तो इन्होंने एक-दूसरे को अपनी संस्कृतियों से प्रभावित किया। आर्य लोग भी अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे, अतः वे भी इनके प्रभाव से बच नहीं सके। आर्यों व अन्य जातियों में वैवाहिक सम्बन्ध होने लगे। जिससे जो आर्य स्त्रियाँ आर्येत्तर जातियों में ब्याह कर गईं तो वे अपने साथ अपने धार्मिक रीति-रिवाजों को भी ले गईं। इसी तरह आर्येत्तर जातियों की जो स्त्रियाँ आर्यों में ब्याह कर आईं वे भी अपने रीति-रिवाजों को साथ लेकर आईं। इनके रीति-रिवाजों, धार्मिक रस्मों का समन्वय होने लगा। आर्य काफी हद तक द्रविड़ हो गए और द्रविड़ काफी हद तक आर्य।

NOTES

आर्य और द्रविड़ों के समन्वय से हिंदू समाज का उदय :- आर्यों एवं द्रविड़ों के समन्वय से एक नई संस्कृति ने केवल उदित हुई, अपितु व्यापक स्तर पर विकसित हुई। इसी नई संस्कृति से जिस नये समाज का स्वरूप सामने आया, उसे हिन्दू समाज नाम दिया गया। वर्तमान हिन्दू समाज, उसी नई संस्कृति का स्वरूप है। आर्यों के पूर्व वेद स्वरूपा जो शिव का स्वरूप प्रकृति के उग्र रूपों आँधी, तूफान बाढ़ बिजली, महामारी, भूकम्प जैसे प्राकृतिक रूपों पर आधारित था, किन्तु द्रविड़ व अन्य आर्येत्तर संस्कृतियों के समन्वय से शिव का नया रूप सामने आया, जो भाँग-धतूरा खाने वाले शिव का, शरीर पर साँपों को लिपटाने वाले स्वरूप का, लिंग की पूजा आदि स्वरूप आर्यों में दूसरी संस्कृतियों के समन्वय का ही परिणाम है। इसी तरह, आर्यों के प्रमुख देवता अग्नि, इन्द्र वरूण, पूषण, सोम, उषा तथा पर्जन्य थे, लेकिन द्रविड़ आदि अन्य संस्कृतियों के समन्वय के फलस्वरूप ऋग्वेद के उक्त थोड़े से देवताओं का स्थान तैंतीस करोड़ देवताओं ने ले लिया। जिनका नेतृत्व विष्णु एवं शिवजी ने किया। इसी तरह सैकड़ों व्रतों, आचार, अनुष्ठान आदि का समावेश भी उसी समन्वय का परिणाम है। पुराणों में जिन कथा-कहानियों का जिक्र आता है उनमें से अधिकांश द्रविड़ संस्कृति से आर्यों के समन्वय का ही परिणाम है।

वृहत भारतीय संस्कृति :- हिन्दू संस्कृति के माइने आर्य संस्कृति तथा आर्य संस्कृति की मात्र वेदों से उपज मानना वेमानी होगा। भारतीय संस्कृति रूपी सागर में आर्य, द्रविड़ संस्कृतियाँ तथा वेदों द्वारा प्रदान बाते सभी मिलकर एक-दूसरे में समाहित हो गई हैं। ऋग्वेद आर्यों का मूल ग्रंथ था, किन्तु उसके बाद के अन्य वेदों तथा उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों तथा दर्शनों आदि के निर्माण पीछे आर्यों के साथ ही द्रविड़ संस्कृति का भी योगदान रहा है। विध्यपर्वत के उत्तर को हम सामान्यतः आर्य एवं उसके दक्षिण को द्रविड़ देश कहते हैं। आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के मिलन के बाद भी हिंदुत्व का नेतृत्व उत्तर भारत में ही रहा। लेकिन आठवीं सदी में शंकराचार्य के बाद यह नेतृत्व दक्षिण में चला गया और तब से हिंदू धर्म के प्रधान नेता, दार्शनिक, महात्मा, संत अधिकांशतः दक्षिण में ही होते रहे हैं।

इस प्रकार उपरोक्त अध्याय में दिनकर जी ने स्पष्ट किया है कि आर्य, द्रविड़, नीग्रो, तथा सभी मंगोल जातियों के समन्वय से ही हिंदू समाज का निर्माण हुआ है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. लेखक दिनकर जी का परिचय दीजिए।
2. समन्वय का अर्थ स्पष्ट करो।
3. आर्यों के प्रधान देवताओं के नाम लिखो।
4. हिंदू समाज का निर्माण किन जातियों से हुआ।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. आर्यों और द्रविड़ों के समन्वय से जो संस्कृति विकसित हुई, उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
2. भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया पर निबंध लिखिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. सबसे प्राचीन वेद।
 - i. ऋग्वेद
 - ii. सामवेद
 - iii. यजुर्वेद
 - iv. अथर्ववेद
2. समन्वय की प्रक्रिया पाठ के लेखक।
 - i. महादेवी वर्मा
 - ii. रामधारीसिंह दिनकर
 - iii. शरद जोशी
 - iv. बालकृष्ण नवीन
3. आर्यों और द्रविड़ संस्कृति के समन्वय से जिस नए समाज का उदय हुआ।
 - i. हिन्दू समाज
 - ii. आर्य समाज
 - iii. भारतीय समाज
 - iv. इनमें से कोई नहीं
4. दिनकर जी का जन्म।
 - i. 1901
 - ii. 1908
 - iii. 1920
 - iv. 1941
5. समन्वय का आशय।
 - i. संघर्ष
 - ii. विवाद
 - iii. मेल -मिलाप
 - iv. संधि

उत्तर :- 1 (i), 2 (ii), 3 (i), 4 (ii), 5 (iii)



NOTES

9. बिच्छी बुआ (कहानी)

डॉ. लक्ष्मण विष्ट "वटरोही"

NOTES

लेखक परिचय :- हिन्दी साहित्य में डॉ. लक्ष्मण सिंह विष्ट 'वटरोही' का स्थान अपना विशेष महत्व रखता है। अपने हिन्दी साहित्य में कहानी विधा के अंतर्गत अनेक कहानियों के माध्यम से अपने विचारों को पाठकों तक पहुँचाया है। कहानी की वास्तविकता को सरल व सुलभ भाषा में पाठकों तक पहुँचाना और लेखनी ऐसी की पाठकों को भी लेखक के विचारों को समाहित कर लेना यही आपकी विशेषता है।

बिच्छी बुआ पाठ का सारांश :- श्री लक्ष्मण सिंह विष्ट 'वटरोही' द्वारा 'बिच्छी बुआ' शीर्षक से लिखी गई कहानी एक पहाड़ी गाँव शौरफटक में रहने वाली एक 35 वर्षीय निहायत टिपिकल पहाड़ी औरत 'बिच्छी बुआ' को केन्द्र बिन्दु मानकर लिखी गई है।

पहाड़ी गाँव शौरफटक :- यह कहानी एक पहाड़ी गाँव की है। जिसका नाम है शौरफटक रोजगार योजना के गाँव में प्रवेश के साथ ही नए नाम का आगमन हुआ - शहरफटक मेरे भाषा-वैज्ञानिक मित्र बताते हैं कि ऐसा हमेशा होता है। राजकीय संरक्षण प्राप्त भाषा हमेशा ही शेष भाषाओं को लील जाती है। मित्र महोदय बताते हैं कि किसी जमाने में ब्रजभाषा राज करती थी और खड़ी बोली गँवारो की बोली समझी जाती थी। मगर राजधानी के दिल्ली बनते ही खड़ी बोली ने ब्रजभाषा को मथुरा-वृंदावन तक ही समेटकर रख दिया। फिर नया जमाना आया तो सारी भारतीय भाषाएँ अँग्रेजी के इशारों पर नाचने लगी। 'पुरम' का 'पुरा' और 'अशोक' का 'अशोका' तक तो गनीमत, इस अँग्रेजी ने 'कर सेवा' को 'कार सेवा' बना डाला।

लगभग इसी तरह हिन्दी ने अपनी बेटी कुमाऊँनी के 'शौरफटक' को बदलकर शहरफटक बना डाला। अर्थ ही इतना बदल डाला कि दूर-दूर तक दोनों के बीच कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। कुमाऊँनी में 'शोर' का अर्थ है 'ससुर' और 'फटक' का अर्थ है 'कूद'। कहाँ ससुर की कूद और कहाँ शहर का फाटक।

इस प्रकार कभी-कभी सरकारी पत्रों में अर्थ का अनर्थ या फिर अर्थ ही बदल जाता है।

गाँव में नेहरू रोजगार योजना का आगमन :- एक पहाड़ी गाँव, जिसका मूल नाम शौरफटक था - यह नेहरू रोजगार योजना के, अन्य गाँवों के साथ ही इस गाँव में क्रियान्वयन के पश्चात बदलकर शहरफटक हो गया। इस गाँव में बिच्छी बुआ नाम की एक पहाड़ी औरत रहती है। जिसकी उम्र महज 35 वर्ष है, किन्तु जिन्दगी का अनुभव ऐसे है जैसे वह 35 हजार वर्ष का जीवन जी चुकी है। किताबी ज्ञान के मामले में वह निरी अज्ञानी है, किन्तु जीवन की शिक्षा 35 हजार वर्ष की। इसी बिच्छी बुआ के केन्द्र में कहानी पलती रहती है।

बिच्छी बुआ की चारित्रिक विशेषताएँ :-

1. बिच्छी बुआ एक ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र की महिला है।
2. उसकी उम्र तो मात्र 35 वर्ष है किन्तु वह दुनियादारी का काफी अनुभव ले चुकी है, तभी तो उसके बारे में कहा गया है कि वह पहाड़ी औरत का 35 हजार वर्षों का जीवन जी चुकी हैं।
3. अपने कर्तव्यों के प्रति वह पूर्णतः भिन्न है तथा उन्हें पूरी तरह निभा रही हैं।
4. अपने घर-परिवार के सारे कार्यों को वह पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रही है।
5. बिच्छी बुआ के अन्दर एक चंचल लड़की भी छिपी हुई है तभी तो जंगल जाते समय पहले तो धीरे-धीरे गुनगुनाना, किन्तु जंगल शुरू होते ही जोर-जोर से नाचने-गाने लगती है।
6. खेतों में काम करते समय गाँव की अन्य बहुओं के साथ अपने सुख-दुख की बातें करना
7. गाँव एवं समाज की अच्छाई एवं बुराई को प्रति जागरूक होना। तभी तो रोजगार योजना के परिणाम में गाँव में फैलती बुराइयों, जैसे- शराब का बढ़ता प्रचलन, युवाओं का शहरों की ओर पलायन, युवक-युवतियों में नये फैशनेबल परिधानों का बढ़ता चलन आदि के खिलाफ खुलकर सामने आई और गालियाँ देने लगी।

बिच्छी बुआ की दिनचर्या व कार्य :- बिच्छी बुआ जब पाँच वर्ष की थी तब से वह भोर होने से पहले चिड़ियों का पहली कूक के साथ उठ जाती। उठकर गाय, भैसों के गोंठ में जाकर गोबर समेटने लगती।

दूध दुहती। गाँव के पोखर से पानी की गगरी भरकर लाती। फिर अपने नित्य कर्मों से, जैसे- दूध गरम कर परिवार के सभी पुरुषों को देना, बच्चों को दूध देना आदि से निवृत्त होकर अपनी कमर में दराँती, खोसकर जंगल की ओर चली जाती। जंगल से घास काटकर लाती। उसके बाद अपनी रसोई कार्य में लग जाती। परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाने के बाद, स्वयं खाना खाने के पश्चात रसोई से निवृत्त होकर खेतों में निराई-गुराई करने चली जाती। जहाँ उसके जैसी अन्य बहुएँ मिलकर आपस में सुख-दुख की बातें कर, अपने तन-मन की थकान दूर करती तथा खेतों से उखाड़ी गई खतपतवार लेकर अपने घर लौटती और यदि दिन ढलने में देर होती तो अपने बच्चों के बालों से लीख-जुएँ साफ करने लगती। उसी समय बिच्छी बुआ के पति और श्वसुर कड़वे के तेल की बोतल तथा कंधे पर पिसान का थैला रखे लौटते हुए नजर आ जाते। इस प्रकार बिच्छी बुआ की दिनचर्या चलती रहती थी।

नेहरू रोजगार योजना का प्रभाव :- परिवर्तन व आधुनिकता की चकाचौध में गाँव में नेहरू रोजगार योजना आने के बाद इतना बदलाव आ गया था कि लोगों को भैंसों के लिए सब्सिडी (अनुदान) मिलने लगी थी। सम्बन्धित अधिकारी को उसका कमीशन देने पर, एक ही भैंस पर कई-कई बार ऋण मिल जाता था। बिच्छी बुआ के पति और ससुर जो शाम को घर लौटते समय कड़वे के तेल की बोतल साथ में लाते थे, मालिश कर अपनी थकान मिटाने के लिए, वे अब उसकी जगह शराब की बोतल लेकर आते नजर आने लगे थे। गाँव का नाम शौरफटक से शहरफटक अर्थात् शहर का दरवाजा हो गया, जो कि स्वयं बिच्छी बुआ ने रखा था, किन्तु वह स्वयं इसका अर्थ भूल चुकी थी। वह यह भी भूल चुकी थी कि इन दोनों शब्दों 'शौरफटक' और 'शहरफटक' में क्या अन्तर है।

गाँव में नेहरू रोजगार योजना को इसी क्षेत्र के कुछ शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियाँ लाये थे। अर्थात् रोजगार के विभिन्न अवसरों, शासन से ऋण, सब्सिडी सुविधा, हरित क्रान्ति, वन तथा पर्यावरण, परिवार नियोजन, शराबबंदी, लघु-उद्योग आदि सुविधाओं के माध्यम से शौरफटक या शहरफटक के लोगों को इस योजना की जानकारी मिली थी। प्रारम्भ में तो ये बातें गाँव में किसी की भी समझ में नहीं आई थी, किन्तु ये शहरी युवा जब गाँव के दो चार और युवाओं को अपने साथ ले गए और उन्होंने ये सुविधाएँ गाँव में भेजी, तो लोगो को इसकी जानकारी मिलने लगी। अब यह बात अलग है कि गाँव में जो युवा शहर जाकर इन सुविधाओं को गाँव में भेजते, वे स्वयं वापस गाँव नहीं लौटते। वे शहर में ही बस गए।

शहरी युवाओं ने गाँव में आकर गोष्ठियाँ की, हड़ताल, आन्दोलन के बारे में जानकारी दी और इन तरीकों के माध्यम से किस प्रकार विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं, उनका प्रयोग किया। वे शहरी युवा हर बार गाँव आते और अपने साथ गाँव के दो-चार और युवाओं को शहर ले जाते, जो वहीं किसी न किसी काम पर लग जाते। गाँव वापस नहीं लौटते। नतीजा यह होता कि गाँव में लौहार, मिस्त्री, खेतिहर मजदूर, हलवाई आदि के कार्य करने वाले युवाओं को गाँव के इन कार्यों की बजाय शहर में चौकीदारी करना, आफिस के बाहर चपरासी बनकर स्टूल पर बैठना, सड़क कूटना, होटलों में काम करना आदि कार्य ज्यादा अच्छे लगे।

शहरी युवाओं ने रोजगार योजना के अन्तर्गत मिलने वाली ऋण सुविधाओं की जानकारी दी तो लोग ऋण लेने लगे। लगभग हर घर में सरकारी ऋण द्वारा एक-एक भैंस ले ली गई। इस प्रकार रोजगार योजना का गाँव को लाभ कम हानि अत्याधिक होने लगी।

रोजगार योजना का कुप्रभाव :- देखते ही देखते कुछ दिनों के अन्दर नेहरू रोजगार योजना के बड़े विचित्र व अनचाहे परिणाम दिखने लगे। जैसे- एक ही भैंस पर दो-तीन बार ऋण लेना, स्कूल के लिए स्वीकृत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अनुदान राशि को लोग शराब में उड़ाने लगे, टी.वी. पर दिखाये जाने वाले प्रणय-दृश्यों का प्रभाव गाँव की युवा पीढ़ी पर भी पड़ने लगा। कुल मिलाकर शहरी बुराईयाँ गाँव में भी प्रवेश कर गई। शराब के सेवन से युवा समय से पहले ही बुढ़ाने लगे। क्षय जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। कई युवा शहरों की ओर आकर्षित हो, उधर ही पलायन करने लगे।

बिच्छी बुआ द्वारा योजना का विरोध :- गाँव की दुर्दशा देख बिच्छी बुआ से रहा नहीं गया और वह एक दिन गाँव के एक स्थान जिसे हत्यारी शिला कहा जाता था - पर खड़े होकर अपनी गाँव की ठेठ गाँवारू कुमाऊँनी भाषा में रोजगार योजना को कोसती रही। रोजगार योजना के याथ ही वह सिनेमा को भी कोसने लगी, जिसके कारण गाँव में लड़कियाँ नये फैशनेबल अर्द्धनग्न दिखने वाले परिधान पहनने लगी थी। अन्य शब्दों में कहें तो वह गाँव में आये इस बुरे बदलाव के लिए शहर से आई रोजगार योजना को जिम्मेदार मान हर तरह से उसे 'योजना को' कोसने लगी।

NOTES

शहरी युवा उस दिन गाँव में ही थे। उन्होंने बिच्छी बुआ को उस हत्यारी शिला से नीचे उतारा तथा फूलों की माला पहना दी। तीन-चार शहरी युवा भी बिच्छी बुआ के पास माला पहनकर, यह कहकर बैठ गए कि जब तक सरकार खुद आकर बिच्छी बुआ से माफी नहीं माँगेगी, वे आमरण अनशन करेंगे। उनके जो साथी अनशन पर नहीं बैठे थे, वे दूसरे ही दिन जिला मुख्यालय जाकर जिला अधिकारी को साथ ले आए। जिलाधिकारी ने बिच्छी बुआ से कई प्रश्न पूछे तथा बिच्छी बुआ ने अपना पक्ष रखा। जिलाधिकारी अपने प्रश्न अंग्रेजी में पूछ रहे थे, जबकि बिच्छी बुआ अपनी बात, अपनी भावनाओं को ठेठ कुमाऊँनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। परिणाम यह था कि न तो बिच्छी बुआ जिलाधिकारी की बात समझ पा रही थी और ना ही जिलाधिकारी बिच्छी बुआ की बातों और उसमें छिपी भावनाओं को।

बिच्छी बुआ न जब जी भरकर गालियाँ दे दी, जी भरकर रो लिया तो मूर्च्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जिलाधिकारी ने बिच्छी बुआ को संतरे का रस पिलाया और अपने साथ लाए एक डॉक्टर से परीक्षण के बाद ससम्मान उसके घर भेजकर शीघ्र ही उसकी समस्याओं को लेकर एक श्वेतपत्र जारी करने का आश्वासन दे दिया। शहरी युवा 'बिच्छी बुआ की जै' के नारे लगाते हुए जिला प्रशासन के साथ ही वापस शहर चले गए।

बिच्छी बुआ पर श्वेत तैयार करने के लिए पहाड़ी विकास मंत्रालय ने करोड़ों रूपयों का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वीकार लिया है, जिस पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। लेकिन गाँव में अभी भी शराब बनती है। गाँव के युवा अभी भी शहर जा रहे हैं। शहरी युवा अब गाँव तो नहीं आते, लेकिन वहीं शहर में जिला प्रशासन को श्वेत - पत्र तैयार करने में मदद करते हैं। इस प्रकार 'बिच्छी बुआ' कहानी का उद्देश्य हमारी सात्विकता के प्रतीक समझे जाने वाले गाँवों में शहरों से आती बुराई को दर्शाना है। इसी के साथ कहानी की मुख्य पात्र बिच्छी बुआ के माध्यम से यह शिक्षा देना भी है कि जीवन में किताबी शिक्षा के अलावा जीवन के अनुभव की शिक्षा भी बहुत मायने रखती है।

पाठ में प्रयुक्त देशज शब्दावली

1. शौरफटक	2. गँवारो	3. घरोटे	4. मिनसार
5. घाघरा	6. गोठ	7. मुंडेर	8. भगनौले
9. खासी ठसक	10. चॉचली	11. न्यौली	12. नराई
13. भदाली	14. पनापी	15. गुबरैलों	16. डौंकी
17. नौनी	18. थोकदार	19. गरियाने	20. गुसाई

अंग्रेजी शब्दावली

अंग्रेजी शब्दावली	हिन्दी अनुवाद
1. प्राइमरी	प्राथमिक विद्यालय
2. कान्वेंट	अंग्रेजी विद्यालय
3. टिपिकल	कठिन/उलझी हुई
4. फ्रॉक	लड़कियों का एक परिधान
5. सब्सिडी	अनुदान
6. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड	आन्दोलन श्यामपट्ट
7. टेलीविजन	दूरदर्शन
8. डॉक्टर	चिकित्सक
9. प्रोजेक्ट	परियोजना

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. पाठ में 'शौरफटक' का नाम बदलकर क्या रख दिया गया।
 - i. शहरफाटक
 - ii. फाटक
 - iii. शहराबाद
 - iv. शराफत
2. 'बिच्छी बुआ' कहानी के लेखक कौन हैं।
 - i. रामचन्द्र शुक्ल
 - ii. लक्ष्मणसिंह विष्ट 'वटरोही'
 - iii. डॉ. मिथिलेशकुमारी मिश्र
 - iv. डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी
3. "शौरफटक" किस भाषा का शब्द है।
 - i. हिन्दी
 - ii. अंग्रेजी
 - iii. उर्दू
 - iv. कुमाऊँनी
4. गाँव का नाम शौरफटक से शहरफाटक कब पड़ा।
 - i. रोजगार योजना के आने के पहले
 - ii. रोजगार योजना के आने के बाद
 - iii. जिलाधिकारी के आने के बाद
 - iv. बिच्छी बुआ के अनशन पर बैठने के बाद
5. बिच्छी बुआ किस भाषा में अपनी बात बता रही थी।
 - i. हिन्दी में
 - ii. अंग्रेजी में
 - iii. कुमाऊँनी में
 - iv. उर्दू में
6. बिच्छी बुआ की उम्र
 - i. 30 वर्ष
 - ii. 32 वर्ष
 - iii. 35 वर्ष
 - iv. 40 वर्ष
7. शौरफटक का अर्थ था।
 - i. ससुर की कूद
 - ii. शहर का फाटक
 - iii. ससुर
 - iv. इनमें से कोई नहीं

उत्तर :- 1. (i), 2. (ii), 3. (iv), 4. (ii), 5. (iii), 6. (iii), 7. (i)

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. 'पहाड़ी' गाँव शौरफटक का नाम क्या रखा गया।
2. शौरफटक का अर्थ स्पष्ट करो।
3. हत्यारी शिला का वर्णन करो।
4. जिलाधिकारी ने गाँव में आकर क्या किया।
5. 'बिच्छी बुआ' कहानी का उद्देश्य लिखो।
6. नेहरू रोजगार योजना आने के बाद ससुर या गाँव का आदमी बोटल और थैले में क्या लाने लगा।

NOTES

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. बिच्छी बुआ की चारित्रिक विशेषताएँ लिखो।
2. बिच्छी बुआ की दिनचर्या स्पष्ट करो।
3. गाँव में नेहरू रोजगार योजना का क्या प्रभाव पड़ा।
4. बिच्छी बुआ ने नेहरू रोजगार योजना का विरोध किस प्रकार किया।
5. 'बिच्छी बुआ' पाठ का सांराश अपने शब्दों में लिखो।
6. बिच्छी बुआ पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली की सूची बनाइए और उनका हिन्दी अनुवाद कीजिए।



NOTES

10. अनुवाद

परिभाषा, प्रकार, महत्व एवं विशेषताएँ

NOTES

अनुवाद के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि अनुवाद में कम से कम दो भाषाएँ होती हैं। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। इन दो भाषाओं में एक स्रोत भाषा होती है और दूसरी लक्ष्य भाषा। स्रोत वह भाषा है जिसमें कहीं गई बात का दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। इसी प्रकार लक्ष्य – वह भाषा है जिसमें स्रोत भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है। मान लीजिए हिन्दी भाषा में लिखी किसी कविता, कहानी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है तो हिन्दी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा। इसी प्रकार यदि अंग्रेजी भाषा से हिन्दी में अनुवाद किया जाता है तो अंग्रेजी स्रोत भाषा और हिन्दी लक्ष्य भाषा कहलायेगी।

अनुवाद का अर्थ:- अनुवाद में दो शब्द हैं – अनु + वाद। अनु का अर्थ पीछे और वाद धातु से बना 'वाद' जिसका अर्थ है कथन, विचार – विमर्श, भाषण आदि। अतः अनुवाद का मूल अर्थ है पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। हिन्दी कोश के अनुसार अनुवाद का अर्थ है "पहले कहे गये अर्थ को फिर से कहना।"

अंग्रेजी में अनुवाद के लिए 'ट्रांसलेशन' (Translation) शब्द का प्रयोग होता है। ट्रांसलेशन में भी दो शब्द हैं 'ट्रांस' और 'लेशन'। 'ट्रांस' का अर्थ है पार और 'लेशन' का अर्थ है ले जाने की क्रिया। अतः 'ट्रांसलेशन' का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा तक ले जाना। अर्थात् अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ज्यों की त्यों कहना। अनुवाद शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है – पुनः कथन, एक बार कही हुई बात को दूसरी बार कहना। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है – "एक भाषा में कहीं गई बात को दूसरी भाषा में इस प्रकार कहना कि वह बात दूसरी भाषा में समग्रतः प्रस्तुत हो सके।" एक अंग्रेज समालोचक न्यूमार्क के शब्दों में, "अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में लिखित सन्देश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी सन्देश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।"

अनुवाद की परिभाषा:- भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषा निम्नानुसार दी है –

1. **ए. एच. स्मिथ** के अनुसार – "अर्थ को बनाये रखते हुए अन्य भाषा में अन्तरण करना अनुवाद है।"
2. **अज्ञेयजी** के अनुसार – हमारे विचारों तथा तात्पर्य को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तरित करना ही अनुवाद है।
3. **शब्दकोश** के अनुसार – "स्रोत भाषा के विचारों को लक्ष्य भाषा में रूपान्तरित करना ही अनुवाद है।"
4. **न्यूमार्क** के अनुसार – "अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में लिखित सन्देश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी सन्देश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।"

हिन्दी में स्रोत भाषा की किसी भी प्रकार की पाठ सामग्री को लक्ष्य – भाषा में समग्रतः प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. किसी अन्य भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध एवं विकसित करना।
2. किसी अन्य भाषा के साहित्य, दर्शन, तथ्य, और ज्ञान को विकसित करना तथा आपस में विचार-विमर्श करना। इस तरह दो भाषाओं और साहित्य के मध्य आपसी विचार – विमर्श करना।
3. किसी अन्य भाषा और उसकी शैलियों को समझना और उनकी विशेषताओं को अपनी भाषा में स्थान देना। इसका तात्पर्य किसी भाषा की वैचारिकता और शिल्प संरचना को समझना ही होता है।

5. **कैटफोर्ड के अनुसार** – "एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठसामग्री से प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है।"

6. **नायडा और टेलर के अनुसार** – "मूल भाषा के संदेश के समतुल्य सन्देश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं।"

इस प्रकार विविध परिभाषाओं के बाद अनुवाद शब्द की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार हो सकती है – “एक भाषा में व्यक्त विचारों का यथासम्भव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में मूल कथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए व्यक्त करने का प्रयास ‘अनुवाद’ कहलाता है।”

अनुवाद के उद्देश्य: – अनुवाद की सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

NOTES

1. एक अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्राँजल तथा प्रवाहमय होती है।
2. एक उत्तम कोटि के अनुवाद में स्रोत भाषा से की गई अभिव्यक्ति, लक्ष्य भाषा में ज्यों की त्यों आ जाती है।
3. मूल रचना की शैली सुरक्षित रहना चाहिए।
4. भाषा के सौन्दर्य का निर्वाह करते हुए ही अनुवाद सामग्री के लिए विचार और भावों को सुरक्षित रखना अपेक्षित है।
5. अनुवाद यांत्रिक व निर्जीव न लगते हुए प्रवाहमय तथा सजीव लगना चाहिए।
6. अच्छे अनुवाद में भाषा समझने में आने योग्य तथा सुबोध हो।
7. अच्छे अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक तथा वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है।

अनुवाद महत्व एवं विशेषता: – आज संसार में हजारों बोलियाँ तथा भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। विश्व की इन सभी भाषाओं के मध्य रचनात्मक, विचारात्मक और कार्यात्मक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुवाद ही एक सशक्त माध्यम है। क्योंकि विश्व में सभी भाषाओं को समझना सम्भव नहीं है अतः ज्ञान-विस्तार के लिए भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त करने में अनुवाद ही एक सर्वप्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। अनुवाद के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **भाषाई विविधता में एकता स्थापित करना** – अनुवाद के द्वारा भाषाई विविधता को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है। प्रत्येक भाषा अपने सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भों से जुड़ी होती है। अनुवाद के द्वारा सन्दर्भों को जाना जा सकता है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाभाषी समुदायों में संवाद व सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

2. **व्यापार – व्यवसाय में महत्व** – आज वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न भाषाभाषी समूहों के बीच व्यापार होता है। अनेक उत्पादों के लेबल तथा विज्ञापन अनेक भाषाओं में देखने को मिलते हैं। इन्हें समझने के लिए अनुवाद ही एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार अनुवाद को व्यापार – व्यवसाय जगत में भी महत्व मिलने लगा है।

3. **विभिन्न भाषाओं की जानकारी** – अनुवाद के कारण हमें विभिन्न भाषाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है।

4. **प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्व** – आज शासन-प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में व्याप्त नई जानकारियों को अनुवाद के माध्यम से जाना जा सकता है।

निष्कर्षस्वरूप कहें तो आज भाषा क्षेत्र में अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर द्विभाषा या त्रिभाषा का फार्मूला इसी बात को प्रमाणित करता है।

5. **सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में महत्व** – अन्य क्षेत्रों के साथ ही सूचना और तकनीकी के युग में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सूचना का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सूचनायें विभिन्न क्षेत्रों से तथा विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित होती हैं। इन्हें सभी के लिए सुलभ तथा सम्प्रेषणीय बनाने के लिए अनुवाद ही एकमात्र सर्वप्रमुख माध्यम है।

अनुवाद के प्रकार

हिन्दी में प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के विविध भेद किए जाते हैं। विद्वानों ने अनुवाद के वर्गीकरण के अनेक आधार माने हैं। इसी प्रकार प्रकृति के आधार पर मूलनिष्ठ तथा मूलमुक्त अनुवादों की बात की अनेक विद्वानों ने की है। निष्कर्ष रूप में अनुवाद के शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, छायानुवाद, आशुअनुवाद, टीकानुवाद आदि प्रकार किए जाते हैं। जो इस प्रकार हैं।

1. **शब्दानुवाद (शाब्दिक अनुवाद)** :- शाब्दिक अनुवाद का तात्पर्य यह नहीं है कि शब्दकोश रखकर एक भाषा के शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा का शब्द ज्यों का त्यों रख देना बल्कि स्रोत भाषा के व्याकरणिक रूप के स्थान पर दूसरी लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक रूप को भी रख देना शाब्दिक अनुवाद है। इसके लिए उचित शब्द भंडार का निर्माण और संग्रह जरूरी है।

उदाहरणतः - अंग्रेजी का 'प्रेसर' शब्द है उसका हिन्दी में अनुवाद 'निपीड' भी है और 'दाब' भी, किन्तु बोधगम्यता की दृष्टि से 'प्रेसर' का सही अनुवाद 'दाब' शब्द ही उपयुक्त होगा।

किन्तु शाब्दिक अनुवाद से कभी - कभी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जैसे: -

	अनुदित किया गया पद	सही/उपयुक्त पद
Blindalley	= अन्धीगली	बन्द गली
Lease of life	= जीवन का पट्टा	जीवन
कुछ शब्दों के अनुवाद कालान्तर में निश्चित हुए हैं		
Engine	= धुआँकस	इंजन
Member	= सम्य	सदस्य
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका शब्दानुवाद प्रारम्भ होकर अभी भी चल रहा है जैसे :-		
Debate	= वादविवाद	
Comedy	= सुखान्त	
Urgent	= जरूरी	

शब्दानुवाद की एक निश्चित सीमा होती है। यह सभी प्रकार के विषयों का अनुवाद करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें अनुवाद बोधगम्य नहीं हाता है। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद इस पद्धति से नहीं किया जा सकता। अतः यह अनुवाद यांत्रिक होता है। इसमें जीवंतता नहीं रहती है क्योंकि इसमें लक्ष्यभाषा की प्रकृति की अनदेखी की जाती है। अतः इसकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है।

2. **भावानुवाद** :- शब्द तो केवल भावों के वाहक होते हैं। वह किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का भाव व्यक्त करने के लिए एक प्रतीक या चिन्ह हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद करते समय उस शब्द से अधिक उसके भाव पर ध्यान रखना चाहिए। भावानुवाद करते समय चतुर तथा सुयोग्य अनुवादक दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में जो रूप प्रदान करता है। उससे लक्ष्य भाषा में निखार आ जाता है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है।

अंग्रेजी के 'चार्ज' (Charge) शब्द का हिन्दी में कई शब्दों एवं अर्थों में अनुवाद किया गया है जैसे:-

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| i. भार | ii. आरोप | iii. प्रभार | iv. भारसाधन |
| v. भार बोधन | vi. भार डालना | vii. आरोपित करना | viii. प्रसारित करना |
| ix. भार बोधन करना | x. (बैटरी) चार्ज करना | | |

NOTES

‘भावानुवाद’ के कारण ही जब कोई नया शब्द/पद मूलभाषा से या स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में आता है तो समय – समय पर उसके रूप बदलते रहते हैं। जैसे :-

अंग्रेजी का एक पद है -

“आफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी”

इसका अनुवाद हिन्दी में कई रूपों में आया है -

1. कर्तव्यारूढ अधिकारी,
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

पर जब ये अटपटे लगे तो शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद किया गया - विशेष कार्य अधिकारी। "Black" ब्लैक का शब्दानुवाद ‘काला’ भावानुवाद के कारण उसके विभिन्न रूप हो गये। जैसे :-

1. Black Board = श्यामपट्ट
2. Black market = चोर बाजार
3. Black out = अंधेरा

यहाँ ‘शब्दानुवाद’ और भावानुवाद के परस्पर भेद को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है -

	शब्दानुवाद	भावानुवाद
Precious stone	= कीमती पत्थर	जवाहरात
Oilseeds	= तेल के बीज	तिलहन
House breakar	= मकान तोड़ने वाला	संध लगाने वाला

उपरोक्त उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि अनुवाद भावानुसार अनुवाद का विशेष महत्व है।

3. **टीकानुवाद** :- टीकानुवाद भारत में प्राचीनकाल से ही प्रचलित है। मूल रचना की टीका जैसे- गीता की टीका, रामायण की टीका आदि। टीका का पर्याय भाष्य भी है जैसे गीता भाष्य। अनुवाद का कार्य अत्यन्त कठिन है। मूल रचना की विषय वस्तु को सुन्दरता से सुरक्षित रखना अनुवादक का कर्तव्य है। उसे दोनों भाषाओं की समुचित जानकारी होनी चाहिए। दोनों की संस्कृति, इतिहास, परम्परा, मुहावरें, लोकोक्तियों सभी का ज्ञान उसके लिए जरूरी है तभी वह सही अनुवाद कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया है - “अगर सुन्दर है तो सत्य (वफादार) नहीं हो सकता।” अज्ञेय जी के अनुसार - “समस्त अभिव्यक्ति ही अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है।” ऐसी स्थिति में अनुवाद किसी व्यक्ति का साहसिक अनुष्ठान ही कहा जायेगा।

4. **छायानुवाद** :- जब स्रोत भाषा के पाठ के मूल भाव को लेकर लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप तथा उसकी सामाजिक - सांस्कृतिक बनावट के अनुरूप जो अनुवाद किया जाता है, उसे छायानुवाद कहते हैं। इसके सम्बन्ध में भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि - छायानुवाद ऐसे अनुवाद को कहा जाना चाहिए जो शब्दानुवाद की तरह मूल के शब्दों का अनुसरण न करे, अपितु दोनों ही दृष्टियों से मूल से (शब्दतः भावतः) मुक्त होकर उसकी छाया लेकर चलें।

5. **सारानुवाद** :- सारानुवाद में मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है। शासकीय रिपोर्टों और समाचारों का प्रायः सारानुवाद ही किया जाता है इसमें मूलपाठ के आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंशों का चयन कर, पूरे पाठ का सार निकालकर, मात्र उसी का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। सारानुवाद एक जटिल कार्य है। एक तरह से यह अनुवाद कार्य के साथ ही सम्पादन कार्य भी होता है। स्रोत भाषा के मूल भाव का सम्प्रेषण इसका प्रमुख उद्देश्य होता है।

6. **आशु अनुवाद** :- जब दो भिन्न भाषाभाषी जो कि एक - दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं तब उनके मध्य के वार्तालाप को एक तीसरा व्यक्ति - जो कि उन दोनों भाषाओं का जानकार होता है, मध्यस्थ

के रूप में कार्य करता है और उनकी बातचीत को सम्भव बनाता है। इस प्रकार तीसरे पक्ष द्वारा किये जाने वाला अनुवाद आशु - अनुवाद कहलाता है। आशु अनुवाद करने वाले मध्यस्थ को दुभाषिया भी कहा जाता है। यह दुभाषिया या अनुवादक दोनों भाषाओं का जानकार होने के साथ विषय का भी ज्ञाता होता है। यह एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होता है। इसमें गलती होने पर इसके दूरगामी परिणाम हानिकारक भी हो सकते हैं।

अनुवादक

अनुवाद करने वाले को 'अनुवादक' कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में 'ट्रान्सलेटर' कहा जाता है। अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में पुनः प्रस्तुत करता है। ऐसा करते समय उसे अत्यन्त सावधानी बरतनी आवश्यक होता है। जो अनुवादक मूल भाषा को पाठ्य भाषा में अविरल भाव रूप में प्रस्तुत करता है उसे एक अच्छा अनुवादक कहा जा सकता है। इटली में यह कहावत प्रचलित है कि "अनुवादक विश्वासघाती होते हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि अधिकतर अनुवादक अनुवाद के प्रति सजग नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक को पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए।

श्रेष्ठ अनुवादक के गुण :- एक श्रेष्ठ अनुवादक को अनुवाद करते समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष संरचना होती है अर्थात् प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना में अन्तर होता है जिसका ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। जैसे - हिन्दी में वाक्य रचना का क्रम - कर्ता + कर्म + क्रिया होता है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता + क्रिया + कर्म होता है। अतः अनुवादक को संरचना का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
2. अनुवादक के लिये संरचना के प्रयोग व परिवेश का ज्ञान भी आवश्यक है।
3. अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए।
4. अनुवादक में स्रोत भाषा से सम्बन्धित संदर्भों को भी पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसे संदर्भ का ज्ञान न होगा तो अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है।
5. मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है।
6. अनुवाद करते समय अनुवादक यह ध्यान रखे कि कोई अंश न छूटने न पाये।
7. अनुवादक को दोनों भाषाओं को पूरी तरह समझने के बाद अनुवाद करना चाहिए। केवल शब्दकोश के अनुसार शब्द का अर्थ लिख देना अनुवाद नहीं है, क्योंकि उस कथन में लेखक का चिन्तन, तर्क व भाव निहित होता है।
8. अनुवादक को दिये गये पाठ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित होना चाहिए।
9. अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. अनुवाद की आवश्यकता क्यों है।
2. अनुवाद की विविध परिभाषाएँ लिखो।
3. अनुवाद के स्वरूप की जानकारी लिखो।
4. अनुवादक से क्या तात्पर्य है।
5. अनुवाद के उद्देश्य स्पष्ट करो।
6. शाब्दिक अनुवाद से तुम क्या समझते हो।

दीघोत्तरीय प्रश्न :-

1. अनुवाद की परिभाषा लिखकर उसके प्रकारों का वर्णन करो।
2. अनुवाद का महत्व और उसकी विशेषताएँ लिखो।
3. एक श्रेष्ठ अनुवादक में कौन से गुण होना चाहिए।
4. भावानुवाद और टीकानुवाद पर टिप्पणी लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. स्रोत भाषा किसे कहते हैं।
 - (i) कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद
 - (ii) साहित्य से पूर्व भाषा को
 - (iii) दूसरी भाषा की शैलियों से पूर्ण भाषा हो
 - (iv) अर्थ व्यक्त करने वाली भाषा को
2. लक्ष्य भाषा से क्या तात्पर्य है।
 - (i) वह भाषा जो कथित बात को कहती है
 - (ii) वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है
 - (iii) वह भाषा जो औपचारिक होती है
 - (iv) वह भाषा जो वैज्ञानिक होती है
3. अर्थ को बनाये रखते हुए अन्य भाषा में अन्तरण करना अनुवाद है, यह वाक्य किसने कहा है।
 - (i) टेलर
 - (ii) अज्ञेय
 - (iii) न्यूमार्क
 - (iv) ए. एच. स्मिथ
4. अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है।
 - (i) किसी के कहने के बाद कहना
 - (ii) किसी के कहने को स्वयं कहना
 - (iii) किसी कथन की पुनरावृत्ति करना
 - (iv) किसी कथन का भाव व्यक्त करना
5. अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 - (i) दो
 - (ii) तीन
 - (iii) चार
 - (iv) छः

6. अनुवाद करने वाले को क्या कहते हैं।
(i) अनुवादक (ii) सम्पादक
(iii) लेखक (iv) तीनों नहीं
7. अनुवाद एक -
(i) शास्त्र है (ii) कला है
(iii) अ और ब (iv) दोनों नहीं
8. जिस अनुवाद में मूल पाठ के सांराश का अनुवाद हो, उसे कौनसा अनुवाद कहते हैं।
(i) छायानुवाद (ii) भावानुवाद
(iii) आशु आनुवाद (iv) सारानुवाद
9. अनुवाद कार्य सामान्यतः कम से कम.....भाषाओं के बीच होने वाले व्यापार है।
(i) एक (ii) दो
(iii) तीन (iv) चार

उत्तर :- 1. (i); 2. (ii); 3. (iv); 4. (i), 5. (ii), 6. (i), 7. (iii), 8.(iv), 9.(ii)



NOTES

11. हिन्दी की शब्द सम्पदा

NOTES

शब्द प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी एक वृहत और समृद्ध भाषा है। जबकि सम्पदा का अर्थ – धन, दौलत से लिया जाता है। यहाँ हिन्दी की शब्द सम्पदा अर्थात् हिन्दी भाषा अपने आप में अपने वृहत विशाल शब्दों के भंडार से समृद्ध है।

शब्द सम्पदा का अर्थ: किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनके समूह को शब्द भण्डार या शब्द समूह कहा जाता है। जिस प्रकार किसी बड़ी नदी में अनेक छोटी-छोटी नदियों तथा झरनों का पानी आकर मिल जाता है, उसी प्रकार हिन्दी रूपी महानदी में अनेक भाषा रूपी नदियों एवं झरनों के शब्द आकर मिल गए हैं। सीधे शब्दों में कहे तो हिन्दी भाषा में उसकी जननी भाषा संस्कृत के मूल शब्दों, उनके परिवर्तित स्वरूपों तथा अन्य विदेशी भाषाओं, जैसे-अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्द तथा हिन्दी में ही अपने नवनिर्मित शब्दों के कारण हिन्दी शब्दभंडार विशालकाय सागर की भाँति हो गया है। हिन्दी शब्द भंडार के बढ़ते स्वरूप का मूल कारण हिन्दी भाषा की अपनी सहृदयता व समन्वयशीलता है कि इसने कई दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में इस तरह शामिल किया है वे इसी के अंग नजर आते हैं। जैसे-अंग्रेजी भाषा के 'रेल' शब्द को "रेलगाड़ी" बनाकर हिन्दी में कर लिया।

हिन्दी भाषा पढ़ने वाले को अपना भाषा-ज्ञान विकसित करने के लिए निरंतर अपने शब्द-भंडार को बढ़ाते रहना चाहिए। शब्द-भंडार के समृद्ध हो जाने से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर प्रयोक्ता का अधिकार स्थापित हो जाता है और गरिमायुक्त भाषा प्रयोग में सहजता आ जाती है हिन्दी की शब्द सम्पदा को पर्यायवाची अनेकार्थी, विलोम शब्द युग्म, आदि विविध प्रकार से अध्ययन कर दक्षता हासिल की जा सकती है।

1. **पर्यायवाची या समानार्थक शब्द:** एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को 'प्रतिशब्द' भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें 'पर्यायवाची शब्द' कहते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही सम्पन्न होगी, उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिन्दी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिन्दी-भाषा ने ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता- कहीं कोई शब्द उपयुक्त है और कहीं कोई। प्रत्येक की महत्ता, विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्दों की तालिका नीचे दी जा रही है-

पर्यायवाची शब्द संग्रह:-

अग्नि	-	आग, वह्नि, पावक, अनल, वायुसखा, दहन, धूमकेतु, कृशानु।
अनुपम	-	अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल।
अमृत	-	पीयूष, सुधा, अमिय, जीवनोदक।
आँख	-	नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन।
आकाश	-	द्यौ, व्योम, गगन, अभ्र, अम्बर, नभ, अन्तरिक्ष, अनन्त।
आनन्द	-	मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास।
आश्रम	-	मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ।
इच्छा	-	आकाश, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा।
कपड़ा	-	वस्त्र, पट, वसन, अम्बर, चीर।
कमल	-	सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविन्द, पद्म, कंज, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, तामरस।

गणेश	-	लम्बोदर, एकदन्त, मूषकवाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानीनन्दन, महाकाय, विघ्नराज, मोदकप्रिय, मोददाता।
घर	-	ग्रह, सदन, गेह, निकेतन, आवास, निलय,
दुध	-	दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस
चन्द्र	-	चाँद, चन्द्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि।
चोर	-	तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोषक, कुम्भिल, खनक, साहसिक।
यमुना	-	सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिन्दी, अर्कजा, कृष्णा।
तालाब	-	सर, सरोवर, तड़ाग, ह्रद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर।
दास	-	अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक।
दुःख	-	पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यन्त्रणा, खेद।
देवता	-	सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण।
नदी	-	सरिता, तटिनी, आपगां, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी, कूलंकषा।
पत्नी	-	भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी।
पति	-	भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र।
पहाड़	-	भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग अद्रि, पर्वत।
पृथ्वी	-	भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुन्धरा।
फूल	-	सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प।
बाण	-	तीर, शर, विशिख, आशुग, शिलीमुख, इषु, नाराच।
बिजली	-	चंचल, चपला, विद्युत्, सौदामनी, दामिनी, तडित्, बीजुरी, क्षणप्रभा।
वृक्ष	-	तरू, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ।
मछली	-	मत्स्य, झर, मीन, जलजीवन, सफरी, (शफरी), झष (झख)।
मेघ	-	घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर।
रात	-	शर्वरी, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा।
राजा	-	नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट्।
वायु	-	अनिल, समीर, पवन, हवा।
शरीरः	-	देह, तन, तनु, वयु, काया।
समूह	-	समुदाय, वृन्द, गण, संघ, पुंज, दल, झुण्ड, मण्डली, टोली, जत्था।
सर्प	-	अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, साँप।
सोना	-	सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप।
हाथी	-	हस्ती, गज, गयंद, करि, कुंजर।

NOTES

पर्यायवाची शब्दों के अर्थ भेदः- वास्तविकता में कोई भी शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म अंतर रहता है। वास्तव में ये शब्द पर्यायवाची न होकर मिलते - जुलते अर्थ वाले शब्द होते हैं। अतः हिन्दी भाषा में इनका प्रयोग करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप कुछ पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेद नीचे दिया जा रहा है।

NOTES

जैसे :-

अधिक	-	आवश्यकता से ज्यादा।
पर्याप्त	-	आवश्यकता के अनुसार
दर्प	-	नियम के विरुद्ध करने पर भी घमण्ड करना।
अभिमान	-	प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना।
घमण्ड	-	सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना।
अनुग्रह	-	कृपा। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना।
अनुकम्पा	-	बहुत कृपा। किसी छोटे के दुःख से दुःखी होकर उसपर की गई दया।
अनुरोध	-	अपने बराबर वालों से किया जाता है।
प्रार्थना	-	ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति 'प्रार्थना' की जाती है।
अस्त्र	-	वह हथियार, जो फेंककर चलाया जाता है। जैसे-तीर, बछ्छी आदि।
शस्त्र	-	वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है। जैसे-तलवार।
अपराध	-	सामाजिक कानून का उल्लंघन 'अपराध' है। जैसे-हत्या।
पाप	-	नैतिक नियमों का उल्लंघन 'पाप' है। जैसे- झूठ बोलना।
दुःख	-	सामान्य पीड़ा।
खेद	-	पश्चाताप की भावना सहित दुःख।
विषाद	-	मानसिक पीड़ा।
स्नेहा	-	मित्रों या सम्बन्धियों के प्रति लगाव।
पूजा	-	बिना किसी सामग्री के भी शक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना।
अभिन्दन	-	किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत।
आदेश	-	किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्यनिर्देश। जैसे- जिलाधीश का आदेश है कि नगर में सर्वत्र शान्ति बनी रहे।
आदरणीय	-	अपने से बड़ों या महान् व्यक्तियों के प्रति सम्मानसूचक शब्द।
इच्छा	-	किसी भी वस्तु की साधारण चाह।
साहस	-	भय पर विजय प्राप्त करना।
प्रणय	-	पति - पत्नी का प्रेम।
लज्जा	-	दूसरों से शर्माना।
लेख	-	ऐसी गद्य रचना, जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो।
निधन	-	महान् और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को 'निधन' कहा जाता है।
मृत्यु	-	सामान्य शरीरान्त को 'मृत्यु' कहते हैं।
बालक	-	कोई भी लड़का।
बुद्धि	-	कर्तव्य का निश्चय करती है।
ज्ञान	-	इन्द्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव।
बहुमूल्य	-	बहुत कीमती वस्तु, पर जिसका मूल्य-निर्धारण किया जा सके।
अमूल्य	-	जिसका मूल्य न लगाया जा सके।

महोदय	-	अपने से बड़ों को या अधिकारियों को 'महोदय' लिखा जाता है।
विश्वास	-	सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिलकुल ठीक मानना।
व्यथा	-	किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा।
सेवा	-	गुरुजनों की टहल।
ग्लानि	-	अपने आप पर खेद का अनुभव।
सेवा	-	किसी को सुख या आराम पहुँचाना
सुश्रुषा	-	रोगी की सेवा करना।

NOTES

अनेकार्थक शब्द:- किसी एक शब्द के संदर्भानुसार अनेक होना अनेकार्थक शब्द कहलाता है। हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये भिन्न-भिन्न प्रसंगों के अनुसार गृहीत हैं उदाहरण तौर के दो अर्थ होते हैं। तट और बाण इसी प्रकार कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं।

अर्थ	-	धन, मतलब, कारण, लिए।
अक्ष	-	आँख, सर्प, ज्ञान, मण्डल, रथ, चौसर का पासा, धुरी, पहिया, आत्मा, कील।
अपवाद	-	कलंक, वह प्रचलित प्रसंग, जो नियम के विरुद्ध है।
अतिथि	-	मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा।
अंक	-	गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या, भाग्य।
अक्षर	-	ब्रम्हा, विष्णु, अकारादि, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या इत्यादि।
अम्बर	-	आकाश, कपड़ा।
अधर	-	नीचे, निचला, रोंठ, शून्य
उत्तर	-	उत्तर दिशा, जवाब, हल इत्यादि।
कनक	-	धतूरा, सोना।
कर	-	हाथ, सूँड, किरण, टैक्स।
कोट	-	पहनने का कोट, किला।
कर्ण	-	कर्ण (नाम), कान।
कोटि	-	धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़।
कालः	-	समय, मृत्यु
ग्रहण	-	लेना, पकड़ना, चाँद/सूर्य का ग्रहण
गुरु	-	शिक्षक, भारी, वृहस्पति, बड़ा श्रेष्ठ
धन	-	घना, बादल, हथौड़ा
टीका	-	तिलक, व्याख्या, संक्रामक रोग का टीका
हरि	-	विष्णु, सूर्य, इन्द्र, सिंह, सर्प

शब्द युग्म:- हिन्दी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेरफेर के सिवा प्रायः समान है, किन्तु अर्थ में भिन्नता है। इनका अर्थगत सूक्ष्म अन्तर भली-भाँति समझ लेना चाहिए। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। इन्हें 'युग्म शब्द' या 'समोच्चरितप्राय भिन्नार्थक शब्द' कहते हैं।

समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द:- प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनके उच्चारण में समानता प्रतीत होती है, परन्तु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उनमें से कुछ शब्द युग्म निम्न प्रकार हैं।

NOTES

अंस	-	कन्धा	अँगना	-	आँगन
अम्बुज	-	कमल	अणु	-	कण
अनिल	-	हवा	अभिराम	-	सुन्दर
अगम	-	दुर्लभ, अगम्य	अभय	-	निर्भय
अथक	-	बिना थके हुए	अलि	-	भौरा
अवधि	-	काल, समय	आदि	-	आरम्भ, इत्यादि
आरति	-	विरक्ति, दुःख	अंश	-	हिस्सा
अंगना	-	स्त्री	अम्बुधि	-	सागर
अनु	-	एक उपसर्ग	अनल	-	आग
अविराम	-	लगातार, निरन्तर	आगम	-	प्राप्ति, शास्त्र
उभय	-	दोनों	अकथ	-	जो कहा नहीं जाए
अली	-	सखी	अवधी	-	अवध देश की भाषा
आदी	-	अभ्यस्त, अदरक	आरती	-	धूप-दीप दिखाना
आवास	-	वासस्थान	आकर	-	खान
आभरण	-	गहना	आयत	-	समकोण चतुर्भुज
आर्त	-	दुःखी	इत्र	-	सुगन्ध
उद्धत	-	उद्दण्ड	उपकार	-	भलाई
कुल	-	वंश	कंगाल	-	गरीब
कर्म	-	कार्य	कृति	-	रचना
कृन्ति	-	मृगचर्म	कान्ति	-	चमक, चाँदनी
कृपाण	-	कटार	करण	-	एक कारक, इन्द्रियाँ
कुण्डल	-	कान का एक आभूषण	कपीश	-	हनुमान, सुग्रीव
कपी	-	घिरनी	कीला	-	गाड़ा या बाधाँ
कटीली	-	तीक्ष्ण, धारदार	आभास	-	झलक
आकार	-	रूप, सूरत	आमरण	-	मरण तक
आयात	-	बाहर से आना	आर्द्र	-	गीला
इतर	-	दूसरा	उद्यत	-	तैयार
अपकार	-	बुराई	कूल	-	किनारा
कंकाल	-	ठठरी	कृती	-	निपुण, पुण्यात्मा
कीर्ति	-	यश	कृपण	-	कंजूस
कर्ण	-	कान, एक नाम	कुन्तल	-	सिर के बाल
कपिश	-	मटमैला	कपि	-	बन्दर
किला	-	गढ़	कँटीली	-	काँटिदार

छत्र	-	छाता	छात्र	-	विद्यार्थी
कोष	-	खजाना	खोआ	-	दूध का बना ठोस पदार्थ
गण	-	समूह	ग्रह	-	सूर्य, चन्द्र आदि
गुड़	-	शक्कर	चिर	-	पुराना
चक्रवात	-	बवण्डर	जगत	-	कुएँ का चौतरा
जलज	-	कमल	क्षत्र	-	क्षत्रिय
क्षात्र	-	क्षत्रिय-सम्बन्धी	कोश	-	शब्द-संग्रह (डिक्शनरी)
खोया	-	गुम गया, खो गया	गण्य	-	गिनने योग्य
गृह	-	घर	गूढ़	-	गम्भीर
चीर	-	कपड़ा	चक्रवाक	-	चकवा पक्षी
जगत्	-	संसार	जलद	-	बादल

NOTES

2. ध्वन्यात्मक या अनुकरणमूलक शब्द :- मनुष्य अथवा पशु-पक्षियों द्वारा अनेक प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त किया जाता है। इन ध्वनियों को हिन्दी में प्रायः शब्द-युग्म द्वारा ही लिखा अथवा बोला जाता है, जो पहला शब्द होता है, वही दूसरा भी होता है, काँव-काँव, खट-खट, छप-छप, झन-झन, टन-टन, टिक-टिक।

3. सार्थक-निरर्थक शब्द :- इस प्रकार के शब्द-युग्म में पहला शब्द सार्थक अर्थात् एक निश्चित अर्थ वाला होता है जबकि दूसरा शब्द मात्र उसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दिन में लगभग 100+50 शब्द निरर्थक बोलता है जैसे :- चाय-वाय, घर-वर, दुकान-वुकान, पतंग-वतंग, लकड़ी-वकड़ी, हाथ-वाथ आदि।

4. उद्देश्यपरक शब्द-युग्म :- इस प्रकार के शब्द-युग्म किसी उद्देश्य विशेष को लेकर बनाए जाते हैं। उद्देश्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इस प्रकार युग्म कई तरह के हो सकते हैं-

1. आवश्यकता और आवश्यकतापरक युग्म - प्यास-पानी, भूख-भोजन आदि।
2. विपरीत गुण वाले शब्दों का युग्म - आग-पानी, राजा-रंक, महात्मा-दुरात्मा।
3. विकल्पों का युग्म - चाय-काँफी, रोटी-पराठा आदि।
4. तत्सम और तद्भव का युग्म (द्वैत रूप) - दंत-दाँत, कपाट-किवाड़, आश्चर्य-अचरज।

5. अर्थपरक युग्म :- भिन्न उच्चारण एवं वर्तनी वाले समानार्थी शब्दों को अर्थपरक युग्म शब्द कहते हैं, जैसे :- ईर्ष्या-द्वेष, लोभ-लालच, क्रोध-बैर इत्यादी।

विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द

वे शब्द जो परस्पर विपरीत आशय अभिव्यक्त करें वे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों को विपरीत या विरुद्धार्थी शब्द भी कहा जाता है। परस्पर विपरीत अर्थबोधक शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं।

शब्द	-	विपरीतार्थक शब्द	शब्द	-	विपरीतार्थक शब्द
अनाथ	-	सनाथ	अन्तरंग	-	बहिरंग
अल्पज्ञ	-	बहुज्ञ	अल्पायु	-	दीर्घायु
अवनत	-	उन्नत	अन्तर्मुखी	-	बहिर्मुखी
अज्ञ	-	विज्ञ, प्रज्ञ	अगम	-	सुगम
अमृत	-	विष	अरूचि	-	रूचि

NOTES

अतिवृष्टि	-	अनावृष्टि	अवनि	-	अम्बर
अनुराग	-	विराग	अनुकूल	-	प्रतिकूल
आशा	-	निराशा	आस्तिक	-	नास्तिक
अन्त	-	आदि	अमावस्या	-	पूर्णिमा
अस्त	-	उदय	अमर	-	मर्त्य
अग्नि	-	जल	अपमान	-	सम्मान
अति	-	अल्प	अन्धकार	-	प्रकाश
अल्पसंख्यक	-	बहुसंख्यक	आगामी	-	विगत
आचार	-	अनाचार	आत्मा	-	परमात्मा
आदान	-	प्रदान	आयात	-	निर्यात
आकाश	-	पाताल	आकीर्ण	-	विकीर्ण
आकर्षण	-	विकर्षण	आजादी	-	गुलामी
इहलोक	-	परलोक	ईश्वर	-	जीव
उदार	-	कृपण	इच्छा	-	अनिच्छा
उत्कृष्ट	-	निकृष्ट	उपयोग	-	दुरूपयोग
उपयुक्त	-	अनुपयुक्त	उच्च	-	निम्न
उद्याचल	-	अस्ताचल	उत्तरायण	-	दक्षिणायन
उत्थान	-	पतन	उधार	-	नकद
कीर्ति	-	उपकीर्ति	कुरूप	-	सुरूप
करुण	-	निष्ठुर	कृत्रिम	-	प्रकृत
कर्मण्य	-	अकर्मण्य	कोप	-	कृपा
कठोर	-	कोमल	कृष्ण	-	श्वेत, शुक्ल
कृतज्ञ	-	कृतघ्न	कनिष्ठ	-	ज्येष्ठ
कर्म	-	निष्कर्म, अकर्म	कपटी	-	निष्कपट
खेद	-	प्रसन्नता	गणतन्त्र	-	राजतन्त्र
वरदान	-	अभिशाप	विधि	-	निषेध
विवाद	-	निर्विवाद	विशिष्ट	-	साधारण
विस्तृत	-	संक्षिप्त	बहिष्कार	-	स्वीकार
विधवा	-	सधवा	विशालकाय	-	लघुकाय
वीर	-	कायर	वृहत्, महत्	-	लघु, क्षुद्र
व्यस्त	-	अकर्मण्य, अव्यस्त	व्यावहारिक	-	अव्यावहारिक

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघु उत्तरी प्रश्न :-

1. शब्द सम्पदा का अर्थ स्पष्ट करो।
2. अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं।
3. शब्द-युग्म किसे कहते हैं।
4. स्त्री, घर, कमल, मित्र, घोड़ा, शरीर, धन के पर्यायवाची शब्द लिखो।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-

1. पर्यायवाची शब्द का अर्थ बतलाकर उसके उदाहरण लिखो।
2. शब्द युग्म के 5 प्रकार स्पष्ट करो।
3. विवाद, विशिष्ट, विधवा, वीर, वरदान, विधि, कीर्ति, कठोर, कृतज्ञ, इच्छा, अगम, अल्पायु के विलोम लिखो।
4. अर्थ, अक्ष, अपवाद, अतिथि, अकं, अक्षर, अधर, उत्तर, कनक, कर, कोट, कोटि, कर्ण, काल, ग्रहण, घन, हरि आदि के अनेकार्थी शब्द लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. असि शब्द का अर्थ
 1. मधु
 2. तलवार
 3. भौरा
 4. सखी
2. किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को.....कहते हैं।
 1. शब्द भण्डार
 2. संग्रह
 3. शब्दावली
 4. तीनों नहीं।
3. पर्यायवाची शब्द को
 1. विरूद्धार्थी भी कहते हैं
 2. प्रतिशब्द भी कहते हैं
 3. संग्रह भी कहते हैं
 4. विशेषता भी कहते हैं
4. अमृत का पर्यायवाची शब्द.....
 1. पीयूष
 2. सुधा
 3. अमिय
 4. उपरोक्त तीनों।
5. हाथी का पर्यायवाची शब्द.....
 1. कुंजर
 2. कनक
 3. सिंह
 4. पन्नग

उत्तर :- 1.(2), 2.(1), 3.(2), 4.(4), 5.(1)



NOTES

12. पारिभाषिक शब्दावली

NOTES

1. विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बनें सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। भाषा में प्रायः सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है।

शब्दों का वर्गीकरण :- स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर शब्दों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। हिन्दी में प्रयोग विषय या प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो निम्न प्रकार है।

1. **सामान्य शब्द :-** सामान्य शब्दों का सम्बन्ध जीवन और जगत के सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। ऐसे शब्द रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं यथा - खाना पीना, चलना, माँ, पिता, ठंडा, गरम, रोटी, पानी, कलम आदि।

2. **अर्द्ध पारिभाषिक शब्द :-** सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं किन्तु अर्द्ध पारिभाषिक शब्द को उसकी विशिष्टताओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। यथा - माया, विपदा, वेदना, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो अर्द्ध-पारिभाषिक शब्द हैं।

3. **पारिभाषिक शब्द :-** पारिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः 'टेक्निकल टर्मिनोलॉजी' के पर्याय के रूप में हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। हम यहाँ पारिभाषिक शब्द का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। विख्यात कोशकार डॉ. रघुवीर ने पारिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है जिन शब्दों की अर्थ सीमा बाँध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिसकी सीमा नहीं बाँधी जाती वे सामान्य शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों ने देखा होगा कि विभिन्न विषयों में कुछ शब्द होते हैं जिनका इस विषय के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ होता है ऐसे शब्द उस विषय के किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। यदि पाठक इस विशेष अर्थ को नहीं जानता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ के अध्ययन और लेखन में हमारे सामने कई प्रकार के शब्द आते हैं। जब हम किसी ग्रंथ का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके बदले हम दूसरी भाषा के एक से अधिक पर्यायों में से इच्छानुसार किसी एक को चुनकर प्रयोग कर सकते हैं। कभी - कभी हो सकता है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसमें ऐसे शब्दों के उपयुक्त पर्याय का ही प्रयोग किया जा सकता है जिसका विशिष्ट और सुविचारित अभिप्राय होता है। ऐसे ही विशिष्ट शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है।

पारिभाषिक शब्द की परिभाषाएँ :- पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल (Technical) शब्द का पर्याय है। कोश ग्रन्थों के अनुसार टेक्निकल का अर्थ है विशिष्ट कला विज्ञान तथा शिल्प विषयक अथवा विशिष्ट कला के बारे में। इससे तात्पर्य यह हुआ कि - "पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान - विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी विविध विद्वानों द्वारा अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं।

1. **चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी** के अनुसार "पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने हेतु ग्रहण, अनुकूलन और निर्माण द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रतीक मात्र हैं।

2. **रैण्डम हाउस के अनुसार** - "विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। भौतिक, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, ज्यामिति, अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, मानविकी, दूरसंचार, तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। निष्कर्षतः पारिभाषिक ऐसा शब्द है -

- जो विषय विशेष में प्रयुक्त किया जाता हो।
- जो विषय विशेष की सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता हो।
- जिसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित हो।

पारिभाषिक शब्द का महत्व :- आज का युग विज्ञान और प्रविधि का युग है। विज्ञान की नई उपलब्धियों, विभिन्न ज्ञान - विज्ञान के चिंतन क्षितिज से समुचित परिचय करने कराने के लिए सामान्य शब्दों का नहीं बल्कि विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। जिस भाषा में जितने अधिक पारिभाषिक शब्दों का रचाव-जमाव होगा वह भाषा आज उतनी ही सम्पन्न कहलाएगी तथा समकालीन जीवन जगत के लिए उतनी ही अधिक उपयुक्त कही जाएगी। किसी भी भाषा में समुचित पारिभाषिक शब्द की विद्यमानता उस भाषा- भाषी - वर्ग के बौद्धिक उत्कर्ष की परिचायक होती है और उसका अभाव बौद्धिक दरिद्रता का। सचमुच समर्थ राष्ट्र की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जिस भाषा में पारिभाषिक शब्द नहीं है वह बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की भाषा है आज कोई भी भाषा पारिभाषिक शब्दावली के स्तर पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। इस प्रक्रिया के रूकने का अर्थ होता है ज्ञान - विज्ञान के रथ के पहियों का रूक जाना।

हिन्दी के सन्दर्भ में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। उसे स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा, हिन्दी प्रदेशों की राज्यभाषा तथा हिन्दी प्रदेशों में सहराजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। अतः इस गम्भीर उपयोग के लिए भाषा का सर्वांगीण विकास अनिवार्य है। समस्त ज्ञान - विज्ञान विधि आदि की ज्ञान शाखाओं को पारिभाषिक शब्दावली से सम्पन्न करना जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों का होना आवश्यक है। अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिन्दी का प्रयोग होने लगा है अतः ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का होना जरूरी है। नये राजनीतिक सन्दर्भ, नई शिक्षा ने हिन्दी में नई शब्दावली के निर्माण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। नई शब्दावली के निर्माण की समस्या प्रस्तुत करने के पूर्व पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताओं की ओर दृष्टिपात कर लिया जाए।

पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

1. पारिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं। अर्थात् ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जाता है अथवा समझना पड़ता है। यथा - घनत्व, वोल्ट, कुण्डली, साफ्टवेयर, हार्डवेयर गुणांक आदि।
2. पारिभाषिक शब्द की एक विशेषता है उसकी असामान्यता। अर्थात् ऐसे शब्द से सम्बद्ध विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे - प्रतिभू, ईड़ा पिंगला, रक्ताणु, कार्बनिक आदि।
3. पारिभाषिक शब्द दुरूह होते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्दों में ऐसा आशय छिपा रहता है जो शब्द के विशेषण से स्पष्ट नहीं होता तथा उसे जानने के बाद भी परम्परा और प्रयोग द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे काव्य शास्त्र का चित्रतुरगन्याय, दर्शन शास्त्र का ब्रह्म, माया, कुण्डलिनी अहैत आदि।
4. पारिभाषिक शब्दों में चूँकि प्रमुख भाव या विचार होते हैं अतः प्रयोग के समय उनके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर (स्पेस), तापीय (थर्मल), नाभिकीय (न्यूक्लियर), कम्पोज, एटैना, साफ्टवेयर आदि।
5. पारिभाषिक शब्दों के अर्थ अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं इसलिए उनका सही अर्थ जानना आवश्यक है। जैसे - प्रतिभू (स्यूरिटी) तथा प्रतिभूति (सेक्यूरिटी), ताप (हीट) एवं तापमान (टेम्प्रेचर), गति (स्पीड) तथा वेग (वेलोसिटी) आदि।
6. पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किन्तु अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे 'कल्चर' शब्द मानविकी में संस्कृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है किन्तु कृषि विज्ञान में 'कल्चर' से तात्पर्य कृषि से है जैसे- सीरी कल्चर (रेशम कीट पालन) इसी प्रकार सैन्य विज्ञान में 'सेक्यूरिटी' शब्द का अर्थ है सुरक्षा किन्तु बैंकिंग में 'सेक्यूरिटी' का अर्थ है 'प्रतिभूति'।
7. अर्थात् किसी एक ज्ञानक्षेत्र के पारिभाषिक शब्द के लिए दूसरा कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे - विधि में प्रयुक्त नोटिफिकेशन, अन्तरिक्ष में प्रयुक्त 'इनसेट' आदि के पर्यायवाची पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकते।

पारिभाषिक शब्दावली के गुण :- किसी भी पारिभाषिक शब्दावली में निम्नलिखित गुणों को होना आवश्यक है -

1. पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट होने चाहिए।
2. पारिभाषिक शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग आदि जोड़कर परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। जैसे अवर सचिव, अपर कलेक्टर।
3. समान पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता होनी चाहिए।
4. पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा सुबोध होना चाहिए।
5. प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए।
6. पारिभाषिक शब्द का निर्माण यथासंभव लघु होना चाहिए।
7. पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव एक ही मूल शब्द से किया जाना चाहिए।
8. पारिभाषिक शब्द विषयवस्तु के अनुरूप होने चाहिए।
9. पारिभाषिक शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ - साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए।
10. सामान्यतः पारिभाषिक शब्द मूल हो, व्याख्यात्मक नहीं। जैसे अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है, इसके स्थान पर किसी के प्रतिहिंसा का भाव न रखना नहीं हो सकता, यह पारिभाषिक शब्द अहिंसा की व्याख्या है।
11. अन्य भाषा से ग्रहीत पारिभाषिक शब्दों को अनुकूलन की निर्माण प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लेनी चाहिए।
12. पारिभाषिक शब्द ऐसा हो, जिससे उसके अर्थ से सम्बद्ध छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द बनाये जा सकें

पारिभाषिक शब्दों के प्रकार :- प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो निम्न प्रकार हैं -

1. **आंशिक या अपूर्ण पारिभाषिक शब्द :-** पारिभाषिक ऐसे शब्द हैं जो विषय विशेष से सम्बद्ध प्रेक्षित में समझना आवश्यक है ताकि उनके प्रयोगों में संदिग्धता न हो जैसे- प्रव्रज्या, अन्तरिक्ष विशेष अर्थ देते हैं, अतः पारिभाषिक स्वरूप का निर्वाह करते हैं। लेकिन जब उस विषय क्षेत्र से बाहर उनका प्रयोग होता है तो उनका पारिभाषिक अर्थ नहीं रहता - सामान्य अर्थ ही होता है। जैसे - 'असंगति' शब्द काव्य शास्त्र विषय में एक विशेष अलंकार का वाचक है, विशेष पारिभाषिक शब्द है। 'शक्ति' शब्द भी इसी प्रकार का है, पर सामान्य प्रयोग में 'असंगति' और शक्ति शब्द के पारिभाषिक अर्थ नहीं हैं। ऐसे शब्दों को अपूर्ण अथवा आंशिक पारिभाषिक शब्द कहा जाता है।

2. **पूर्ण पारिभाषिक शब्द :-** कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पारिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होता है - सामान्य प्रसंग में होता ही नहीं - ऐसे शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं- नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त 'पंचसंधि' शब्द इतना रूढ़ पारिभाषिक शब्द है कि इसका अन्यत्र किसी प्रसंग में प्रयोग हो ही नहीं सकता। यही स्थिति नाट्य शास्त्र के 'अर्थ प्रकृति' शब्द की है। लौजाइनस के 'सबलाइम' का प्रयोग भी पारिभाषित अर्थ में ही संभव है। ये शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं।

प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली		
Adhoc	-	तदर्थ
Assembly	-	सभा
Administrator	-	प्रशासक
Act	-	अधिनियम
Bill	-	विधेयक
Article	-	अनुच्छेद
Allowances	-	भत्ता
Autonomy	-	स्वायतता
Acting	-	कार्यकारी
Election	-	चुनाव

Discipline	-	अनुशासन	Emergency	-	आपात
Ex-officia	-	पदेन	Inquiry	-	जाँच
Endorse	-	अंकन-पृष्ठांकन	Registrar	-	कुलसचिव
Invalid	-	अमात्य	Dean	-	अधिष्ठाता
Vice Chancellor	-	कुलपति			
Cabinet Secretariate	-	मंत्रिमंडल सचिवालय			
Central Bureau of Investigation	-	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो			
Education Deptt.	-	शिक्षा विभाग			

NOTES

मानविकीय पारिभाषिक शब्दावली

Assistant Secretary	-	सहायक सचिव	Advocate	-	अधिवक्ता
Custodian	-	अभिरक्षक	Ceremony	-	उत्सव
Citizenship	-	नागरिकता	Culture	-	संस्कृति
Deputy	-	उप	Director	-	संचालक
Aesthetics	-	सौन्दर्यशास्त्र	Anthropologist	-	मानवविज्ञानी
Behaviourism	-	व्यवहारवाद	Content	-	विषयवस्तु
Creation	-	सर्जन	Cultural Heritage	-	सांस्कृतिक विरासत
Environment	-	परिवेश	Frustration	-	कुंठा
Indology	-	प्राच्यविद्या	Literacy	-	साक्षरता
Right	-	अधिकार	Personification	-	मानवीकरण
Sensitivity	-	संवेदनशीलता	Reservation	-	आरक्षण
Emotion	-	संवेग	Defamation	-	मानहानि
Dean	-	अधिष्ठाता	Cabinet	-	मंत्रिमंडल
Oath - Commissioner	-	शपथ आयुक्त	Guidance	-	मार्गदर्शन
Polling Officer	-	मतदान अधिकारी	Population	-	जनसंख्या
Scholarship	-	छात्रवृत्ति	Target	-	लक्ष्य
Under Secretary	-	अपर सचिव	Trademark	-	व्यापार चिन्ह
Honesty	-	ईमानदारी	Working man	-	कार्यकर्ता

वाणिज्य संबंधी शब्दावली

Accountant	-	लेखपाल	Audit	-	गणनापरीक्षा
Capital	-	पूँजी	Cashier	-	रोकड़िया
Currency	-	मुद्रा	Current account	-	चालू खाता
Creditor	-	ऋणदाता	Debtors	-	ऋणी
Income	-	आय	Investment	-	निवेश

NOTES

Leader	-	खाता	Manager	-	प्रबंधक
Guarantee	-	प्रत्याभूति	Net Loss	-	शुद्ध घाटा
Production	-	उत्पादन	Recurring	-	आवर्ती जमा
Pledge	-	गिरवी	Tax	-	कर
Tender	-	निविदा	Trade	-	व्यापार
Actual Cost	-	वास्तविक मूल्य	Account	-	खाता
Accession	-	समायोजन	Agent	-	अभिकर्ता
Bill of Exchange	-	विनिमय विपत्र	Co - operative Bank	-	सहकारी बैंक
Capital	-	पूँजी	Contract	-	अनुबंध
Credit	-	साख	Demand	-	माँग
Export	-	निर्यात	Financial	-	वित्तीय
Finance	-	वित्त, अर्थ	Heads	-	मद
Guarantee	-	प्रत्याभूति	Import	-	आयात
Income Tax	-	आयकर	Payment	-	भुगतान
Credit Slip	-	जमापत्री	Entry	-	प्रविष्टि
Head Clerk	-	प्रधान लिपिक	Finance Officer	-	वित्त अधिकारी
Goods	-	माल	Joint Director	-	संयुक्त संचालक
Provident Fund	-	भविष्य निधि	Profit	-	लाभ
Production	-	उत्पादन	Steno Typist	-	स्टेनो टाइपिस्ट
Store Keeper	-	भण्डारी	Treasurer	-	खजांची, कोषाध्यक्ष
Tender	-	निविदा			

न्यायिक सम्बंधी शब्दावली

Affidavit	-	शपथ पत्र	Act	-	अधिनियम
Advice	-	सलाह	Advocate General	-	महाधिवक्ता
Adoption	-	दत्तक ग्रहण	Approval	-	अनुमोदन
Arbitrator	-	मध्यस्थ, पंच	Criminal	-	फौजदारी
Code	-	संहिता	Civil Court	-	दीवानी अदालत
Cantonment	-	छावनी	Chief Justice	-	मुख्य न्यायाधीश
Claim	-	दावा, अभियाचन	Claimant	-	दावेदार, अधियाचक
Commission	-	आयोग	Compensation	-	क्षतिपूर्ति
Consideration	-	विचार	Contempt	-	अवमानना
Dispute	-	विवाद	Decision	-	निर्णय
Diplomacy	-	कूटनीति	Disciplinary	-	अनुशासनात्मक
Dismiss	-	पदच्युत, बर्खास्त	Document	-	दस्तावेज
Election	-	निर्वाचन	Equality	-	समानता
Executive	-	कार्यपालिका	Fine	-	दण्ड

Federal	-	संघीय
High Court	-	उच्च न्यायालय
Inquiry	-	जाँच
Imprisonment	-	कारावास
Extremist	-	उग्रवादी
Constituency	-	निर्वाचन क्षेत्र
Cross Examination	-	प्रति परीक्षा
District Magistrate	-	जिला दण्डाधिकारी
Defamation	-	मानहानि
Entitled	-	अधिकारी, हकदार
Emergency	-	आपात, संकट
Exempt	-	मुक्त
Freedom	-	स्वतंत्रता
Gratuity	-	उपदान
Impeachment	-	महाभियोग
Judicial	-	न्यायिक
Lawyer	-	वकील
Licence	-	लाइसेंस, अनुज्ञप्ति
Labour Court	-	श्रम न्यायालय
Penalty	-	दण्ड
Record	-	अभिलेख
Restriction	-	प्रतिबंध
Secular	-	धर्मनिरपेक्ष
Official	-	कार्यालयीन
Rule	-	नियम
Presiding	-	पीठासीन
Public	-	लोक
Rights	-	अधिकार
Suffrage	-	मताधिकार
Stay	-	स्थगन

Gazette	-	गजट, राजपत्र
Illegal	-	अवैध
International	-	अंतर्राष्ट्रीय
Judge	-	न्यायाधीश
Constitution	-	संविधान
Contribution	-	योगदान
Civil Judge	-	व्यवहार न्यायाधीश
Decree	-	निर्णय, आज्ञप्ति
Defence	-	प्रतिरक्षा
Dependent	-	प्रतिवादी
Evidence	-	साक्ष्य, गवाह
Fees	-	शुल्क
Fundamental	-	मौलिक, मूलभूत
Injury	-	क्षति
Law	-	विधि, कानून
Justice	-	न्याय
Opinion	-	अभिप्राय
Legal	-	वैध
Personnel	-	कार्मिक
Pension	-	पेंशन, निवृत्ति, वेतन
Republic	-	गणतंत्र
Succession	-	उत्तराधिकार
Oath	-	शपथ
Plaintiff	-	वादी
Passport	-	परिपत्र
Recommendation	-	अनुशंसा, सिफारिश
Reservation	-	आरक्षण
Session	-	सत्र
Tribunal	-	न्यायाधिकरण

NOTES

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली

Axis	-	धुरी, अक्ष
Acid	-	अम्ल
Angle	-	कोण
Acidity	-	अम्लता
Pollution	-	प्रदूषण
Bio-Technology	-	जैव तकनीकी
Tissue	-	ऊतक

Antibiotic	-	प्रति जैविक
Atom	-	परमाणु
Active	-	सक्रिय
Anesthesia	-	संवेदनाहरण
Bio - Energy	-	जैव ऊर्जा
Cell	-	कोशिका
Satellite	-	उपग्रह

NOTES

Radiation	-	विकिरण	Parasite	-	परजीवी
Microwave	-	सूक्ष्मतरंग	Gravitation	-	गुरुत्वाकर्षण
Genetics	-	आनुवांशिकी	Diagnosis	-	रोग निदान
Ecology	-	पारिस्थितिकी	Fossil	-	जीवाश्म
Fertility	-	प्रजननक्षमता, उर्वरता	Parasite	-	परजीवी
Abdomen	-	उदर	Biosphere	-	जीवमंडल
Brain	-	मस्तिष्क	Balloon	-	गुब्बारा
Blast	-	विस्फोट	Abortion	-	गर्भपात
Aeronautics	-	अंतरिक्ष विज्ञान	Anatomy	-	शरीर-रचना-विज्ञान
Anthropology	-	मानवशास्त्र	Air Pollution	-	वायु प्रदूषण
Belly	-	पेट	Boil	-	फोड़ा
Botany	-	वनस्पति - विज्ञान	Bio - Chemistry	-	जैव रसायन
Boiling Point	-	क्वथनांक	Back - bone	-	रीढ़ की हड्डी
Barometer	-	वायुमापक	Bio - Mathematics	-	जैव गणित
Chemistry	-	रसायनशास्त्र	Conductivity	-	चालकता
Compound	-	यौगिक	Component	-	घटक
Cosmology	-	सृष्टि विज्ञान	Diagnosis	-	रोग निदान
Energy	-	ऊर्जा	Element	-	तत्व
Frequency	-	आवृत्ति	Friction	-	घर्षण
Giant - cell	-	महाकोशिका	Gas	-	हवा, गैस
Gland	-	गिल्टी, ग्रंथि	Hypertension	-	अति तनाव

पारिभाषिक शब्दावली :- अंग्रेजी से हिन्दी

Honorarium	-	मानदेय	Bureaucracy	-	नौकरशाही
Act	-	अधिनियम	Advocate General-	-	महाधिवक्ता
Domicile	-	अधिवास	Broadcasting	-	प्रसारण
Constitution	-	संविधान	Executive	-	कार्यपालिका
Evidence	-	साक्ष्य	Gazette	-	सूचनापत्र
Memorandum	-	ज्ञापन	Suspend	-	निलम्बन
Tribe	-	जनजाति	Will	-	वसीयत
Honesty	-	ईमानदारी			

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. पारिभाषिक शब्द से तुम क्या समझते हो।
2. पारिभाषिक शब्द की पारिभाषाएँ लिखो।
3. शब्द किसे कहते हैं।
4. पारिभाषिक शब्दावली के गुण स्पष्ट करो।

दीर्घोत्तरी प्रश्न :-

1. पारिभाषिक शब्द से क्या समझते हो इसकी विशेषताएँ लिखो।
2. पारिभाषिक शब्दों के प्रकार स्पष्ट करो।
3. पारिभाषिक शब्द का महत्व स्पष्ट करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को
(i) शब्द (ii) वाक्य (iii) संधि (iv) वर्ण
2. पारिभाषिक शब्द को और क्या कहा जाता है.....
(i) सर्वनाम (ii) वाक्य शब्द (iii) तकनीकी शब्द (iv) तीनों
3. विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकतीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द पारिभाषिक शब्द है उपरोक्त कथन किसका है.....
(i) रैण्डम हाउस (ii) चेम्बर्स डिक्शनरी
(iii) एम.एल.मुक्ता (iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर :- 1. (i) 2.(ii) 3.(iii)



NOTES

13. विलायत पहुँच ही गया (आत्म कथांश)

महात्मा गाँधी

लेखक का परिचय :- महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपका विवाह कर दिया गया। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद गाँधीजी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने विदेश गये। 1891 में गाँधीजी बैरिस्टर बनकर लंदन से भारत लौटे। 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए जहाँ उन्हें रंग भेद की नीति के कारण अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। गाँधी को महात्मा गाँधी के नाम से पहली बार 1915 में राजवैध जीवराम कालीदास ने संबोधित किया। सुभाषचन्द्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियों से गाँधीजी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 दांडी यात्रा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही।

गाँधीजी ने जीवन भर सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इसका पालन करने के लिए वकालत की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोलीमार कर उनकी हत्या कर दी।

पाठ का संारांश :- 'विलायत पहुँच ही गया' राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग से लिया गया, जिसमें गाँधीजी ने अपनी विलायत यात्रा के संदर्भ में वर्णन किया है।

गाँधीजी की यात्रा के दौरान परेशानियाँ :- अपनी इस यात्रा के दौरान जहाज में प्रारम्भ में गाँधीजी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे - जैसे दिन गुजरते गए वैसे - वैसे वे अधिक परेशान होने लगे। मजूमदार को जोड़कर, शेष सभी सहयात्री अंग्रेज थे, अतः उन सभी से अंग्रेजी में बात करने में गाँधीजी को काफी परेशानी आती थी क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में बात करने की आदत ही नहीं थी। अंग्रेज सहयात्री उनसे बोलने का प्रयत्न करते तो पहले गाँधीजी उनकी बात को समझ ही नहीं पाते थे और समझ भी लेते थे तो उसका क्या जवाब देना है, यह उन्हें सूझता नहीं था। क्योंकि बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था।

वकील की जीभ चरपर :- गाँधीजी अपनी विलायत यात्रा के दौरान जहाज में बहुत कम बोलते थे क्योंकि मजूमदार को छोड़कर शेष सभी सहयात्री अंग्रेज थे, इस पर मजूमदार ने गाँधीजी को उनके कम बोलने पर कहा कि तुम बातचीत करते रहा करो। चूँकि गाँधीजी वकील थे और देखने में आता है वकील लोग बोलने में तथा बहस करने में बहुत तेज होते हैं। इसी कारण मजूमदार ने गाँधीजी से कहा कि वकील की जीभ तो चरपर चलती रहना चाहिए। परन्तु तुम तो हमेशा शांत ही रहते हो।

शाकाहारी गाँधीजी :- गाँधीजी को काँट - चम्मच से खाना खाते नहीं आता था: चूँकि वे शाकाहारी थे, इस कारण वहाँ किस पदार्थ में मांस मिला है, यह पूछने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अतः वे सबके साथ खाने की टेबल पर खाना खाने की अपेक्षा अपने कमरे में ही खा लेते थे जो अपने साथ घर से लेकर आये थे। मजूमदार, गाँधीजी को सबसे मिलने - जुलने का कहते तथा एक वकील होने के नाते वे अपने अनुभव भी गाँधीजी को बताते रहते थे। गाँधीजी के एक अंग्रेज सहयात्री से यह पूछते रहते कि आप क्या खाते हैं, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी से बातचीत क्यों नहीं करते, प्रश्न पूछते रहते। उन्होंने गाँधीजी को खाने की मेज पर जाने की सलाह दी। गाँधीजी की मांस न खाने की बात सुनकर उनका कहना था कि इंग्लैण्ड में इतनी ठंड रहती है कि मांस खाये बिना और शराब पीये बिना चलता ही नहीं। गाँधीजी शुद्ध शाकाहारी थे। अतः गाँधीजी मांस खाना पसन्द नहीं करते थे। अंग्रेज सहयात्री द्वारा मांस खाने का कहने पर गाँधीजी का कहना था कि मांस न खाने के लिए वे अपनी माताजी से वचनबद्ध हैं। इस कारण वे शाकाहार के प्रति निष्ठावान थे। इस कारण वे मांस नहीं खा सकते। अगर उसके बिना काम ही न चला तो वे वापस हिन्दुस्तान चले जायेंगे, पर मांस नहीं खायेंगे। बिस्केकी खाड़ी आने पर भी गाँधीजी को न तो मांस की जरूरत महसूस हुई और न ही मदिरा की। उनसे कहा गया था कि वे मांस न खाने के प्रमाण - पत्र इकट्ठा कर लें।

इसलिए इन अंग्रेज मित्र से गाँधीजी ने प्रमाण – पत्र माँगा। जिसे उन्होंने खुशी – खुशी दे दिया। बाद में गाँधीजी को पता चला कि प्रमाण – पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

परेशानियाँ सहते हुए यात्रा समाप्त करके गाँधीजी साउदेम्प्टन बन्दरगाह पर पहुँचे। जहाज पर गाँधीजी काली पोशाक पहनते थे। मित्रों ने उनके लिए सफेद फलालैन के कोट – पतलून भी बनवा दिये थे। उन्हें गाँधीजी ने जहाज से विलायत में उतरते समय पहनने का विचार कर रखा था, यह समझकर कि सफेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे! वहाँ वे सूट पहनकर उतरे।

गाँधीजी के पास चार सिफारिशी पत्र थे: डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपतराम शुक्ल के नाम, प्रिन्स रणजीतसिंहजी के नाम और दादाभाई नौरोजी के नाम। जहाज में किसी ने गाँधीजी को सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिये। इस कारण मजूमदार और गाँधीजी उस होटल में पहुँचें।

डॉक्टर मेहता से गाँधीजी की मुलाकात :- डॉक्टर मेहता होटल में उनसे मिलने आये। उन्होंने प्रेमभरा विनोद किया। गाँधीजी ने अनजाने में रेशमी रोओं वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठायी और उस पर हाथ फेरा। इससे टोपी के रोएँ खड़े हो गये। तब डॉ मेहता ने गाँधीजी को बहुत सी बातें समझाई जैसे :-

1. किसी की चीजे को छूना नहीं चाहिए।
2. किसी से जान – पहचान होने पर जो प्रश्न हिन्दुस्तान में यों ही पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते।
3. बात करते समय ऊँची आवाज से नहीं बोल सकते।
4. हिन्दुस्तान में अंग्रेजों से बात करते समय 'सर' कहने का जो रिवाज है, वह वहाँ (विलायत) में अनावश्यक है।
5. 'सर' तो नौकर मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है।
6. होटल में रहने की बजाय किसी कुटुम्ब (परिवार) में रहने की सलाह दी।

होटल महँगा भी था। माल्टा से एक सिन्धी यात्री जहाज पर सवार हुए थे। मजूमदार उनसे अच्छे घुलमिल गये थे। यह सिन्धी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने इनके लिए दो कमरे किराये पर लेने की जिम्मेदारी उठायी। गाँधीजी के हिस्से का होटल का बिल लगभग तीन पौंड का हुआ था, जिसे देखकर वे चकित ही रह गये। तीन पौंड देने पर भी भूखे रहे। होटल की कोई चीज उन्हें नहीं जमती थी।

गाँधीजी को भारत देश की याद :- गाँधीजी अपने कमरे में भी बहुत परेशान रहे। उन्हें देश की याद खूब आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और वे रोना शुरू कर देते। घर की अनेक स्मृतियों के कारण नींद नहीं आती थी। यहाँ के लोग विचित्र, रहन – सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी विचित्र! क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी उन्हें बहुत कम थी। जिस पर खाने – पीने का परहेज: और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। इस कारण गाँधीजी की दशा सरौते के बीच सुपारी जैसी हो गयी। विलायत में रहना अच्छा नहीं लगता था लेकिन तीन साल विलायत में रहना भी उनके लिए जरूरी था, क्योंकि विलायत आने का आग्रह उनका स्वयं का ही था। इस प्रकार 'विलायत पहुँच ही गये' पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति यदि दृढ़ – संकल्प शक्ति वाला हो तो वह अपने सिद्धान्तों पर चल सकता है, जैसा कि गाँधीजी ने किया। इसमें परेशानियाँ आती हैं, लेकिन सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है।

मुहावरे:

1. श्रीगणेश करना = प्रारम्भ करना।
प्रयोग :- आज हमें विद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष का श्रीगणेश करना है।
2. सरौते में सुपारी की-सी दशा = दोनों ओर से परेशान
प्रयोग :- देश की जनता गरीबी और महँगाई की बीच ऐसे फँस गई है जैसे सरौते में सुपारी

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. वकील की जीभ पर चरपर होनी चाहिए ऐसा 'क्यों' कहा गया।
2. 'गाँधीजी शाकाहारी के प्रति निष्ठावान थे' स्पष्ट करो।
3. गाँधीजी के पास किन चार लोगो के प्रमाणपत्र थे।
4. गाँधीजी को यात्रा के दौरान कौन - कौन सी परेशानियाँ हुई।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. डॉ. मेहता ने गाँधीजी को क्या सलाह दी थी।
2. उपरोक्त पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है।
3. महात्मा गाँधी के जीवन परिचय का वर्णन करो।
4. मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो
 1. श्रीगणेश करना
 2. सरौते में सुपारी की - सी दशा

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. गाँधीजी का पूरा नाम।
 - i. मोहन बाबू
 - ii. मोहनदास करमचंद गाँधी
 - iii. राष्ट्रपिता गाँधी
 - iv. मोहनदास गाँधी
2. महात्मा गाँधी का आत्मकथा पुस्तक का नाम।
 - i. मेरी आत्मकथा
 - ii. सत्य के प्रयोग
 - iii. विलायती बाबू
 - iv. रामराज्य
3. जहाज पर गाँधीजी ने किस रंग की पोषाक पहनी थी।
 - i. लाल
 - ii. सफेद
 - iii. काली
 - iv. नीली
4. गाँधीजी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ
 - i. गुजरात
 - ii. महाराष्ट्र
 - iii. मध्यप्रदेश
 - iv. दिल्ली
5. गाँधीजी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से ली।
 - i. भारत
 - ii. लंदन
 - iii. टोकियो
 - iv. चीन
6. गाँधीजी ने किन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
 - i. असहयोग आंदोलन
 - ii. दांडी यात्रा
 - iii. भारत छोड़ो आंदोलन
 - iv. उपरोक्त सभी

उत्तर :- 1. (ii), 2. (ii), 3. (iii), 4. (i), 5. (ii), 6. (iv)

NOTES



14. अफसर (व्यंग्य)

शरद जोशी

NOTES

लेखक का जीवन परिचय :- शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 उज्जैन, मध्यप्रदेश में हुआ। अपने समय के वे अनूठे व्यंग्य रचनाकार थे। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों पर उनकी पैनी नजर रहती थी। और अपने आस-पास की समस्याओं एवं घटनाओं को देखकर उन्हें लिपिबद्ध कर देना ही उनकी विशेषता थी। शरद जोशी ने एक बार लिखा कि “लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख सिर्फ यही कह पाता हूँ कि चलो, इतने बरस जी लिया। यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता अब सोचना कठिन है। लेखन मेरा निजी उद्देश्य है”

शरद जोशी के व्यंग्य में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है, जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। उनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं।

व्यंग्य संग्रह :- परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ।

नाटक :- अंधों का हाथी, एक गधा उर्फ अलादाद खाँ।

दूरदर्शन धारावाहिक :- ये जो है जिन्दगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनियाँ गजब की।

फिल्म लेखन :- क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधूलि, उत्सव।

साहित्य के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए शरद जोशी का नाम अग्रणी है। 5 सितम्बर 1991 में मुंबई में उनका निधन हो गया।

‘अफसर’ पाठ का सारांश :- अपने प्रसिद्ध व्यंग्य ‘अफसर’ में शरद जोशी ने एक अफसर के सम्पूर्ण व्यक्तित्व, स्वभाव, कार्यप्रणाली व उसके हावभाव, प्रकृति आदि का विस्तृत विवेचन किया है।

अफसर के साथ नाव में बैठना :- लेखक ने अपने व्यंग्य ‘अफसर’ की शुरुआत नाव में बैठे अफसर से की है। वे लिखते हैं कि नाव में अफसर के साथ बैठने की अपेक्षा डूब मरना अधिक उचित है। नाव में कोई भी कमी आने पर अफसर उसका दोषारोपण आप पर ही करेगा और सफलता के लिए स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करेगा। अफसर चाँदनी रात के मनमोहक वातावरण को भी नीरस एवं बोरियत से भर देगा, क्योंकि वह इस वातावरण के महत्व के स्थान पर अपनी अफसरी को ही महत्व देता है। इस प्रकार शरद जोशी ने अफसर के साथ नाव में बैठने के खतरे इसे प्रकार बताये हैं-

1. अफसर के साथ नाव में बैठा गया, तो सूराख होने पर स्पष्टीकरण माँगेगा।
2. नाव हिचकोले लेगी तो वह लाल आँखों से घूरकर स्पष्टीकरण माँग सकता है।
3. अमृत बरसा रही चाँदनी, हवा और लहर के काव्यमय वातावरण के आनंद से वंचित कर किसी फाइल का किस्सा वह छेड़ सकता है।
4. अफसर कभी आपका एहसान नहीं मानेगा और स्वयं को सफल अफसर सिद्ध करेगा।
5. अफसर के साथ नाव में बैठने पर परेशानी ही परेशानी होगी।

अफसर हमेशा अफसर ही रहता है। शरद जोशी कहते हैं कि लोग सोचते हैं, अफसर किस मिट्टी का बना है? मिट्टी तो देशी है, सिर्फ साँचा विदेशी है, जिसमें अफसर ढलता है। अफसर ढलकर तैयार होता है या जन्म से अफसर हो जाता है, यह बहस का विषय है कुछ लोग तो पैदाइशी अफसर होते हैं अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान करता है। वह परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझने वाली चिर पेंडिंग साक्षात् फाइल की तरह नजर आती है और हर बच्चा अपने-आपमें एक केस लगता है, जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे न ‘सस्पेंड’ किया जा सकता है और न उसका ‘प्रमोशन’ रोका जा सकता है। वे घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं। कितने अफसर आये और चले गये। कितनी कुर्सियाँ उनके वजन से चरमराकर टूटी और फेंक दी गयी, पर वजन

वही रहा। फाइलें उसी तरह बनतीं और विकसित होती रहीं। अफसर जाता है, पर अफसरी बनी रहती है। वह एक आत्मा है, एक शरीर से रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं जाता, वह कायम रहता है। जिस तरह राजा नहीं मरता, उसी तरह अफसर भी नहीं मरता। वह विद्यमान रहता है।

NOTES

अफसर का तबादला :- अफसर का तबादले का दृश्य भी बड़ा रोचक होता है। वक्तागण जाने वाले तथा आने वाले दोनों अफसरों के प्रति मिश्रित शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि जाने वाले अफसर के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हो तथा नये आने वाले अफसर को मक्खन लगा रहे हों। नया अफसर आते ही ऑफिस में तहलका मचा देता है, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं के प्रति ऐसा प्रदर्शन करता है कि इनका निष्ठा से पालन कराने वाला है, लेकिन कुछ दिनों पश्चात उसके इस रवैये में ढीलापन आ जाता है और सब कुछ फिर पुराने तरीके से चलने लगता है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, बल्कि उससे रिश्ता बनाया जाता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं।

अफसर सतत् ऑन ड्यूटी रहता है :- अफसर डाँटता है, नेता सारे देश को एक साथ डाँटता है और अफसर हर व्यक्ति को अलग - अलग बुलाकर डाँटता है। हम डरते हैं। हम डूँटे हुए लोग हैं, जो डाँटने वालों के अधीन सटे हुए काम करते हैं। कुर्सी बनी रहेगी, पर कब खाट खड़ी हो जाएगी, कह नहीं सकते। वह गजटेड है यानी गजट में है और हम गजट के बाहर हैं, फिर भी फाइल में है और फीते से बँधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। अफसर सब जगह है। वह 'ऑन ड्यूटी' सर्वव्यापी है। वह 'एक्टिव' शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। वह ओखली में सिर रख मूसलों को अनुशासन में रखता है। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण माँगता है। अफसर अफसर है। अफसर नामक शब्द में अफसरी की मानसिकता होती है। वह दूसरों से समझौता करना नहीं चाहता। मातहत को तो हमेशा उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अफसर कभी भी कोई ऐसी बात कह सकता है कि जिसका यदि पालन नहीं किया जाये तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अफसर अगर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइये, इसी में आपकी खैर है। इस तरह शरद जोशी ने अपने व्यंग्य अफसर के माध्यम से हमें एक शिक्षा दी है कि हमें अपने अफसर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह हर समय, चाहे वह नौका में घूमने का समय हो या फिर वह अपने परिवार के साथ हो हमेशा अपनी अफसरी ही दिखाता है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

(A) दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

1. नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है।

i. डूब मरिए

ii. घर में टेलीविजन देखिए

iii. बच्चों के साथ पिकनिक मनाइए

iv. दोस्तों के साथ गप्पें मारिए

2. मन क्यों करता है कि नाव से कूद पड़ें।

i. क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए नाव में बैठे थे, वह इस काव्यमय वातावरण में भी ज्यों का त्यों है

ii. क्योंकि अफसर आपको डाँट रहा है

iii. क्योंकि नाव में छेद है

iv. क्योंकि आपको मल्लाह पर भरोसा नहीं है

3. अफसर घर को किस तरह चलाता है।

i. एक दफ्तर की तरह

ii. एक मोटर साइकिल की तरह

iii. एक होटल की तरह

iv. एक स्कूल की तरह

4. अफसर कैसे डाँटता है।
- हर व्यक्ति को रोज डाँटता है
 - हर व्यक्ति को अलग - अलग बुलाकर डाँटता है
 - चाय पीता जाता है और डाँटता जाता है
 - पत्नी से डाँट खाकर आता है और कर्मचारियों से उसका बदला लेता है
5. अफसर पाठ के लेखक।
- शरद जोशी
 - महादेवी वर्मा
 - विष्णु प्रभाकर
 - चेतन शर्मा

उत्तर :- 1. (iii), 2. (i), 3. (i), 4. (ii), 5. (i)

(B) कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो

(साथ, रिश्ता, रिश्ते, दोस्ती)

- अफसर से नहीं की जा सकती।
- उससे किया जा सकता है।
- क्योंकि में नियम होते हैं।
- अफसर के नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है।

उत्तर :- 1. (दोस्ती) 2. (रिश्ता) 3. (रिश्ते) 4. (साथ)

(C) नीचे लिखी बातों में से सही (✓) का चिन्ह लगाए।

- मूसल एक प्रकार का यन्त्र होता है।
 - जिससे अधिकारी को डराया जा सकता है
 - जिससे धान कूटते हैं
 - जिससे मूसलाधार पानी बरसाया जाता है
 - जिससे दूसरों का सिर फोड़ा जा सकता है
- अफसर नामक व्यंग्य के लेखक हैं।
 - रवीन्द्रनाथ त्यागी
 - श्रीलाल शुक्ल
 - शरद जोशी
 - भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- लेखक शरद जोशी के अनुसार अफसर।
 - अफसर सर्वव्यापी है
 - अफसर मसीहा है
 - अफसर फुर्तीला कछुआ है
 - उपरोक्त सभी

NOTES

NOTES

4. “हम डूँटे हुए लोग हैं” का वास्तविक अर्थ है।
 - i. हम अपने स्थान पर अडिग हैं
 - ii. हम डूँट खाने वाले लोग हैं
 - iii. हम मोर्चे पर खड़े रहते हैं
 - iv. उपरोक्त तीनों
5. मसीहा किसे कहते हैं।
 - i. जो स्याही से लिखता है
 - ii. जो दूसरों को रास्ता दिखाता है
 - iii. जो किसी से डरता नहीं है
 - iv. जो पूजापाठ करता है

उत्तर :- 1. (ii), 2. (ii), 3. (iv), 4. (iv), 5. (ii)

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या खतरें हैं।
2. अफसर के तबादले के दृश्य का वर्णन करो।
3. शरद जोशी क्यों कहते हैं कि “अफसर हमेशा अफसर ही रहता है”।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. लेखक शरद जोशी का परिचय दीजिए।
2. “मिट्टी तो देसी है, सिर्फ साँचा विदेशी है जिसमें अफसर ढलता है” यह कथन लेखक ने क्यों कहा है।
3. “अफसर अगर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइये, इसी में आपकी खैर है”- इस कथन का अर्थ लिखो।



15. तीर्थयात्रा (कहानी)

डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र

NOTES

लेखक परिचय :- हिन्दी साहित्य जगत में डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र अपना विशेष स्थान रखती हैं। उनकी रचनाओं में उनकी अनुभूतियाँ इस प्रकार साकार हुई हैं कि वे पाठकों को उनके प्रति आस्थावान बना देती हैं। इन्होंने हिन्दी साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक विधाओं में समृद्ध किया।

तीर्थयात्रा पाठ का सारांश :- डॉ मिथिलेश कुमारी मिश्र द्वारा रचित कहानी 'तीर्थयात्रा' एक प्रायमरी स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्ति होने वाले बाबू रामदेव गुप्त की एवं उनके परिवार के लोगों की उस सोच एवं स्थिति पर आधारित कहानी है।

बाबू रामदेव गुप्त की सेवानिवृत्ति व उनकी सोच :- बाबू रामदेव गुप्त जब स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति में प्राप्त राशी का उपयोग करने का एक नया तरीका सोचा वे स्वयं एक हेडमास्टर के पद से रिटायर हुए थे अतः वे शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। इसी कारण वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उससे प्राप्त रकम की मदद से गाँव के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। गाँव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहते थे। सेवानिवृत्ति की राशि से घर में एक कमरा बनवाकर वे निरक्षर लोगों को पढ़ाने लगे।

बाबू रामदेव गुप्त के परिवार की सोच :- बाबू रामदेव गुप्त के परिवार के सदस्यों का यह सोचना था कि भविष्यनिधि से वे कोई ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जिससे उनका छोटा बेटा नीरज, जो कि बेरोजगार है, काम से लग जाए। उनका बड़ा लड़का मनोज जो रेल्वे में क्लर्क था। मनोज और उसकी पत्नी सुधा अपने लिए एक नया कमरा बनवाने की योजना बना रहे थे। रामदेवजी की पत्नी गोमती तीर्थयात्रा की आस लगाए बैठी थी।

घर में निर्माण कार्य :- भविष्यनिधि के बारे में सब लोग अपना-अपना सोचने लगे। तभी एक दिन प्रातः तीन ट्रक ईट, मुरम, बालू, सीमेन्ट से लदे गुसाजी के घर के सामने आ खड़े हुए, तो बहु सुधा और बड़ा बेटा मनोज यह सोचकर खुश होने लगे कि बाबूजी हमारे लिए अलग एक कमरा बनवा रहे हैं। किन्तु दोपहर के पूर्व ही जब चार-पाँच मजदूर आकर नींव खोदने में लग गए तो रामदेवजी के छोटे बेटे नीरज को विश्वास होने लगा कि बाबूजी उसके लिए कोई बड़ी दुकान बनवा रहे हैं। ऐसा अनुमान होने पर परिवार के सदस्य भी निर्माण कार्य में मजदूरों का हाथ बँटाने लगे।

रामदेव के पत्नी की आस :- बाबू रामदेव की पत्नी गोमती इस बात को लेकर मन में जरूर दुखी हो रही थी कि वह जो तीर्थयात्रा की आस लगाये बैठी थी, जिसका वह सारे गाँव में ढिंढोरा भी पीट चुकी थी, वह धरी रह गई। रामदेव बाबू को पता था कि परिवार के सारे सदस्य या तो गलतफहमी में जी रहे हैं, या खुशफहमी में। सारे लोग अपने-अपने स्वार्थ से इस कार्य को जोड़ रहे हैं। जिस दिन उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य का पता चलेगा, तो सारे लोग सहयोग तो दूर, उनके पास फटकेंगे तक नहीं। किन्तु बाबूजी का विचार था कि केवल अपने विषय में ही नहीं, बल्कि समाज के विषय में भी तो सोचना चाहिए।

घर के भीतर हॉल का निर्माण :- एक महीने के भीतर ही कमरे की छत ढाल दी गई। गुसाजी के दोनों लड़के इस लम्बे-चौड़े हॉलनुमा कमरे की बनावट देखकर हैरान थे कि उसका निर्माण किस प्रयोजन से हुआ है? परन्तु ग्रामवासियों का सहयोग देखकर वे अनुमान लगाने लगे कि यह हॉल सत्संग-भवन है, जहाँ गाँव के स्त्री-पुरुष एकत्र होकर भजन-कीर्तन करेंगे। घरवाले इस बात को भी जानते थे कि बाबूजी इस प्रकार के सत्संगों में कभी भी रूचि नहीं रखते थे, तथापि वे इस तथ्य पर सहमत हो गए कि धार्मिक प्रवृत्ति इस अवस्था में स्वभाविक ही है।

गुसाजी के परिवारजन इस तरह अचरज में थे, किन्तु इस सम्बन्ध में उनसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, इसलिए सभी चुप थे। लेकिन बाबूजी की पत्नी गोमती जरूर उन्हें आड़े-टेढ़े देख, उन्हें अपनी नाराजी का अहसास कराने लगी थी। बाबूजी यह देखकर सब कुछ समझ रहे थे, किन्तु बिलकुल मौन रहकर अपने उद्देश्य को पूरा होते देख मन ही मन खुश हो रहे थे।

बाबू रामदेव गुप्त का स्वप्न :- साक्षरता अभियान : बाबू रामदेव जी स्वयं एक शिक्षक थे। वे शिक्षा के महत्व को भलि-भाँति समझते थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा से तात्पर्य केवल शब्द-ज्ञान ही नहीं था। वे प्रत्येक

नागरिक को अपनी दृष्टि से, प्रत्येक स्तर पर सुशिक्षित करना चाहते थे। एक तरह से बाबू रामदेव गुप्तजी की नजर में शिक्षा मात्र अक्षर या शब्द-ज्ञान न होकर व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षित होना भी है।

वे समझते थे कि राष्ट्र की प्रगति हेतु प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। निःसंदेह यह सरकार का दायित्व है, किन्तु केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, यह दायित्व प्रत्येक बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिक का भी है कि वह अपने स्तर पर इस दिशा में कार्य करके सरकार को सहयोग दे। राष्ट्र की उन्नति देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अतः इस हेतु कुछ त्यागना भी पड़े, तो त्याग देना चाहिए। उनका तात्पर्य केवल शब्द-ज्ञान ही नहीं था। वे प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक स्तर पर सुशिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा नौकरी-पेशा से जुड़ी हुई हो, यह अनिवार्य है। किन्तु नैतिकता, चरित्र एवं अनुशासन भी प्रत्येक व्यक्ति में कूट-कूटकर भरा होना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा व्यावहारिक भी होना चाहिए।

परिवार के लोगों द्वारा नाराजगी :- कुछ दिनों में बीस-पच्चीस प्रौढ़जनों को लेकर गुप्ताजी जब उस नवनिर्मित कक्ष में उन्हें पढ़ाने लगे, तब घरवालों को उनकी योजना का पता चला तो वे सब चौक पड़े। बहु सुधा को छोड़कर और किसी को भी बाबूजी का यह काम पसन्द नहीं आया। पत्नी गोमती तथा पुत्र मनोज व नीरज उन्हें मन ही मन भला-बुरा कहने लगे। उनके बड़े बेटे मनोज ने यह आरोप लगाया कि वे अपना घर फूँककर तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि मनोज सहित परिवार के सभी लोगों का मानना था कि अपना पैसा गाँव के इन पराये लोगों की पढ़ाई के लिए खर्च कर गुप्ताजी अपने दिल की इच्छा पूरी कर रहे हैं, वह अपना घर फूँककर तमाशा देखने के बराबर ही है। परिवार वालों की नजर में उस रकम का उपयोग परिवार की ही किसी अन्य आवश्यकता पर खर्च होना चाहिए था। पूरे घर में सिर्फ बहु सुधा को बाबूजी का यह काम पसन्द आया, क्योंकि वह एक शिक्षित युवती थी तथा शिक्षा के महत्त्व को बखूबी समझती थी।

साक्षरता अभियान ही तीर्थयात्रा :- पारिवारिक विरोध व नाराजगी देख गुप्ता जी ने अपनी पत्नी गोमती को समझाया कि यह साक्षरता-अभियान किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं है। विद्यादान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। जो लोग अनपढ़ थे वे अब लिखने-पढ़ने लगे हैं। उनकी अन्तरात्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। यह किसी भी तीर्थयात्रा से अधिक है। इस कार्य को सम्पन्न कर हम एक तरह से चारों धाम का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इस कार्य से जिन्हें लाभ होगा, वे सभी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को दुआ देंगे। साथ ही रिटायर होने के बाद उन्हें जीवन लक्ष्य भी मिल गया है।

तीर्थयात्रा का प्रसाद :- पति-पत्नि के इसी वार्तालाप के दौरान पोस्टमैन आकर उन्हें एक रजिस्ट्री दे गया जिसमें उनके छोटे बेटे नीरज की नौकरी लगने की सूचना थी। इसे देखकर बाबूजी अपनी पत्नी को खुशी-खुशी बताने लगे कि नीरज की नौकरी लग गई है, जो हमारी इसी तीर्थयात्रा (साक्षरता अभियान) का ही प्रसाद है। यह बात जान गोमती भी खुश हो गई और पति-पत्नी दोनों मुस्करा दिए।

इस प्रकार बाबू रामदेव गुप्त का तीर्थयात्रा से आशय किसी ऐसे कार्य को सम्पन्न करने से है जिससे पुण्य-लाभ की प्राप्ति हो। इसके लिये उन्होंने गाँव के अनपढ़ एवं गँवार लोगों को पढ़ाने, साक्षरता अभियान चलाने का कार्य अपने हाथों में लिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने साक्षरता अभियान को ही तीर्थयात्रा की संज्ञा दी। उनकी नजर में विद्यादान से बड़ा दान संसार में कोई नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी पत्नी गोमती से कहा भी कि “.....जो अभी तक अँगूठे का निशान लगाते थे, वे भी अब पढ़ने-लिखने लगे हैं। उनकी अन्तरात्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। क्या यह तीर्थयात्रा नहीं है? यह कार्य कर हम चारों धाम का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जो लोग इससे लाभन्वित होंगे वे सभी हमें आशीर्वाद देंगे....हमारे बच्चों को दुआ देंगे, हमें इस अवस्था में और क्या चाहिए?” इस प्रकार गुप्तजी ने अपने साक्षरता अभियान के द्वारा दिये जा रहे विद्यादान को ही तीर्थयात्रा बताया।

पाठ में प्रयुक्त मुहावरे व उनका वाक्य में प्रयोग :-

1. ढिंढोरा पीटना। अर्थ :- सबको बताना।

वाक्य में प्रयोग :- आजकल नेता लोग काम करे न करे परन्तु ढिंढोरा अवश्य पीटते हैं।

2. बरें के छत्ते को छेड़ना। अर्थ :- मुसीबत स्वयं मोल लेना।

वाक्य में प्रयोग :- आज के युवाओं को सही कार्य करने की सलाह देना ‘बरें के छत्ते को छेड़ने’ जैसी बात हो गई है।

3. अपना घर फूँककर तमाशा देखना।

अर्थ :- अपना स्वयं का नुकसान कर उससे आनंदित होना।

वाक्य में प्रयोग :- सौरव गांगुली को क्रिकेट टेस्ट टीम से निकालकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 'अपना घर फूँककर तमाशा देखा'

4. आँखे मूँदे बैठना।

अर्थ :- देखते हुए भी अनजान होना।

वाक्य में प्रयोग :- पाकिस्तान के द्वारा प्रतिदिन हमला करने के बाद भी सरकार आँखे मूँदे बैठी है।

5. सठिया जाना।

अर्थ :- अधिक उम्र होने पर दिमाग काम नहीं करना।

वाक्य में प्रयोग :- बुढ़ापे में अक्सर लोग सठिया जाते हैं।

NOTES

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. बाबू रामदेव की दृष्टि में शिक्षा का क्या महत्व है।
2. बाबू रामदेव के पुत्र मनोज ने ऐसा क्यों कहा कि पिताजी घर फूँककर तमाशा देखने वाले हैं।
3. बाबू रामदेव गुप्त का स्वप्न क्या था।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. रामदेव गुप्त द्वारा 'तीर्थयात्रा' से क्या आशय है।
2. पाठ में आए मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग करो।
3. तीर्थयात्रा ही प्रसाद है। कथन का विवेचन करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. तीर्थयात्रा पाठ की रचनाकार।
 - i. मिथिलेश कुमारी मिश्र
 - ii. कन्हैयालाल मिश्र
 - iii. श्रीराम चरण शुक्ल
 - iv. श्रीलाल मिश्र
2. बाबू रामदेव किस पद से सेवानिवृत्त हुए।
 - i. शिक्षक
 - ii. पर्यवेक्षक
 - iii. हैडमास्टर
 - iv. सहायक
3. रामदेव की पत्नी की आस क्या थी।
 - i. मकान बनाना
 - ii. तीर्थयात्रा
 - iii. धन संग्रह करना
 - iv. इनमें से कोई नहीं
4. गुप्तजी ने विद्यादान को ही।
 - i. पुण्य कहा है
 - ii. दान कहा है
 - iii. तीर्थयात्रा कहा है
 - iv. क्षमा कहा है
5. तीर्थयात्रा क्या है।
 - i. निबंध
 - ii. संस्मरण
 - iii. भाषण
 - iv. कहानी
6. बाबू रामदेव के कितने पुत्र थे।
 - i. एक
 - ii. दो
 - iii. तीन
 - iv. चार

उत्तर :- 1. (i), 2. (iii), 3. (ii), 4. (iii), 5. (iv), 6. (ii)



16. मकड़ी का जाला (व्यंग्य)

डॉ. रामप्रकाश सक्सेना

NOTES

लेखक परिचय :- हिन्दी साहित्य जगत में डॉ. रामप्रकाश सक्सेना का नाम अग्रणी है। बचपन से ही रामप्रकाश सक्सेना को पुस्तकों के प्रति रूचि थी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर, प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ उन्होंने दी।

समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, रीतिरिवाजों, अंधविश्वासों और दिखावटी व्यवहार पर तीखा प्रहार करने का कार्य रामप्रकाश सक्सेना अपनी रचनाओं के द्वारा करते हैं। उन्होंने “भाषा का व्याकरण” नामक पुस्तक लिखी जिसने हिन्दी भाषा को और अधिक विकसित करने में अहम् भूमिका अदा की।

2015 में सेवा निवृत्त होने पर वे वर्षा हिन्दी शब्दकोश के सम्पादक नियुक्त हुए। वर्तमान में हिन्दी भाषा के विकास व वृद्धि हेतु वे अपनी सेवाएँ सतत दे रहे हैं।

पाठ का सारांश :- डॉ. रामप्रकाश सक्सेना द्वारा रचित “मकड़ी का जाला” हमारे देश के शासकीय विभागों जैसे मेडिकल कालेज, सरकारी इमारतों की व्यवस्था पर किया गया करारा व्यंग्य है।

मेडिकल कॉलेज का वार्ड नं: 3 और मकड़ी का जाला :- पाठ में लेखक स्वयं मेडिकल कॉलेज के वार्ड नं. 3 के बेड नं. 28 पर मरीज के रूप में विद्यमान हैं। उसके बेड पर जो राड लगा हुआ है, उस पर एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। लेखक वहाँ मौजूद नर्स से उस जाले को हटाने को कहता है, तो नर्स यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि बेड की सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, जबकि मकड़ी के जाले को हटाने का काम स्वीपर का है, अतः उसी से कहिए। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति झाड़ू लिए रूम में आया, तो लेखक ने उसे स्वीपर समझ मकड़ी का जाला हटाने को कहा। इस पर उसने कहा मैं स्वीपर नहीं फर्माँ हूँ। मेरा काम फर्श की सफाई करना है। आधे घंटे बाद स्वीपर – सा लगना वाला एक अन्य व्यक्ति आया। उसे जब लेखक ने स्वीपर कहकर सम्बोधित किया तो वह नाराज हो गया। वह वहाँ का अटेंडेंट था। इससे वह मरीज, जो लेखक स्वयं था, काफी डर-सा गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ असली स्वीपर आया, तो लेखक ने उससे बड़ी विनम्रता से, मकड़ी के जाले को साफ करने का कहा तो इस पर स्वीपर ने जवाब दिया कि मेरा काम मकड़ी का जाला साफ करना नहीं है। साथ ही वह यह भी सलाह दे गया कि थोड़ी देर में बड़ी सिस्टर राउण्ड पर आयेगी, वह ओवर ऑल इंचार्ज है, आप उनसे कहना। इस प्रकार शिकायत के इसी क्रम में सारा दिन निकल गया। पर कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। शाम होने लगी। रात आ गई पर जाला छुटाने कोई न आया।

लेखक के पत्रकार मित्र का आना :- अगले दिन लेखक का हाल – चाल पूछने उनका एक पत्रकार मित्र आया। लेखक ने सारी बातें उन्हें बताईं। फिर क्या था, अगले दिन शहर के लगभग सभी अखबारों में यह खबर छप गई। यही नहीं, एक अखबार ने इस बात पर सम्पादकीय ही प्रकाशित कर दिया, जिसका शीर्षक था – “हमारे प्रजातन्त्र की नौकरशाही में ही मकड़ी का जाला लग गया है।”

मेडिकल कॉलेज में हड़कम्प :- लेखक के मित्र के द्वारा प्रकाशित समाचार पूरे मेडिकल कॉलेज में फैल गया। फलस्वरूप सुपरिण्टेंडेंट को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया गया। जब सुपरिण्टेंडेंट ने वार्ड नं. 3 के हाउस सर्जन को जिम्मेदार ठहराना चाहा, तब उसने सफाई में कहा, “सर, यह बेड हमारे यूनिट का नहीं है।”

इस बात पर मीटिंग में तू – तू, मैं – मैं हो गई चूँकि यह राजधानी का मेडिकल कॉलेज था, इसलिए यह सम्पूर्ण राज्य में चर्चा का विषय बन गया। एक विरोधी पक्ष के सदस्य ने इसका फायदा उठाया। उसने विधानसभा में इस घटना पर स्वास्थ्य मन्त्री से वक्तव्य देने को कहा। मन्त्री महोदय ने बताया कि वे शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे और इस संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। समाचार पत्रों में जब यह खबर छपी, तब सुपरिण्टेंडेंट महोदय को पुनः इस घटना पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी। मीटिंग में सुपरिण्टेंडेंट ने इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और लोगों से सुझाव माँगे। काफी विचार – विमर्श के बाद भी जब कोई नतीजा नजर नहीं आया, तब सुपरिण्टेंडेंट महोदय ने खीजकर कहा, “मकड़ी का जाला मैं ही हटा दूँगा।” इस बात पर सुपरिण्टेंडेंट के एक चमचे को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, “सर, आप चिन्ता न करें, मकड़ी का जाला मैं हटा दूँगा” इस कथन पर एक नर्स ने, जिसका रिकार्ड बहुत खराब था और जिसका प्रमोशन

ड्यू था, यह सोचा कि एक ऐसा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही उस नर्स ने मधुर स्वर में घोषणा की, “आप डॉक्टरों को यह शोभा नहीं देता। इस कार्य को करने के लिए आप मुझे अवसर दीजिए। यदि आप आज्ञा दे, तो मैं अभी यह कार्य करके आती हूँ।”

एक जूनियर डॉक्टर ने, जो उस सुन्दर नर्स पर मरता था, सोचा कि क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाये। अतः उसने सुपरिटेण्डेंट से कहा, “सर, आप इनको तकलीफ मत दीजिए। यह काम मैं कर दूँगा।” सुपरिटेण्डेंट उस जूनियर डॉक्टर के मन की बात भाँप गया, इसलिए उसने इस विचार से कि यहाँ डॉक्टर की दाल न गलने दी जाए, यह निर्णय लिया – “क्योंकि इस काम को करने की पहल सिस्टर निर्मल ने की है, अतः यह अवसर उन्हीं को प्रदान किया जाये।” सुपरिटेण्डेंट का अन्तिम वाक्य समाप्त होते ही नर्स मीटिंग से उठ ली और वार्ड नं. 3 की ओर चल दी।

लेखक द्वारा 2 रूपये में जाला हटवाना : जाला हटाने के लिए :- लेखक ने फर्शाश से कहा कि मकड़ी का जाला तुम हटा दो, मैं तुम्हें दो रूपये दूँगा। यह सुनकर फर्शाश खुश होकर जाले को हटाने वाला ही था कि स्वीपर दो रूपये वाली बात सुनकर फर्शाश को धक्का देकर स्वयं जाला हटाने आगे बढ़ा। इसमें उन दोनों में गुत्थमगुत्था हो गई। यह सब देख एक अटेंडेंट ने मरीज से कहा आप मुझे सिर्फ एक रूपया ही दे देना, और यह कहकर उसने मकड़ी का जाला हटा दिया गया।

मेडीकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री का आगमन :- वार्ड में हुए गुत्थमगुत्थी जैसी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सुपरिटेण्डेंट ने पुनः मीटिंग बुलाई। जब वह मीटिंग चल रही थी, तभी सुपरिटेण्डेंट को स्वास्थ्य मंत्री के सचिव का फोन मिला कि मन्त्री महोदय ने नगर के पत्रकारों के समक्ष यह घोषणा की है कि कल अस्पताल का दौरा करेंगे और इस गांधी सप्ताह में सफाई-अभियान के अन्तर्गत मकड़ी का जाला वह स्वयं आकर अपने हाथ से साफ करेंगे। उनके साथ कुछ पत्रकार तथा फोटोग्राफर भी होंगे। आप मकड़ी का जाला ज्यों का त्यों लगा रहने दीजिए। जब सुपरिटेण्डेंट ने सचिव का यह कथन मीटिंग में सुनाया तब चिन्ता होने लगी कि मकड़ी का जाला तो पहले ही हटा दिया गया है, फिर मन्त्री महोदय अब क्या हटायेंगे? तब उसी अटेंडेंट को मकड़ी का एक दूसरा जाला उसी स्थान पर पुनः लगाना पड़ा।

रातभर मकड़ी का जाला अपने भाग्य को सराहता हुआ मन्त्री महोदय के कर-कमलों का इन्तजार करता रहा और नासमझी का उपहास भी। दूसरे दिन प्रातः मन्त्री महोदय के आगमन की सभी तैयारियाँ मेडिकल कॉलेज में कर ली गई। ऐन मौके पर सुपरिटेण्डेंट साहब को मन्त्री महोदय के सचिव द्वारा फोन पर यह सूचना मिली, “खेद है कि मन्त्री महोदय आज न आ सकेंगे। उनके चुनाव क्षेत्र में सूखा-ग्रस्त इलाके का दौरा करने हेलिकॉप्टर से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अतः मन्त्री महोदय भी उनके साथ दौरे पर रहेंगे।” मन्त्री महोदय के अगले दौरे का इन्तजार करता हुआ, मकड़ी का जाला जहाँ था, वही है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाएँ।

- ‘मकड़ी का जाला’ व्यंग्य का मरीज किस बीमारी से पीड़ित था।
 - मलेरिया
 - सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस
 - एड्स
 - टी.बी
- मंत्री ने मकड़ी के जाले को हटाने के लिए कौन - सा सप्ताह चुना था।
 - स्वच्छता सप्ताह
 - गाँधी सप्ताह
 - पर्यावरण सप्ताह
 - साक्षरता सप्ताह
- “मकड़ी का जाला” पाठ में लेखक किस वार्ड में थे।
 - वार्ड नं. 1
 - वार्ड नं. 2
 - वार्ड नं. 3
 - वार्ड नं. 4

NOTES

4. 'मकड़ी का जाला' व्यंग्य रचनाकार है।

i. श्रीलाल शुक्ल

ii. रवीन्द्रनाथ त्यागी

iii. रामप्रकाश सक्सेना

iv. शरद जोशी

5. मकड़ी के जाले की खबर अखबार में छपने पर विधानसभा में किस मंत्री से वक्तव्य देने की माँग की गई।

i. समाज कल्याण मंत्री

ii. रक्षा मंत्री

iii. स्वास्थ्य मंत्री

iv. वन मंत्री

उत्तर :- 1. (ii), 2. (ii), 3. (iii), 4. (iii), 5. (iii)

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. लेखक का संक्षिप्त में परिचय दीजिए।
2. लेखक ने मकड़ी का जाला हटाने के लिए किन - किन लोगो से कहा।
3. मेडिकल कॉलेज में हड़कम्प क्यों मच गया।
4. लेखक ने 2 रूपये में किस प्रकार जाला हटवाया।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. 'मकड़ी का जाला' पाठ में व्यक्त व्यंग्य को स्पष्ट करो।
2. मकड़ी के जाले को फिर से लगाने की जरूरत क्यों पड़ी।



17. वाक्य-संरचना : तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी

वाक्य संरचना : विराम चिन्ह - वाक्य, यह किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों का सहारा लेकर वाक्य में पूर्ण करते हैं। अतः भाषा में वाक्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

वाक्य की परिभाषा :- 'वर्ण' से शब्द और 'शब्द' से वाक्य बनते हैं। वाक्य के लिये उचित शब्द चयन, शब्दों की सार्थकता और उनकी क्रमबद्धता आवश्यक हैं। इस प्रकार वाक्य सार्थक और उचित शब्दों का समूह है जो व्याकरण से आबद्ध है। अथवा "वाक्य वह शब्द समूह है जिससे किसी विचार, भाव या बात का पूरा-पूरा अर्थ प्रकट हो।" अतः वाक्य की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है- "मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों का वह समूह, जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारधाराओं और भावनाओं का दिग्दर्शन हो, वह वाक्य कहलाता है।" वाक्य अर्थ और भाव दोनों का समन्वित रूप है। क्योंकि उनके होने पर ही वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक तक अपनी बात पहुँचाते हैं।

वाक्य संरचना की प्रकृति :- हिन्दी वाक्य रचना के लिये कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। कर्म वाक्य को स्पष्ट कर देता है। अतः वह भी आवश्यक अंग है। इस प्रकार 'कर्ता', 'कर्म' और 'क्रिया' मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे- मुझे मुम्बई से एक तार आया आदि।

अच्छे वाक्य के लक्षण :-

1. वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिये।
2. उसमें वक्ता या लेखक का आशय स्पष्ट होना आवश्यक है।
3. उसका एक ही अर्थ होना चाहिए।
4. उसमें अनावश्यक और अस्पष्ट शब्द नहीं होने चाहिये।
5. उसमें सार्थक शब्द होना चाहिये।
6. अच्छे वाक्य में बिना अर्थ बदले शब्दों का स्थान नहीं बदला जा सकता है।
7. वाक्य में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिये।
8. वाक्य पूर्ण होना चाहिये और वह समर्थ होना चाहिये।

वाक्य के प्रकार :- रचना या रूप के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं।

1. सरल वाक्य, 2. मिश्र या मिश्रित वाक्य, 3. संयुक्त वाक्य

1. **सरल वाक्य** :- जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे 'साधारण या सरल वाक्य' कहते हैं। इसमें एक 'उद्देश्य' और एक 'विधेय' रहते हैं। जैसे- 'बिजली चमकती है', 'पानी बरसा'। इन वाक्यों में एक-एक उद्देश्य, अर्थात् कर्ता और विधेय, अर्थात् क्रिया है। अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं।

उदाहरण: रमेश महाविद्यालय जाता है, बालक पुस्तक पढ़ता है।

2. **मिश्र वाक्य** :- जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएँ हों, उसे 'मिश्र वाक्य' कहते हैं। जैसे- 'वह कौन-सा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो'। 'मिश्र वाक्य' के 'मुख्य उद्देश्य' और 'मुख्य विधेय' से जो वाक्य बनता है, उसे 'मुख्य उपवाक्य' और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को 'मुख्य वाक्य' और दूसरे को 'सहायक वाक्य' भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है, उसमें 'वह कौन-सा मनुष्य है' मुख्य वाक्य है और शेष 'सहायक वाक्य', क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है।

NOTES

3. **संयुक्त वाक्य** :- जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे 'संयुक्त वाक्य' कहते हैं। 'संयुक्त वाक्य' उस वाक्य-समूह को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लम्बे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे- 'मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरन्त डॉक्टर को बुलाना पड़ा।' इस लम्बे वाक्य में संयोजक 'और' है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। इसी प्रकार 'मैं आया और वह गया' इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक 'और' है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतन्त्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में 'समानाधिकरण उपवाक्य' भी कहते हैं।

अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं-

1. **विधिवाचक वाक्य** :- जिससे किसी बात के होने का बोध हो।
जैसे-
सरल वाक्य - हम खा चुके।
मिश्र वाक्य - मैं खाना खा चुका, तब वह आया।
संयुक्त वाक्य - मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई।
2. **निषेधवाचक वाक्य** :- जिससे किसी बात के न होने का बोध हो।
जैसे-
सरल वाक्य - हमने खाना नहीं खाया।
मिश्र वाक्य - मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया।
संयुक्त वाक्य - मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी।
3. **आज्ञावाचक वाक्य** :- जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो।
जैसे- तुम खाओ। तुम पढ़ो।
4. **प्रश्नवाचक वाक्य** :- जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो।
जैसे- क्या तुम खा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है?
5. **विस्मयवाचक वाक्य** :- जिससे आश्चर्य, दुःख या सुख का बोध हो।
जैसे- ओह! मेरा सिर फटा जा रहा है।
6. **सन्देहवाचक वाक्य** :- जिससे किसी बात का सन्देह प्रकट हो।
जैसे- उसने खा लिया होगा। मैंने कहा होगा।
7. **इच्छावाचक वाक्य** :- जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो।
जैसे- तुम अपने कार्य में सफल रहो।
8. **संकेतवाचक वाक्य** :- जहाँ एक वाक्य दूसरे की सम्भावना पर निर्भर हो
जैसे- पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊँ।

विराम-चिन्ह :- कवि बिहारी ने कहा है।

“कहत नरत रीझत खिझत, मिलत, खिलत, जियात।

करे-मौन में करत हैं, नैननि ही सौँ बात ॥”

इसमें नायक का नायिका से प्रणय प्रस्ताव, नायिका का अस्वीकार, उस इंकार पर नायक का रीझना, परस्पर प्रसन्न होना, लज्जा आना आदि क्रियाओं को स्पष्ट अर्थ खुलने में दोहे की प्रथम पंक्ति में आए अल्प विरामों का महत्व दर्शनीय है।

भाषा की अभिव्यक्ति सपाट नहीं होती। व्यक्ति निरक्षर ही क्यों न हो, भावों के उतार-चढ़ाव का प्रकटन उसकी अभिव्यक्ति में होता है, परंतु लिखते समय यह उतार-चढ़ाव विरामचिन्हों से आता है।

विरामचिन्हों की आवश्यकता :- 'विराम' का शाब्दिक अर्थ होता है, ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं-न-कहीं रूकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते-करते थक जाते हैं, तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है।

लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यों ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रूकता है, ठहरता है और पूरा (पूर्ण) विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक-जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखनकार्य में भी विरामचिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए, तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक-दूसरे से उलझ जाएँगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भाव-बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विरामचिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश यह कि वाक्य के सुन्दर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विरामचिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। प्रत्येक विरामचिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक-एक पड़ाव है, उसके ठहराव का संकेत स्थान है।

विरामचिन्हों के प्रकार :- हिन्दी में जिन विराम-चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे इस प्रकार हैं।

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. पूर्ण विराम | (।) |
| 2. अल्पविराम | (,) |
| 3. अर्द्धविराम | (;) |
| 4. योजक चिन्ह | (-) |
| 5. प्रश्नसूचक चिन्ह | (?) |
| 6. विस्मयादिसूचक चिन्ह | (!) |
| 7. उद्धरण चिन्ह | (" ") |
| 8. संक्षेप चिन्ह | (0.) |
| 9. कोष्ठक | (), { }, [] |
| 10. निर्देशक | (-) |
| 11. विवरण चिन्ह | (:-) |
| 12. लोपसूचक या स्थानपूरक चिन्ह | (xxx) |
| 13. हंस-पद, त्रुटिसूचक या परिवर्द्धनसूचक चिन्ह | (^) |
| 14. तुल्यतासूचक | (=) |
| 15. पुनरुक्तिसूचक चिन्ह | (") |
| 16. पाद-टिप्पणी या टिप्पणीसूचक चिन्ह | (* , † , ‡ , § , ? , ¶ .) |
| 17. समाप्तिसूचक चिन्ह | (-x-; :0:-) |
| 18. विशिष्ट चिन्ह | (+) |
| 19. रेखांकन चिन्ह | (.....) |
| 20. तिर्यक रेखा चिन्ह | (/) |
| 21. व्युत्पादक चिन्ह | (>) |

NOTES

1. **पूर्णविराम (।):-** यह चिन्ह (।) वाक्य के अंत में आता है। पूर्णविराम का अर्थ है, पूरी तरह रूकना या ठहरना सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अन्तिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएँ, पूर्णविराम का प्रयोग होता है जैसे-

यह हाथी है। वह लड़का है। मैं आदमी हूँ। तुम जा रहे हो।

NOTES

इन वाक्यों में सभी एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। सबके विचार अपने में पूर्ण हैं ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अन्त में पूर्णविराम लगाना चाहिए। संक्षेप में, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्णविराम का प्रयोग होता है।

कभी-कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय, वाक्यांशों के अन्त में पूर्णविराम का प्रयोग होता है। जैसे- गोरा रंग। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक। नाक की सोध में ऊपर के ओठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल। सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे। कानों के पास बालों में कुछ सफेदी। पानीदार बड़ी-बड़ी आँखें। चौड़ा माथा। बाहर बन्द गले का लम्बा कोट

2. **अर्द्धविराम (;):-** अर्द्धविराम एक पूर्णवाक्य के अंश में प्रयुक्त होता है। एक भाव या विचार की पूर्णाहुति एक वाक्य के रूप में होती है और उस भाव या विचार की पुष्टि में अंशिक या अनुषंगिक तौर पर जब किसी वाक्यांश की संरचना होती है तब अर्द्धविराम का प्रयोग किया जाता है।

उदारहण आदमी अपने कार्डियोग्राम या एक्सरे को टालता रहता है; कहीं कुछ खराबी निकल आई तो रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा पड़ेगी; चिकित्सक जो कहेगा वह स्वीकारना होगा।

अर्द्धविराम का एक अन्य प्रयोग अनेक उपाधियों के उल्लेख में भी होता है, जैसे एम.ए., पीएच-डी., डी.लिट. आदि।

एक शब्द के एक से अनेक अर्थ लिखने में की अर्द्धविराम का प्रयोग होता है।

जैसे- कलहंस; राजहंस; श्रेष्ठ राजा; ब्रम्हा; परमेश्वर; एक रागिनी;

3. **अल्पविराम (,):-** हिन्दी में प्रयुक्त विरामचिह्नों में अल्पविराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अतएव, इसके प्रयोग के सामान्य नियम जान लेने चाहिए। 'अल्पविराम' का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रूकना या ठहरना। हर लेखक को अपनी विभिन्न मनोदशाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ मनोदशाएँ ऐसी हैं, जहाँ लेखक को अल्पविराम का उपयोग करना पड़ता है। ये अनिवार्य दशाएँ हैं। कुछ मनोदशाएँ ऐसी हैं, जहाँ अल्पविराम का उपयोग वर्जित है। हमें इन्हीं तीन स्थितियों को ध्यान में रखकर अल्पविराम के व्यवहार पर विचार करना चाहिए। अल्पविराम के प्रयोग की निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं-

1. वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों, पंदाशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय 'और' की गुंजाइश हो, तब वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे-

पदों में - राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारें।

वाक्यों में - वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है।

अंग्रेजी में 'और' (and) के पहले भी अल्पविराम (,) का प्रयोग, एक विशेष स्थिति में, होता है। इसके लिए नियम यह है कि जब दो बड़े वाक्यांशों (clauses) अथवा दो बड़े पंदाशों (phrases) को 'and' जोड़ता तो तब 'and' के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे-

He entered the room, locked the room, and seated himself at the desk.

हिन्दी में अंग्रेजी के इस विराम-सम्बन्धी नियम की पाबन्दी आवश्यक नहीं है। फिर भी, कुछ लेखक 'और' के पहले अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं।

2. जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उनपर विशेष बल दिया जाए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे-

वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है।

सुनो, सुनो वह गा रही है।

यदि ये बातें नाटकीय ढंग से कहीं जाएँ, तो अल्पविराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जा सकता है। जैसे-

3. यदि वाक्य में कोई अन्तर्वर्ती पदांश या वाक्यखण्ड आ जाए, तो अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे-

श्री रमणलाल देसाई के युग का ग्रामसेवक, जेल में गया हुआ सत्याग्रही कहानी-लेखक, अब कहाँ है ?

क्रोध, चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को दुर्बल बनाता है।

उपन्यास की सम्भावनाएँ अब क्या हैं और विशेषकर मेरे लिए कितनी क्या हो सकती है, यह नहीं जनता।

सेठ फूलचन्द, चारों बेटों के नाम, कुल 12,000 रूपए छोड़ गए थे।

इस प्रकार के अन्तर्वर्ती उपवाक्यखण्डों में अल्पविराम का प्रयोग प्रायः अँग्रेजी की वाक्य-रचना का प्रभाव लिए होता है। हिन्दी-कथासाहित्य में आज इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है।

4. **योजक चिन्ह (-)** :- हिन्दी में अल्पविराम के बाद योजक (-) का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर इसके दुष्प्रयोग भी कम नहीं हुए। हिन्दी-व्याकरण की पुस्तकों में इसके प्रयोग के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा गया है। अतः, इसके प्रयोग की विधियाँ स्पष्ट नहीं होतीं। परिणाम यह है कि हिन्दी के लेखक इसका मनमाना व्यवहार करते हैं। हिन्दी के विद्वानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मेरा विवेचन एक विनीत प्रयासमात्र है।

योजक चिन्ह की अपनी उपयोगिता है और शब्दों के निर्माण में इसका बड़ा महत्त्व है। किन्तु, हिन्दी में इसके प्रयोग के नियम निर्धारित नहीं है, इसलिए हिन्दी के लेखक इस ओर पूरे स्वच्छन्द हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिन्दी-गद्य के नए विकसित रूपों के आधार पर ही योजक चिन्ह की प्रयोगविधि निर्धारित की जानी चाहिए। पुराने गद्य में तो इसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। मैंने योजक चिन्ह के प्रयोग के निम्नलिखित नियम स्थिर किए हैं-

1. योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहता है।

जैसे- माता-पिता, लड़का-लड़की, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य इत्यादि। इन उदाहरणों से यह नियम इस प्रकार बनाया जा सकता है कि जिन पदों के दोनों खण्ड प्रधान हों और जिनमें 'और' अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे-

घर-द्वार-घर और द्वार, दाल-रोटी-दाल और रोटी, दही-बड़ा-दही और बड़ा, सीता-राम-सीता और राम, फल-फूल-फल और फूल।

2. दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है।

जैसे- ऊपर-नीचे, लेन-देन, माता-पिता, रात-दिन, आकाश-पाताल, पाप-पुण्य, स्त्री-पुरुष, भाई-बहन, देर-सबेर, आगा-पीछा, बेटा-बेटी, ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, शुभ-अशुभ, लघु-गुरु, विरह-मिलन, स्वर्ग-नरक, जय-पराजय, देश-विदेश, झूठ-सच, जन्म-मरण, जड़-चेतन, योगी-भोगी, हानि-लाभ, मानव-दानव।

3. द्वन्द्वसमास में कभी-कभी ऐसे पदों का भी प्रयोग होता है, जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। ये पद बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये 'एकार्थबोधक सहचर शब्द' कहलाते हैं। जैसे-

मान-मर्यादा, हाट-बाजार, दीन-दुखी, बल-वीर्य, मणि-माणिक्य, सेठ-साहूकार, सड़ा-गला, भूल-चूक, रूपया-पैसा, देव-पितर समझ-बूझ, सम्बन्ध-सम्पर्क, भोग-विलास, हिसाब-किताब, भूत-प्रेत, चमक-दमक, जी-जान, साग-पात, वाल-बच्चा, मार-पीट, कौल-करार, शोर-गुल, धूम-धाम, हँसी-खुशी, चाल-चलन, कपड़ा-लत्ता, बरतन-बासन, जीव-जन्तु, कूड़ा-कचरा, नौकर-चाकर, सजा-धजा, नपा-तुला।

NOTES

4. जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, वहाँ योजक चिन्ह लगता है।
जैसे-लूला-लँगड़ा, भूखा-प्यासा, अन्धा-बहरा।
5. जब दो शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, तब वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- परमात्मा-अरमात्मा, उलटा-पुलटा, अनाप-शनाप, रोटी-वोटी, खाना-वाना, पानी-वानी, झूठ-मूठ।
6. जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएँ एक साथ प्रयुक्त हों, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है।
जैसे- पढ़ना-लिखना, उठना-बैठना, मिलना-जुलना, मारना-पीटना, खाना-पीना, आना-जाना, करना-धरना, दौड़ना-धूपना, मरना-जीना, कहना-सुनना, समझना-बूझना, उठना-गिरना, रहना-सहना, सोना-जागना।
7. क्रिया की मूलधातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
जैसे- उड़ना-उड़ाना, चलना-चलाना, गिरना-गिराना, फैलना-फैलाना, पीना-पिलाना, ओढ़ना-उढ़ाना, सोना-सुलाना, सीखना-सिखना, लेटना-लिटाना।
8. दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- डराना-डरवाना, भिंगाना-भिंगवाना, जितना-जितवाना, चलाना-चलवाना, कटाना-कटवाना, करना-करवाना।
9. जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो, तब संज्ञाओं के बीच योजक चिन्ह लगता है। इसे 'द्विरुक्ति' कहते हैं।
जैसे- गली-गली, नगर-नगर, द्वार-द्वार, गाँव-गाँव, शहर-शहर, घर-घर, कोना-कोना, चप्पा-चप्पा, कण-कण, बूँद-बूँद, राम-राम, वन-वन, बात-बात, बच्चा-बच्चा, रोम-रोम।
10. परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रियाविशेषण में प्रयुक्त दो अव्ययों तथा 'ही', 'से', 'का', 'न' आदि के बीच योजक चिन्ह का व्यवहार होता है।
जैसे- बहुत-बहुत, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-बहुत, कम-कम, कम-बेश, धीरे-धीरे, जैसे-तैसे, आप-ही-आप, बाहर-भीतर, आगे-पीछे, यहाँ-वहाँ, अभी-अभी, जहाँ-तहाँ, आप-से-आप, ज्यों-का-त्यों, कुछ-न-कुछ, ऐसा-वैसा, जब-तब, तब-तब, किसी-न-किसी, साथ-साथ।
11. निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे-
दो-चार, एक-एक, एक-दो, चार-चार, नौ-छह, दस-बारह, दस-बीस, पहला-दूसरा, चौथा-पाँचवाँ।
12. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब 'सा', 'से' आदि जोड़े जाएँ, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- बहुत-सी बातें, कम-से-कम, बहुत-से लोग, बहुत-सा रूपया, अधिक-से-अधिक, थोड़ा-सा काम।
13. गुणवाचक विशेषण में भी 'सा' जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- बड़ा-सा पेड़, बड़े-से-बड़े लोग, ठिगना-सा आदमी।
14. जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता, तब उस पद के साथ 'सम्बन्धी' पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है।
जैसे- भाषा-सम्बन्धी चर्चा, पृथ्वी-सम्बन्धी तत्त्व, विद्यालय-सम्बन्धी बातें, सीता-सम्बन्धी वार्ता।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन शब्दों के विशेषणपद बन चुके हैं या बन सकते हैं, वैसे शब्दों के साथ 'सम्बन्धी' जोड़ना उचित नहीं। यहाँ 'भाषा-सम्बन्धी' के स्थान पर 'भाषागत' या 'भाषिक' या 'भाषाई' विशेषण लिखा जाना चाहिए। इसी तरह, 'पृथ्वी-सम्बन्धी' के लिए 'पार्थिव' विशेषण लिखा जाना चाहिए। हाँ, 'विद्यालय' और 'सीता' के साथ 'सम्बन्धी' का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन दो शब्दों के विशेषणरूप प्रचलित नहीं हैं। आशय यह कि सभी प्रकार के शब्दों के साथ 'सम्बन्धी' जोड़ना ठीक नहीं।

15. जब दो शब्दों के बीच सम्बन्धकारक के चिन्ह- का, के और की-लुप्त या अनुक्त हों, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम सन्धि या समास के नियमों से अनुशासित नहीं कर सकते। इनके दोनों पद स्वतन्त्र होते हैं।

जैसे- शब्द-सागर, लेखन-कला, शब्द-भेद, सन्त-मत, मानव-जीवन, मानव - शरीर, लीला-भूमि, कृष्ण-लीला, विचार-श्रृंखला, रावण-वध, राम-नाम, प्रकाश-स्तम्भ।

16. लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अन्त में पूरा न लिखा जा सके, तो उसके पहले आधे खण्ड को पंक्ति के अन्त में रखकर उसके बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसी हालत में शब्द को 'शब्दखण्ड' या 'सिलेबुल' या पूरे 'पद' पर तोड़ना चाहिए। जिन शब्दों के योग में योजक चिन्ह आवश्यक है, उन शब्दों को पंक्ति में

5. **प्रश्नवाचक चिन्ह (?):-** यह प्रश्नसूचक वाक्य की समाप्ति पर वाला चिन्ह है। इस चिन्ह का आशय कथन में जिज्ञासा या प्रश्न की भावना और उत्तर की अपेक्षा या सम्भावना में निहित है।

क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि पदों के साथ अक्सर पर चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे-

विश्राम कहाँ जीवन में?

क्यों हाहाकार स्वर्गों में?

तुम कौन हो?

इस प्रकार प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाची (जिज्ञासा युक्त) सामान्य कथनों, स्थिति की अनिश्चितता, व्यंग्य तथा कभी-कभी शाश्वत नीति कथनों में भी होता है। सामान्यतया इन चिन्हों का प्रयोग जिज्ञासा और शंकाओं को व्यक्त करने में ही होता है।

6. **विस्मयादि बोधक चिन्ह: (!):-** इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में होता है।

1. आल्हादसूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अन्त में इसका प्रयोग होता है। जैसे-वाह ! तुम्हारे क्या कहने।

2. अपने से बड़े को सादर सम्बोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे- हे राम ! तुम मेरा दुःख दूर करो। हे ईश्वर ! सबका कल्याण हो।

3. जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएँ और सद्भावनाएँ प्रकट की जाएँ। जैसे- भगवान तुम्हारा भला करे ! तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश ! वाह ! कितना अच्छा गीत गाया तुमने !

दृष्टव्य- विस्मयादिबोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता।

7. **उद्धरणचिन्ह (" "):-** उद्धरणचिन्ह के दो रूप हैं- इकहरा (' ') और दुहरा (" ")।

1. जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दुहरे उद्धरणचिन्ह का प्रयोग होता है और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य-खण्ड इत्यादि उद्धृत किए जाएँ, वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे-

"जीवन विश्व की सम्पत्ति है।"-जयशंकर प्रसाद

'कामायनी' की कथा संक्षेप में लिखिए।

NOTES

NOTES

2. पुस्तक, समाचारपत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इन्हें उद्धरणचिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

- * 'निराला' पागल नहीं थे।
- * 'किशोर-भारती' का प्रकाशन हर महीने होता है।
- * 'जुही की कली' का सारांश अपनी भाषा में लिखो।
- * सिद्धराज 'पागल' एक अच्छे कवि है।
- * 'प्रदीप' एक हिन्दी दैनिक पत्र है।

3. महत्त्वपूर्ण कथन, कहावत, सन्धि आदि को उद्धृत करने में दुहरे उद्धरणचिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

भारतेन्दु ने कहा था- "देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए"।

8. **कोष्ठक चिह्न ()**:- कोष्ठक चिह्नों (), { }, [] का प्रयोग क्रम बताने, अर्थ स्पष्ट करने, नाटक में अभिनय के भाव प्रकट करने संक्षिप्त पदों और वाक्यों के साथ किया जाता है।

जैसे-(i) उन दिनों श्री (अब डॉक्टर) रामनाथ अध्यापक थे।

(ii) प्रताप - (क्रोध से) नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।

(iii) अ- [व+स(द+य)र]

9. **निदेशक चिह्न :-** निदेशक चिह्न (-) का प्रयोग किसी वाक्य में निहित वाक्यों के स्पष्टीकरण के लिये किया जाता है।

जैसे- कौन-कौन लोग आयेंगे-समझ में नहीं आता है।

10. **विवरण चिह्न (colon&Dash) :-**विवरण चिह्न (:-) का प्रयोग किसी वाक्य में क्रमबद्ध लिखी जाने वाली वस्तुओं की सूचना के सन्दर्भ में किया जाता है। इसे आदेश चिह्न भी कहते हैं। जैसे-सन्धि के तीन भेद हैं:-1. स्वर सन्धि, 2. व्यंजन सन्धि और 3. विसर्ग संधि

11. **व्युत्पादक चिह्न (>)** : इसका विवरण उपशीर्ष क्रम 10 के अंतर्गत समाहित है। व्युत्पादक चिह्न (>) और निर्देशक चिह्न के प्रयोग में कोई मौलिक भेद नहीं है

12. **संक्षिप्त सूचक चिह्न (.)** :- लाघव या संक्षेपसूचक चिह्न (0,.) का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है, जहाँ किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है।

जैसे-डॉक्टर-डॉ:स्वर्गीय-स्व.।

13. **हंसपद चिह्न (^)** :- वाक्य लिखते समय भूलवश कोई पद छूट जाता है, तो हंसपद (^) का प्रयोग किया जाता है। यथा जीवन एक महासमर है ^ जिसमें अनेक उतार - चढ़ाव आते रहते हैं।

14. **पुनरुक्तिसूचक चिह्न :-** जब किसी बात को ज्यों - का - त्यों दुहराकर लिखने की आवश्यकता होती है, तब उसे दोबारा लिपिबद्ध न कर इस चिह्न (,, ,,) के सहारे उसकी पुनरुक्ति का बोध कराया है, यथा :-

श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन.....।

"" "" "" ""

15. **लोपसूचक चिह्न :-** जब किसी कथन को संक्षेप में लिखने की स्थिति बनती है, तब लोपसूचक चिह्न (.....) का प्रयोग किया जाता है। कथन के लोप करने की कुछ घोषित स्थितियाँ हैं, यथा:-

(क) किसी सन्दर्भ संकेत के लिए :- तुलसी जी ने अव लौ नसानी

(ख) फूहड़ और वर्जित शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए :- वह मोटी गाली देते हुए बोला मार को।'

(ग) किसी बड़े कथन या दृष्टान्त को लिखने के लिए भी इसका उपयोग होता है।

16. **तुल्यतासूचक चिन्ह :-** (=) जब दो पदों में अर्थ बोध की समता दिखाई जाती है, तब तुल्यतासूचक (=)चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यथा :-शुभ = अच्छा, अशुभ = बुरा, हिम - आलय = हिमालय आदि।

17. **पाद - टिप्पणी चिन्ह :-** पृष्ठांकित विवरण में आए किसी प्रसंग या संदर्भ को विस्तार से उद्घाटित करने के लिए पाद - टिप्पणी चिन्ह (*) का प्रयोग किया जाता है।

18. **सम्बोधनसूचक चिन्ह :-** विस्मयादिबोधक चिन्ह के अंतर्गत इसका विवरण आ चुका है। यों जब किसी को नाम, सम्बंध, पद या किसी आदरसूचक सम्बोधन दिया जाता है, तब इस चिन्ह (!) का प्रयोग किया जाता है।

19. **समाप्तिसूचक चिन्ह :-** किसी भी विवरण, अनुच्छेद चिन्ह (xxx)या (....) या () या (--0--) का उपयोग किया जाता है।

शब्द रचना :- तत्सम, तद्भव, देराज, विदेशी

NOTES

शब्द रचना

हिन्दी भाषा में शब्दों की दुनियाँ भी बड़ी रोचक है। एक - एक शब्द अपने पीछे लम्बी परम्परा लिए हुए होता है। किसी भी शब्द के निर्माण की अनिवार्य शर्त है - एक या अधिक वर्णों का संयोग, इसके साथ उसका कोई - न कोई अर्थ भी होना चाहिए, जैसे घर, कपड़ा, भोजन आदि।

भाषा में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्दों का नहीं। इस प्रकार भाषा की सार्थक लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई कहलाती है। संस्कृत के शब्द का निर्माण धातु एवं प्रत्यय के मेल से होता है। हिन्दी सहित आधुनिक भाषाओं में संस्कृत के कारक चिन्ह प्रायः लुप्त हो गए हैं। हिन्दी में कारक - रचना संयोगात्मक न होकर वियोगात्मक रही है।

उपसर्ग

'उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों (उप + सर्ग) के योग से बना है। 'उप' का अर्थ 'समीप' 'निकट' या 'पास में' है। 'सर्ग' का अर्थ है सृष्टि करना। 'उपसर्ग' का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थवाला शब्द बनाना। 'हार' के पहले 'प्र' उपसर्ग लगा दिया गया, तो एक नया शब्द 'प्रहार' बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ 'मारना'। उपसर्गों का स्वतन्त्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे - 'अन' 'उपसर्ग' 'बन' शब्द के पहले रख देने से एक शब्द 'अनबन' बनता है, जिसका विशेष अर्थ 'मनमुटाव' है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे - 'भ्रमण' शब्द के पहले 'परि' उपसर्ग लगाने से अर्थ में अन्तर न होकर तेजी आई। कभी - कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्द का बिलकुल उलटा अर्थ निकलता है। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियाँ होती हैं-

(1) शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है; (2) शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, (3) शब्द के अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। यहाँ 'उपसर्ग' और 'शब्द' का अन्तर समझ लेना चाहिए। शब्द अक्षरों का एक समूह है, तो अपने में स्वतन्त्र है, अपना अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयुक्त होता है। लेकिन, उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतन्त्र नहीं है और न स्वतन्त्ररूप से उसका प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती, तब तक उपसर्ग अर्थवान् नहीं होता।

संस्कृत में शब्दों के पहले लगनेवाले कुछ निश्चित शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं और शेष को अव्यय। हिन्दी में इस तरह का कोई अन्तर नहीं है। हिन्दी - भाषा में 'उपसर्ग' की योजना व्यापक अर्थ में हुई है।

उपसर्गों की संख्या - हिन्दी में जो उपसर्ग मिलते हैं, वे संस्कृत, हिन्दी और उर्दू - भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या इस तरह निश्चित की गई है : संस्कृत - उपसर्ग - 19; हिन्दी - उपसर्ग- 10; उर्दू - उपसर्ग - 12।

NOTES

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
अति	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यन्त, अत्याचार, अत्युक्ति, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण इत्यादि।
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य	अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि।
अनु	क्रम, पश्चात्, समानता	अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुक्रम, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल, अनुशीलन, अनुवाद इत्यादि।
अप	लघुता, हीनता, अभाव,	अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपयश, अपप्रयोग, विरुद्ध अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष इत्यादि।
अभि	सामीप्य, आधिक्य, ओर,	अभिभावक, अभियान, अभिशाप अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिमान, अभिनव, इच्छा प्रकट करना अभ्युदय, अभ्यागत, अभिमुख, अभ्यास, अभिलाषा इत्यादि।
अव	हीनता, अनादर, पतन,	अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति अवशेष इत्यादि।
आ	सीमा, ओर, समेत, कमी,	आरक्त, आगमन, आकाश, आकर्षण, आजन्म, आरम्भ, आक्रमण, आदान, आचरण, आजीवन विपरीत
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य	अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि।
अनु	क्रम, पश्चात्, समानता	अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुक्रम, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल, अनुशीलन, इत्यादि।
उत्-उद्	ऊपर, उत्कर्ष	उत्तम, उत्कण्ठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उन्नति, उद्देश्य, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, उद्भूत इत्यादि।
उप	निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता	उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपमन्ती, उपवन, उपनाम, उपानाम, उपासना, उपभेद इत्यादि।
दुर - दुस्	बुरा, कठिन, दुष्ट,	दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुर्दमनीय, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुःसाध्य, हीन दुष्माप्य, दुःसह, दुर्गुण, दुर्गम इत्यादि।
नि	भीतर, नीचे, अतिरिक्त	निदर्शन, निकृष्ट, निपात, नियुक्त निवास, निरूपण, निमग्न, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबन्ध इत्यादि।
निर्-निस्	बाहर, निषेध, रहित	निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, निर्जीव, नीराग, निर्मल इत्यादि।
परा	उलटा, अनादर, नाश	पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि।
परि	आसपास, चारों ओर, अति अतिशय, त्याग	परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, पर्याप्त, परिशीलन, परिदोष, परिदर्शन, परिचय इत्यादि।

प्र	अधिक, आगे, ऊपर	प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास, प्रस्थान, प्रलय, यश, प्रमाण, प्रसन्न, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रपंच इत्यादि।
प्रति	विरोध, बराबरी, प्रत्येक,	प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, परिवर्तन, प्रत्युपकार इत्यादि
वि	भिन्नता, हीनता, असमानता,	विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विशेषता विकार, विमुख, विनय, विभिन्न, विनाश इत्यादि।
सम्	पूर्णता, संयोग	संकल्प, संग्रह, सन्तोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृतस, सम्मुख, संग्राम, संसर्ग इत्यादि।
सु	सुखी, अच्छा भाव,	सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुकिव, सुजन, सहज, सुन्दर इत्यादि।
अ - अन	निषेध के अर्थ में	अमोल, अपढ़, अजान, अगाध, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि।
अध	आधे के अर्थ में	अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधपई, अधसेरा इत्यादि।
उन	एक कम	उन्नीस, उनतीस, उनचास, उनसठ, उनहत्तर इत्यादि।
औ	हीनता, निषेध	औगुन, औघट, औसर, औढ़र, इत्यादि।
(अव)		
दु	बुरा, हीन	दुकाल, दुबला आदि।
नि	निषेध, अभावस, विशेष	निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निधड़क, निगोड़ा इत्यादि।
बिन	निषेध	बिनजाना, बिनब्याहा, बिनबोया, बिनदेखा, बिनखाया, बिनचखा, बिनकाम इत्यादि।
भर	पूरा, ठीक	भरपेट, भरसक, भरपूर, भरदिन इत्यादि।
कु - क	बुराई, हीनता	कुखेत, कुपात्र, कुघड़ी, कुकाठ, कपूत, कुढ़ंग इत्यादि।
सु - स	श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में	सुझौल, सुघड़, सुजान, सुपात्र, सपूत, सजग, सगोत्र, सरस, सहित इत्यादि।

उर्दू - उपसर्ग (अरबी - फारसी)

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
अल	निश्चित	अलबत्ता, अलगरज आदि।
कम	हीन, थोड़ा	कमउम्र, कमखयाल, कमसिन इत्यादि।
खुश	श्रेष्ठता के अर्थ में	खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी, इत्यादि।
गैर	निषेध	गैरहाजिर, गैरवाजिब, गैरकानूनी, गैरसरकारी इत्यादि।
दर	में	दरकार, दरमियान, इत्यादि।

NOTES

NOTES

ना	अभाव	नापसन्द, नामुमकिन, नाराज, नालायक, नादान इत्यादि।
बद	बुरा	बदमाश, बदनाम, बदकार, बदकिस्मत, बदबू, बदहजर्म इत्यादि।
बर	ऊपर, पर, बाहर	खास्त, बरदाश्त, बरवक्त इत्यादि।
बिल	साथ	बिलकुल।
बे	बिना	बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेतरह, बेइज्जत इत्यादि।
ला	बिना	लाचार, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता इत्यादि।
हम	बराबर, सम्मान	हमउम्र, हमदर्दी, हमपेशा इत्यादि।

प्रत्यय

शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षरसमूह लगाया जाता है, उसे 'प्रत्यय' कहते हैं। 'प्रत्यय' दो शब्दों से बना है - प्रति + अय 'प्रति' का अर्थ 'साथ में', 'पर बाद में' है और 'अय' का अर्थ 'चलनेवाला' है। अतएव, 'प्रत्यय' का अर्थ है शब्दों के साथ, 'पर बाद में चलनेवाला या लगनेवाला'। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे - 'भला' शब्द में 'आई' प्रत्यय लगाने से 'भलाई' शब्द बनता है। यहाँ प्रत्यय 'आई' है।

प्रत्यय के भेद - मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं - (क) कृत् (ख) तद्धित। इनसे शब्दों की रचना होती है। कृत् और तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को समझने के पहले कृत् और 'तद्धित' को समझ लेना चाहिए।

प्रत्यय के कुछ उदाहरण

शब्द	प्रत्यय	प्रत्यय युक्त शब्द
लड़का	पन	लड़कपन
सुन्दर	ता	सुन्दरता
नौकर	ई	नौकरी
चतुर	आई	चतुराई
टिक	आऊ	टिकाऊ
खेल	आड़ी	खिलाड़ी

कृदन्त

कृदन्त - क्रिया या धातु के अन्त में प्रयुक्त होनेवाले प्रत्ययों को 'कृत्' प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को 'कृदन्त'। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। यहाँ द्रष्टव्य यह है कि हिन्दी में क्रियाओं के अन्त का 'ना' हटा देने पर जो अंश रह जाता है, वही धातु है। जैसे - कहना की कह, चलना की च्लु धातु में ही प्रत्यय लगते हैं।

क्रिया/धातु	कृतप्रत्यय	कृदन्त
होना	हार	होनहार
गाना	वाला	गानेवाला
टिक	आऊ	टिकाऊ
हँस	ओड़	हँसोड़
ख	पत	खपत

तद्धित

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अन्त में लगनेवाले प्रत्यय को 'तद्धित' कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को 'तद्धितान्त'।

जैसे -

मानव + ता = मानवता

अच्छा + आई = अच्छाई

अपना + पन = अपनापन

एक + ता = एकता

सर्वनाम और विशेषण के अन्त में। तद्धित और कृत् - प्रत्यय में यही मूल अन्तर है। उपसर्ग की तरह तद्धित - प्रत्यय भी तीन स्रोतों - संस्कृत, हिन्दी और उर्दू - से आकर हिन्दी - शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। नीचे इनके उदाहरण दिए जाते हैं।

संस्कृत के तद्धित - प्रत्यय

संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं के अन्त में तद्धित - प्रत्यय लगाने से भाववाचक, अपत्यावाचक (नामवाचक) और गुणवाचक विशेषण बनते हैं।

संस्कृत के तद्धित - प्रत्ययों से बने जो शब्द हिन्दी में विशेषतया प्रचलित हैं, उनके आधार पर संस्कृत के ये तद्धित - प्रत्यय हैं - अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इस, इमा, इय, इल, इष्ट, ई, ईन, ईय, उल, एय, क, चित, ठ, तन, तः, त्य, त्र, ता, त्व, था, दा, धा, निष्ठ, म, मान, मय, मी, य, र, ल, लु, वान, वत्, वी, व्य, श, शः, सात् इत्यादि। शब्दांश भी तद्धित - प्रत्ययों के रूप प्रयुक्त होते हैं। ये शब्दांश समास के पद हैं, जैसे- अतीत, अनुरूप, अनुसार, अर्थ, अर्थी, आतुर, आकुल, आद्य, जन्य, शाली, हीन इत्यादि। अर्थ के अनुसार इन प्रत्ययों के प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार हैं -

प्रत्यय	संज्ञा - विशेषण	तद्धितान्त	वाचक
अ	- कुरू	कौरव	- अपत्य
अ	- शिव	शैव	- सम्बन्ध
अ	- निशा	नैश	- गुण, सम्बन्ध
अ	- मुनि	मौन	- भाव
अक	- शिक्षा	शिक्षक	- कर्तृ
आयन	- काती (जुलाहागिरी)	कात्यायन	- कर्तृ
आयन	- राम	रामायण	- स्थान, संज्ञा,
आयन	- बदर	बादरायण	- अपत्य
इक	- तर्क	तार्किक	- जाननेवाला, कर्तृ
इक	- वर्ष	वार्षिक	- गुण
इत	- पुष्प	पुष्पित	- गुण
इम	- अग्र	अग्रिम	- गुण
इमा	- रक्त	रक्तिमा	- भाव
इय	- क्षत्र	क्षत्रिय	- गुण
इल	- तुन्द	तुन्दिल	- गुण
इष्ट	- गुरू	गरिष्ठ	- गुण
ई	- पक्ष	पक्षी	- गुण

NOTES

NOTES

ईन	-	कुल	कुलिन	-	गुण
ईय	-	पाणिनि	पाणिनीय	-	सम्बन्ध
उल	-	मातृ	मातुल	-	सम्बन्ध
एय	-	कुन्ती	कौन्तेय	-	अपत्य
एय	-	पुरूष	पौरुषेय	-	गुण, सम्बन्ध
क	-	बाल	बालक	-	ऊन
क	-	दर्श	दर्शक	-	समाहार
चित्	-	कदा	कदाचित्	-	अनिश्चय
ठ	-	कर्म	कर्मठ	-	कर्तृ
शब्द	-	रचना	तन	-	अद्य
अद्यतन	-	काल-सम्बन्ध	तः	-	अंश
अंशतः	-	रीति			
ता	-	लघु	लघुता	-	भाव
ता	-	जन	जनता	-	समाहार
त्य	-	पश्च	पाश्चात्य	-	सम्बन्ध
त्र	-	अन्य	अन्यत्र	-	स्थान
त्व	-	गुरू	गुरूत्व	-	भाव
था	-	अन्य	अन्यथा	-	रीति
दा	-	सर्व	सर्वदा	-	काल
धा	-	शत	शतधा	-	प्रकार
निष्ठ	-	कर्म	कर्मनिष्ठ	-	कर्तृ, सम्बन्ध
म	-	मध्य	मध्यम	-	गुण
मान्	-	बुद्धि	बुद्धिमान्	-	गुण
मय	-	काष्ठ	काष्ठमय	-	विकार
मय	-	जल	जलमय	-	व्याप्ति
मी	-	वाक्	वाग्मी	-	कर्तृ
य	-	मधुर	माधुर्य	-	भाव
य	-	दिति	दैत्य	-	अपत्य
य	-	ग्राम	ग्राम्य	-	सम्बन्ध
र	-	मधु	मधुर	-	गुण
ल	-	वत्स	वत्सल	-	गुण
लु	-	निद्रा	निद्रालु	-	गुण, कर्तृ
वान्	-	धन	धनवान्	-	गुण
वत्	-	यत्	यावत्	-	अनिश्चय
वी	-	माया	मायावी	-	गुण, कर्तृ

व्य	- भ्रातृ	भ्रातृव्य	- सम्बन्ध
श	- रोम	रोमश	- गुण
श	- कर्क	कर्कश	- स्वभाव, गुण
शः	- क्रम	क्रमशः	- रीति
सात्	- भस्म	भस्मसात्	- विकार
सात्	- आत्म	आत्मसात्	- सम्बन्ध

NOTES

अब इन प्रत्ययों द्वारा विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों से विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों के निर्माण के प्रकार देखे।

जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएँ :- संस्कृत की तत्सम जातिवाचक संज्ञाओं के अन्त में तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं।

तद्धित प्रत्यय	संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
ता	शत्रु	शत्रुता
ता	वीर	वीरता
त्व	गुरु	गुरुत्व
त्व	मनुष्य	मनुष्यत्व

तद्धित प्रत्यय	संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
अ	मुनि	मौन
य	पण्डित	पाण्डित्य
इमा	रक्त	रक्तिमा

व्यक्तिवाचक से अपत्य वाचक संज्ञाएँ :- अपत्यवाचक संज्ञाएँ किसी नाम के अन्त में तद्धित-प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। अपत्यवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण ये हैं-

तद्धित-प्रत्यय	व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ	अपत्यवाचक संज्ञाएँ
अ	वासुदेव	वासुदेव
अ	मनु	मानव
अ	कुरू	कौरव
अ	पृथा	पार्थ
अ	पाण्डु	पाण्डव
य	दिति	दैत्य
आयन	बदर	बादरायण
एय	राधा	राधेय
एय	कुन्ती	कौन्तेय

विशेषण से भाववाचक संज्ञाएँ:- विशेषण के अन्त में संस्कृत के निम्नलिखिए तद्धित-प्रत्ययों के मेल से निम्नलिखिए भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

NOTES

तद्धित-प्रत्यय	विशेषण	भाववाचक संज्ञाएँ
ता	बुद्धिमान्	बुद्धिमत्ता
ता	मूर्ख	मूर्खता
ता	शिष्ट	शिष्टता
इमा	रक्त	रक्तिमा
इमा	शुक्ल	शुक्लिमा
त्व	वीर	वीरत्व
त्व	लघु	लघुत्व
अ	गुरू	गौरव
अ	लघु	लाघव

संज्ञा के विशेषण:- संज्ञाओं के अन्त में संस्कृत के गुण, भाव या सम्बन्ध के वाचक तद्धित - प्रत्ययों को जोड़कर विशेषण भी बनते हैं। उदाहरणार्थ-

प्रत्यय	संज्ञा	विशेषण
अ	निशा	नैश
य	तालु	तालव्य
य	ग्राम	ग्राम्य
इक	मुख	मौखिक
इक	लोक	लौकिक
मय	आनन्द	आनन्दमय
मय	दया	दयामय
इत	आनन्द	आनन्दित
इत	फल	फलित
प्रत्यय	संज्ञा	विशेषण
इष्ट	बल	बलिष्ट
निष्ठ	कर्म	कर्मनिष्ठ
र	मुख	मुखर
र	मधु	मधुर
इम	रक्त	रक्तिम
ईन	कुल	कुलीन
ईन	ग्राम	ग्रामीण
ल	मांस	मांसल
वी	मेधा	मेधावी
इल	तन्द्रा	तन्द्रिल
ईय	राष्ट्र	राष्ट्रील
उल	पृथु	पृथुल

लु	तन्द्रा	तन्द्रालु
वान्	धन	धनवान्

हिन्दी के तद्धित-प्रत्यय - ऊपर संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्धित-प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाए गए हैं। अब हम हिन्दी के तद्धित शब्दों के अन्त में तद्धित-प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाएँगे। हिन्दी के तद्धित-प्रत्यय ये हैं- आ, आयँध, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आल, इयल, आलू, आवट, आस, आसा, आहट, इन, दया, ई, ईला, उआ,, ऊ, ए, एर, ओड़ी, औती, ओला, क, की, जा, टा, टी, ड़ा, ड़ी, त, ता, ती, नी, पन, पा, री, ला, ली, ल, वंत, वाल, वाला, वाँ, वा, सरा, सा, सों, हर, हरा, हा, हारा, हला, हाल इत्यादि। तद्धित-प्रत्ययान्त शब्दों के अनेक रूप हैं। इन रूपों में (1) भाववाचक, (2) ऊनवाचक, (3) कर्तृवाचक, (4) सम्बन्धवाचक और (5) विशेषण प्रमुख हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं।

NOTES

1. **भाववाचक तद्धितान्त संज्ञाएँ** - भाववाचक तद्धित-प्रत्यय हैं- आ, आयँध, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औती, त, ती, पन, पा, स इत्यादि। जैसे

प्रत्यय	संज्ञा-विशेषण	भाववाचक संज्ञाएँ
आ	चूर	चूरा
आई	चतुर	चतुराई
आन, आई	चौड़ा	चौड़ान, चौड़ाई
आयत, पन	अपना	अपनायत, अपनापन
आयँध	सड़ा	सड़ायँध
आरा	छूट	छुटकारा
आवट	आम	अमावट
आस	मीठा	मिठास
आहट	कड़वा	कड़वाहट
ई	खेत	खेती
एरा	अन्ध	अँधेरा
औती	बाप	बपौती
त	रंग	रंगत
ती	कम	कमती
पन	काला	कालापन
पन	लड़का	लड़कपन
पा	बूढ़ा	बुढ़ापा
स	घाम	घमस

2. **ऊनवाचक तद्धितान्त संज्ञाएँ** - ऊनवाचक संज्ञाओं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता, इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं

ऊनवाचक तद्धित-प्रत्यय हैं- आ, इया, ई, ओला, क, की, टा, टी, ड़ा, ड़ी, री, ली, वा, सा इत्यादि। प्रत्ययों के साथ उदाहरण इस प्रकार हैं।

प्रत्यय	संज्ञा-विशेषण	ऊनवाचक संज्ञाएँ
आ	ठाकुर	ठकुरा
इया	खाट	खटिया

NOTES

ई	ढोलक	ढोलकी
ओला	साँप	साँपोला
क	ढोल	ढोलक
की	कन	कनकी
टा	चोर	चोट्टा
टी	बहू	बहूटी
ड़ा	बाछा	बछड़ा
ड़ी	टाँग	टाँगी
री	कोठा	कोठरी
ली	टीका	टिकली
वा	बच्चा	बचवा
सा	मरा	मरा-सा

3. **सम्बन्धवाचक तद्धितान्त संज्ञाएँ** - सम्बन्धवाचक तद्धित-प्रत्यय हैं- आल, हाल, ए, एरा, एल, औती, जा इत्यादि। के अन्त में इन प्रत्ययों को लगाकर सम्बन्धवाचक संज्ञाएँ बनाई जाती हैं। जैसे-

प्रत्यय	संज्ञा	सम्बन्धवाचक संज्ञाएँ
आल	ससुर	ससुराल
हाल	नाना	ननिहाल
औती	बाप	बपौती
जा	भाई (भातृ)	भतीजा
ए	लेखा	लेखे
एरा	मामा	ममेरा
एल	नाक	नकेल

4. **कर्तृवाचक तद्धितान्त संज्ञाएँ** - संज्ञा के अन्त में आर, इया, ई, एरा, हारा, इत्यादि तद्धित-प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितान्त संज्ञाएँ बनाई जाती हैं। जैसे

प्रत्यय	संज्ञा	कर्तृवाचक संज्ञाएँ
आर	सोना	सुनार
आर	लोहा	लुहार
इया	आढ़त	अढ़तिया
ई	तमोम(ताम्बूल)	तमोली
ई	तेल	तेली
हारा	लकड़ी	लकड़हारा
एरा	साँप	साँपेरा
एरा	काँसा	कसेरा

तद्धिततीय विशेषण - संज्ञा के अन्त में आ, आना, आर, ई, ईला, उआ, ऊ, एरा, एड़ी, ऐल, ओं, वाला, वी, वाँ, वंत, हर, हरा, हला, हा इत्यादि तद्धित-प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। उदाहरण निम्नलिखित हैं-

प्रत्यय	संज्ञा	विशेषण
आ	भूख	भूखा
आना	हिन्दू	हिन्दुआना
आर	दूध	दुधार
आल	दया	दयाल
ई	देहात	देहाती
ईला	रंग	रँगीला
उआ	गेरू	गेरूआ
ऊ	गरज	गरजू
ऊ	बाजार	बाजारू
एरा	चाचा	चचेरा
एरा	मामा	ममेरा
एड़ी	भाँग	भाँगड़ी
ऐल	खपरा	खपरैल
वाला	मेरठ	मेरठवाला
वी	लखनऊ	लखनवी
वन्त	धन	धनवन्त
हा	भूत	भुतहा
हर	छूत	छुतहरा
हरा	सोना	सुनहरा
हला	रूपा	रूपहला

NOTES

स्त्री प्रत्यय - पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, उन्हें 'स्त्री प्रत्यय' कहते हैं। उदाहरण

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. बाल | बाला |
| 2. प्रिय | प्रिया |
| 3. प्राचार्य | प्रचार्या |
| 4. उपदेशक | उपदेशिका |
| 5. नायक | नायिका |
| 6. श्रीमत् | श्रीमती |
| 7. बलवान | बलवती |
| 8. दयावान | दयावती |

विदेशी प्रत्यय (फारसी-अरबी)

फारसी कृत्-प्रत्यय हैं- अ, आ, आन (आँ), इन्दा, इश, ई इत्यादि। अरबी के सभी शब्द संस्कृत के समान किसी-न-किसी धातु से बनते हैं। धातुएँ तीन, चार, पाँच वर्णों की होती हैं। धातुओं के वर्णों के मान (वजन) के अक्षर 'मूलाक्षर' है और वे सभी कृदन्त-रूपों में पाए जाते हैं। इन मूलाक्षरों के अलावा, कृदन्त-रूपों में धातु में कुछ और अक्षर जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें अधिकाक्षरों कहा जाता है। ये अधिकाक्षर सात हैं-

अ, त, स, म, न, ऊ, य। अधिकाक्षरों को याद रखने का सूत्र है-अतसमनूय। ये अधिकाक्षर ही अरबी के कृत्-प्रत्यय हैं। ये अधिकाक्षर धातु में आगे, पीछे, बीच में या मात्रा के रूप में- कहीं भी लग सकते हैं।

इन प्रत्ययों के आधार पर अरबी के (1) कृदन्त, विशेषण, (2) कृदन्त क्रियार्थक संज्ञा (3) कृदन्त क्रियार्थक विशेषण, (4) कृदन्त स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

NOTES

फारसी कृदन्त-प्रत्ययों से (1) भाववाचक, (2) कर्तृवाचक, (3) वर्तमानकालिक कृदन्त और (4) भूतकालिक कृदन्त-शब्द बनते हैं

अरबी कृदन्त-विशेषण

धातु	प्रत्यय	कृदन्तरूप	प्रकार
अलम (जानना)	फाइल	आलिम (विद्वान्)	कर्तृवाचक संज्ञा
रहम (दया करना)	फईल	रहीम (दयालु)	अधिकताबोधक
कबीर (बड़ा होना)	अफअल	अकबर (बहुत बड़ा)	अधिकताबोध

अरबीकृत् क्रियार्थक संज्ञा

धातु	प्रत्यय	कृदन्तरूप
कबल (सामने होना)	मुफाअलत	मुकाबला
नकर (न जानना)	इफ्आल	इनकार
अरज (आगे रखना)	इफित्तआल	एतराज

अरबी कृदन्त क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप

कर्तृवाचक	प्रत्ययधातु	कर्तृवाचक	कर्मवाचक प्रत्यय	कर्मवाचक
मुफइल	नफस	मुन्सिफ (न्यायाधीश)	मुफअल	मुनसफ (न्याय पानेवाला)
मुन्फइल	सरम	मुन्सरिम	मुन्फअल	

धातु	प्रत्यय	कृदन्तरूप	प्रकार
अलम (जानना)	फाइल	आलिम (विद्वान्)	कर्तृवाचक संज्ञा
रहम (दया करना)	फईल	रहीम (दयालु)	अधिकताबोधक
कबीर (बड़ा होना)	अफअल	अकबर (बहुत बड़ा)	अधिकताबोध

अरबी-कृत् क्रियार्थक संज्ञा

धातु	प्रत्यय	कृदन्तरूप
कबल (सामने होना)	मुफाअलत	मुकाबला
नकर (न जानना)	इफ्आल	इनकार
अरज (आगे रखना)	इफित्तआल	एतराज

अरबी कृदन्त क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप

कर्तृवाचक	प्रत्यय धातु	कर्तृवाचक	कर्मवाचक प्रत्यय	कर्मवाचक
मुफइल	नफस	मुन्सिफ (न्यायाधीश)	मुफअल	मुनसफ (न्याय पानेवाला)
मुन्फइल	सरम	मुन्सरिम (शासक)	मुन्फअल	मुन्सरम (शासित)
मुत्फाइल	वतर	मुत्वातिर (लगातार)	मुत्फअल	मुत्वातर (निर्विघ्न)
मुस्तफइल	कबल	मुस्तकबिल (भविष्य)	मुस्त्फअल	मुस्तकबल (चित्र)

NOTES

अरबी कृदन्त स्थानवाचक-कालवाचक संज्ञाएँ

धातु	प्रत्यय	संज्ञारूप
कतब (लिखना)	मफअल	मकतब (जहाँ लिखना सिखाया जाय)
जलस (बैठना)	सफइल	मजलिस
सजद (पूजा करना)	मफइल	मस्जिद

‘प्रत्यय’ का संस्कृत और हिन्दी में अर्थ है ‘कोई शब्दांश या अक्षर, जो किसी संज्ञा या धातु के अन्त में जुड़कर कोई पद बनाती हो’। किन्तु साधाणतया ‘प्रत्यय’ या ‘प्रतीति’। अरबी के ये ‘प्रत्यय’ शब्द पर किसी का शब्दार्थ है ‘चिन्ह’ ‘पहचान’ या ‘प्रतीति’। अरबी के ये ‘प्रत्यय’ शब्द पर किसी मात्रा या अक्षर का अतिरिक्त ‘भार’ या ‘वजन’ देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अतः, प्रत्यय ‘प्रतीति’ के अर्थ में शब्दों पर एक विशेषण ‘वजन’ पैदा करते हैं। उपर्युक्त प्रत्ययों या वजनों के अलावा भी अन्य कृदन्त प्रत्यय हैं जो आगे दिए गए हैं।

अरबी के मूल कृत - प्रत्यय

प्रत्यय	उदाहरण	प्रत्यय	उदाहरण
फअल	कत्ल	फिआल	कियाम (ठहरना)
फिअल	इल्म	फुआल	सुवाल (पूछना)
फुअल	हुक्म	फऊल	जहूर (रूप)
फिअलत	खिदमत	फआलत	बगावत

ये सारे, कृत - प्रत्यय अधिकाक्षर या वजन ही हैं और ये वजन ‘अतसमनूय’ सूत्र वर्णों के अन्तर्गत हैं।

फारसी कृत-प्रत्यय

प्रत्यय	धातु	कृदन्त-शब्द	वाचक
अ	आमद	आमद (अवाई)	भाववाचक
अ	खरीद	खरीद (क्रय)	भाववाचक
ई	आमदन (आना)	आमदनी	भाववाचक
आ	रिह (छूटना)	रिहा	कर्तृवाचक
इन्दा	जी (जीना)	जिन्दा	कर्तृवाचक
इन्दा	बाश (रहना)	बाशिन्दा	कर्तृवाचक
आँ(आन)	चस्प(चिपकाना)	चस्पँ (चिपका हुआ)	वर्तमानकालिक

फारसी तद्धित :-प्रत्यय के तीन प्रकार होते हैं - (1) संज्ञात्मक, (2) विशेषणात्मक और (3) वे कृदन्त पद जो संज्ञाओं में तद्धित-प्रत्यय के समान जुड़ते हैं।

संज्ञात्मक फारसी तद्धित-प्रत्यय हैं- (1) भाववाचक- आ, आना (आनह), नामा, गी: (2) कर्तृवाचक- कार, गर, गार, वान:; (3) ऊनतावाचक- क, चा, अथवा ईचा: (4) स्थितिवाचक- दान, आ (ह), आब।

NOTES

विशेषणात्मक फारसी तद्धित-प्रत्यय हैं- आना, इन्दा, आवर, नाक, ई, ईन, मंद, वार, वर, ईना, जादा (जादह) गीन इत्यादि।

संज्ञाओं से तद्धित-प्रत्यय के समान जुटनेवाले फारसी कृदन्त-पद हैं-

(1) **कर्तृवाचक** -अंदाज, दार, साज:

(2) **स्थितिवाचक**-आवेज, माल:

(3) **संज्ञावाचक**

शब्द भंडार :- तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी

किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनके समूह को शब्द भंडार या शब्द समूह कहा जाता है। दृष्टि से हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णसमुदाय को 'शब्द' कहते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं- एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं और दूसरा वह, लिंग, वचन, पुरुष और काल बतानेवाले अंश को आगे - पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट सँवार लेता है। शब्दों की रचना -

1. ध्वनि और 2. अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे - लड़की, आ, मैं, धीरे, परन्तु इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। किन्तु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्त्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्त्व है, जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं - सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे - 'पानी' सासर्थक शब्द है और 'नीपा' निरर्थक शब्द क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं।

हिन्दी के शब्द भंडार में चार प्रकार के शब्द हैं।

1) तत्सम 2) तद्भव 3) देशज 4) विदेशी

1. **तत्सम :-** किसी भाषा के मूलशब्द को 'तत्सम' कहते हैं। 'तत्सम' का अर्थ ही है - 'उसके समान' या 'ज्यों - का - त्यों' (तत्, तस्य = उसके - संस्कृत के, सम = समान)। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है, जो अपभ्रंश से होते हुए में आए हैं।

तत्सम	हिन्दी	तत्सम	हिन्दी
आम्र	आम	गोमल, गोमय	गोबर
उष्ट्र	ऊँट	घोटक	घोड़ा
चुल्लिः	चूल्हा	शत	सौ
चतुष्पादिका	चौकी	सपत्नी	सौत
शलाका	सलाई	हरिद्रा	हल्दी, हरदी
चंचु	चोंच	पर्यक	पलंग
त्वरित	तुरत, तुरन्त	भक्त	भात
उद्वर्तन	उबटन	सूचि	सुई

खर्पर	खपरा, खप्पर	सक्तु	सत्तू
तिक्त	तीता	क्षीर	खीर

हिन्दी में आए तत्सम शब्दों के प्रमुख स्रोत :- हिन्दी में आए तत्समों के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं।

(i) संस्कृत से सीधे हिन्दी में आए तत्सम शब्द। जैसे - कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र, पुस्तक, कृष्ण, मार्ग, मत्स्य, मय, मेघ, पुष्प, मृग, मधुर कुशल आदि। इन शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। आधुनिक अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में भी ये तत्सम शब्द बड़ी संख्या में मिलते हैं।

(ii) संस्कृत के मूल शब्दों के आधार पर ऐसे अनेक शब्द निर्मित हुए हैं जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, जैसे जलवायु (आबहवा), वायुयान (हवाई जहाज या एरोप्लेन), सम्पादकीय अधिवक्ता, प्राध्यापक, रेखाचित्र, प्रभाग, वाक्य - विश्लेषण, निदेशक, नगरपालिका आदि।

(iii) अन्य भारतीय भाषाओं से आये तत्सम शब्द। इस वर्ग के शब्दों की संख्या काफी कम है। बांग्ला व मराठी से अनेक शब्द आए हैं, उनमें से कुछ संस्कृत के आधार पर बने हैं, जैसे मराठी से - टिकाऊ, वाड्मय, लागू, प्रगति, श्रीखंड, प्रभावी, बाड़ा, मंगलसूत्र, चलत, हल्दी, कुंकू।

(iv) गुजराती से - ढोकला, खमण, फाफड़ा, गरबा, हड़ताल।

(v) द्रविड़ जातियों से - चिल्लर, पंडाल, चंदा, कुप्पी, कुटि, कुंड, मीन, बल्ली, डोसा, इटली, साँभर, पिल्ला आदि।

(vi) कोल - संधाल आदि जातियों से - कादली (केला), कपास, बाजरा, ताम्बूल, मिर्च, सरसों, तोरी, भिंडी, आटा, परवल, टींडा, झींगा, कौड़ी आदि।

(vii) पंजाबी से - सिक्ख, सिखी, अकाली, गुरुद्वारा, गुरुमुखी, संगत, लंगर, लस्सी, छोले, खालसा, भाँगड़ा, भटूरे, कड़ा आदि।

2. तद्भव - ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं, - 'तद्भव' कहलाते हैं। तत् + भव का अर्थ है - उससे (संस्कृत से) उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूलरूप का पता नहीं चलता। फलतः, तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं - 1) संस्कृत से आनेवाले और 2) सीधे प्राकृत से आनेवाले। हिन्दी - भाषा में प्रयुक्त होनेवाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं, जो संस्कृत - प्राकृत से होते हुए हिन्दी में आए हैं। हिन्दी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएँगे -

संस्कृत	प्राकृत	तद्भव हिन्दी
अग्नि	अग्नि	आग
मया	मई	मैं
वत्स	वच्छ	बच्चा, बाछा
चतुर्दश	चोद्दस, चउद्दह	चौदह
पुष्प	पुप्फ	फूल
चतुर्थ	चउट्ठ, चउत्थ	चौथा

वस्तुतः हिन्दी का प्रकृति तद्भवपरक है। विदेशी शब्द जो मूल रूप में ग्रहण किये गये हैं, वे तत्सम कहलाएँगे - जैसे - स्टेशन, डॉक्टर, टेलीग्राम, कप, फोनोग्राम, नर्स, स्कूल स्लेट, रेडियो, इस्कूल, डागदर, टेम (टाइम), लपटन (लेपिटनेन्ट), पलटन (प्लाटून), लालटेन (लेन्टर्न) आदि। हिन्दी में विदेशी शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के 'तत्सम' और 'तद्भव' शब्द सर्वाधिक हैं। तत्सम और तद्भव रूपों के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत हैं-

NOTES

NOTES

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अंगरक्षक	अँगरखा	अन्तःपुष्ट	अदर
अन्ध	अन्धा	कुठार	कुल्हाड़ा
कुंचिका	कुंजी	अंगुष्ठ	अँगूठा
कुष्माण्ड	कुम्हड़ा	अद्य	आज
काक	कौआ	अम्लिका	इमली
गोधूम	गेहूँ	गृह	घर
अश्रु	आँसू	गर्दभ	गदहा, गधा
अर्द्ध	आधा	आश्रय	आसरा
आश्चर्य	अचरज	आभीर	अहीर
ग्रंथि	गाँठ	आम्र	आम
गौर	गौरा	आलस्य	आलस
ताम्र	ताँबा	तृण	तिनका
कपाट	कवाड़	कपर्दिका	कौड़ी
दधि	दही	द्रोण	दोना
कर्तरी	कँची	द्वादश	बारह
कुम्भकार	कुम्हार	कंटक	काँटा
दण्ड	डंडा	मुक्ता	मोती
धान्य	धान	यज्ञोपवीत	जनेऊ
धृष्ट	ढीठ	यव	जौ
धैर्य	धीर, धीरज	वृद्ध	बृढ़ा
पौष	पूस	शुक	सुआ
पृष्ठ	पीठ	श्मशान	मसान
प्रस्तर	पत्थर	शय्या	सेज
श्वास	साँस	शुष्क	सूखा
फुफ्फुस	फेफड़ा	शिर	सिर
पौत्री	पोती	श्रृंग	सींग
सौभाग्य	सुहाग	भागिनेय	भांजा
षोडश	सोलह	हरित	हरा
हस्त	हाथ	मृत्तिका	मिट्टी
क्षीर	खीर	मिष्ठ	मीठा

(3) देशज - 'देशज' वे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचन्द्र ने उन शब्दों को 'देशी' कहा है, जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार न हो। लोकभाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। जैसे - तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अण्टा, ठेठा, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चसक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि। विदेशी विद्वान् जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को

मुख्यरूप से अनार्यश्रोत से सम्बद्ध माना है। अनुकरणात्मक ध्वनि से की कुछ शब्द बनें हैं जो देशज हैं। जैसे- थुलथुल, खड़खड़, भड़भड़, खटखट, धमधम, हड़बड़, चरचर, भो-भो, टर् - टर्, बल - बल, झम - झम आदि।

(4) विदेशी शब्द :- विदेशी भाषाओं से हिन्दी - भाषा में आए शब्दों को 'विदेशी शब्द' कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएँ मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिन्दी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिन्दी में उनके कुछ हेर-फेर इस प्रकार हुए हैं -

1. क, ख, ग, फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिन्दी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चरित किया और लिखा जाता है। जैसे - कीमत (अरबी) - कीमत (हिन्दी), खूब (फारसी) = खूब (हिन्दी), आगा (तुर्की) = आगा (हिन्दी), फैसला (अरबी) = फैसला (हिन्दी)।

2. शब्दों के अन्तिम विसर्ग की जगह हिन्दी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। जैसे - आईन: और कमीन: (फारसी) = आईना और कमीना (हिन्दी), हैज: (फारसी) = हैजा (हिन्दी), चमच: (तुर्की) = चमचा (हिन्दी)।

3. शब्दों के अन्तिम हभार की जगह हिन्दी में आकार की मात्रा कर दी जाती है। जैसे - अल्लाह (अरब) = अल्ला (हिन्दी)

4. शब्दों के अन्तिम आकार की मात्रा को हिन्दी में हकार कर दिया जाता है।

जैसे - परवा (फारसी) = परवाह (हिन्दी)।

5. शब्दों के अन्तिम अनुनासिक आकार को 'आन' कर दिया जाता है।

जैसे - दुकाँ (फारसी) = दुकान (हिन्दी), ईमाँ (अरबी) = ईमान (हिन्दी)।

6. बीच के 'इ' को 'य' कर दिया जाता है। जैसे - काइद: (अरबी) = कायदा (हिन्दी)।

7. बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। जैसे - नशश: (अरबी) = नशा (हिन्दी)।

8. बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है।

जैसे - अफसोस, गर्म, जह, किशमिश, बेहँम, (फारसी) = अफसोस, गरम, जहर, किशमिश, बेरहम (हिन्दी) तर्क, नह, कस्रत (अरबी) = तरफ, नहर, कसरत (हिन्दी), चमच: तमगा (तुर्की) = चमचा, तमगा (हिन्दी)।

9. बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है। जैसे - आबोदान: (फारसी) = आबदाना (हिन्दी), जवाहिर, मौसिम, वापिस (अरबी) = जवाहर, मौसम, वापस (हिन्दी), चुगुल (तुर्की) = चुगल (हिन्दी)।

10. बीच में कोई ह्रस्व मात्रा (खासकर 'ई' की मात्रा) दे दी जाती है।

जैसे - आतशबाजी (फारसी) = आतिशबाजी (हिन्दी)।

दुन्या: तक्क्य: (अरबी) = दुनिया, तकिया (हिन्दी)।

11. बीच की ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में, बदल देने की परम्परा है। जैसे - खुराक (फारसी) - खूराक (हिन्दी) (ह्रस्व के स्थान में दीर्घ), आईन: (फारसी) = आइना (हिन्दी) (दीर्घ के स्थान में ह्रस्व); उम्मीद (फारसी) = उम्मेद (हिन्दी) (दीर्घ 'ई' के स्थान में गुण 'ए'); देहात (फारसी) = दिहात (हिन्दी) (गुण 'ए' के स्थान में 'इ'); मुगल (तुर्की) = मोगल (हिन्दी) ('उ' के स्थान में गुण 'ओ')।

12. अक्षर में सवर्गी परिवर्तन भी कर दिया जाता है। जैसे - बालाई (फारसी) = मलाई (हिन्दी) ('ब' के स्थान में उसी वर्ग का वर्ण 'म')।

हिन्दी के उच्चारण और लेखन के अनुसार हिन्दी - भाषा में घुले - मिले कुछ विदेशज शब्द आगे दिए जा रहे हैं।

फारसी शब्द

अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदानी, आवारा, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद्द, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरबन्द, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज, गुम, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलूबन्द, गुलाब, गुल, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग, चरखा, चूँकि, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिन्दगी, जादू, जागीर, जान, जुरमाना, जिगर, जोश, तरकश, तमाशा, तेज, तीर, ताक, तबाह, तनखाह, ताजा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, दिल, दवा, नामर्द, नाव, नापसन्द, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बेवा, बहरा, बेहूदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मुर्दा, मजा, मलीदा, मुक्त, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, रोगन, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वर्ना, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार इत्यादि।

अरबी शब्द

अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्ला, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, खयाल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जबाब, जहाज जालिम, जिक्र, जिहन, तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तै, तादाद, रतक्की, तजुरबा, दाखिल, दिमाग, दवा, दाबा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा दल्लाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर, फकीर, फायदा, फैसला, बाज, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मरजी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मवाद, मौसम, मौका मौलवी, मुसफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला इत्यादि।

अंग्रेजी शब्द

(अंग्रेजी) तत्सम	तद्भव	(अंग्रेजी) तत्सम	तद्भव
ऑफिसर	अफसर	थियेटर	थेटर, ठेठर
एंजिन	इंजन	टरपेण्टाइन	तरपीन
डॉक्टर	डाक्टर	माइल	मील
लैनटर्न	लालटेन	बॉटल	बोतल
स्लेट	सिलेट	कैप्टेन	कप्तान
हॉस्पिटल	अस्पताल	टिकट	टिकस

इनके अतिरिक्त, हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों - के - त्यों प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद नहीं रह गया है। जैसे - अपील, आर्डर, इंच, इण्टर, इयरिंग, एजेन्सी, कम्पनी, कमीशन, कमिश्नर, कैम्प, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउन्सिल, गार्ड, गजट, जेल, चेरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ड्राइवर, पेन्सिल, फाउण्टेन पेन, नम्बर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसम्बर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम, मीटिंग, कोर्ट, होल्डर, कॉलर इत्यादि।

पुर्तगाली शब्दा

हिन्दी	पुर्तगाली
अलकतरा	Alcatrao
अनन्नास	Annanas

आलपीन	Alfinete
आलमारी	Almario
बाल्टी	Balde
किरानी	Carrane
चाबी	Chave
फीता	Fita
तम्बाकू	Tobacco

NOTES

शब्द - रचना

इसी तरह, आया, इस्पात, इस्तिरी, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फर्मा, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, सागू आदि पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गई है उनसे यह स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध - पानी की तरह मिले हैं। निःसन्देह, इनसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है।

अनेक अरबी शब्द सीधे अरबी से न आकर फारसी भाषा के माध्यम से आए हैं। इसलिए **अरबी - फारसी** दोनों में मिलते हैं। कुछ उदाहरण -

धर्म सम्बन्धी - रोजा, मजहब, दीन, कुरान, खुदा, हज, फरिश्ता, वली, सुन्नी, शिया, नबी, पैगम्बर आदि।

प्रशासन सम्बन्धी - सरकार, तहसीलदार, सदरआला, चपरासी, वकील, मुख्तार, माल, दीवानी, मुंशी, खजांची, हाकिम, इजलास, मुंसिफ, सिपाही, अमीन, अदालत, जुर्म, फर्द, इकबाल आदि।

सेना सम्बन्धी - फौज, जमादार, हौलदार, हमला, गोलन्दाज, संगीन, कमान, तीर आदि।

पोशाक सम्बन्धी - पजामा, कमीज, जुराब, दस्ताना, साफा, शलवार, सदरी आदि।

स्थान सम्बन्धी - मुहल्ला, परगना, कूचा, देहात, शहर, तहसील जिला, कस्बा आदि

मेवा -सब्जी सम्बन्धी - बादाम, सेव, मेवा, खूबानी, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलूचा, मुनक्का किशमिश, शहतूत, पिस्ता, शारीफा, सब्जी, तरकारी, पुदीना, चुकंदर, खरबूजा, कद्दू, तरबूज, कुल्फा आदि।

मिठाई सम्बन्धी - बरफी, हलवा, जलेबी, शकरपांरा, कुल्फी, नमकपारा, बालूशाही, समोसा आदि।

श्रृंगार सम्बन्धी - इत्र, सुर्मा, सुर्मादानी, साबुन, हजामत, आईना, शीशा आदि।

व्यवसायियों के नाम - बजाज, दर्जी, रफूगर, सर्राफ, सईस, बेलदार, बावर्ची, दलाल, हलवाई, अत्तार, जिल्दसाज, दफ्तरी, जुलाहा आदि।

मकान सम्बन्धी - मकान, जमीन, बुनियाद, दीवार, दरवाजा, दालान, मंजिल, मियानी, जीना, बरामदा, बारादरी, मेहराब, मेहराब, तहखाना, ताक आदि।

बीमारी सम्बन्धी - हकीम, नब्ज, बुखार, बवासीर, नकसीर, बदहज्मी, हैजा, लकवा, जुकाम, नजला, जुलाब, दवा, मरीज, मर्ज, बीमार, शफाखना, दवाखाना आदि।

विदेशी शब्द प्रायः संज्ञा के रूप में आते हैं, किन्तु हिन्दी में फारसी से आए हुए अन्य प्रकार के शब्द भी हैं, जैसे -

विशेषण - ईमानदार, आसान, बेईमान, बदनाम, बेकार, बारीक, बेहया, कम, दिलेर, ज्यादा, सख्त, परेशान, नरम, सादा, मुस्तैद, तेज, खुश, जिन्दा, साफा, चालाक, गन्दा आदि।

सर्वनाम - फलों, खुद, आदि।

क्रिया - खरीदना, फरमाना, तराशना, शर्माना, कबूलना, इतराना आदि।

अंग्रेजी के बहु प्रचलित शब्द हिन्दी में लगभग पाँच हजार से अधिक हैं। तकनीकी, वाणिज्य, चिकित्सा, विज्ञान व प्रशासन के शब्दों को भी यदि इनमें मिला दें तो कुल संख्या लगभग 12 हजार हो जाएगी। जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रचलित 'तत्सम' अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत आदि।

धातुओं के नाम - रोलड - गोल्ड, जर्मन, सिल्वर, टिन, निकल, प्लेटिनम, मँगनीज, स्टेनलेस स्टील, यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि।

यंत्रों के नाम - एंजिन, पम्प, मोटर, कैमरा, ग्रामोफोन, स्टेथस्कोप, टेलीविजन, टाइपराइटर, टेपेकार्ड, टेप, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फेक्स, मोटर, टार्च आदि।

सवारियों के नाम - मोटर, कार, व्हिइकल, बस, लॉरी, टैक्सी, स्कूटर, मोटरसायकल, ट्रेन, ट्रक, टेम्पो, ट्राइसिकल, एम्बुलेंस आदि।

चिकित्सा संबंधी - इंजेक्शन, हास्पिटल, डाक्टर, डिलिवरी, सलाइन, कम्पाउण्डर, थर्मामीटर, स्ट्रिप, स्ट्रेचर, टिंचन, होमियोपैथी, ट्यूमर, सर्जन, ई.सी.जी. आइन्टमेन्ट, बेण्डेज, लेडी डाक्टर, हिस्टीरिया, नर्सिंग होम, आपरेशन, एक्सरे, ब्लड, मेडिसिन, नर्स, आक्सीजन, हार्निया, किडनी, लीवर, टेबलेट, केप्सूल, ग्लूकोज आदि।

शिक्षा सम्बन्धी शब्द - नर्सरी, स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी, मास्टर, ट्यूटर, लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन, प्रिंसिपल, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लायब्रेरी, प्रेक्टिकल, सेमिनार, होस्टल, रजिस्ट्रार, मेस, ट्यूटोरियल, ट्यूशन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन पेपर, पास, फेल, सिलेबस, नोटबुक, रफ वर्क, होमवर्क, इम्पार्टेन्ट, सप्लीमेन्टरी, पीरियड, यू.जी.सी. ग्रान्ट, स्टेशनरी, बेल, प्यून, गाइड डिग्री।

पोशक सम्बन्धी शब्द - पेंट, कोट, अंडरवियर, सूट, टाई, ओवरकोट, वूलन, शर्ट, स्वेटर, पुलोवर, केप, ट्वीड, पॉपलीन, टेरीसिल्क, आर्टसिल्क, शिफोन, टाइट, कॉलर, गाउन, पॉकेट, प्लेट, कट, फिट, चेन, ब्लाउज, जार्जेट, टिशू, हेण्डलूम, कटिंग, ड्रेस, रेडीमेड, लूज, बैक पाकेट आदि।

प्रशासन तथा न्यायालय सम्बन्धी शब्द - कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्ट्री, डिप्टी मिनिस्टर, स्पीकर, रेकार्ड, सेक्रेटरी, फूड ऑफिसर, ड्रावल, कन्ट्रोलर, इन्स्पेक्टर, क्लर्क, एप्लीकेशन, बिल, रिजेक्शन, अफसर, ड्यूटी, अपील, डायरेक्टर, टायपिस्ट, केजुअल लीव, ड्रायवर।

नवनिर्मित शब्द:- सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में प्रगति होने तथा हिन्दी के राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, हजारों नये शब्दों का निर्माण किया गया। केन्द्रीय व प्रान्तीय के भाषा-विभाग द अन्य संस्थाएँ शब्द-निर्माण का कार्य कर रही हैं। नये शब्दों की रचना का आधार संस्कृत व उसकी मूल धातुएँ हैं। हमारे कोशकारों ने भी नवीन शब्द-रचना का आधार विधानसभा वैधानिक, लोकसभा राज्यसभा, अध्यक्ष, नेता, विपक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री लोक-लेखा, लेखाकार, लेखापाल, तकलीफ, राष्ट्रीयकरण, गत, मतदाता, मतदान आदि। प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत की मूल धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के सहयोग से प्रशासनिक शब्दावली बनाई गई है। इसी प्रकार विधिक (न्यायिक) शब्दावली भी बनाई गई है। जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी शब्दों की रचना भी की गई है, जैसे- 'अभि' उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द-

अभिग्रहण (Seize), अभियुक्त (Accused), अभिज्ञानपत्रक (identity card), अभियंता (Engineer), अभिलेख (Record), अभ्यर्थी (Candidate)

'प्रति' उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द- प्रतिलिपि (Copy), प्रतिनिधि (Representative), प्रतिलिप्यधिकार (Copy Right), प्रतिवेदन (Report)

'अधि' उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द- अधिनियम (Act), अधिकर्ता (Holder), अधिपत्र (Warrant), अधिकक्ता, (Advocate), अधिष्ठाता (Deen), अधिसूचना (Notification), अधिग्रहण (Acquire), अधिकार-पत्र। (Authouriy Letter)

हमारी राजभाषा हिन्दी एक प्रमुख विश्व भाषा भी बन चुकी है, ऐसे में हिन्दी की परिधि और अधिक विस्तृत होती जा रही है। यही कारण है कि हिन्दी में आवश्यकता के अनुरूप विविध प्रकार के शब्दों के युक्तिसंगत प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. वाक्य किसे कहते हैं। उसकी प्रकृति समझाओ।
2. विराम चिन्ह क्या है। उनकी उपयोगिता बताओ।
3. हिंदी में कितने तरह को विराम चिन्ह है, स्पष्ट करो।
4. वाक्यों के प्रकार स्पष्ट करो।
5. तत्सम शब्द किसे कहते हैं।
6. तद्भव शब्द से तुम क्या समझते हो।
7. सरल वाक्य किसे कहते हैं।
8. शब्द रचना से तुम क्या समझते हो।
9. स्त्री प्रत्यय का अर्थ लिखकर उदाहरण स्पष्ट करो।
10. देशज से तुम क्या समझते हो।
11. नवानिर्मित शब्द किसे कहते हैं।

NOTES

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. वाक्य की परिभाषा लिखकर उसके प्रकार स्पष्ट करें।
2. वाक्य संरचना के विविध आधारों का परिचय दो।
3. विराम चिन्हों का महत्व स्पष्ट करो।
4. उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ लिखकर उसके पाँच-पाँच उदाहरण लिखो।
5. विदेशी शब्दों से क्या आशय है।
6. नीचे लिखे शब्दों के उर्दू पर्याय लिखिए।
पाठशाला, पुस्तक, वृक्ष, भास्कर, कुशल, क्षेत्र, विद्यार्थी
7. सयुक्त वाक्यों के भेद स्पष्ट करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं
1. तत्सम 2. तद्भव 3. देशज 4. विदेशी
2. दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को.....
1. तत्सम शब्द 2. तद्भव शब्द 3. संकर शब्द 4. विदेशी शब्द
3. कर्ण किसी प्रकार का शब्द है
1. देशी 2. विदेशी 3. तत्सम 4. तद्भव
4. वर्ण से शब्द और शब्द से..... बनते हैं।
1. वाक्य 2. संधि 3. देशज 4. तत्सम
5. वाक्यों के प्रकार.....
1. सरल वाक्य 2. मिश्रवाक्य 3. सयुक्त वाक्य 4. उपरोक्त तीनों

6. पूर्ण विराम का अर्थ है।

1. पूरी तरह चलना 2. पूरी तरह रूकना 3. अटकना 4. उपरोक्त सभी

7. शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, उसे.....

1. कृदन्त 2. प्रत्यय 3. उपसर्ग 4. इनमें से कोई नहीं

NOTES

उत्तर :- 1. (i) 2. (iii) 3.(iii) 4.(i) 5. (iv) 6.(ii) 7. (ii)



इकाई : 4

18. अप्प दीपों भव (वक्तव्य कला)

स्वामी श्रद्धानंद

NOTES

स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन परिचय :- स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म 2 फरवरी 1856 को पंजाब प्रान्त के जालंधर जिले के तलवान गाँव में हुआ। इनके बचपन का नाम मुंशीराम था इनके पिता का नाम लाल नानक चन्द्र था जो कि ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविन्स में पुलिस अधिकारी थे। पिता का बार-बार ट्रान्सफर होने के कारण इनकी प्रारम्भिक शिक्षा अच्छी नहीं हो पायी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का इनपर प्रभाव पड़ा तथा वे स्वामी श्रद्धानन्द ईश्वर विश्वासी और वैदिक धर्म के अनन्य भक्त बन गए।

सन 1901 में मुंशीराम ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान "गुरुकुल" की स्थापना की। इस समय यह मानद विश्वविद्यालय है। स्वामी जी ने आर्य समाज के माध्यम से असंख्य लोगो को वैदिक धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने गैर हिन्दुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिये शुद्धि नामक आन्दोलन चलाया और बहुत से लोगों को हिन्दू धर्म में दीक्षित किया।

23 दिसम्बर 1926 को नया बाजार स्थित उनके निवास पर एक उन्मादी ने धर्म-चर्चा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश करके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

पाठ का सारांश :- प्रस्तुत पाठ में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 1914 में 'गुरुकुल' कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना जो भाषण दिया था उसका अंशतः वर्णन किया गया है।

अप्प दीपो भव :- स्वामी श्रद्धानन्द ने विद्यार्थियों को संबोधित करते कहा कि अप्प दीपो भव अर्थात् विद्यार्थियों तुम अपनी शिक्षा-दीक्षा पूर्ण होने पर अपने स्वयं के प्रयासों से दीपक के समान ज्योतिर्मय अर्थात् प्रकाशवान बनो और विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अपने जीवन में सदा सत्य का ही आलम्बन करो।

शिष्यों को पुत्र सम्बोधित :- उन्होंने शिष्यों को पुत्रों के सम्बोधित कर कहा कि आज से तुम उन बन्धनों से मुक्त हो जो गुरुकुल में तुम्हारे लिए आवश्यक थे। किन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई बन्धन नहीं रहा। हमारे ऋषि-मुनियों ने प्राचीनकाल से कुछ बन्धन बाँध रखे हैं, जिनका जिक्र उपनिषद-वाक्यों में आया है। लेकिन इन बन्धनों का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं रहता, इस कारण यह बंधन और भी कड़े हो जाते हैं। इन्हें प्राचीनकाल से आचार्यगण विद्या समाप्ति के समय अपने शिष्यों को सुनाते थे।

धर्म मर्यादा की कसौटी :- परमात्मा सत्य का स्वरूप है। अतः मन, वचन और कर्म से सत्य को अपनाओ। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। वे कहते हैं कि अंतस् में परमात्मा का वास रहता है, जबकि परमात्मा सत्य का स्वरूप है। वही हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। अतः हम जिस धर्म-मर्यादा को अंतःकरण की कसौटी पर कसते हैं, अर्थात् सत्य की कसौटी पर, उसे हमने एक तरह से परमात्मा की कसौटी पर कसा हुआ समझना चाहिए। इसीलिए धर्म-मर्यादा की कसौटी-हमारा अंतःकरण ही है। अतः अपने अंतस्, अपनी आत्मा के कहे अनुसार चलो। स्वाध्याय को अपनाओ। अपने गुरु के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें दिल से पूरा करो। अपने गुरु, अपने गुरुकुल को दक्षिणास्वरूप यह प्रदान करो कि तुम अपने जीवन में कभी ऐसा कार्य न करो कि जिससे तुम्हें अपनी आत्मा तथा परमात्मा के सामने झेंपना पड़े। पाँच यज्ञों को करने में कभी प्रमाद न करना, माता-पिता, गुरु तथा अतिथि देवता समान होते हैं। इनकी सेवा करना अपना धर्म समझो।

ज्योति स्तम्भ :- उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि संसार में कोई भी पूर्ण या दोष रहित नहीं होता। अतः हमारी अच्छाइयों को ग्रहण करो, दोषों को त्यागो और इस संसार रूपी अधंकार में किसी को ज्योति स्तम्भ की भाँति अपना मार्ग दर्शक बनाओ। ज्योति-स्तम्भ से आशय उन प्रकाश-स्तम्भों से है जो हमें राह चलते समय रोशनी या प्रकाश प्रदान कर मार्ग दिखाते हैं। उनके प्रकाश की सहायता से हमें मार्ग की वास्तविकता का पता चलता है तथा हम ठोकर आदि खाने से बच जाते हैं तथा अपनी मंजिल की ओर निर्वाध बढ़ सकते हैं।

स्वामी श्रद्धानन्दजी ने यहाँ महापुरुषों को उन्ही ज्योति-स्तम्भों की उपमा दी है, क्योंकि वे हमें जीवन-पथ पर सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संसार रूपी अँधियारे से आने वाली बाधाओं से अवगत कराकर, सही राह दिखाए हुए – हमें अपने जीवन-लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्योति-स्तम्भ बने ये महापुरुष हमें सही रोशनी प्रदान करते हैं। संसार में ऐसे महापुरुषों का नाम अमर हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की राह का हमेशा अनुसरण करो।

NOTES

विद्या द्वारा बालक का दूसरा जन्म :- इस संसार में सभी लेना जानते हैं, किन्तु तुम देने योग्य भी हो अतः अपनी बुद्धि व विद्या से ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। मुझे ऐसी पूरी आशा है कि जिस भारतभूमि पर तुम जन्मे हो उसकी कीर्ति तुम लहराओगे। ज्ञान की देवी सरस्वती के माध्यम से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, अर्थात् बालक अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है परन्तु फिर उसे कोई अच्छा गुरु मिलने पर वह उनसे गुरु दीक्षा लेकर ज्ञान-शिक्षा प्राप्त करता है गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा वह उस संसार से सही रूप में परिचित होता है, जिसमें उसने जन्म लिया है। अतः इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा से परिपूर्ण होकर वह अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को बनाता है। इसीको बालक का दूसरा जन्म होना कहा गया है। ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है, क्योंकि यह सब विद्या की देवी सरस्वतीजी की कृपा से होता है, अतः दूसरा जन्म सरस्वती से होना कहा गया है।

इस प्रकार मैंने तुम्हें जो सहस्त्रों वर्षों से इस पावन धरा पर गुंजायमान वाक्यों का सारांश सुनाया है, उसे गुरुमंत्र समझकर, अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैं तुमसे गुरु-दक्षिणा नहीं माँगता क्योंकि गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, माँगना मेरा धर्म नहीं है। तुमसे तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या मानसिक विचार भी नहीं पूछता। मुझे तो तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम्हारे सारे कार्य सत्य पर आश्रित हैं या नहीं। याद रखो कि सारा संसार सत्य पर ही आश्रित है। सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। यदि तुमने अपने जीवन में सत्य का अवलम्बन कर लिया तो फिर मैं तुमसे अब कुछ भी नहीं चाहता, मुझे अब कोई चिन्ता नहीं है।

इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा कांगड़ी-विश्वविद्यालय में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर दिया गया दीक्षान्त भाषण 'अप्प दीपो भव' उनकी प्रभावी वक्तव्य कला को दर्शाता है। स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल के शिष्यों को जिस धारा-प्रवाह तथा उत्कृष्ट भाषा शैली में सम्बोधित किया, वह श्रोताओं को सम्मोहित कर सकती है। ऐसा भाषण सुनते समय अच्छे से अच्छा श्रोता भी भाषण सुनने में खो जायेगा। जिसमें एक गुरु द्वारा अपने शिष्यों से गुरु-दक्षिणा के रूप में और कुछ ना माँगते हुए, उन्हें प्राप्त ज्ञान को दीपक के समान समाज में रोशनी फैलाने के रूप में काम में लेने का आव्हान किया गया है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. विद्या (सरस्वती) द्वारा बालक का दूसरा जन्म कैसे होता है।
2. महापुरुष ज्योति-स्तम्भ क्यों कहलाते हैं।
3. धर्म मर्यादा की कसौटी अन्तःकरण क्यों है।
4. 'अप्प दीपो भव' यह स्वामी श्रद्धानन्द की वक्तव्य कला को दर्शाता है। स्पष्ट करो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. स्वामी श्रद्धानन्द का परिचय लिखो।
2. 'अप्प दीपो भव' पाठ का सारांश लिखो।
3. आत्मा की आवाज सुनने और उसके अनुसार आचरण करने के क्या लाभ हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. अप्प दीपो भव पाठ के लेखक ।
 - i. स्वामी श्रदानन्द
 - ii. स्वामी विवेकानन्द
 - iii. आचार्य विनोबाभावे
 - iv. गाँधी जी

2. 'अप्प दीपों भव' का भाषण कहाँ दिया गया।

- | | |
|------------------------|----------------|
| i. दीक्षांत समारोह में | ii. विवाह में |
| iii. दीवाली में | iv. तीनों नहीं |

3. स्वामी श्रद्धानन्द ने यह भाषण कब दिया।

- | | |
|-----------|----------|
| i. 1901 | ii. 1909 |
| iii. 1914 | iv. 1918 |

4. संसार किस पर आश्रित है।

- | | |
|-----------|----------------|
| i. धर्म | ii. तथ्यशिक्षा |
| iii. सत्य | iv. वीरता |

5. व्यक्ति को दूसरा जन्म किसके कारण होता है।

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| i. विद्या (सरस्वती) के कारण | ii. धन के कारण |
| iii. सत्य के कारण | iv. उपरोक्त सभी |

उत्तर :- 1. (i), 2. (i), 3. (iii), 4. (iii), 5. (i)



NOTES

19. भारत का सामाजिक व्यक्तित्व (प्रस्तावना)

पं. जवाहरलाल नेहरू

NOTES

लेखक परिचय :- पं.जवाहरलाल नेहरू विश्वशांति के अग्रदूत राष्ट्रनिर्माता, कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता और प्रगतिशील समाजवादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। पं. नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 में इलाहाबाद के एक धनी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इसके अलावा पं. नेहरू को तीन बहनें भी थी।

जवाहरलाल नेहरू ने दुनियाँ के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरोसे और कालेज की शिक्षा ट्रिनिटी कालेज लंदन से पूरी की। इसके बाद लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूर्ण की। 1912 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। 1917 में वे होमरूल लीग में शामिल हुए उसके बाद 1919 में वे गांधीजी के सम्पर्क में आए और उसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया।

जवाहरलाल नेहरू केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। वे एक ऐसे लेखक भी थे, जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जो उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को अभिव्यक्त करती हैं, उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. सोवियत एशिया (1928)
2. लेटर्स फ्रॉम ए फादर टु हिज डॉटर (1929)
3. इंडिया एण्ड दी वर्ल्ड (1936)
4. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया (1945)
5. ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स (1958)

1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने में उनकी मृत्यु हो गई।

भारत का सामाजिक व्यक्तित्व पाठ का सारांश :- पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने दिनकरजी की पुस्तक के लिए जो प्रस्तावना लिखी वह 'भारत का सामासिक व्यक्तित्व' शीर्षक के अन्तर्गत लिखी थी। वास्तव में पं. नेहरू को भी इस विषय में अत्याधिक रुचि थी। इस प्रस्तावना में नेहरू जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि हमारा देश भारत क्या है, और इस राष्ट्र ने अपने सामासिक व्यक्तित्व का विकास कैसे किया है, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू कौन से हैं, तथा इसकी सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी हुई है ऐसी अनेक बातें बतलाने के बाद भी पं. नेहरू को लगता है कि अनेक भारत-विषयक बातें अभी भी छुपी हुई हैं।

संस्कृति का अर्थ :- पण्डित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि शब्दकोश में संस्कृति की अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं। संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आपको परिचित कराना संस्कृति है। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या शुद्धि है। संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय महत्व भी होते हैं।

भारत कई जातियों व संस्कृतियों का देश :- पं. नेहरू का कहना है कि भारत के सामासिक व्यक्तित्व के निर्माण में मात्र किसी एक जाति, एक तत्व की ही भूमिका नहीं है, अपितु इसमें कई जातियों तथा संस्कृतियों का योगदान रहा है। इसके निर्माण में जहाँ आर्यों का योगदान रहा, वही पूर्व की मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता का योगदान भी रहा, उत्तर-पश्चिम से आने वाली संस्कृतियों का योगदान रहा, वहीं पश्चिमी से आने वाली पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव इस पर पड़ा। इन सभी ने मिलकर जहाँ एक नई संस्कृति का निर्माण किया, वही इसे एक भौगोलिक रूप भी मिला। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे-धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नये उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। लेकिन, बाद में इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गयी और उसके सारे पहलू कमजोर पड़ गये।

भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वन्दी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस समस्या का, एक भिन्न प्रसंग में, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं।

भारत में सांस्कृतिक एकता :- नेहरू के अनुसार भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों से पहले के भारतवासियों खासकर द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुए इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण, दोनों ने योगदान दिया। सच तो यह है कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का अंशदान अत्यन्त प्रमुख रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन् भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई।

आर्थिक पद्धति :- पं. नेहरू का कहना है कि जीवन की आर्थिक पद्धति की व्याख्या जिस वाद ने की है, वह है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का जन्मदाता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं विचारक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उनका कहना था कि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलता। पूँजीवादी लोग श्रमिक का शोषण करते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा की स्थापना की।

भारत की प्राकृतिक स्थिति :- पं. नेहरू ने भारत की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते कहा है कि भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, उससे वह ऐसा देश बन गया, जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बन्द थे। समुद्र और महाशैल हिमालय से घिरा होने के कारण, बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। कई सहस्राब्दियों के भीतर, बाहर से लोगों के बड़े-बड़े झुण्ड भारत में आये, किन्तु आर्यों के आगमन के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आये हों। ठीक इसके विपरीत, एशिया और यूरोप के आसपास मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे, एक जाति दूसरी जाति को खदेड़कर वहाँ खुद बसती रही, और इस प्रकार जनसंख्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में, आर्यों के आगमन के आने के बाद, बाहरी लोगों के जो आगमन हुए, उनके दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका कुछ-न-कुछ तो प्रभाव पड़ा। किन्तु उससे यहाँ कि बुनियादी जनसंख्या के रूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया।

लेकिन जो लोग आए उनकी संगति से हम ऐसी जाति बन गये, जो अपने आप में घिरी रहती है। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग न तो जानते हैं न ही समझ पाते हैं। जाति-प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण हैं। किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ खाने-पीने या विवाह करने में, जाति को लेकर, किसी को क्या उज होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गयी। भारत में दो बातें एक साथ बढ़ी एक तो विचारों और सिद्धान्तों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया। दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यन्त संकीर्ण होते गये।

भारत में आधुनिकीकरण का आण्विक युग :- जब जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धान्त और आचरण का विरोध उतना उग्र नहीं दिखायी देता था। लेकिन ज्यों-ज्यों राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गयी, इस विरोध की उग्रता भी अधिक-से-अधिक प्रत्यक्ष होती गई है। आज तो हम आण्विक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियाँ इतनी प्रबल हैं कि हमें अपने इस आन्तरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा। और इस काम में हम कहीं असफल हो गये हो तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम उन अच्छाइयों को भी खों बैठेंगे, जिन पर हम आज तक अभिमान करते आये हैं। जैसे हम बड़ी-बड़ी राजनैतिक ओर आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे ही, हमें भारत के इस आध्यात्मिक संकट का भी सामना करना चाहिए। भारत में औद्योगिक क्रान्ति बड़ी तेजी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते जा रहे हैं। राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, अन्यथा समन्वय न तो हमारे वैयक्तिक जीवन में रह सकता है, न राष्ट्रीय जीवन में।

भारत में पाश्चात्य सभ्यता :- पश्चिम के लोग भारत आये, तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गये। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता इस देश में प्रविष्ट हो गयी। नये भावों और नये विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे। मगर, इससे एक दोष भी निकला कि हमारे ये बुद्धिजीवी

आम जनता से विच्छिन्न हो गये, क्योंकि सामान्य जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परम्परा से भारत में चिन्तन की जो पद्धति चली आ रही थी, वह टूट गयी।

भारत का जो विश्वास पाश्चात्य विचारों में जगा था, अब तो वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन और हम बिना यह जाने हुए बहते जा रहे हैं कि हम किधर को या कहाँ जा रहे हैं। नयी पीढ़ी के पास न तो कोई मानदण्ड है, न कोई दूसरी ऐसी चीज, जिससे वह अपने चिन्तन या कर्म को नियन्त्रित कर सके।

हम वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। सम्भवतः यह उसी स्थिति का नतीजा हो। उपर्युक्त कथनों का निष्कर्ष यही है कि भारत आज जो कुछ है, उसका जो सामासिक व्यक्तित्व बना है, उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग की अपनी भूमिका है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है, उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाये तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे। और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम, सब-के-सब अधूरे रह जायेंगे और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे, जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो।

NOTES

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री।
 - पं. जवाहरलाल नेहरू
 - मोतीलाल नेहरू
 - नरेंद्र मोदी
 - महात्मा गाँधी
- भारत का सामाजिक व्यक्तित्व दिनकर की किस पुस्तक की प्रस्तावना है।
 - उर्वशी
 - परशुराम की प्रतीज्ञा
 - संस्कृति के चार अध्याय
 - कुरुक्षेत्र
- पं. जवाहर लाल नेहरू का जन्म।
 - 1880
 - 1889
 - 1895
 - 1899
- पं. नेहरू ने संस्कृति को क्या माना है।
 - विज्ञान का जीवन में प्रयोग
 - अध्यात्म और विज्ञान का संयोग
 - सभ्यता का विकास
 - सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना
- जीवन के आर्थिक पद्धति की व्याख्या किसने दी थी।
 - कार्ल मार्क्स
 - गाँधीजी
 - पं. नेहरू
 - रमा पांडे
- भारत की जनात की संस्कृति का रूप कैसा है।
 - सामाजिक
 - उदार
 - विकसित
 - परिष्कृत

7. बौद्धमत भारत के किस क्षेत्र से चीन तक पहुँचा।

i. पाटलिपुत्र

ii. उत्तर भारत से

iii. दक्षिण भारत से

iv. गुजरात से

उत्तर :- 1. (i), 2. (iii), 3. (ii), 4. (iv), 5. (i), 6. (i), 7. (iii)

NOTES

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. पं. नेहरू की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो।
2. भारतीय जाति - प्रथा के किन - किन दोषों की चर्चा लेखक ने की है।
3. संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
4. भारत में सांस्कृतिक एकता है, स्पष्ट करो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. "भारत का सामाजिक व्यक्तित्व" पाठ का सांराश अपने शब्दों में लिखो।
2. भारतीय संस्कृति को किन - किन दिशाओं से आनेवाले लोगों ने प्रभावित किया है।
3. पश्चिम के लोगों के भारत आगमन से किन - किन लाभ और हानियों की चर्चा लेखक ने की है।
4. भारत की प्राकृतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए।
5. भारतीय लोगों को पाश्चात्य सभ्यता प्रभावित कर रही है। स्पष्ट करो।



20. पत्र मैसूर के महाराजा को (पत्र लेखन)

स्वामी विवेकानन्द

NOTES

स्वामी विवेकानन्द का परिचय :- स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। विवेकानन्द नाम उन्होंने सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान करने समय ग्रहण किया।

विवेकानन्द पर उनकी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी आयु के 25 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1881 में विवेकानन्द की भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई जहाँ से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 24 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने प्रण कर लिया था कि वे अपना सारा जीवन गुरु के सन्देश के प्रचार में लगाएंगे। 1893 में वे अमेरिका गए जहाँ शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधी के रूप में भाग लिया। 1897 में कोलकाता के पास वैलूर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में मिशन की अनेक शाखाएँ थीं और स्कूलों, अस्पतालों और दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना द्वारा उन्होंने समाज की सेवा की। 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया।

पाठ का सारांश :- स्वामी विवेकानन्द ने 23 जून 1894 को शिकागो से मैसूर के महाराजा को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उदारता के लिए आभार प्रकट किया तथा महाराज के परिवार की मंगल कामना की। उसके पश्चात वहाँ की संस्कृति, भारत व अमेरिका के लोगों के बीच का अंतर, वहाँ के लोगो का जीवन परिचय, भारत के लोगो की मनोवृत्ति आदि का विस्तृत में पत्र के माध्यम से वर्णन किया।

अमेरिका एक अद्भुत देश :- स्वामी विवेकानन्दजी अमेरिका को अद्भुत देश कहा है क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ के लोग दैनिक कार्यों में कलपुर्जों (मशीनों) का अधिकाधिक उपयोग करते हैं। वे संसार की आबादी के पाँच प्रतिशत मात्र हैं फिर भी संसार के कुल धन के पूरे षष्टांश के मालिक हैं। वस्तुएँ बहुत महँगी हैं फिर भी विलासिता की अधिकता है। मजदूरों का मेहनताना दुनिया में सब जगह से ज्यादा है, फिर भी मजदूरों और पूँजीपतियों में झगड़े चला करते हैं।

अमेरिका में महिलाओं की स्थिति :- अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त है उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं। धीरे - धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है। हाँ, उच्च प्रतिभा का विकास अधिकतर पुरुषों में ही है। पाश्चात्यवासी हमारे जाति - भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति - भेद है जो हमारे यहाँ से भी बुरा है - और वह है अर्थगत जातिभेद। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डालर यहाँ सब कुछ कर सकता है। संसार के अन्य किसी देश में इतने कानून नहीं हैं, जितने कि यहाँ। पर यहाँ उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं।

पाश्चात्य लोगों को भौतिक शिक्षा के बाद धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता :- विवेकानन्द जी के अनुसार वहाँ के लोग धर्म के विषय में कपटी या हठी हैं। विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूर्ण धर्मों से ऊब गये हैं और नये प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा - सा कण भी बड़े चाव से ग्रहण करते हैं: क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः - पुनः तीव्र आक्रमण कर रहा है, उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ हैं और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक सृष्ट पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक महाक्रूर और अत्याचारी ईश्वर का होना, अनन्त नरक का होना - ये सब जो इन लोगो के मत हैं, उनसे सभी शिक्षित लोगो का जी ऊब गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति - सम्बन्धी वेदों से उदात्त भावों को वे शीघ्र ही किसी - न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पचास वर्षों के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगेंगे, और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने लगेंगे जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं।

भारत में अनर्थों की जड़: गरीबी:— स्वामी विवेकानन्द भारत में सभी अनर्थों का मूल कारण, उनकी जड़ जनसाधारण की गरीबी को मानते हैं। वे अपने देश के गरीबों की तुलना पाश्चात्य देशों के गरीबों से करते हैं तो मानते हैं कि वहाँ के गरीब तो बिल्कुल पशुओं के समान हो गए हैं उनमें जरा सी सोचने – समझने की शक्ति नहीं है उन्हें भेड़ों के समान जिधर हाँक दिया जाये उधर ही चल देंगे। जबकि उनकी तुलना अपने भारत देश के गरीबों से करते हुए स्वामीजी का मानना है कि हमारे देश के गरीब पुरोहिती शक्ति तथा विदेशी विजेतागणों से सदियों से कुचले जाने के कारण दयनीय स्थिति में हैं। ये बेचारे गरीब तो यह भी भूल गए हैं कि वे मानव हैं। वे बेचारे तो सीधे – सच्चे देवता समान (दरिद्रनारायण) हैं। उनकी सोचने – समझने की शक्ति रूक – सी गई है। अतः उनमें विचार – शक्ति पैदा करना होगी। उनमें इस बात का अहसास जगाना होगा कि दुनिया में आज क्या-क्या हो रहा है। इसके बाद वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। वे बड़े ही सहज व सरल हैं। कहने का आशय यही है कि उनकी गरीबी हटाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमें एक बार उन्हें जगाना होगा, उन्हें सही राह दिखाना होगी। इस प्रकार इन्हें एक प्रकार से सहायता देना होगी, उसके बाद वे स्वयं अपनी राह पकड़ लेंगे।

NOTES

भारत में शिक्षा का प्रचार – प्रसार करना :- अन्य देशों का तुलना में हमारे देश में गरीब अधिक है, जो हमारे भगवान (दरिद्रनारायण) है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इन्हें शिक्षा देना, उनमें उन्नति की चाह जाग्रत करना। इसके लिए निःशुल्क पाठशाला खोल देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अधिकांश परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चे, बूढ़े सभी दिन में मजदूरी करने जाते हैं तब कहीं शाम को खाना मिलता है। अतः आवश्यकता है ऐसे जागरूक लोगों की जो शाम को उन बच्चों के पास जाकर उन्हें कुछ शिक्षा दे सकें। हम उन बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाकर, बातचीत करके बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। स्वामी विवेकानन्द जी कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हजारों एकनिष्ठ तथा त्यागी साधु हैं जो गाँव – गाँव जाकर धर्म सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि उनमें से ही कुछ एकनिष्ठ तथा त्यागी साधु एक सुनियोजित तरीके से गाँव – गाँव जाकर आध्यात्मिक के साथ ही सांसारिक शिक्षा प्रदान करें: ग्रामीणों को जो स्कूलों तक नहीं जा सकते उन्हें उनके यहाँ जाकर गणित, ज्योतिष तथा भूगोल जैसे व्यावहारिक तथा सांसारिक विषयों का ज्ञान प्रदान करें तो वे भारत देश एवं देशवासियों की व्यावहारिक उन्नति में सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानन्द का यह भी मानना है कि शिक्षा देने के लिए मात्र स्कूल खोल देने से कुछ नहीं होगा। लोग स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करना ज्यादा पसन्द करेंगे। ऐसे में लोगों को पढ़ाने, उन्हें शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने वालों को स्वयं चलकर उनके पास जाना होगा। तभी तो उन्होंने लिखा कि 'पहाड़ मुहम्मद के पास न आए, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास जाए।'

महाराज को कार्य के लिए प्रेरित करना :- स्वामी विवेकानन्द जी मैसूर के महाराज को कहते हैं कि हे महामना राजन्, यह जीवन क्षणस्थायी है, संसार के भोग – विलास की सामग्रियाँ भी क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगो का जीना तो मरने के बराबर है। महाराज, आप जैसे एक उन्नत, महामना देशीय राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर – नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा कर दे, जो अज्ञता में गड़े हुए दुःख झेल रहे हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द जी ने मैसूर के महाराज को पत्र लिखकर उन्हें गरीब भारतवासियों को शिक्षा देने एवं अन्य मदद करने की अपेक्षा की है

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका को अदभुत देश क्यों कहा है।
2. 'पहाड़ मुहम्मद के पास ने आए तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास जाए' से क्या आशय है।
3. स्वामी विवेकानन्द का जीवन परिचय लिखो।
4. अमेरिका में महिलाओं की स्थिति कैसी है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. स्वामी विवेकानन्द के अनुसार पाश्चात्य देशों और भारत के जीवनादर्श में क्या भेद है।
2. स्वामी विवेकानन्द ने देश के सभी अनर्थों की जड़ किसे कहा है? और क्यों।
3. स्वामी विवेकानन्द को मैसूर के महाराजा से क्या अपेक्षाएँ हैं।
4. पाश्चात्य लोगों को धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है।

NOTES

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. स्वामी विवेकानन्द का जन्म।
i. 1803 ii. 1863 iii. 1883 iv. 1893
2. स्वामी विवेकानन्द के गुरु।
i. रामकृष्ण परमहंस ii. गाँधीजी iii. चाणक्य iv. दयानन्द
3. सर्वशक्तिमान डालर क्या - क्या कर सकता है।
i. मनुष्य को अमर बना सकता है
ii. नंगे पैर पानी पर चलने की शक्ति प्रदान कर सकता है
iii. दूसरे देशों की सरकारें गिरा सकता है
iv. सब कुछ
4. विचारशील लोग अपने धर्मों से ऊब गए हैं।
i. रूढ़ ii. कुसंस्कारपूर्ण iii. अंधविश्वासपूर्ण iv. कर्मकाण्डपूर्ण
5. क्षणभंगुर शब्द का अर्थ है।
i. जो क्षण - क्षण में नया होता है ii. जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है
iii. जो क्षीण है iv. जो भाँग पीता है
6. विवेकानन्द ने किस देश को एक अद्भुत देश कहा है।
i. इंग्लैण्ड ii. ब्रिटेन iii. अमेरिका iv. मारीशस
7. कहाँ की महिलाओं को दुनियाभर में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है।
i. रूस ii. अमेरिका iii. चीन iv. जापान
8. स्वामी विवेकानन्द ने मैसूर के राजा को पत्र कब लिखा।
i. 1894 ii. 1804 iii. 1904 iv. 1994
9. भारत के गरीबों में कौनसा विचार भरने की क्या आवश्यकता है।
i. वे भी मनुष्य है ii. वे भी भारतीय है
iii. वे भी जीवित है iv. वे भी चल - फिर सकते है

उत्तर :- 1. (ii), 2. (i), 3. (iv), 4. (ii), 5. (ii), 6. (iii), 7. (ii), 8. (i), 9. (i),



21. बनी रहेंगी किताबें (आलेख)

डॉ. सुनीता रानी घोष

NOTES

लेखक परिचय:- हिन्दी साहित्य के इतिहास में डॉ. सुनीता रानी घोष ने अपनी रचनाओं के द्वारा अपनी एक नई छवि निर्मित की है।

भाषा की सरलता व वास्तविकता के कारण पाठक आपकी रचना में ही खो जाता है। आपने हिन्दी साहित्य में अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक विधाओं को समृद्ध किया है।

“बनी रहेंगी किताबें” पाठ का सारांश :- डॉ. सुनीता रानी घोष द्वारा लिखित ‘बनी रहेंगी किताबें’- किताबों की उपयोगिता उस पर विद्वानों की राय तथा आधुनिक कम्प्यूटर और इण्टरनेटी युग में मुद्रित किताबों का महत्व एवं उनके भविष्य पर लिखा गया एक सारगर्भित निबन्ध है।

किताबें पढ़ने का उद्देश्य:- किताबें पढ़ने का सभी का कोई एक सामान्य उद्देश्य नहीं होता, अपितु अपने अलग-अलग उद्देश्य होते हैं।

1. कोई साक्षर बनने के लिए पढ़ना है।
2. कोई साधारण हिसाब-किताब सीखने के लिए पढ़ता है।
3. कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं।
4. कुछ लोग ‘स्वांत सुखाय’ का उद्देश्य लेकर पढ़ते हैं।

इस तरह किताबें पढ़ने के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में विद्वानों का मानना है कि किताबों की दुनिया भी एक तरह से सपनों की दुनिया की तरह हमें अपने पाश में बाँध लेती है। जब तक हम उस दुनियाँ में रहते हैं, अपनी समस्याएँ, पीड़ा, बेचैनी सब भूल जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि किताबे जहाँ एक और यथार्थ के धरातल पर बहुविध ज्ञान का माध्यम है, वही दूसरी ओर वास्तविकता की भयावहता से पलायन कर कहीं दूर सुरक्षित कोने में ले जाने में ये पुस्तकें हमारी सहायक होती हैं।

रेडियो और टेलीविजन का आगमन:- जब पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ तो लोगों ने कहा कि पुस्तक का युग अब समाप्त हो जाएगा। टेलीविजन के आगमन पर भी यह उद्घोषणा-सी कर दी गयी थी कि अब समाचार पत्र तथा किताबे कोई नहीं पढ़ेंगे। केबल टी.वी. की शुरुआत के अवसर पर भी ऐसा ही कुछ हुआ और कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के प्रसार के सूचना क्रान्ति के इस युग ने तो सचमुच पुस्तक प्रेमियों को चिन्ता में डाल दिया। परन्तु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

इस संदर्भ में महाकवि त्रिलोचन की एक कविता ‘चम्पा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती’ याद आती है। इस कविता में त्रिलोचन चम्पा नामक निरक्षर ग्रामीण बालिका को पढ़ने के बहुत से लाभ बताकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वे गांधी बाबा के पूर्णतः साक्षर राष्ट्र के स्वप्न का भी उल्लेख करती हैं।

“उस दिन चम्पा आयी
मैंने कहा कि चम्पा तुम भी पढ़ लो
हारे-गाढ़े काम सरेगा
गांधी बाबा की इच्छा है
सब जन पढ़ना-लिखना सीखे”

परन्तु वह अंत तक यही कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी। कविता में पढ़ने के प्रति चम्पा की यह विद्रोही उदासीनता तो कविता के उद्देश्य को स्पष्ट करती ही है परन्तु कविता का मुख्य प्रभाव हमें तब गहरे सोच में डाल देता है, जब चम्पा कवि से यह कहती है-

“चम्पा बोली
तुम कितने झूठे हो देखो
हाय राम तुम पढ़-लिखकर इतने झूठे हो”

चम्पा का यह कथन हमारे पढ़े-लिखे सभ्य समाज पर और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग पर तीक्ष्ण व्यंग्य है और कवि हमें समझाना चाहता है कि किताबों को पढ़ने के बाद भी हम कितने अनपढ़ हैं।

कम्प्यूटर और इण्टरनेट का युग:- कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के प्रसार ने सूचना क्रान्ति के युग की जो शुरुआत की है, इसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि इससे किताबों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है, मुद्रित किताबों का अब कोई भविष्य नहीं बचा। जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के युग में भी आज समाचार पढ़ने के लिए लोग समाचार-पत्रों का जितना बहुआयामी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पुस्तकें आज भी महत्वपूर्ण ही हैं। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जैसे सन्दर्भ ग्रन्थों- जिन्हें कभी-कभी देखने की आवश्यकता होती है, उनके लिए तो उक्त आधुनिक तकनीकी उपयोगी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में इनका प्रकाशन सरल तथा शीघ्र हो सकता है। साथ ही उनमें समयानुकूल परिवर्तन आसानी से हो सकते हैं। इससे किताबों की स्याही, कागज, प्रेस तथा पर्यावरण की समस्याओं का निराकरण कुछ सीमा तक हो सकेगा। फिर भी मुद्रित किताब कभी भी खाली समय में अपनी सुविधानुसार पढ़ी जा सकती है। हम बिस्तर पर लेटकर, खाना खाते समय, रेल व बस में यात्रा करते हुए भी मुद्रित पुस्तक पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सड़क पर चलते हुए पन्ने पलटते हुए देखे जा सकते हैं। किताब, विशेष रूप से पैपरबैक किताबें सस्ती, हल्की तथा सुविधाजनक होती हैं। किताब पढ़ने के लिये सूर्य की रोशनी, आँखें तथा हाथ ही पर्याप्त हैं। रात्रि में बिजली के अभाव में हम मोमबत्ती में भी किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार ई-बुक के सुविधाजनक होने के बावजूद भी इसे प्रचलित करने के लिये बैटरी की आवश्यकता होती है।

आधुनिक डिजिटल तकनीक मुद्रित किताबों के पूरक के रूप में तो उपयोगी हो सकती है, किन्तु उसके स्थापन रूप में नहीं। उदाहरणार्थ कहा जा सकता है कि हवाईजहाज के आविष्कार एवं प्रचलन में आने के बावजूद रेल तथा बसें आज भी यातायात के प्रमुख साधन हैं। यही बात मुद्रित किताबों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यही कारण है कि टेलीविजन, कम्प्यूटर, इण्टरनेट तथा वीडियो गेम्स में उलझे बच्चे 'चम्पक' व 'चन्दामामा' जैसी पत्रिकाओं से चाहे दूर जा रहे हों, लेकिन 'हैरी पॉटर' की विश्वस्तरीय रिकॉर्ड तोड़ सफलता तथा इसकी लेखिका जे.के. रोलिंग की बढ़ती प्रसिद्धि इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आज भी बच्चों को बाल साहित्य आकर्षित करता है तथा पढ़ने में उनकी रूचि समाप्त नहीं हुई है।

कहने का आशय मात्र इतना ही है कि आज के कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट के युग में किताबों की अपनी उपयोगिता है।

विद्यालयीन शिक्षा किताबों से ही.....

यह बात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य है कि देखी हुई दुर्घटना या परिदृश्य का मस्तिष्क पर उतना स्थायी प्रभाव नहीं होता जितना किसी पढ़े हुए मार्मिक विषय का। यही वजह है कि बच्चों की विद्यालयीन शिक्षा का आरम्भ किताबों से किया जाता है, उनमें लिखे हुए शब्द के प्रति सम्मान का भाव जगाया जाता है। अत्याधिक तकनीकी प्रगति के बाद भी शिक्षण प्रणाली में किताबों का स्थान कम्प्यूटर नहीं ले पाया है। किताबों के प्रभाव एवं शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न सरकारों सत्ता में आते ही पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देती है टेलीविजन, फिल्मों, धारावाहिक, रेडियो के कार्यक्रम इनका आधार किताबें ही होती हैं।

किताबों जैसा मित्र कोई नहीं:-

किसी ने सच की कहा है कि - किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। किताबों से हम वार्तालाप कर सकते हैं, अपने चित्त तथा चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पुस्तकालय को 'सन्त मिलन का उत्तम मार्ग' बतलाया है।

किताबें, जीवन को सही मार्ग दिखाने में सहायक:-

किताबें हमारे वैयक्तिक जीवन का पथ प्रशस्त करती हैं, साथ ही सामाजिक जीवन के विकास के लिये भी प्रेरक होती हैं। लगभग हर महान् व्यक्ति के जीवन में किसी-न-किसी पुस्तक का हाथ रहा है। रूसी, मार्क्स, लेनिन अथवा गांधी सभी के जीवन-दर्शन के निर्माण में महान् पुस्तकों का योगदान था, वही स्वयं इनके द्वारा रचित पुस्तकों ने अनेक क्रान्तियों को उत्प्रेरित भी किया। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं- "कुछ खास किताबों का असर मेरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है, लेकिन जिस पुस्तक ने मेरे

जीवन में सर्वाधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है, वह रास्किन की 'अनटू दिस लास्ट' पुस्तक है"। इस प्रकार किताबों का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। फिर भी आज किताबों के भविष्य को लेकर एक आंशका इस कारण भी बढ़ रही है कि कुछ समीक्षकों का मानना है कि आज 'भागवद् गीता', 'अनटू दिस लास्ट', 'मदर' के समान मानव जीवन-शैली को प्रभावित करने वाली पुस्तकें विश्व साहित्य में लुप्तप्राय हो चुकी हैं। आज हर व्यक्ति किताब छपवाना चाहता है। जबकि यह आवश्यक नहीं कि वे सभी समाज-उत्थान से जुड़ी हों। ऐसे में प्रकाशित पुस्तकों के विशाल समुद्र में ले कुछ बहुमूल्य मोती रूपी पुस्तकें छाँटना असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। मीडिया तथा तकनीकी के विस्तार के साथ-साथ किताबों की प्रकाशन संख्या तो बढ़ी है, किन्तु उनकी अधिक प्रतियों की बिक्री नहीं होती, पुस्तकों पर भी बाजारवाद हावी हो गया है।

ई-बुक :- कुछ बुद्धिजीवी ई-बुक के आने से भी चिन्तित हैं। उनको भय है कि इससे मुद्रित किताबों का चलन खतरे में है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जैसे उन सन्दर्भ ग्रन्थों के लिए यह नई आधुनिक तकनीक उपयोगी हो सकती है, जिन्हें देखने का काम कभीकभार ही होता है। लेकिन ये मुद्रित किताबों का स्थान नहीं ले सकते। किताबों को कभी भी घर पर बैठकर, लेटकर या यात्रा के दौरान बस या रेल में-कहीं भी पढ़ा जा सकता है। ये अपेक्षाकृत सस्ती व सुलभ भी होती हैं।

संक्षेप में :- इस प्रकार पुस्तक मानव जाति के विकास में एक मानवशास्त्रीय विकास है। यह अनुभव के संसार में विचरण करने का एक प्रमुख माध्यम है, जहाँ पन्ना पलटते ही हम अधिकाधिक जानकारी तथा ज्ञान हासिल करते जाते हैं। लेकिन यहाँ यह भी आवश्यक है कि हम जो भी पढ़ें, श्रेष्ठ साहित्य ही पढ़ें, जो शाश्वत हो। कहने का आशय यही कि पठन सामग्री के चयन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है।

रहा सवाल किताबों के भविष्य का, तो हम यही कह सकते हैं कि जब तक शब्द रहेंगे, मानव की आस्था जीवित रहेगी और स्वयं मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक किताबें भी रहेंगी तथा ये किताबें ही वर्तमान की भाँति भविष्य में भी विश्व की सर्वोच्च सत्ता के आसन पर विराजमान रहेंगी।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुत्तरीय प्रश्न

1. किताबें पढ़ने के क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं।
2. महात्मा गाँधी को किस पुस्तक ने सर्वाधिक प्रभावित किया था।
3. "ई-बुक" से क्या तात्पर्य है।
4. महाकवि त्रिलोचन की कविता से क्या तात्पर्य है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. कम्प्यूटर और इंटरनेट युग में किताबों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
2. "किताबों का भविष्य" टिप्पणी लिखो।
3. किताबें हमारे जीवन को सही मार्ग दिखलाती हैं, स्पष्ट करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'बनी रहेंगी किताबें' पाठ है-
 1. कहानी
 2. आलेख
 3. संस्मरण
 4. काव्य
2. किताब पढ़ने का उद्देश्य
 1. साक्षरता
 2. हिसाब-किताब सीखने के लिए
 3. उच्च शिक्षा के लिए
 4. उपरोक्त सभी

NOTES

NOTES

3. 'बनी रहेंगी किताबें' निबन्ध में लेखिका ने किस कवि की काव्य-पंक्तियाँ उद्धृत की हैं-
1. नागार्जुन
 2. त्रिलोचन
 3. अज्ञेय
 4. मुक्तिबोध
4. गाँधीजी द्वारा किये गए 'अनटू दिस लास्ट' पुस्तक का अनुवाद किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
1. सत्य के प्रयोग
 2. मेरी आत्मकथा
 3. सत्याग्रह
 4. सर्वोदय
5. महाकवि त्रिलोचन की कविता की मुख्य पात्र.....
1. सीता
 2. चम्पा
 3. मीना
 4. राधा
6. 'बनी रहेगी किताबें' निबंध की रचनाकार का नाम है-
1. सुनीता रानी घोष
 2. सूर्यबाला
 3. मन्नू भण्डारी
 4. कृष्णा सोबती
7. पुस्तकालय को संत मिलन का उत्तम मार्ग किसने कहा है?
1. महात्मा गांधी ने
 2. मेक्सिम गोर्की ने
 3. रस्किन ने
 4. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने

उत्तर :- 1. (ii) 2. (iv) 3. (ii) 4.(iv) 5. (ii) 6. (i) 7. (iv)



22. पत्र लेखन : महत्व और उसके विविध रूप

आज के विकाशील युग में पत्र-व्यवहार, व्यक्ति समाज का महत्व दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है। पत्र लेखन की परम्परा काफी पुरानी है। पत्र-लेखन एक कला है। पत्र लेखन का न केवल हमारे जीवन में, बल्कि साहित्य जगत में भी इसका एक विशेष स्थान है।

पत्र का महत्व:- अंग्रेजी के महान विचारक जेम्स हावेल ने कहा है कि As keys do open chests, So letters open hearts. उक्त अंग्रेजी विद्वान् के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार कुंजियाँ बक्सों खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निःशुद्ध भावों और विचारों का आदान-प्रदान पत्रों द्वारा ही सम्भव है। इसके द्वारा दो हृदयों का सम्बन्ध दृढ़ होता है। पत्रलेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगमभूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करता है। पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्र-इस प्रकार के हजारों सम्बन्धों की नींव यह सुदृढ़ करता है। व्यावहारिक जीवन में यही वह सेतु है, जिससे मानवीय सम्बन्धों को परस्परता सिद्ध होती है। अतएव पत्राचार का बड़ा महत्व है।

पत्रलेखन एक कला है:- आधुनिक जगत में पत्र लेखन को एक 'कला' माना गया है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र से के लिए कलात्मक सौन्दर्यबोध और अन्तरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएँ व्यक्त नहीं होतीं, बल्कि उसका व्यक्तित्व (Personality) भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः, पत्रलेखन एक प्रकार पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है।

पत्र की विशेषताएँ :- पत्र लेखन एक कला है कैफ भोपाली ने कहा कि

दिले नादाँ न धड़क, ए दिले नादाँ न धड़क।

कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा।।

अर्थात् पत्र के माध्यम से बगैर रूबरू हुए अपरिचित से आत्मीयता और बेगाने से भी अपनत्व जुड़ जाता है। पत्र की विशेषताएँ निम्नप्रकार हैं।

1. **सरल भाषाशैली-** पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल का होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हों। सारी बात सीधे-सादे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा-फिराकर लिखना उचित नहीं।

2. **विचारों की सुस्पष्टता-** पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। कहीं भी पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर जोर देनेवाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए।

3. **संक्षिप्त और सम्पूर्णता-** पत्र अधिक लम्बा नहीं होना चाहिए। वह अपने में सम्पूर्ण और संक्षिप्त हो। उसमें अतिशयोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त, पत्र में एक ही बात को बार-बार दुहराना एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरम्भ में लिखी जानी चाहिए। सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। पत्र अपने में सम्पूर्ण हो, अधूरा नहीं। पत्रलेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार की उलझन में छोड़ना ठीक नहीं।

4. **प्रभावान्विति-** पत्र का पूरा प्रभाव पढ़नेवाले पर पड़ना चाहिए। आरम्भ और अन्त में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए।

NOTES

NOTES

5. **बाहरी सजावट**- पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यह कि

- (i) उसका कागज सम्भवतः अच्छे-से-अच्छा होना चाहिए।
- (ii) लिखावट सुन्दर, साफ और पुष्ट हो।
- (iii) विरामादि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए।
- (iv) शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अन्त अपने-अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए।
- (v) पत्र की पंक्तियाँ सटाकर न लिखी जाएँ और
- (vi) विषय-वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लम्बा-चोड़ा होना चाहिए।

6. **क्रमबद्धता**- क्रमबद्धता यह पत्र की विशेषता है। उसमें उल्लिखित विषय का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि कोई आवश्यक बात छूटने न पाए, जिससे पाठक पत्र के आशय को भली-भाँति समझ सके।

7. **स्वाभाविकता**- पत्र में स्वाभाविकता होने पर ही स्पष्टता एवं मौलिकता आती है। अतः उसमें अप्रचलित शब्दों, कविता की पंक्तियों आदि का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।

पत्र के अंग- किसी भी पत्र में सामान्यतः निम्न अंग पाए जाते हैं।

(1) **प्रेषक का पता एवं शीर्षक**- इसे प्रारम्भ में लिखना चाहिए।

(2) **सम्बोधन**- जिसे पत्र लिखा जाये उसके लिए सम्बोधनसूचक शब्द, जैसे- आदरणीय, प्रिय, पूज्य आदि।

(3) **विषय वस्तु**- वह प्रमुख बात जिस कारण से पत्र लिखा गया है।

सम्बोधन- पत्र का यथोचित सम्बोधन के द्वारा समापन किया जाए

(5) **पता**- जिसे पत्र लिखा जाये उसका पता।

पत्रों के प्रकार- पत्र लेखन एक कला है क्योंकि पत्र में आपकी शिक्षा, संस्कार, परिवेश, प्रकृति और दृष्टिबोध झलकता है। इसलिए पत्र लेखन को एक विधा मानते हुए उसके मानक स्वरूप को जानना आवश्यक है। पत्र के विविध प्रकार हैं जैसे- निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, अखबारी पत्र आदि। अब हम इनका यहाँ विस्तृत में अध्ययन करेंगे।

1. **निजी पत्र**- निजी पत्र को पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। माता-पिता, भाई-बहिन, पिता-पुत्र, चाचा-भतीजे, आदि पारिवारिक क्षेत्र से लेकर मित्रों, स्वजनों आदि को लिखे हुए पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं।

निजीपत्रों की विशेषताएँ- निजी पत्रों की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं।

1. पत्र की भाषा सरल और रोचक होना चाहिए।
2. वाक्य छोटे-छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए।
3. कठिन भाषा, लम्बे वाक्य और अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए।
4. केवल प्रसंग (Relevant) की बातें लिखी जाएँ। व्यर्थ की अप्रासंगिक बातें उसमें नहीं आनी चाहिए।
5. पारिवारिक पत्रों में आत्मीयता (अपनत्व) प्रकट होना चाहिए। पत्र लिखने वाले की भावना, संवेदना के साथ ही उसका व्यक्तित्व भी परिलक्षित होना चाहिए।
6. पत्र में भाषा शुद्ध होना चाहिए। विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जिन शब्दों की अक्षर-योजना या अर्थ के बारे में संदेह हो, उन्हें कदापि नहीं लिखें।

पिता के नाम पुत्र का पत्र

महादेव कालेज, भोपाल

20.04.2016

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आनन्द से हूँ। मैं यहाँ कई अच्छे सहपाठियों को मित्र बना चुका हूँ, जो अच्छे स्वभाव के, परिश्रमी और अध्ययनशील हैं। मैं कॉलेज में अभी नया हूँ, फिर सबका स्नेह प्राप्त है। इस कॉलेज के प्राचार्य श्री शर्मा सर और प्राध्यापक सभी अच्छे हैं और मुझपर पूरा ध्यान रखते हैं। मैं हिन्दी-परिषद् का सहायक मंत्री बन गया हूँ। कॉलेज की अन्य परिषदों में भी काम करना चाहता हूँ, पर समय का इतना अभाव है कि कॉलेज के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना सम्भव-नहीं है। पढ़ना अधिक है, पढ़ाई भी काफी हो चुकी है इसलिए मैं कहीं बाहर जा नहीं जाता। यहाँ का जीवन बड़ा व्यस्त है, हर मिनट कामती मालूम होता है। कॉलेज के छात्रों में अध्ययन की प्रतियोगिता भी रहती है। हर छात्र दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है ऐसी हालत में जी-तोड़ परिश्रम आवश्यक है। तभी मैं अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकता हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में मेरा परीक्षाफल सन्तोषजनक रहेगा। शेष कुशल है। कृपया पत्रोत्तर देंगे। पूज्यनीय माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहें।

आपका स्नेहाकांक्षी

पानेवाले का नाम और पता

2. व्यावसायिक पत्र :- व्यावसायिक पत्रों को व्यापारिक पत्र भी कहा जाता है। व्यापार जगत में पत्रों का महत्व व्यापक होता है व्यवसायों के सारे कारोबार पत्रों के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं। ऐसे पत्रों का मूलाधार सामग्री का लेन-देन अर्थात् क्रय-विक्रय होता है। क्रेता-विक्रेता के बीच कारोबार को लेकर लिखे गये पत्र ही व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

1. व्यावसायिक पत्र में पहले ऊपर प्रेषक संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर और डाक का पूरा पता होना चाहिए।

2. पत्र के दायीं ओर दिनांक होना चाहिए।

3. पत्र के बायीं ओर पत्र की क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए।

4. इसके बाद 'सेवा में' लिखकर उसके नीचे प्राप्तकर्ता का नाम व पता लिखा जाना चाहिए।

5. इसके बाद पत्र के विषय का संकेत होना चाहिए।

6. फिर 'महोदय' या 'महोदया' का सम्बोधन किया जाना चाहिए।

7. इसके बाद मूल-पत्र लिखा जाना चाहिए।

8. पत्र को समाप्त करके 'आपका शुभेच्छु' 'आपका सद्भावी' या 'आपका कृपाकांक्षी' आदि लिखकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। नीचे पत्र-प्रेषक का पूरा उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे प्रबन्धक या व्यवस्थापक की सील अंकित होनी चाहिए।

व्यावसायिक पत्रों के प्रकार:- व्यवसाय की व्यापकता के कारण व्यावसायिक पत्रों के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं।

1. परिपत्र

2. पूछताछ पत्र

3. अनुवर्ती पत्र

NOTES

NOTES

4. कोटेशन पत्र
5. आदेश पत्र
6. आदेश प्राप्ति सूचना पत्र
7. माल रवानगी पत्र
8. माल प्राप्ति एवं भुगतान पत्र
9. दावे, शिकायत तथा समझौता पत्र
10. बीमा पत्र आदि

व्यावसायिक पत्र का उदाहरण:-

प्रति,

व्यवस्थापक महोदय,
कैलाशपुस्तक सदन, भोपाल

दिनांक.....

प्रिय महोदय,

कृपया मुझे प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम की फाउण्डेशन की पुस्तकें उचित कमीशन काटकर वी.पी.पी. द्वारा शीघ्रताशीघ्र भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें भेजने से पूर्व यह अवश्य देख लीजिएगा कि पुस्तकों के पृष्ठ कटे-फटे हुए एवं कम न हों, साथ ही संस्करण नवीनतम हो। आपके नियमानुसार सौ रूपये अग्रिम धनराशि के रूप में भेज रहा हूँ पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं-

1. हिन्दी भाषा संरचना (प्रथम सेमेस्टर)
2. उद्यमिता विकास (द्वितीय सेमेस्टर)

भवदीय,

मनोज कुमार

शासकीय विद्यालय इंदौर

पुस्तक विक्रेता की ओर आपूर्ति आदेश पत्र :-

हरीश प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, भोपाल

पत्र क्रमांक.....

दिनांक 20.5.16

प्रति,

व्यवस्थापक,
गीता प्रेस
पत्रालय गीता प्रेस गोरखपुर, पिन: 273005

महोदय,

कृपया निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुस्तकें रेल पार्सल से भेजने का कष्ट करें। आपके नियमानुसार आदेशित पुस्तकों का लगभग आधा मूल्य रु. पन्द्रह सौ बैंक ड्राफ्ट क्रमांक PNB45323 के जरिये भेज रहे हैं। शेष माल प्राप्त होते ही भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

नाम पुस्तक	मूल्य	विवरण	प्रतियाँ
श्री वाल्मीकीय रामायण	130,00	प्रथम खण्ड, सजिल्द	10
श्री रामचरितमानस	160,00	बृहदाकार, सजिल्द	10

विनय पत्रिका	30	भावार्थ सहित	20
गीतावली	10,00	भावार्थ सहित	20
श्री दुर्गासप्तशती	10,00	सानुवाद	20
महाभारत	150,00	प्रथम खण्ड	05
महाभारत	140,00	द्वितीय खण्ड	05
महाभारत	150,00	चतुर्थ खण्ड	05

NOTES

भवदीय
संदीप नागवंशी

3. शासकीय पत्र:- शासकीय पत्र, प्रशासनिक कार्यप्रणाली का मूल आधार तन्त्र हैं। पत्र के जरिये ही प्रशासन की केंद्र इकाई प्राथमिक इकाइयों से सम्पर्क व संवाद करती है। जो पत्र सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, अथवा दो राज्यों की सरकारों के मध्य, दो देशों की सरकारों के मध्य, सरकारी एवं गैर-सरकारी व अर्द्धशासकीय संगठनों के बीच जारी किये जाते हैं, उन्हें शासकीय पत्र कहते हैं।

शासकीय पत्रों के प्रकार:-

शासकीय पत्रों के अनेक स्वरूप होते हैं। जैसे -

1. सामान्य या कार्यालयीन पत्र,
2. अर्द्ध सरकारी पत्र,
3. ज्ञापन पत्र,
4. विज्ञप्ति,
5. अधिसूचना,
6. घोषणा-पत्र,
7. आवेदन-पत्र,
8. स्मरण-पत्र,
9. संलग्नक,
10. परिपत्र
11. शुद्धिपत्र,
12. अध्यादेश आदि।

शासकीय पत्रों की विशेषताएँ:- शासकीय पत्रों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

1. शासकीय-पत्र में सबसे ऊपर दायी ओर सम्बन्धित कार्यालय, संस्था या सरकार का नाम अंकित होता है।
जैसे- भारत सरकार, गृह-मन्त्रालय आदि।
2. उसके नीचे कार्यालय से पत्र भेजने की तिथि और रजिस्टर में अंकित जावक संख्या का उल्लेख रहता है।
3. तत्पश्चात् पत्र के बायीं ओर पहले प्रेषक का पद, नाम तथा पता लिखा रहता है।
4. उसके नीचे विषय लिखा होता है, जैसे- प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग, छात्रवृत्ति, अनुदान आदि।

NOTES

5. पत्र में तत्पश्चात् पिछले पत्र सन्दर्भ दिया जाता है।
6. तत्पश्चात् सम्बोधन किया जाता है। जैसे-‘महोदय’, ‘प्रिय महोदय,’ ‘मान्यवर’ आदि।
7. प्रतिपाद्य विषय को परिच्छेदों या अनुच्छेदों में विभाजित कर लिखा जाता है।
8. शासकीय पत्र में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पूर्णतः समावेश होना चाहिए।
9. शासकीय पत्र सदैव अन्य पुरूष या प्रथम पुरूष में लिखा जाता है। यह पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है।
10. प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का नाम तथा पद स्पष्ट अक्षरों में लिखा रहता है या मुद्रा अंकित रहती है।
11. अन्त में, जिन सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिलिपियाँ प्रेषित की जाती हैं, उनका उल्लेख किया जाता है।

1. शासकीय पत्र का उदाहरण

शासकीय पत्र का नमूना

गृह मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली

क्रमांक 16A/1248/11

नई दिल्ली दिनांक 12 जनवरी 2016

प्रति,

सचिव, गृह मंत्रालय
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

महोदय,

मुझे यह लिखने का निर्देश हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में साम्प्रदायिक असन्तोष उभरा है, जिससे उपद्रवों व दंगों की आशंका से भारत सरकार चिन्तित है। इससे देश की छवि धूमिल होती है तथा आम जनमानस में भी वैमनस्य की भावना का विकास हो रहा है।

भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की गतिविधियों का कठोरता और दृढ़ता से सामना किया जाये तथा स्थिति पर नियंत्रण के लिए हर सम्भव उपाय किये जाये।

भारत सरकार का यह भी विचार है कि गुप्तचर विभाग द्वारा इस बात की पूर्ण जाँच करायी जाये कि इन घटनाओं के पीछे किस राजनैतिक दल या संस्था का हाथ था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस सम्बन्ध में किसी भी सूचना, जानकारी और कार्यवाही के विषय में इस कार्यालय से सम्पर्क करें।

सचिव,
गृह मंत्रालय

क्रमांक 16A/1248/11

नई दिल्ली दिनांक 12 जनवरी 2016

प्रतिलिपि-

1. महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

सचिव,
गृह मंत्रालय

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1171/आउशि/शा-03/2015

भोपाल, दिनांक : 01.05.15

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय : सहायक वर्ग 3 एवं चतुर्थ श्रेणी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय महाविद्यालय में सहायक वर्ग-3 तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति बैकलाग से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

NOTES

पृष्ठांकन क्रमांक 1172/आउशि/शा-03/15

भोपाल, दिनांक : 01.05.15

प्रतिलिपि :

1. समस्त जिलाधीश म.प्र.।
2. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।

अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा म.प्र.

4. **अर्द्धशासकीय पत्र** : अर्द्धसरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास भेजे जाने पर उसे सरकारी पत्र नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या किसी विचार-विमर्श का आदान-प्रदान होता है। इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसकी कार्यान्विति में विलम्ब हो गया हो या अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर समय पर नहीं मिला हो। अर्द्धसरकारी पत्र एकवचन उत्तमपुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। सम्बोधन के लिए 'प्रिय' लिखा जाता है। पत्र के अन्त में स्वनिर्देश के लिए आपका विश्वास-भाजन के स्थान पर 'आपका सद्भावी' लिखा जाता है।

अर्द्धशासकीय-पत्रों की विशेषताएँ :

1. ये पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं।
2. इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का निर्वहन आवश्यक नहीं है।
3. इस प्रकार के पत्रों में मैत्रीपूर्ण, सहज शैली व सरल भाषा का प्रयोग होता है।
4. इस प्रकार के पत्रों में 'मुझे आदेश हुआ है' या 'मुझे निर्देश मिला है' की बजाय 'मुझे लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है' या 'मुझे इस बात की खुशी है' लिखा जाता है।
5. इस प्रकार के पत्रों के अन्त में भवदीय एवं हस्ताक्षर के अलावा 'गोपनीय' शब्द लिखा रहता है।

अर्द्धशासकीय पत्र का नमूना:

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, भोपाल

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 2040/सं 18/15

भोपाल दिनांक 1/8/15

NOTES

प्रति,

प्राचार्य

शा. कन्या महाविद्यालय, उज्जैन

यह लिखते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने छोटी - छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत 22/08/2015 से 26/09/2015 तक 'अल्प बचत योजना पखवाड़ा' मनाने का निश्चय किया गया है। प्रत्येक शिक्षण संस्था में इस अवधि में उक्त विषय से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। आपकी सहायता एवं कार्यक्रम सहायता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यथासम्भव, यथाशक्ति अपना योगदान देकर प्रगति समीक्षा की जानकारी हमें प्रदान करेंगे।

भवदीय

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय भोपाल

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय पत्र में अन्तर

1. शासकीय पत्र औपचारिक पत्र के वर्ग में आता है, जबकि अर्द्धशासकीय पत्र औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही वर्गों में आते हैं।

2. शासकीय पत्र की भाषा आदेशात्मक होती है, जबकि अर्द्धशासकीय पत्र की भाषा मैत्रीपूर्ण, शालीनतापूर्ण एवं सौम्य होती है।

3. शासकीय पत्र के सम्बोधन में 'महोदय', 'प्रिय महोदय' या 'आदरणीय' शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि अर्द्धशासकीय - पत्र में 'प्रियवर' जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।

4. शासकीय पत्र 'गोपनीय' नहीं होते, जबकि अर्द्धशासकीय पत्रों पर 'गोपनीय' लिखा होता है।

5. शासकीय पत्र में शासन की भावना व आदेश की सूचना का प्रसारण करना होता है, जबकि अर्द्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सूचना देता है।

5. **अखबारी पत्र :-** आधुनिक युग, तकनीकी ज्ञान व प्रचार - प्रसार तंत्र का युग माना जाता है। अखबार, प्रचार - प्रसार का सबसे जबरदस्त माध्यम है। हालाँकि समाचार पत्र का मुख्य कार्य राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं को प्रकाश में लाना है किन्तु अखबार जन - शिक्षा और जन - जागृति का भी प्रबल माध्यम है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले आलेख व रचनाएँ इसी उद्देश्य के लिए होती हैं।

अखबारी पत्र का अर्थ :- अखबारी पत्र से आशय अखबार या पत्रिकाओं में छपने वाले उन पत्रों से है जो पाठकों अथवा सजग नागरिकों द्वारा किसी भी विषय पर सम्पादक के नाम लिखे जाते हैं। इन्हें 'पत्र, सम्पादक के नाम' भी कहा जाता है। पूर्व में इन पत्रों का सीमित लक्ष्य, अखबार में प्रकाशित किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना मात्र होता था। स्वभावतः पत्र का आकार भी छोटा होता था। कालान्तर में ये घटना विशेष पर पाठकीय प्रतिक्रिया भर नहीं रह गए वरन् समकालीन समूचे परिदृश्य या उसके किसी भी पक्ष पर अपनी राय जाहिर करने, पक्ष रखने, तार्किक प्रत्युत्तर देने, विसंगति पर चोट करने, विद्रूपता पर हँसने, व्यंग्य और कटाक्ष करने और जनमत को दिशा देने के माध्यम से बन गए। प्रचार माध्यम के एक आवश्यक अवयव होने के कारण ये पत्र विशेष महत्व रखते हैं और अभिव्यक्ति के प्रभावशाली माध्यम बन बैठे हैं।

अखबारी पत्रों की विशेषताएँ :- अखबारी पत्रों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

1. इन पत्रों का एक लक्ष्य किसी छुपे हुए किन्तु महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करना भी होता है जिससे समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बंध होता है।
2. इन पत्रों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि सभी पहलुओं की खूबियों, विसंगतियों, विद्रूपताओं पर टीका - टिप्पणी की जाती है।
3. ये पत्र व्यक्तिगत सुख:दुख, राग - विराग के प्रकटीकरण में काम नहीं आते।
4. अखबारी पत्र सामान्य तौर पर समाचार पत्र में विगत दिनों प्रकाशित किसी घटना पर प्रतिक्रिया या निजी सम्मति होते हैं, किन्तु कभी - कभी ये पत्र आलेख का आंशिक विस्तार, गम्भीर, तर्कशीलता, प्रवाहमयता और उच्च चिंतन के कारण किसी विषय पर मौलिक बात कहते हुए भी दिखाई पड़ते हैं।
5. ये पत्र व्यक्ति विशेष को नहीं लिखे जाते हैं। कई बार जब ये पत्र किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित करते हैं, तब भी उनका प्रयोजन पत्र के कथन को सार्वजनिक बनाना है।
6. किसी सार्वजनिक घटना को लेकर पारम्परिक मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति सहित साहित्यिक विषयों पर टिप्पणी करना भी इन पत्रों की प्रकृति में है।
7. अखबारी पत्रों में कथ्य की भूमिका के लिए बहुत गुंजाइश नहीं होती बल्कि बात सीधे और धारदार लहजे में कही जाती है।
8. कभी - कभी इन पत्रों के माध्यम से शालीन अथवा व्यंग्यमयी भाषा में किसी सार्वजनिक महत्व के पद पर बैठे व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है या फिर आरोप लगाये जाते हैं।

अखबारी पत्र का उदाहरण :- पत्र सम्पादक के नाम

1. चिटिया हो तो :-

नीरज सक्सेना की टिप्पणी ' थोड़ा लिखा बहुत समझना' (दुनिया मेरे आगे, 25 जुलाई) पढ़ी। नितांत अनपढ़ से लेकर महान साहित्यकारों - विचारकों तक में भावनाओं के आदान - प्रदान का सबसे अधिक प्रतीकात्मक और स्थायी जरिया पत्र व्यवहार ही था। लेकिन नीरज सक्सेना कुछ ऐसे तथ्य लिखना भूल गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे।

लोक - जीवन में चिट्ठी शब्द पत्र से अधिक प्रचलन में था। शब्द युग्म 'चिट्ठी पत्री' भी इसी तरह प्रचलन में था। पूरे लेख में पत्र शब्द के साथ चिट्ठी शब्द का न होना खटकता है, जबकि चिट्ठी शब्द अधिक मार्मिक, व्यापक और अर्थपूर्ण है। लोकगीतों, साहित्य और सिनेमा के गानों तक में चिट्ठी - चिटिया शब्द अधिक छाया रहा। पत्र शब्द उच्चारण की सरलता में पाती भी हो शाम को घर लौटने पर स्वभाववश आज भी मुँह से निकल जाता है 'कोई चिट्ठी आई क्या'? जबकि सूचनापरक निमंत्रण - पत्रों और अर्थजगत के पत्रों के अलावा चिट्ठी आना प्रायः बंद हो गया है। समानार्थी होते हुए भी पत्र और चिट्ठी के भावार्थ में अंतर है। चिट्ठी शब्द अधिक व्यक्तिगत और भावनाप्रधान है। इसी तरह खत शब्द भी प्रचलन में रहा और प्रायः पोस्टकार्ड का समानार्थी बन गया।

प्रेम - प्रसंग में पत्र लिखने, लिफाफा खोलने, एक - एक पंक्ति को बार - बार पढ़ने की रागात्मक अनुभूति की दुनिया निराली होती थी। पहली बार प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यत्न से पत्र का लिखा जाना, धड़कते दिल से प्रेमिका तक पहुँचाना और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में बैचने होना ऐसे अनेकानेक प्रसंग स्मृतियों के कोश में सुरक्षित होंगे। फूल - पत्तियों से सज्जित लंबे-लंबे पत्र फोटोग्राफ की तरह सहेजी जाने वाली सामग्री बन जाते थे। विवाहित जीवन में घर - गृहस्थी की ऊँच - नीच के विवरणों से भरे हुए पत्रों के बीच मधुरता भरी हुई कुछ पंक्तियाँ शीतल रसधार जैसी बन जाती थी।

व्यक्तिगत बातों के होते हुए भी पत्र की शुरुआत प्रायः 'अत्र कुशलं तत्रास्तु' से होती थी। तात्पर्य होता था कि यहाँ सब ठीक है और भगवान की कृपा से वहाँ भी सब सानंद होंगे। ऐसे वाक्य में परिवारजनों की मंगल - कामना होती थी। पत्र के अंत में 'सभी को यथायोग्य लिखकर सभी को सामूहिक अभिवादन कर दिया जाता था, लेकिन परिवार का हर एक सदस्य अपेक्षा करता था कि उसे अलग से कुछ लिखा जाए। किसी व्यक्ति के देहावसान का समाचार अधिकांशतः पोस्टकार्ड से दिया जाता था जिसका कोना काट दिया जाता था। कोना कटी चिट्ठी देहांत का प्रतीक होती थी, जिसका परिष्कृत रूप आज छपा हुआ पोस्टकार्ड है।

NOTES

NOTES

इन स्मृति शेष प्रसंगों से हटकर आज भी समाचार – पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न शीर्षकों के तहत पाठकों के पत्र पूरे महत्व के साथ प्रकाशित होते हैं। प्रायः इन्हें सम्पादकीय जैसा महत्वपूर्ण पृष्ठ दिया जाता है। इनमें अक्सर राजनीतिक और सामाजिक विषय अधिक होते हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं में रचनाओं पर पाठक की लम्बी प्रतिक्रियाएँ प्रायः मूल्यावान होती हैं। इन पत्रों के जरिए न जाने कितने विचारों और दृष्टिकोणों का संप्रेषण होता है।

शुकदेव श्रोत्रिय, निर्माण विहार, दिल्ली
(जनसत्ता, 24 जुलाई 2008 नई दिल्ली से साभार)

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न:

1. स्वतंत्र युग में पत्र लेखन का महत्व स्पष्ट करो।
2. पत्र लेखन के प्रकार स्पष्ट करो।
3. पत्र लेखन एक कला है स्पष्ट करो।
4. पत्र की विशेषताएँ लिखो।
5. पत्र के अंग लिखो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न:

1. पत्र लेखन का महत्व और उसकी उपयोगिता लिखो।
2. सरकारी और अर्द्धसरकारी पत्र में अंतर स्पष्ट करो।
3. व्यावसायिक पत्र का अर्थ लिखकर, उदाहरण लिखो।
4. शासकीय पत्रों की विशेषताएँ लिखो।
5. अखबारी पत्र से तुम क्या समझते हो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. पत्र लेखन एक
 - i. कला है
 - ii. विज्ञान है
 - iii. विषय है
 - iv. तीनों नहीं
2. पत्र के अंग.....
 - i. प्रेषक का पता
 - ii. शीर्षक
 - iii. संबोधन
 - iv. उपरोक्त सभी
3. पत्रों के प्रकार.....
 - i. निजीपत्र
 - ii. व्यावसायिक पत्र
 - iii. शासकीय पत्र
 - iv. उपरोक्त सभी

उत्तर :- 1. (i), 2. (iv), 3. (iv)



23. सड़क पर दौड़ते ईहामृग (निबंध)

डॉ. श्यामसुन्दर दुबे

NOTES

लेखक परिचय :- डॉ. श्यामसुन्दर दुबे ने हिन्दी साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इनके भाषा की सरसता पाठक को अंत तक बांधे रखती है। वास्तव में लेखक वही है जो विषय की गहराई को समझकर विषय में डूब जाए और पाठकों को भी विषय की अनंत गहराइयों तक ले जाए। ऐसी ही प्रतिभा के धनी डॉ. श्यामसुन्दर दुबे ने 'सड़क पर दौड़ते ईहामृग' पाठ में अपने विचार स्पष्ट किये हैं।

'सड़क पर दौड़ते ईहामृग' पाठ का सारांश :- डॉ. श्यामसुन्दर दुबे द्वारा लिखित 'सड़क पर दौड़ते ईहामृग' आधुनिक युग में बढ़ते बाजारवाद तथा लोगों की बढ़ती उपभोगवादी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए लिखा गया एक निबन्ध है। इसमें लेखक ने शहरी बाजार, जो कि उस दिन बन्द था, की सूनी लगती सड़क के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

बाजार की स्थिति :- बाजार बंद होने के कारण लेखक को फैली-फैली, लम्बी-लम्बी सड़क एकांत में गदबढाई-सी लग रही थी। बाजार बन्द होने के कारण सड़क पर जो इक्का-दुक्का लोग चलते नजर आ रहे थे, वे भले ही जाने-पहचाने नहीं थे, किन्तु वे सड़क की सूनी भव्यता में बहुत ही आत्मीय अनुभव हो रहे थे। बोलने-बताने को आतुर वे सड़क के मौन को तोड़ना चाहते थे। किन्तु आज सड़क उनसे बोलने-बताने को तैयार नहीं थी। वह उन्हें अपनी अंकवार से भरकर भेंटना चाहती है। सड़क आज बहुत उत्कंठित लग रही है।

सुनसान व मौन-सी सड़क देख लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि आज सड़क कई दिनों से भूली-विसरी अपनी प्रिय कविता की याद कर रही है, जब इसके आजू-बाजू दुकानों का कोई वजूद नहीं था, जब इसके आसपास की ऋतुओं का निखालिस आवेग गुजरता था और इस आवेग के साथ यह सड़क हो लेती थी- कभी गुलमोहर की लाली में हँसती-खिलखिलाती हुई, कभी हरसिंगार के छोटे-छोटे फूलों से चौक पूरती हुई, कभी नीम की पकी निंबौलियों की पियरी ओढ़े सकुचाती-शरमाती हुई और कभी तेज बारिश में पूरी तरह भीगती-निचुड़ती हुई। इस प्रकार बाजार बंद होने पर लेखक को कुछ विचित्र अनुभूति हो रही थी।

वह सड़क अपनी पिछली यादों को, जब उसके आजू-बाजू ज्यादा दुकानें नहीं थीं (बाजार नहीं बना था तब), याद कर रही है कि उस समय उसके आसपास गुलमोहर के लाल फूल तथा हरसिंगार के फूल अपनी महक बिखेरते थे। धीरे-धीरे भवन बनने लगे, बाजार बना तथा अब उस बाजार में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के शिकार बने लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं इन उपभोगवादियों को ही लेखक ने ईहामृग अर्थात् भागते भेड़ियों की संज्ञा दी है। लोग एक वस्तु को पाकर, उससे आगे की दूसरी वस्तु को पाने के लिए उद्यम कर रहे हैं। इस 'और कुछ' पाने के लिए वे तोप-तर्मचों से आगे पढ़कर जीवाणु हथियारों तक आ गए हैं। इन हथियारों की दौड़ ने हवा को दूषित कर दिया है। कारखानों एवं फैक्ट्रियों की गन्दगी ने नदियों को मैला कर दिया है।

तेल के कुँए :- आज हर कोई अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तेल के कुओं से पेट्रोल खींचा जा रहा है। जिसे जितना मिल रहा है, उतना ही कम पड़ रहा है। जिनके पास ताकत है, जिनका समूचे विश्व में दबदबा है, वे समूची धरती का पेट्रोल 'ताकत' अपने अन्दर ही समाहित करना चाहते हैं। पेट्रोल पर अधिकार हुआ तो संसार को मनचाहा नाच नचाया जा सकता है। संसार को मण्डियों पर एकाधिकार जमाया जा सकता है। बाजारवाद एवं उपभोगवाद का नशा प्राणघातक बना हुआ है, जो न तो चैन से जीने देता है और न मरने देता है। कहते हैं- "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा" अर्थात् भोग नहीं भोगे जाते, अपनी आयु ही भोगी जाती है। शरीर बुढ़ा हो जाता है तथा तृष्णा जीवन बन जाती है।

लेखक का ग्रामीण परिवेश :- लेखक एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा व्यक्ति है। वह कभी कभार महानगरों की भी यात्रा कर लेता है। इन यात्राओं के दौरान वह अपने शहरी मित्रों के साथ महानगरीय होटलों में जाता है, जहाँ उसकी ग्रामीण शैली एवं ग्रामीण परिवेश को इस तथाकथित महानगरीय सभ्यता में पले-बढ़े लोग अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं। उसके ग्रामीण लोकगीतों को सुनते हुए वे शहरी लोग टूँस-टूँस कर खाते रहते हैं। उनके लिए खाने का मतलब पेट भरने के बजाय, जीभ को सभी स्वादों का जायका

चखना होता है। इसके लिए तो वे कई बार तो खाये हुए वमन कर निकाल देते हैं, तथा फिर नये व्यंजनों का स्वाद लेने लग जाते हैं। इस प्रकार लेखक ने महानगर की यात्रा करके अनुभव किया कि वहाँ होटलों में लोग बड़े खाऊ किस्म के होते हैं और उनके लिए ग्रामीण शैली, ग्रामीण परिवेश मनोरंजन का एक साधन मात्र है।

NOTES

बाजारो की दशा :- बाजार एवं उपभोगवादी संस्कृति की इस दुनिया में ऐसा होता है कि आदमी सड़का पर चलता हुआ भी सड़क पर नहीं चलता। वह घर में बाजार देखता है। बाजार उसके भीतर दनदनाता हुआ घुस जाता है। प्रतिक्षण दुकानें बदल रही हैं। दुकानों का माल बदल रहा है। जो कल खरीदा था, आज वह पुराना हो गया, और जो आज खरीदा जा रहा है वह कल रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। सड़क आदमी की अनन्त तृष्णाओं के बीच केवल अपने नाम से ही जानी जाती है। अन्यथा वह दिखती कहाँ है? वह तो चलते हुए भी नहीं चलती और नहीं चलते हुए भी चलती हैं।

सड़कों की स्थिति :- सड़क अनन्त कारों से पटी पड़ी है। ये कारें अतृप्तियों के मोहावेश से भरी-पूरी हैं। आदमी के पाँव सड़क पर हो तो पता चले कि सड़क को भी आदमी के पाँव की गर्मी का अनुमान हो, और सड़क पसीजे। शरीर पर आधा पसीना उसे आदमी के मोह-छोह से जोड़ता है। यही सड़क की सार्थकता की प्रतीति है। अब आदमी सड़क पर नहीं है। सड़क बाजार में है और आदमी बाजार की गिरफ्त में। घर अटरम-शटरम चीजों का कबाड़खाना बनता जा रहा है। मार्केट वेल्यु से सबके गले नापे जा रहे हैं। इस नाप-जोख में चले गए तो गले में तमगा लटकेगा, और न चल पाए तो झूल जाइए फाँसी के फँदे पर।

बाजारवाद का ग्रामीणों पर प्रभाव :- बाजारवाद एवं उपभोगवादी के जाल ने गाँवों को भी नहीं छोड़ा है। पहले ग्रामीण लोग खाद, बीज तथा ट्रैक्टर आदि के लिये कर्ज लेते थे। कर्ज आज भी लेते हैं, किन्तु ज्यादातर भौतिक सुख-सुविधा के लिए। टी.वी, फ्रिज, कार आदि के लिये कर्ज भरते नजर आते हैं। ऋणग्रस्तता के केवल कारक बदले हैं। अब किसान ऋण लेने के अलावा चीजें वापरता है। ट्रैक्टर, मोटरसायकिल, फ्रिज, टी.वी. की किस्तें चुकाता किसान अपने खेत बाजार में छोड़ आता है, अर्थात् उनका खेत इस बाजारवाद की बलि पर चढ़ा दिया जाता है।

गाँवों में बाजारवादी संस्कृति का प्रवेश :- शहरों से जो सड़क गाँवों को जोड़ती थी, विकास के लिए, उसी सड़क से अब गाँव में बाजारवादी संस्कृति का प्रवेश हो चुका है। टी.वी. माध्यमों से विज्ञापनों ने गाँवों को भी उपभोगवाद से जोड़ दिया है। जो ग्रामीण लोग भूले-भटके चार-छह माह में शहरों या नगरों में अपनी आवश्यक जरूरत की वस्तुएँ, जैसे नमक, गुड़ तेल आदि लेने आते थे, वे भी अब डिपार्टमेंटल स्टोरों में घुसते नजर आ रहे हैं। इस तरह आज चारों ओर बाजारवाद एवं उपभोगवादी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. बाजार के बंद होने पर लेखक को कैसा अनुभव होता है।
2. उपभोगवाद का प्राणघाती नशा न मरने देता है, न चैन से जीने देता है। स्पष्ट करो।
3. तेल के कुओं के विषय में लेखक के विचार स्पष्ट करो।

दीर्घोत्तरीय प्रश्न :-

1. गाँव पर बढ़ते बाजारवाद के प्रभाव को स्पष्ट करो।
2. महानगर की यात्रा करने पर लेखक को क्या अनुभव हुआ।
3. “सड़क पर दौड़ते ईहा मृग” पाठ का सारांश लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. ईहामृग से आशय।
 - i. कुत्ते
 - ii. भेड़िये
 - iii. घोड़े
 - iv. हिरन

2. सड़क पर दौड़ते ईहा मृग के लेखक ।
i. हजारीप्रसाद शर्मा ii. श्यामसुंदर दुबे
iii. लक्ष्मीनारायण iv. विद्यानिवास शुक्ल
3. उपरोक्त पाठ किस विद्या से संबंधित है ।
i. निबंध ii. कहानी
iii. यात्रा संस्मरण iv. साक्षात्कार
4. कारखानों और फैक्ट्रियों की गंदगी ने किसे मैला कर दिया है ।
i. नदियों को ii. वनों को
iii. लोगों को iv. सभी
- उत्तर :- 1. (ii), 2. (ii), 3. (i), 4. (i)



NOTES

24. योग की शक्ति (डायरी)

NOTES

‘डॉ. हरिवंशराय बच्चन’

लेखक परिचय :- हरिवंशराय बच्चन का जन्म 27 नवम्बर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रतापनारायण तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में “बच्चन” कहा जाता था। जिसका अर्थ होता है ‘बच्चा’। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, फिर उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम. ए. और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू.बी.यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएच.डी. पूरी की।

19 वर्ष की आयु में 1926 में उनका विवाह श्याम बच्चन से हुआ। परन्तु 1936 में श्यामा की टी.बी. के कारण मृत्यु हो गई। इसी समय उन्होंने ‘नीड का पुनर्निर्माण’ जैसी कविताओं की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों में निम्न प्रमुख हैं -

1. **कविता संग्रह :-** तेरा हार (1929), मधुशाला (1935), मधुबाला (1936), मधुकलश (1937), एकांत संगीत (1939), सतरंगिनी (1945), हलाहल (1946), बगाल का काव्य (1946), खादी के फूल (1948), सूत की माला (1948), मिलन दामिनी (1950), प्रणय पत्रिका (1955), दो चट्टाने (1965), उभरते प्रतिमानों के रूप (1969), जाल समेटा (1973)

2. **आत्मकथा :-** क्या भूलें क्या याद करे (1969), नीड का निर्माण फिर (1970), बसेरे से दूर (1977), बच्चन रचनावली के नौ खण्ड (1983), दशद्वार से सोपान तक (1985)

इसके अलावा भी उन्होंने असंख्य रचनाएँ लिखी। 18 जनवरी 2003 में मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई।

‘योग की शक्ति’ पाठ का सारांश :- ‘योग की शक्ति’ निबन्ध में डॉ. हरिवंशराय बच्चन ने योग के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में "Aphorisms of yoga" पुस्तक पढ़ी। और योग के विषय में पूर्णतः चिन्तन, मनन कर अपने विचार रखे कि जहाँ भी योग की चर्चा हो वहाँ पंतजलि के योग सूत्र को अवश्य ध्यान में रखा जाता है।

योगरिचावृथ-निरोध :- अर्थात् योग के सम्बन्ध में पंतजलि ने लिखा है- ‘योगरिचतवृत्तिनिरोधः’ जिसे अंग्रेजी में कहा गया है- Yoga is controlling the activities of the mind. अर्थात् योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाला है। सरल भाषा में कहे तो ‘योग’ चित्त के तीन गुणों- सत्, रज एवं तम पर नियंत्रण करने का एक प्रमुख साधन या क्रिया है, जिसे विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। इसी प्रकार योग की दृष्टि मनोवैज्ञानिक चित्त की क्रियाओं के विश्लेषण पर समाप्त नहीं होती वह उन्हें अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि भी खोजती है। उन्हें वश में करने के दो उपाय हैं- अभ्यास और अनासक्ति। चित्तवृत्तियों पर अधिकार की भी कई श्रेणियाँ हैं - संप्रज्ञात समाधि, सुषुप्त समाधि और पूर्ण समाधि चित्त का जो सम्बन्ध मस्तिष्क और मस्तिष्क का जो सम्बन्ध शरीर से है, उसे भी माना और जाना गया है योग के स्वरूपों में से दो स्वरूप ‘हठयोग’ तथा ‘राजयोग’ है।

हठयोग हमें शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। जब तक चित्त की सीमाएँ इस स्थिति तक नहीं पहुँचती, तब तक वह अपना काम जारी रखता है। चित्त के सूक्ष्म क्षेत्र में राजयोग यह भार अपने ऊपर ले लेता है। राजयोग यह मानता है कि परिसीमित चित्त में अनन्त बनने की क्षमता है। इसी आधार पर वह परिसीमित चित्त को उठाकर सर्वव्यापी के अनन्त चित्त में मिला देना चाहता है।

चित्त को वश में करो तो सब कुछ तुम्हारे वश में हो सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने की योग में आठ सीढ़ियाँ हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहली पाँच सीढ़ियाँ बाद की तीन सीढ़ियों की तैयारियाँ हैं। यम, नियम आदि से क्या तात्पर्य है इसे विस्तार से बताया गया है। ‘धारणा’ है किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर करना। ‘ध्यान’ है चित्त और वस्तु का एक हो जाना, ‘समाधि’ है जहाँ चित्त और वस्तु के एक होने की चेतना भी न रहे- केवल आत्म-चेतना रह जाए।

योग द्वारा योगी सर्वशक्तिमान :- जब योगी का चित्त इतना सध जाता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात् 'धारणा' की अवस्था से, तब उसमें शक्ति का आना आरम्भ हो जाता है और 'समाधि' की अवस्था तक पहुँचकर, जब वह अनन्त चित्त से अपने को एक कर देता है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान को सामने फैले हुए नक्षे की तरह देखता है, हवा में उड़ सकता है, देखते-देखते गायब हो सकता है, अपने शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकता है, दूर से दूर की वस्तु ला सकता है, जो साधारण दृष्टि से अदृश्य है उसको देख सकता है। आग पर चलता तो उसके लिए मामूली बात है, कहने का तात्पर्य है, उसे आठों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और कोई ऐसा काम नहीं जो वह चाहे तो न कर सके।

ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर उनका प्रदर्शन करने वाला योगी पूर्ण समाधि के पहले ही रूक जाता है। इतना ही नहीं, यदि वह उनसे धन-कीर्ति कमाने अथवा उनका दुरुपयोग करने लगता है तो उसका पतन भी हो जाता है और उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। सच्चे योगी को जब ये शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं तब वह उन पर रूके बगैर उस अन्तिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है, जिसके आगे कोई सुख एवं आनन्द नहीं है।

योग शक्ति के अनेक किस्से पढ़े गये हैं - ईसा का मुर्दों को जिलाना, फरिश्तों की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं - बीमारों को अच्छा करना, गायब हो जाना इत्यादि। पश्चिमी संसार भी इसे जानता है। सैमसन की कथा में यही है। वैज्ञानिक दृष्टि से लोग इसे नहीं मानते। सहसा इस शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। 'ईट्स' ने इस विषय पर एक घटना का जिक्र किया है। 'ईट्स' एक बार लन्दन में किसी सहभोज की मेज पर बैठे थे। एक आदमी उसी मेज पर बैठा हुआ कुछ बात कर रहा था। ईट्स ने एक परचे पर लिखा कि पाँच मिनट के बाद यह व्यक्ति आग लगने की चर्चा करेगा और इस परचे को उन्होंने पास में बैठे एक मित्र की प्लेट के नीचे खिसका दिया। इसके बाद उन्होंने आग का ध्यान करना शुरू किया और उसे उस व्यक्ति की वार्ता से मन में सम्बद्ध किया। पाँच मिनट के बाद सचमुच वह व्यक्ति आग लगने के विषय में बात करने लगा। चित्त की इस शक्ति को मान लेना या इसका प्रयोग करना कठिन नहीं है। अगर किसी का चित्त पर वश हो तो वह कुछ इसी प्रकार का काम करके देख सकता है। क्या पतंजलि ने इसी शक्ति के अंतिम विकास अथवा चरम सीमा की कल्पना की है? यह तो निश्चित है कि पतंजलि ने चित्त की शक्तियों की सीमा नहीं मानी। क्या उनकी सीमा है? यदि नहीं है तो तर्क से जो परिणाम उन्होंने निकाले हैं वे गलत नहीं हैं। अगर सीमा है तो कहाँ, इसे अभी योरोप का मनोविज्ञान नहीं बता सका। उसके प्रयोग ने सदा चित्त की अत्याधिक शक्तियों का सबूत दिया है।

योग एवं पतंजलि :- महर्षि पतंजलि ने अपने योगशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चित्त की शक्तियाँ 'करिश्मा', चमत्कार, जादू या 'Miracle' नहीं हैं। इन शक्तियों के पीछे फरिश्ते या देवता भी नहीं हैं, अपितु इनके पीछे मनुष्य का निर्विकार शुद्ध-चित्त है। आज पश्चिमी देशों में 'योगिक-क्रियाओं' का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से हो रहा है। पश्चिम के विचारशील लोग कुसंस्कारपूर्ण धर्म से और भौतिकवादी विलासिता से ऊबकर मानसिक सुख-शान्ति की तलाश में भारत की ओर ताक रहे हैं। भारतीय योग विद्या चित्त की क्रियाओं का विश्लेषण कर उसे संयमित, अनुशासित और वशीभूत करने के जो उपाय बताती है, उसकी ओर वे धीरे-धीरे आकर्षित होते जा रहे हैं। पश्चिम के अनेक देशों में महर्षि महेश योगी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन, स्वामी प्रणवानन्दजी सरस्वती आदि के अनेक योग संस्थान चल रहे हैं, जिनमें वहाँ के अनेक नागरिक योग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी योग-क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य चित्त और शरीर को स्वस्थ रखना है। इनके प्रचार-प्रसार के लिये योग-क्लबों का गठन किया गया है।

पतंजलि में स्पष्ट कहा गया है कि जब योगी 'योग' के माध्यम से अपने चित्त को इतना साध लेता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाये, अर्थात् धारणा की अवस्था से समाधि की अवस्था में पहुँचकर जब वह अनन्त चित्त से अपने को जोड़ लेता है तब वह भूत, भविष्य, वर्तमान को सामने फैले हुए नक्षे की तरह देखता है। वह हवा में उड़ सकता है, देखते-देखते गायब हो सकता है, अपने शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे आठों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसे ही योग की शक्ति कहा गया है।

NOTES

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

NOTES

1. योग की शक्ति नामक लेख किसने लिखा है।
 - i. स्वामी विवेकानन्द
 - ii. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा
 - iii. हरिवंशराय बच्चन
 - iv. डॉ. नगेन्द्र
2. हरिवंशराय की प्रसिद्ध रचना का नाम है।
 - i. गोदान
 - ii. शेखर - एक जीवनी
 - iii. उसने कहा था
 - iv. मधुशाला
3. योग शास्त्र कौन - सी पुस्तक नहीं है।
 - i. गणित की पुस्तक
 - ii. विज्ञान की पुस्तक
 - iii. तर्क की पुस्तक
 - iv. जादू की पुस्तक
4. हरिवंशराय बच्चन का जन्म।
 - i. 1907
 - ii. 1910
 - iii. 1930
 - iv. 1935
5. 'योग चित्त' के किन गुणों पर नियंत्रण रखता है।
 - i. सत्
 - ii. रज
 - iii. तम
 - iv. उपरोक्त तीनों
6. योग के स्वरूपों में प्रमुख।
 - i. हठयोग
 - ii. राजयोग
 - iii. (i + ii) दोनों
 - iv. कोई नहीं

उत्तर :- 1. (iii), 2. (iv), 3. (iv), 4. (i), 5. (iv), 6. (iii),

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. पंतजलि के योग-सूत्र का आधार क्या है।
2. चित्त के तीन गुण कौन से हैं।
3. बच्चन जी की कविता संग्रह के नाम लिखो।
4. योगाचित्त-निरोध का अर्थ लिखो।
5. योग एवं पंतजलि पर टिप्पणी लिखो।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-

1. राजयोग और हठयोग से क्या तात्पर्य है।
2. पश्चिम जगत में किस प्रकार योग का प्रसार हो रहा है।
3. लेखक हरिवंशराय बच्चन का परिचय दीजिए।



25. कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता: साक्षात्कार

(भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी से प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ला)

लेखक परिचय :- प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल हिन्दी के जाने माने विद्वान माने जाते हैं। अपनी रचनाओं और साहित्य के माध्यम से उन्होंने हिन्दी की बहुत सेवा की है। प्रस्तुत पाठ में प्रोफेसर शुक्ल ने भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी से साक्षात्कार के अंशों का वर्णन किया है।

पाठ का सारांश :- प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल ने हिन्दी के भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी जिनकी उम्र 85 वर्ष की हो गई थी। भाषाविज्ञान पर 32 ग्रंथ तथा 16 कोशों के रचयिता डॉ. हरदेव बाहरी से साक्षात्कार का वर्णन उपरोक्त पाठ में किया है। डॉ. हरदेव बाहरी की सेवाओं ने हिन्दी भाषा की रीढ़ को मजबूत करने का कार्य किया है।

भारत के विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान के अध्ययन अध्यापन की स्थिति :- हिन्दी के सुप्रसिद्ध भाषाविद् हरदेव बाहरी का भाषा - शिक्षण के सम्बन्ध में कहना है कि विद्यालयीन शिक्षा के अन्तर्गत भाषा शिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए। जबकि हमारे देश में ऐसा है ही नहीं। डॉ. बाहरी का कहना है, विदेशों में विद्यार्थी के पहले आठ - दस वर्षों में भाषा विज्ञान की पढ़ाई इतनी हो जाती है कि बाद में वहाँ के छात्रों को भाषा का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे भाषा में बड़े शोध - निबन्ध, शोध - प्रबन्ध और शोध - ग्रन्थ लिखते हैं। भाषा पर उनका पूरा अधिकार होता है। हमारे देश में भाषा - शिक्षण की पद्धतियों पर कोई विशेष प्रयोग नहीं किये गए। हरदेव बाहरीजी का कहना है कि एम.ए करने के बाद भी हमसे बहुत से लोगो का भाषा - ज्ञान अपूर्ण ही बना रहा है। हम अपनी पाठ्य - पुस्तकों में अनेक विषयों पर बल देते हैं, पर भाषा पर बल नहीं देते। पाठ्य - पुस्तक में एक जीवनी होनी चाहिए, एक एकांकी होनी चाहिए, एक पाठ स्वास्थ्य पर होना चाहिए, एक पर्यावरण पर इत्यादि। हम भाषा को केवल माध्यम बनाते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं - इतिहास, भूगोल या नागरिकता की। स्कूली पाठ्यक्रम को समूल सुधारने की आवश्यकता है हाईस्कूल तक हमारी हिन्दी की पाठ्य - पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो भाषा का क्रमिक ज्ञान कराएँ ताकि हमारा विद्यार्थी उच्चारण, वर्तनी, शब्द भण्डार आदि में पूर्णतया दक्ष हो जाए। अब तो हालत यह है कि न हमारा स्कूली अध्यापक भाषा की शुद्धता और मानकता की चिन्ता करता है और न ही उसके छात्र। हिन्दी प्रदेशों में एक - सा उच्चारण, नहीं है, क्योंकि परिनिष्ठित उच्चारण का अभ्यास नहीं करया जाता। हिन्दी के नए - पुराने स्नातक 'व' और 'व', 'श' और 'स' 'छ' और 'क्ष' में अन्तर नहीं करते। वैरी का वैरी, शाला का साला, ऋषि विश्वामित्र को रिसि विस्वामित्र, रक्षा को रच्छा इत्यादि सैकड़ों प्रयोग सुनने में आते हैं। विद्यार्थी को अपनी मातृ बोली का व्याघात आड़े आता है। वह बचपन से ही अपने माँ - बाप या पड़ोसियों, साथियों से ऐसे ही उच्चारण का अभ्यास करता आ रहा होता है। परन्तु भाषा तो वह है जिसमें बोलीपन को बदलकर भाषापन लाना अध्यापक का कार्य है। परन्तु अध्यापक भी इन्ही संस्कारों से बड़ा हुआ है। जब उसका स्वयं का बोलीपन नहीं गया तो वह अपने विद्यार्थियों की भाषा कैसे सुधार सकता है।

कोश विज्ञान पर कार्य :- लेखक शुक्लजी ने डॉ. बाहरी से पूछा कि आपने भाषाविज्ञान के साथ - साथ कोशविज्ञान पर कार्य क्यों किया है? तब डॉ. बाहरी ने कहा कि कोश विज्ञान, की ही एक शाखा है। इसके अन्तर्गत शब्दकोश या शब्द भण्डार को तैयार करने, तथा इनका कैसे प्रयोग हो - जैसी बातों का अध्ययन किया जाता है। आज प्रतिदिन कई नये - नये शब्दों का सृजन हो रहा है, इन्हें शब्दकोश में शामिल करना तथा उन्हें भाषा में प्रयोगरत् बनाना, कोश विज्ञान के अन्तर्गत ही आता है। कोशकार्य का आरम्भ भी एक संयोग से हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने एक योजना बनायी कि कन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पर एक अंग्रेजी - हिन्दी कोश का निर्माण हो। डॉ. बाबूराम सक्सेना और डॉ. धीरेन्द्र वर्मा उन दिनों (1953) सम्मेलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने इन दो भाषाओं में मेरी योग्यता देखी, या शायद मैंने शब्दार्थ विज्ञान पर ही डीलिट कर लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे तीन - चार सहायको के साथ उस कोश का सम्पादन करने की अनुमति दी। मैंने दो साल के परिश्रम से उसका सम्पादन कर डाला। परन्तु भारत सरकार से अनुदान लेने के चक्कर में सम्मेलन ने उसका संशोधन ऐसी पद्धति से कराना चाहा जो मुझे स्वीकार नहीं थी, इसलिए उस शब्दकोश से अपना पिंड छुड़ाया। मेरे इस अर्जित अनुभव का लाभ ज्ञान मंडल वाराणसी ने उठाना चाहा तो मैंने उनके लिए 'वृहद हिन्दी - कोश', जो दो जिल्दों में प्राप्त है, तैयार कर दिया। इस कोश से मेरी ख्याति बढ़ी और मुझे सोवियत सरकार ने एक रूसी - हिन्दी कोश के सम्पादन हेतु आमंत्रित किया। उत्साह बढ़ा।

NOTES

धीरे - धीरे मैंने कोशकार्य को अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लिया। भारत सरकार और जर्मन गणवादी जनतंत्र के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान का समझौता हुआ और जर्मन - हिन्दी तथा हिन्दी - जर्मन कोश की योजना बनी जिसमें मेरा नाम लिया गया। तीन - साढ़े तीन महीने के लिए मैं जर्मनी में रहा। और कुछ समय केंद्रीय हिन्दी संस्थान से भी जुड़ा रहा। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान भारत सरकार का एक भाषा सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय है। इसमें हिन्दी भाषा सम्बन्धी विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे - शब्दकोश निर्माण करना, भाषा सम्बन्धी विभिन्न शोधों का अध्ययन करना, हिन्दी भाषा के विकास पर कार्य करना, भाषा सम्बन्धी विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा समय - समय पर सरकार तथा उसके विभिन्न विभागों को हिन्दी भाषा के अध्ययन सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य बातों के लिए परामर्श देना। कोशकार्य बहुत कठिन है। बेल्लियम में एक कहावत है कि यदि किसी अपराधी को प्राणदण्ड से कुछ कम कठोर दण्ड देना हो तो उसे कोशकार्य में लगा देना चाहिए। कोश सम्पादन का क्षेत्र अछूता है। इसलिए अपने कोश कार्य पर रूचि दिखाई और अब तो इनका स्वभाव ही बन गया है।

हरदेव बाहरी के अनुसार हिन्दी कोश साहित्य में कमियाँ :- डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार हिन्दी कोश साहित्य में अब भी बहुत कमियाँ हैं। उनके अनुसार हिन्दी में दर्जेदार कोशों की बहुत कमी है। अंग्रेजी के कोश बड़े सुन्दर, रंगीन, सचित्र एवं आकर्षक होते हैं, ऐसे ही कोशों की हिन्दी में भी आवश्यकता है। हिन्दी प्रदेशों की सभी बोलियों के शब्दकोश होने चाहिये। हमारी बोलियों में बहुत सारी शब्द - सम्पदा भरी पड़ी है, जिसका हमारी संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसे प्रकाश प्रकाश में लाना चाहिये। इससे हिन्दी भाषा की सामर्थ्य का विकास होगा। कई वर्षों से उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान की एक योजना चल रही है, परन्तु उत्तरप्रदेश की बोलियों के शब्द - भण्डार का संकलन नहीं हो पाया है। दूसरे हिन्दी भाषी राज्यों को भी इस विषय में अपना योगदान देना चाहिये। हिन्दी में बड़े - बड़े कोश व्याप्त हैं, उनकी आवृत्ति तथा उनके संशोधन - परिवर्धन की काफी जरूरत है। वर्षों पहले वृहद् हिन्दी कोश, मानक हिन्दी कोश तथा हिन्दी शब्द सागर तैयार हुए थे, तब से अब तक हजारों नये शब्द, शब्द भण्डार में समाहित हुए, जिनका संकलन नहीं हो पाया। विधि, ज्ञान - विज्ञान और तकनीकी सम्बन्धी सैकड़ों शब्द हमारे इन कोशों में नहीं मिलते।

कुछ बोलियों के शब्द आए तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से तथा सामूहिक रूप से उनका सम्पादन भी नहीं हुआ। वास्तव में मानक, आधुनिक तथा प्रचलित हिन्दी कोशों की आवश्यकता है।

भारत में हिन्दी का उज्ज्वल भविष्य :- हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है इसके बावजूद उसे वह स्थान हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया जो किसी राष्ट्रभाषा का होना चाहिए। इसके लिए हमें और हमारी सरकार को प्रयत्न करना होगा। भाषाविद् हरदेव बाहरी के अनुसार हिन्दी भाषी प्रदेश से बाहर के राज्य अपनी - अपनी भाषाएँ अपनाएँ इससे हिन्दी का कल्याण ही होगा। यदि हिन्दीभाषी प्रदेश के राज्य केवल हिन्दी में राज - काज करे तो हिन्दी का सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। फिर तो केन्द्र सरकार के दफ्तरों में जो शिथिलता है, वह भी नहीं रह पाएगी। यदि हिन्दी प्रदेश में ही नगरपालिकाएँ, नगर महापालिकाएँ और जिला बोर्ड तक अंग्रेजी को न जोड़े तो किस बलबूते पर हम लोग हिन्दी को अन्य ऊँचे दर्जे के कार्यालयों में प्रतिष्ठित करने की माँग कर सकते हैं।

हिन्दी सम्पर्क भाषा या राजभाषा तो है ही, उसके लिए माँग करने या आन्दोलन उठाने की आवश्यकता नहीं है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। अर्थात् सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा को मान्यता प्राप्त होती है, वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत में संविधान बनाते समय हिन्दी को राजभाषा माना गया। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज उसी भाषा में होने चाहिए। भारत में हिन्दी मध्यप्रदेश सहित सात राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। शेष प्रदेशों में अपनी - अपनी प्रान्तीय भाषाएँ हैं। कश्मीरी, सिंधी तथा संस्कृत किसी भी राज्य की राजभाषाएँ नहीं हैं। कार्यों के क्रियान्वन, शिक्षा का माध्यम, रेडियो तथा दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय के लिए रखा गया है, क्योंकि गैर हिन्दीभाषी राज्यों की सुविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बड़े - बड़े मेलों में, रेलगाड़ियों में, तीर्थस्थानों में और मिले - जुले जमघटों में, सारे देश में हिन्दी व्याप्त है। जब अंग्रेजी का वर्चस्व हटेगा और देश में अपनी भाषाएँ प्रतिष्ठित होंगी तो हिन्दी ही काम देगी।

राजभाषा और शिक्षा की भाषा का गहरा सम्बन्ध है। राज्य में जब हिन्दी का माँग होगी तो भाषा माध्यम के रूप में भी हिन्दी चलेगी। कला विषयों में हिन्दी प्रदेशों में आज भी अस्सी प्रतिशत छात्र हिन्दी लेते हैं। विज्ञान, चिकित्सा और अभियान्त्रिकी में अभी विषमता है। इण्टर तक को प्रायः हिन्दी माध्यम है, लेकिन बाद में अंग्रेजी आ जाती है। इस विषमता का समाधान होना चाहिए और दोनों प्रकार के भाषा स्तरों का सामंजस्य

होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सेवा आयोगों की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी प्रदेश में अनिवार्य रूप से हिन्दी और संघीय आयोग की परीक्षाओं में विकल्प के रूप में हिन्दी हो। यदि शिक्षा के माध्यम, लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के माध्यम से सम्बन्ध बना रहेगा तो हिन्दी को प्रोत्साहन ही मिलेगा।

विधा के माध्यम के रूप में हिन्दी में अभी बहुत काम बाकी है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक तो बहुत लिखे जा रहे हैं और उन पर हजारों – लाखों रचनाएँ लिखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें भाषा का वह स्तर दिखाई नहीं पड़ता। अतः हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए अंग्रेजी के वर्चस्व को कम कर, हिन्दी को –और अच्छी हिन्दी को बढ़ावा देना होगा।

भारत की केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारी के कई विभागों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। हिन्दी अधिकारी नियुक्त करने का कारण यह है कि सम्बन्धित विभागों में हिन्दी भाषा सम्बन्धी आने वाली समस्याओं को दूर करना। अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्यों आदि के लिए सम्बन्धित विभागों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में भी ये हिन्दी अधिकारी सहायक होते हैं।

NOTES

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. डॉ. हरदेव बाहरी का परिचय लिखो।
2. केंद्रीय हिन्दी संस्थान क्या कार्य करता है।
3. कोष विज्ञान से क्या तात्पर्य है।
4. हिन्दी अधिकारी कहाँ और क्यों नियुक्त किए जाते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-

1. राजभाषा का अर्थ लिखकर उसका महत्व लिखो।
2. भाषा-शिक्षण के लिए हरदेव बाहरी के क्या विचार हैं।
3. भारत में हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए।
4. डॉ. हरदेव बाहरी ने कोष साहित्य में ही कार्य क्यों किया।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

1. डॉ. हरदेव बाहरी
i. एक साहित्यकार ii. एक भाषाविद् iii. एक गीतकार iv. एक राजनेता
2. डॉ. हरदेव बाहरी ने किस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया।
i. कोष विज्ञान ii. गणितशास्त्र iii. व्याकरण iv. भाषा विज्ञान
3. हमारी राजभाषा।
i. संस्कृत ii. हिन्दी iii. अंग्रेजी iv. उर्दू
4. डॉ. हरदेव बाहरी का साक्षात्कार किसने किया।
i. त्रिभुवननाथ शुक्ल ii. गिरिराज किशोर iii. श्रीलाल शुक्ल iv. सत्येन्द्र दुबे
5. डॉ. हरदेव बाहरी ने भाषाविज्ञान पर कितने ग्रंथ लिखे।
i. 12 ii. 22 iii. 32 iv. 42
6. जर्मन – हिन्दी और हिन्दी – जर्मन कोष किसने बनाया।
i. डॉ. हरदेव बाहरी ii. त्रिभुवननाथ शुक्ल iii. सत्येन्द्र नाथ iv. श्रीलाल शुक्ल

उत्तर :- 1. (ii), 2. (i), 3. (ii), 4. (i), 5. (iii), 6. (i),



26. नीग्रो सैनिक से भेंट (यात्रा-संस्मरण)

डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी

NOTES

लेखक परिचय :- डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी का जन्म 28 मई 1908 को पाटियाला के भदौड ग्राम (जिला संगरूर) में हुआ। उनका मूल नाम देवइंद्र बत्ता था। उन्होंने देश के कोने-कोने की यात्रा कर वहाँ के लोकजीवन, गीतों और परम्पराओं को आत्मक्ष्मात किया और उन्हें पुस्तकों और वार्ताओं में संग्रहित कर दिया जिसके लिये वे “लोकयात्री” के रूप में जाने जाते हैं।

देवेन्द्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश को विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएँ की थी तथा उन स्थानों के संस्मरणों को भावात्मक शैली में भी रचित किया। “क्या गोरी क्या साँवली” तथा “रेखाएँ बोल उठीं” सत्यार्थी के संस्मरणों के अपने ढंग के संग्रह हैं।

उनकी प्रमुख कृतियों में हिन्दी में लोकयान “धरती गाती है” का प्रकाशन (1948), में हुआ इसके बाद बेला फूले आधी रात (1949), बाजन आवे ढोल (1950), चित्रों में लोटियाँ (1951), चट्टान से पूछ लो (1949), चाय का रंग (1949), नए धान से पहले (1950), कठपुतली (1951), तेरी कसम सतलुज (1989), प्रमुख हैं। इसी प्रकार हिन्दी एक युग, एक प्रतीक (1949), कला के हस्ताक्षर (1955) आदि विविध ग्रंथों का भी सम्पादन उन्होंने किया। 12 फरवरी 2003 में उनकी मृत्यु हो गई।

“नीग्रो सैनिक से भेंट” पाठ का सारांश :- प्रस्तुत पाठ में डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी की एक बार दिल्ली में कनाट पैलेस की बेंच पर एक नीग्रो सैनिक से भेंट हुई थी। उसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है।

दो व्यक्ति की भेंट, दो जातियों तथा दो देशों का मिलन :- अपने यात्रा संस्मरण में डॉ. सत्यार्थी ने इस भेंट या मुलाकात को - जो कि दो अपरिचित व्यक्तियों की मुलाकात थी - एक तरह से दो जातियों का दो देशों का मिलन बताया है।

वह युद्ध का समय था, अतः किसी सैनिक से बात करने में संकोच होना स्वाभाविक था। किन्तु उस नीग्रो सैनिक ने सिगरेट का कश लगाते हुए जब नीग्रो जाति का सारा इतिहास, लेखक के सम्मुख रख दिया तो लेखक का संकोच दूर हो गया।

नीग्रो जाति का दुख :- वही बेंच पर बैठे - बैठे उसने लेखक का एक नीग्रो गीत के मर्मस्पर्शी बोल सुनाए थे।

चाहो तो मुझे पूरब में दफना दो,
चाहो तो मुझे पूरब पश्चिम में दफना दो,
मैं उस तुरही की पुकार बराबर सुनता रहूँगा,
सबरे के वातावरण में।

अनंत दुःख में भी नीग्रो जाति किस प्रकार सुख की कल्पना करती रही थी, यह गीत उसी की ओर संकेत कर रहा था। गाते - गाते उसकी आँखें चमक उठी थीं। जैसे उसे अपने पुरखों की याद हो आई हो, जिनकी पीठ पर गुलामी की प्रथा के युग में सदैव चमड़े का लपलपाता हंटर बरसने को तैयार रहता था। जैसे उसे अपने पुरखों पर गर्व हो, जिनके बलिदानों के कारण आज वह जीवित था और उसे एक स्वतंत्र शहरी के अधिकार प्राप्त थे। वास्तव में कहा जाता है कि पुराने नीग्रो गीत, दुःख - दर्द के प्रतीक हैं। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो नीग्रो जाति को वेदना - ही - वेदना पीनी पड़ती थी। वेदना की रेखाओं द्वारा ही नीग्रो गीतों की स्वरलिपि को निश्चित रूप मिला था। बात करते - करते नीग्रो सैनिक जोर से खिलखिलाकर हँस पड़ता तो यों लगता कि वह अपनी जाति की बची - खुची वेदना पर परदा डाल रहा है। कई बार यों लगता कि उसके मन में कहीं कोई ऐसी गाँठ पड़ गई है जो हजार यत्न करने पर भी खुलती नहीं। मुझे एक नीग्रो लोकोक्ति की याद आने लगती,, “गाँठ का कहना है कि संसार कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है।” ऐसी भी क्या गाँठ है जिसे मैं खोल सकता, मैं उससे कहना चाहता था। वह नीग्रो अपनी बात कहते - कहते बीच में हँसकर गुनगुनाने लगा। गीत की रूपरेखा कुछ इस प्रकार थी।

वह काली - कलूटी छोकरी सदैव भन्नाई रहती है।

नई जूती लाओ, नई जूती लाओ

उसके लिए मैं नई जूती ले दूँगा, और नए मोजे भी।

और स्लीपर भी ले दूँगा, हाँ स्लीपर भी।

जितनी काली होगी झड़बेरी, उतना ही मीठा होगा रस।

NOTES

“शत - शत वर्षों के अन्याचारों के नीचे दबी हुई नीग्रो जाति बराबर गाती रही।” वह कह रहा था, “यह काली झड़बेरी का गीत शायद तुम भी कुछ - कुछ समझ गए होगे। इस देश में भी तो काली झड़बेरी होती होगी। काली - कलूटी नीग्रो कन्या का कृपा भाजन बनने के लिए गोरे युवकों में भी संघर्ष चलता है। गोरे लेखकों द्वारा लिखे गए अनेक नाटकों में इस कथानक को प्रस्तुत किया गया है।”

अमेरिका में नीग्रो लोगों की दुर्दशा एवं आजादी :- उस नीग्रो ने विशेष जोर देकर यह बात बतायी कि अमेरिका में ‘नीग्रो’ शब्द बहुत आम हो गया है। यह भी बताया कि आज भी नीग्रो के प्रति घृणा दिखाते हुए ‘निगर’ शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसे कोई भी भला नीग्रो पसंद नहीं कर सकता चौड़ी नाक और घुँघराले बाल, सफेद दाँत - नीग्रो की ये विशेषताएँ, मैं अपने मित्र में देख रहा था या यह कि किसी को उसे ‘निगर’ कहकर पुकारने का अधिकार मिल सकता था। यह सच है कि छठी शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी के पश्चात् यूरोपीय साम्राज्यवादियों ने अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के प्रदेशों से नीग्रो जाति के करोड़ों नर - नारियों को पकड़कर, अमेरिका के शहरों में ले जाकर बेचने का धंधा अपना लिया था। इस प्रकार दस करोड़ नीग्रो अपनी जन्मभूमि से अलग किए गए थे, यद्यपि उनमें से चार करोड़ व्यक्ति ही अमेरिका पहुँच पाये थे और बाकी छह करोड़ नीग्रो बीमारी अथवा अत्याचारों के कारण रास्ते में ही चल बसे थे। किस प्रकार पूरे डेढ़ सौ वर्षों तक यूरोपीय साम्राज्यवादी उद्योगवाद के महल की नींव में करोंडो नीग्रो सदैव इस असह्यहीनता का डटकर मुकाबला करते रहे। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार 1 जनवरी 1833 को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने समूचे अमेरिका से गुलामी की शर्मनाक प्रथा के अंत की घोषणा की।

स्वतंत्रता के बाद गुलामी :- गुलामी से मुक्ति के बावजूद भी शुरू - शुरू में नीग्रो लोगों को अनेक कष्ट हुए। गुलामी से मुक्त होकर भी सचमुच उन्हें वह स्वतंत्रता नहीं मिली थी जिस पर वह गर्व कर सकते। जिसका जिक्र एक नीग्रो कविता में किया गया है।

जब मुझे स्वतंत्रता मिली

मालिक से, खेत से, कारखाने से, गुलामी से

स्वतंत्रता मिली, सुनहरी स्वतंत्रता मिली,

सुंदर स्वतंत्रता मिली,

पर एक कठिन समस्या ही तो थी-

जाऊँ तो कहाँ जाऊँ

पास एक धेला तक नहीं

कैसे स्वतंत्र बनूँ?

न बैठने को ठौर,

न पैर में जूता,

न खाने को कौर,

हाय, हतमगे!

क्या गुलामी ही है तेरा धर्म?

अमेरिका में नीग्रो द्वारा ईसाई धर्म अपनाना :- लेखक के उस नीग्रो मित्र ने लेखक को यह बताया कि अमेरिका के सभी नीग्रो ईसाई धर्म गृहण कर चुके हैं। वे ईसाई कैसे बने, इस सम्बन्ध में उसका मानना है कि नाच - गाने में मदमस्ती की अचेतन अवस्था में ईसाई मिशनरियों के जाल में उलझते चले गए। जबकि

वर्तमान में स्थिति यह है कि नीग्रो कवि अपनी कविताओं में ईसाई धर्म की आलोचना बेझिझक करते हैं। इस प्रकार एक - एक करके उसने लेखक को दो नीग्रो कविताओं की पंक्तियाँ सुनाई।

विश्व के हर देश में लोकतंत्र थे :- लेखक का सोचना है कि स्वतंत्रता पश्चात् भारत में जैसे हरिजनों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाने लगा है, ऐसा ही अमेरिका में भी नीग्रो के प्रति समानता का व्यवहार शुरू हो जो कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। लेखक सदैब इस प्रतीक्षा में रहता है कि वह नीग्रो सैनिक जो उसे मिला था, लेखक को एक पत्र के माध्यम से यह खबर भेजे कि अब नीग्रो भी एक स्वतंत्र देश का नागरिक होने के साथ ही सही माइनों में स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं।

NOTES

पाठ में आयी हुई लोकोक्तियाँ :-

1. गाँठ का कहना है कि संसार कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है
2. झूठा आदमी कहता है कि मेरा गवाह यूरोप में है।
3. सिर और बोझ गरदन की मुसीबत है।
4. जब कान नहीं सुनते तो आँखे देखती भी नहीं।
5. छोटी मक्खियाँ रस जुटाती है, बड़ी मक्खियाँ खाती हैं मधुर मधु।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न**वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-**

1. 'नीग्रो सैनिक से भेंट' पाठ है -

i. निबन्ध	ii. कहानी
iii. संस्मरण	iv. समाचार
2. संस्मरण 'नीग्रो सैनिक से भेंट' के लेखक हैं।

i. स्वामी विवेकानन्द महात्मा गांधी	ii. डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी
iii. डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी	iv. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
3. नाग्रो सैनिक, लेखक को कहाँ मिला था।

i. दिल्ली में	ii. इलाहाबाद में
iii. विदेश में	iv. जयपुर में
4. "..... में नीग्रो कमजोर है।"

i. कला और साहित्य	ii. देशभक्ति
iii. बहादुरी	iv. गणित
5. किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका से गुलामी की शर्मनाक प्रथा के अन्त की घोषणा की।

i. जार्ज बुश ने	ii. अब्राहम लिंकन ने
iii. कैनेडी ने	iv. जार्ज वाशिंगटन ने
6. अमेरिका के नीग्रो किस धर्म को स्वीकार कर चुके हैं।

i. पारसी धर्म	ii. हिन्दू धर्म
iii. इस्लाम धर्म	iv. ईसाई धर्म
7. डॉ. देवेन्द्र सत्यार्थी का जन्म।

i. 1908	ii. 1808
iii. 1901	iv. 1898

8. नीग्रो लोगो को अमेरिका की गुलामी से कब मुक्त किया गया।

i. 1 जनवरी 1833

ii. 1 जनवरी 1883

iii. 1 जनवरी 1901

iv. 1 जनवरी 1933

उत्तर :- 1. (iii), 2. (iii), 3. (i), 4. (iv), 5. (ii), 6. (iv), 7. (i), 8. (i)

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. दो व्यक्तियों की भेट को दो जातियों तथा दो देशों का मिलन क्यों कहा गया है?
2. नीग्रो कौन है?
3. लेखक नीग्रो का स्मरण करते हुए भारत के हरिजनों के प्रति समता के व्यवहार का जिक्र क्यों करता है।
4. लेखक देवेन्द्र सत्यार्थी की प्रमुख कृतियाँ स्पष्ट करो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. उस नीग्रो व्यक्ति ने उस जाति का इतिहास किस तरह खोलकर रख दिया।
2. नीग्रो गीत के मर्मस्पर्शी बोल क्या थे?
3. अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने गुलामी की शर्मनाक प्रथा को बंद करने की घोषणा की थी? उसका वर्णन कीजिए।
4. अनेक नीग्रो ईसाई हो गए। स्पष्ट कीजिए।



NOTES

27. यदि 'बा' न होती

तो शायद गाँधी को यह ऊँचाई न मिलती: साक्षात्कार

(गिरिराज किशोर से सत्येन्द्र शर्मा)

NOTES

लेखक परिचय :- डॉ. सत्येन्द्र शर्मा हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उनके लेखन की सरलता पाठकों को उनकी और खींचती है। डॉ. सत्येन्द्र शर्मा ने अनेक रचनाएँ लिखी हैं, जिनमें से कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। हिन्दी में डॉ. शर्मा का योगदान प्रशंसनीय है।

पाठ का सारांश :- “यदि 'बा' न होती तो गाँधीजी को यह ऊँचाई न मिलती “पाठ पहला गिरामिटिया” उपन्यास के लेखक श्री गिरिराज किशोर से उक्त उपन्यास के सम्बन्ध में डॉ. सत्येन्द्र शर्मा द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। श्री गिरिराज किशोर एक सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, जिन्होंने कई कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे हैं। आपके लेखन में मूल कथा के साथ कल्पना एवं संवेदना का भी बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। आपको 'व्यास सम्मान' से सम्मानित भी किया जा चुका है।

“पहला गिरामिटिया” लिखने का कारण :- अपने उपन्यास 'पहला गिरामिटिया' लिखने का कारण पूछने पर श्री गिरिराज किशोर का कहना था कि गाँधी पर दो तरह के ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक जीवनियाँ जो अनेक लोगों ने लिखी, दूसरे उन पर विश्लेषणात्मक ग्रंथ जो गाँधीजी के विचारों, नीतियों या कार्यों पर लिखे गए हैं।

श्री गिरिराजजी ने कहा कि मैंने जब गाँधीजी पर कार्य शुरू किया जो तब जाना कि असली गाँधी तो दक्षिण अफ्रीका में था। अपने सारे संघर्ष तथा सारे प्रयोग तो वे अफ्रीका में कर चुके थे। गाँधी के प्रति गहरी जिज्ञासा, अंतस में उनके जीवन को समझने का भाव इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण रहा। पहला गिरामिटिया 'सुप्रसिद्ध कथाकार श्री गिरिराज किशोर की एक रचना है। यह गद्य साहित्य की 'उपन्यास' विधा की रचना रहा। 'उपन्यास' शब्द का शब्दार्थ होता है – समीप में रखना। उपन्यासकार इसी माध्यम से अपने विचार तथा नवीन मत पाठकों के सम्मुख रखता है।

'पहला गिरामिटिया' : उपन्यास :- 'पहला गिरामिटिया' जीवनी है या उपन्यास, यह पूछने पर भी गिरिराजजी ने इसे उपन्यास बताया। जीवनी तो जिन्दगी की घटनाओं को समुच्चय है, लेकिन उपन्यास के लिए उन घटनाओं में से ऐसी स्थिति को चुनना पड़ता है जिसमें उपन्यासकार अपनी कल्पना और संवेदना को भी कम्प्यूटर – युग में जबकि तीव्रगामी दृश्य – श्रव्य माध्यमों के कारण पढ़ना कम होता जा रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ लोग कैसे पढ़ेंगे – इस आशंका पर कथाकार ने एक घटना बताई कि श्री विष्णुकांत शास्त्री ने इसे देखकर कहा था कि मैं इसे पढ़ने का समय कैसे निकाल पाऊँगा। लेकिन उन्होंने इसे तीन – चार रोज में ही पढ़कर, इस पर अपने विचार लेखक को व्यास सम्मान मिलने के अवसर पर श्री विष्णुकांत को बता दिये। यही नहीं, लेखक को व्यास सम्मान मिलने के अवसर पर श्री विष्णुकांत शस्त्रीजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि महाभारत के बाद, गिरिराजजी ने इस उपन्यास में इतने आयामों तथा इतनी विविधताओं में इनते बहमखी चरित्रों का समन्वय किया है।

गाँधीजी का जीवन चरित्र :- श्री गिरिराजजी का कहना था कि मुझे अपनी कलम से ज्यादा भरोसा गाँधी के चरित्र को पढ़े जाने का था, जाने का था, जो खरा उतरा। लेखक का कहना है कि उन्होंने गाँधीजी को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा, श्रद्धा के व्यक्ति – रूप में नहीं। 'मिथ' बनाने की कोशिश नहीं की। गाँधीजी अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की कसौटी पर खरे उतरे नहीं माने जाते, के संदर्भ में श्री गिरिराजजी का कहना था कि गाँधीजी के पुत्र हरिदास लन्दन पढ़ने जाना चाहते थे, किन्तु गाँधीजी ने उन्हें नहीं भेजा क्योंकि वे हरिदास की कमजोरियों और विलायत के परिवेश दोनों को जानते थे। गाँधीजी विलायत में जिन संघर्षों से गुजरे, हरिदास उनसे पार नहीं पा सकते। ऐसी गाँधीजी की सोच थी। साथ ही भारतीयों के लिए गाँधीजी अंग्रेजी शिक्षा को उचित नहीं समझते थे। इस बात पर गाँधीजी की पत्नी कस्तूरबा भी उनसे नाराज थी।

कस्तूरबा के संबंध में विचार :- कस्तूरबा के सम्बन्ध में श्री गिरिराजजी का कहना है कि उनका व्यक्तित्व कहीं कम नहीं था। वे गाँधीजी के बराबर के स्तर पर खड़ी होकर गाँधीजी से बात करती थीं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कस्तूरबा जैसा दृढ़ व्यक्तित्व न होता तो गाँधीजी को शायद यह ऊँचाई ही न

मिलती। कस्तूरबा गांधीजी के हर कार्य पर नजर रखती थीं तथा उन पर अपना अपना विचार रखती थी। फिर चाहे गांधीजी उनकी बात मानें या न माने। हाँ, यह बात भी उतनी ही सच है कि गांधीजी ने बा पर कभी अपनी बात थोपी ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका से विदाई के समय उपहार में मिले सोने के पचास गिन्नी के हार के सम्बन्ध में श्री गिरिराजजी का कहना है कि वह हार कस्तूरबा चाहकर भी इसलिए अपने पास नहीं रख सकीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में गांधीजी ने इस मुद्दे पर 'बा' तथा अपने बेटों से कहा कि इन गहनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि गांधीजी उन दिनों आत्मनिग्रह के प्रयोगों से गुजर रहे थे। गांधीजी किसी भी मुद्दे पर जब अपना तर्क व विचार रखते थे और अपने को अनुपस्थित कर निर्णय लेते थे निःसंग व निर्मोही होकर। उनके इसी स्वभाव के कारण वे डिक्टेटर तथा जिद्दी भी लग सकते हैं।

NOTES

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी :- गांधीजी के सम्बन्ध में आगे श्री गिरिराज ने बताया कि गांधीजी के जीवन के आरम्भिक दौर में यानि अफ्रीका में रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपमानित कर उतारे जाने की घटना संयोग हो सकती है, किन्तु उसके बाद की प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक कार्यकलाप में वे प्रतिफल तथा पग-पग पर सचेत दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी के उनके एक नेता के रूप में एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में, एक सिद्धान्तवादी के रूप में, हम जिस स्वरूप से परिचित हैं, उनका वास्तव में निर्माण दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। दरअसल, गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका गये थे, उस दरमियान उन्हें वहाँ काफी समय रहना पड़ा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि किस तरह श्वेत-अश्वेत में रंगभेद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। किस तरह वहाँ अंग्रेजों द्वारा वहाँ के लोगों का- वहाँ बसे भारतीयों का दमन किया जा रहा है, इसका गांधीजी ने खुलकर विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए उन्होंने खुलकर संघर्ष किया। जिससे गांधीजी की अपनी एक पहचान बनी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधीजी ने जिस तरह पूरे देश का नेतृत्व किया- इसके पीछे उनके दक्षिण अफ्रीका में किये गये कार्यों की अहम् भूमिका रही। अतः कह सकते हैं कि गांधीजी का दक्षिण अफ्रीका से गहरा सम्बन्ध है।

भगतसिंह और गांधीजी :- भगतसिंह के मामले में उपन्यासकार ने स्पष्ट किया कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि गांधीजी ने भगतसिंह की मृत्युदंड की सजा को कम करने के लिए अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था। ब्रिटिश असेम्बली में बम फेंकने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने भगतसिंह को मृत्युदण्ड को माफ करवाने में कोई अहम् प्रयास नहीं किये। यदि वे ऐसा कोई प्रयास करते तो शायद भगतसिंह की सजा कम अवश्य हो सकती थी। और ऐसा इसलिए माना गया है कि गांधीजी हिंसा को बिल्कुल पसन्द नहीं करते थे। जबकि लेखक का कहना है कि भगतसिंह की मृत्युदण्ड की सजा को कम करने के लिए गांधीजी ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था वह पत्र दस्तावेज के रूप में स्वयं लेखक ने देखा है।

गांधीजी का कार्यक्षेत्र : विविध देश :- एक अन्य प्रश्न के सन्दर्भ में श्री गिरिराज ने बताया कि व्यक्ति और सार्वजनिक जीवन मूल्यों के निर्वाह में गांधीजी बड़े सख्त थे। श्री गिरिराजजी ने एक जगह यह भी बताया कि उन्होंने गांधीजी से जुड़े भारत के विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त लंदन, मॉरिशस और खासतौर से अफ्रीका के उन स्थलों की भी यात्रा की जो गांधीजी के कार्यस्थल थे। साथ ही एक संदर्भ में उन्होंने नेल्सन मंडेला के इन कथनों का भी उल्लेख किया, जो उन्होंने गांधीजी के सम्बन्ध में कहे थे कि- “हालाकि मैं गांधीजी की नीतियों से सहमत नहीं हूँ, किन्तु अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके बताये रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं जानता।”

इस प्रकार डॉ. सत्येंद्र शर्मा ने यह साक्षात्कार श्री गिरिराज किशोर से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में (जुलाई सन् 2002) लिया था, और राष्ट्रीय दैनिक हिन्दुस्तान (नई दिल्ली) तथा अमर उजाला में प्रकाशित होने पर पाठकों की व्यापक प्रतिक्रिया मिली थी।

पाठ में आने वाले कुछ मुख्य मुद्दे एवं पात्र :-

1. **मिथ :-** मिथ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वह रूप या स्वरूप होता है जिसे कुछ सच एवं कुछ काल्पनिक बातों एवं घटनाओं के माध्यम से एक आदर्श स्वरूप दिया जाता है। किसी व्यक्ति को नायक का स्वरूप दिया जाता है। और उसके स्वरूप से समाज में कई कथा-कहानियाँ जुड़ी होती हैं, जो सच भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी। इन बातों व कहानियों को मिथक कहा जाता है तथा उस आदर्श को मिथ।

2. **फ्लैश बैक :-** किसी रचना में फ्लैश बैक से आशय उस घटनाक्रम एवं वर्णन से होता है, जो रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से पुरानी बातों या यादों के स्वरूप में अर्थात् जिन्हें रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से अतीत में घट चुकी घटनाओं को स्मृति के माध्यम से पाठकों के सामने रखता है।

NOTES

3. **आचार्य कृपालानी :-** आचार्य कृपालानी मुजफ्फरपुर में इतिहास पढ़ाते थे। बाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे थे। इसी समय गांधीजी की वाराणसी यात्रा के दौरान उन्होंने गांधीजी के साथ रहने का प्रस्ताव रखा, तो गांधीजी इसके लिए तैयार तो हो गए लेकिन उन्होंने कहा- “तुम खाना बनाओ और रहो।” इस बात का कृपालानी को बुरा तो लगा, लेकिन वे पूरे निष्ठाभाव से दो साल तक खाना बनाते रहे।

4. **नेल्सन मण्डेला :-** गांधीजी के सम्बन्ध में नेल्सन मण्डेला का कथन है कि- “हाँलाकि मैं गांधीजी की नीतियों से सहमत नहीं हूँ, किन्तु अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके बताए रास्ते के अलावा कोई रास्ता मैं नहीं जानता। नेल्सन मण्डेला का यह कथन जहाँ एक ओर उनकी और गांधीजी के विचारों में भिन्नता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर अपने देश को स्वतन्त्रता दिलाने में गांधीजी जिस राह चले, उससे नेल्सन मण्डेला का सहमत होना भी दर्शाता है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि गांधीजी तथा नेल्सन मण्डेला दो अलग-अलग देशों के तथा अलग-अलग समय के नेता रहे हैं। अतः इन दोनों के विचारों तथा सिद्धान्तों में भिन्नता होना स्वभाविक है।

5. **साक्षात्कार :-** ‘साक्षात्कार’ ज्ञान, विज्ञान, कला एवं दर्शन के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध व्यक्ति से किया गया तद्विषयक विभिन्न प्रकार की आवश्यक जिज्ञासाओं का समाधान है। अर्थात् “समय, समाज, देशकाल तथा परिस्थिति के अनुरूप किसी विषय - विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिकारी व्यक्ति से की गई चर्चा।” साक्षात्कार में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान् तथा मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के सन्दर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने तथा उसी की शैली, भाव-भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है।

साक्षात्कार के आवश्यक तत्व - साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम दो पक्ष एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कार देने वाला होता है। साक्षात्कार के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं- 1. विषय की स्पष्टता। 2. भाषा की स्पष्टता। 3. कथ्य की स्पष्टता। 4. शैलीगत रोचकता। 5. विषयगत पूर्णता। 6. साद्देश्यता। 7. विषय में निहित संदेश की स्पष्टता। 8. विषयगत सामाजिक उपयोगिता। 9. ज्ञानात्मक कौशल की अभिव्यक्ति। 10. संवादत्मकता। 11. कथनगत तारतम्यता।

6. **उपन्यास और जीवनी :-** उपन्यास और जीवनी में बहुत अन्तर है। जीवनी के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन-परिचय तथा उसके प्रमुख कार्यों की जानकारी दी जाती है। जबकि उपन्यास में किसी व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष भाग या किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर उसका वर्णन किया जाता है। जीवनी लेखक, जिस व्यक्ति की जीवनी लिखता है, उसमें अपनी ओर से कोई कल्पना या सम्भावना को नहीं जोड़ सकता, जबकि उपन्यास में लेखक को यह छूट रहती है। जीवनी तो जिन्दगी की घटनाओं का समुच्चय है, लेकिन उपन्यासकार को उन घटनाओं में से ऐसी स्थिति को चुनना पड़ता है, जिससे उपन्यासकार अपनी कल्पना को भी जोड़ सके और संवेदना को भी।

7. **गांधीजी पर केन्द्रित विविध ग्रंथ :-**

गांधीजी पर केन्द्रित महत्वपूर्ण ग्रन्थ तथा उनके रचनाकारों के नाम इस प्रकार हैं-

ग्रन्थ	रचनाकार
1. पहला गिरमिटिया	गिरिराज किशोर
2. उजाले के अँधेरे	दिनकर
3. दी फर्स्ट फेज	प्यारेलाल
4. ए. गुड़ बोटमैन	राजमोहन गांधी

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. गिरिराज किशोर के लेखकीय व्यक्तित्व का साक्षेप परिचय लिखो।
2. पहला गिरमिटिया किस विधा से सम्बन्धित है।

3. पहला गिरमिटिया का अर्थ लिखों।
4. गांधीजी पर केन्द्रित विविध ग्रंथों के नाम लिखों।
5. किसी रचना में 'फ्लैश बैक' से तुम क्या समझते हो।
6. मिथ से क्या तात्पर्य है।
7. भगतसिंह के मृत्युदण्ड के विषय में गांधीजी की क्या भूमिका थी।
8. साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है।
9. गांधीजी का कार्यक्षेत्र कौन - कौन से देश रहे हैं।
10. यह साक्षात्कार कब और कहाँ लिया गया।

NOTES

दीर्घउत्तरी प्रश्न

1. दक्षिण अफ्रीका और गांधीजी का क्या सम्बन्ध है?
2. पहला गिरमिटिया लिखने की प्रेरणा कहा से मिली। स्पष्ट करो।
3. उपन्यास और जीवनी में क्या भेद है।
4. पचास गिन्नी का हार कस्तूरबा ने क्यों नहीं रखा?
5. आचार्य कृपलानी प्रसंग का वर्णन करो।
6. नेल्सन मण्डेला के कथन का विस्तृत में विवेचन करो।
7. साक्षात्कार कि आवश्यक तत्व स्पष्ट करो।
8. किसी साक्षात्कार पर अपने विचार स्पष्ट करो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. श्री गिरिराज किशोर से साक्षात्कार किसने लिया
i. सत्येन्द्र शर्मा ii. एच .शर्मा iii. विनोद पाण्डे iv. विनोदाचार्य
2. श्री गिरिराज किशोर एक.....
i. शिक्षक थे ii. कथाकार थे iii. डॉक्टर थे iv. पत्रकार थे
3. पहला गिरमिटिया में किसका वर्णन है.....
i. पं. नेहरू ii. सुभाषचंद्र बोस iii. गांधीजी iv. स्वतंत्रता
4. उपन्यास का शब्दार्थ होता है.....
i. सारांश ii. समीप में रखना iii. विवेचन iv. टिप्पणी
5. गांधीजी ने किस स्वतंत्रता क्रान्तिकारी के लिए प्रयास किया
i. सुखदेव ii. राजगुरू iii. भगतसिंह iv. नेहरू
6. श्री गिरिराज किशोर से यह साक्षात्कार कब लिए गया
i. 1999 ii. 2000 iii. 2001 iv. 2002
7. पहला गिरमिटिया किस विधा की रचना है.....
i. व्यंग्य ii. उपन्यास iii. जीवनी iv. निबंध

उत्तर :- 1. (i), 2. (ii) 3. (iii) 4. (ii) 5. (iii) 6. (iv) 7. (ii)



28. सार लेखन, भाव - पल्लवन, साक्षात्कार और कौशल

NOTES

सार लेखन

वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन अत्यधिक व्यस्त तथा आपाधापी से भरा हो गया है। विकासशील समाज में मनुष्य के पास समय का अत्यधिक अभाव हो गया है। हम कम से कम समय में अधिक से अधिक समझना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के सर्वाधिक गतिवान समय में सार - लेखन का महत्व बढ़ गया है।

सार लेखन का अर्थ :- किसी भी अनुच्छेद या रचना के मूल स्वरूप को एक - तिहाई शब्दों में लिखना सार लेखन अथवा संक्षेपण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, दिए गए अपठित अंश या रचना के मुख्य-मुख्य भावों को कुछ वाक्यों में लिखना ही 'सार लेखन' या 'संक्षेपण' कहलाता है।

संक्षेपण और सार-लेखन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संक्षेपण को हिन्दी में संक्षेपीकरण, संक्षिप्तिकरण, संक्षिप्त-लेख, संक्षिप्त-लेखन, संक्षिप्ति आदि भी कहते हैं।

सार लेखन के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भी अपनी राय दी है। जो कि इस प्रकार हैं -

डॉ. ओम प्रकाश सिंहल के अनुसार :- प्राचीनकाल से ही संक्षिप्तता पर बल दिया जाता रहा है।

शेक्सपीयर के अनुसार :- संक्षिप्तता वाक्वैदग्ध की मूल आत्मा है।

सार लेखन की विशेषताएँ -

सार लेखन की निम्नलिखित विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं -

1. **पूर्णता** - संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। उसमें कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। संक्षेपण में अपनी ओर से कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए।

2. **शुद्धता** - संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होना चाहिए। उसकी भाषा भी व्याकरणसम्मत होनी चाहिए।

3. **प्रवाह और क्रमबद्धता** - उत्तम संक्षेपण के भावों में क्रमबद्धता और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। एक भाव दूसरे भाव से सम्बद्ध हो, वाक्य सुसम्बद्ध और गठित हो। मूल अवतरण में निहित मूल भावों एवं विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए।

4. **स्पष्टता** - मूल अवतरण का संक्षेपण इस प्रकार लिखा जाए कि जिसके पढ़ने से मूल अवतरण का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए।

5. **भाषा की सरलता** - संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत होना चाहिए। उसमें कठिन और समास-बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

6. **संक्षिप्तता** - संक्षेपण मूल रचना या अवतरण का एक - तिहाई भाग होना चाहिए। उसमें अनावश्यक विश्लेषण, दृष्टान्त, उदाहरण, वर्णन और व्याख्या को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

सार लेखन के समय सावधानियाँ / प्रक्रिया :- सार लेखन प्रक्रिया के समय विशेष सावधानियाँ बरतना आवश्यक है, अन्यथा कभी-कभी परिच्छेद का उद्देश्य ही बदल जाता है वे सावधानियाँ इस प्रकार हैं।

1. दिए गए अवतरण को दो या तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मुख्य - मुख्य अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए।
2. सार - अंश युक्त सभी बिन्दुओं को क्रमबद्ध रूप से जोड़ लेना चाहिए।
3. सार - लेखन में एकात्मकता एवं प्रवाह होना चाहिए। इसमें शब्दों और तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।

4. सार - लेखन में मौलिकता होनी चाहिए।
5. उसमें अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।
6. सार - लेखन में दृष्टांतों, अलंकारों तथा उदाहरणों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
7. वाक्य छोटे-छोटे एवं उपयुक्त होने चाहिए।
8. शब्दों और तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
9. भाषा, शुद्ध, सुगठित एवं सशक्त होनी चाहिए। भाषा निजी होनी चाहिए। उसमें अवतरण या रचना की भाषा का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए।
10. सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए।
11. सार लेखन में यदि शब्दों की संख्या दी गई हो, तो हमें निश्चित शब्द संख्या से कदापि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अवतरण के शब्दों की गणना करते समय 'में', 'से', 'है', 'भी', 'की', 'कि' आदि शब्दों की गणना नहीं करनी चाहिए।
12. सारांश अन्य पुरुष में लिखा जाता है।
13. शीर्षक छोटा व सुगठित हो।
14. सारांश मूल पाठ के एक-तिहाई से अधिक न हो।

NOTES

सार लेखन का महत्व :- आज के दौर में मनुष्य एक अति व्यस्त प्राणी है। उसके पास समय की कमी है। अतः वह अपनी व्यस्तता में थोड़े में बहुत करना चाहता है। वह किसी बात को विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में लिखना चाहता है। ऐसे में न तो वह विस्तारपूर्वक लिखने में समय खर्च करना चाहता है और न ही पढ़ने में समय खर्च करना चाहता है। वह हर कार्य कम से कम समय में करना चाहता है। ऐसे में सार-लेखन या संक्षेपण का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। एक कुशल वक्ता, वकील, संवाददाता, सम्पादक आदि के लिए सार लेखन बहुत ही उपयोगी कार्य है।

पत्राचारों का सार लेखन :- शासकीय कार्यालयों में पत्राचार में सार-लेखन की दो पद्धतियाँ होती हैं।

1. **प्रवाह सार-लेखन :-** समस्त पत्राचार का संक्षिप्त रूप बनाकर इससे सामान्य सार-लेखन लिखा जाता है।
2. **तालिका सार-लेखन :-** इस पद्धति में समस्त पत्राचार का अध्ययन कर लेने के बाद उन्हें निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सार लेखन के उदाहरण :-

1. अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की योजना में जितना अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन अहिंसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलते हैं, वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्म के पालन से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए कि सामाजिक आचार-विचार के नियम स्त्री-पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी-खुशी से तय करें। इन नियमों का पालन करने के लिए बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष अपने को उसका स्वामी मानता है। स्त्रियों की हालत भी अब कुछ ऐसी ही है। स्त्रियों को यह सिखाया गया है कि वे अपने को पुरुषों की दासी समझें। इसलिए हमारा यह फर्ज है कि स्त्रियों को इनकी मौलिक स्थिति का बोध कराएँ और उन्हें इस तरह की तालीम दें, जिससे वे जीवन में पुरुषों के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बँटाने लायक बनें।

परिच्छेद का सारांश :- अहिंसा पर आधारित समाज में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान भविष्य निर्माण के लिए उनकी मौलिक स्थिति शिक्षा, अधिकार तथा बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आज के बदले हुए समाज में पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री को अपना मित्र या साथी मानें।

शीर्षक : आधुनिक समाज और स्त्री

2. वर्तमान में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक साम्प्रदायिकताएँ देश में अपनी चरम सीमा पर पहुँचाती दृष्टिगोचर हो रही है और इन्होंने देश में दुश्मनों का-सा रूप धारण कर लिया है। यहाँ एक-दो नहीं, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे, जो अन्न तो भारत का खाते हैं, परन्तु उनके दिल और दिमाग भारत के हित में न होकर विदेशों के हित में हैं। उनकी देशभक्ति मात्र दिखाने की है। ऐसे लोगों को विदेशों से किसी न किसी रूप में करोड़ों रूपयों की आर्थिक सहायता मिलती है और इसका प्रयोग देश की आन्तरिक व्यवस्था बिगाड़ने तथा आर्थिक स्थिति को डाँवाडोल करने में किया जाता है।

NOTES

इन भीतरी दुश्मनों के कारण आज देश की स्थिति का यह हाल है कि यदि दुर्भाग्यवश पड़ोसी राष्ट्र के साथ लड़ाई छिड़ जाए या हम संघर्ष करने के लिए विवश हो गए तो अपने ही देश के ये जयचन्द्र हमारे शत्रु को यहाँ के गुप्त रहस्य बताने के अतिरिक्त, तोड़फोड़ एवं हिंसा के कार्यों में लगकर देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने में नहीं हिचकिचाएँगे। आश्चर्य की बात है कि ज्यों-ज्यों लोग साम्प्रदायिकता के प्रति घृणा करते जाते हैं, त्यों-त्यों इसके क्षेत्र का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। परछाई की भाँति आज यह सब जगह दिखाई देती है। संसार का कोई भलामानस आज इसके पक्ष में नहीं है और सभी किसी न किसी रूप में इसे बहुधा कोसते रहे हैं। जिस प्रकार बीमारी का असली रूप और उसके मुख्य लक्षणों को बिना जाने उसका उपचार नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक साम्प्रदायिकता के सही रूप तथा कारणों को नहीं समझा जाता, तब तक इसका उपचार होना सर्वथा असम्भव है।

परिच्छेद का सारांश :- आज के युग में सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक साम्प्रदायिकताएँ बढ़ रही हैं। ये साम्प्रदायिकताएँ देश की शत्रु हैं। बहुत से भारतीय, देश के अन्न से पलकर भी विदेशों का हित सोचते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें विदेशों से धन मिलता है। इस धन से वे देश की भीतरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करते हैं। विदेशी आक्रमण के समय ऐसे लोग देश के गुप्त रहस्य शत्रुओं को बताने में हिचकेंगे नहीं। कहने को साम्प्रदायिकता घृणित बताई जाती है, फिर भी यह चारों ओर फैल रही है। साम्प्रदायिकता को सही रूप में जाने बिना और इसके कारणों को ठीक-ठीक पहचाने बिना इसका निराकरण नहीं किया जा सकता।

शीर्षक :- साम्प्रदायिकता और राष्ट्रद्रोह

3. पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भण्डार नहीं होते। वे मानव जाति के बौद्धिक और कलात्मक वैभव के कोश भी होते हैं। जब मुद्रण-यंत्र नहीं थे, ग्रंथ जब भी थे। भोज और ताड़-पत्रों पर लिखित साहित्य आज भी मूल्यवान बना हुआ है। मुद्रण-यंत्रों के आविष्कार से ग्रंथालयों का स्वरूप बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने बहुत कम स्थान में बहुत अधिक ज्ञान संचित कर दिया है। पुस्तकालय देश और काल की सीमा तोड़ने में सफल होते हैं। पुस्तकालय में कालिदास का पड़ोस हमारे लिए उतना ही प्रीतिकर होता है जितना शेक्सपियर का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रेरणा देने में उतना ही सक्षम है, जितना अमर्त्यसेन का नया सिद्धान्त। स्वयं को समृद्ध करने के लिए पुस्तकालय से बढ़कर और कोई माध्यम विश्व में अभी तक आविष्कृत नहीं हुआ।

परिच्छेद का सारांश :- बौद्धिक वैभव के कलात्मक कोश पुस्तकालय हैं। भोज पत्रों में साहित्य का महत्व है। मुद्रणालयों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने इसे वृहत रूप प्रदान किया, जिससे स्थान और समय सीमा टूटी हैं। कालिदास, शेक्सपियर, कौटिल्य और अमर्त्यसेन के साहित्य और अन्य शास्त्रों को अमर करने में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

शीर्षक : पुस्तकालय का महत्व

पल्लवन :- पल्लवन अंग्रेजी शब्द एम्प्लीफिकेशन का रूपान्तर है। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है। संक्षेपण में विस्तृत अंश को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु पल्लवन में कोई लोकोक्ति या कोई-गर्भ वाक्य को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। स्पष्ट है कि संक्षेपण या अपठित गद्यांश, पद्यांश में संक्षेप या सारांश की उपेक्षा रहती है और पल्लवन में विस्तार की। पल्लवन का मुख्य उद्देश्य दिये गये वाक्य के विचार बिन्दु को विस्तृत करना एवं उसके सभी पहलुओं का मार्मिक उद्घाटन करके अवतरण में छिपे अर्थ को व्यक्त करना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस अर्थ-गर्भित वाक्य ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे वाक्य पाठकों की समझ में आसानी से नहीं आते। पल्लवन या विशदीकरण या स्पष्टीकरण के द्वारा ऐसे स्थलों को सरलता से समझाया जा सकता है।

हैं-

पल्लवन की प्रक्रिया :- पल्लवन की प्रक्रिया करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक

1. प्रस्तुत वाक्य में सूक्ति या कहावत को बार-बार पढ़ें।
2. वाक्य में छिपे अर्थ को अच्छी तरह समझ लेने के बाद दृष्टान्तों एवं उदाहरणों के द्वारा उसका विशदीकरण करें।
3. अनावश्यक और अप्रासंगिक तथ्यों का जिसका सम्बन्ध प्रस्तुत वाक्य में न हो बहिष्कार करें।
4. प्रस्तुत वाक्य में पल्लवन में किसी प्रकार की आलोचना, प्रत्यालोचना या टीका-टिप्पणी न करें।
5. अपने वक्तव्य को पुष्ट करने के लिए किसी कथा, कहानी या सन्दर्भ को स्थान दें।
6. पल्लवन के प्रथम वाक्य और अन्तिम वाक्य पर विशेष ध्यान दें।
7. पल्लवन प्रवाहपूर्ण, सुगठित, क्रमबद्ध तथा व्याकरणानुमोदित होना चाहिए।

NOTES

पल्लवन के उदाहरण : ब्रह्माण्ड में कहाँ क्या हो रहा है? ब्रह्माण्ड कहाँ तक फैला है? उसकी उत्पत्ति कब हुई? उसकी रचना कैसी है? पुरातनकाल से ही मानव अपने ही चारों ओर फैले ब्रह्माण्ड के बारे में जिज्ञासु रहा है। ऐसे प्रश्नों पर दार्शनिकों, कवियों आदि ने बहुत कुछ चिंतन, मनन एवं मंथन किया है। उपनिषदों में सृष्टि के बारे में कई मूलभूत प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रह्माण्ड की एक अणु की उपमा हमारे पुराणों में की गई है। ऐसा अणु जिसमें सब कुछ समाहित है। उत्तर यूरोप की नार्डिक सभ्यता में एक विशाल वृक्ष की कल्पना की गई है, जिसकी जड़ों से लेकर डालियों तक के सभी भागों में चांद, तारे, जीव, वनस्पति आदि पाए जाते हैं। विज्ञान इस क्षेत्र में देरी से और धीरे-धीरे बढ़ा है। नित नए सिद्धांत और आविष्कार होते रहते हैं। ब्रह्माण्ड कितना विशाल और कैसा है? इसका आभास मानव को क्रमशः ही मिलता गया है। ब्रह्माण्ड के संबंध में आज जो कुछ हमें ज्ञात है, वह विज्ञान के कारण ही है। विज्ञान हमारे समक्ष नए-नए रहस्यों को खोलकर निरंतर प्रस्तुत करता रहा है।

3. परहित सरिस धरम नहीं भाई ।

पल्लवन- तुलसीदासजी ने कहा है- 'परहित सरिस धरम नहीं भाई ।

पर पीड़ा सम नहीं अधमाई ।।'

संसार में व्यक्ति परोपकार की भावना लेकर जीवित है। परोपकार का गुण उसे प्रकृति से मिला है। भर्तृहरि ने कहा है, "नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं और वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता हैं, परोपकार के लिए हमेशा कर्तव्यरत रहते हैं।" परोपकार से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है।

4. "आवश्यकता आविष्कार की जननी है।"

जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तब वह उसकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करता है। साधन और श्रम की बचत के लिए वह एक से बढ़कर एक नवीन खोज करता है, आविष्कार करता है। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसन्धान कार्य कर रहा है। आदि काल में आग और हथियारों की खोज हुई। आधुनिक काल में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मोटर, रेल, हवाई जहाज, जलयान, पंखे, हीटर, मनोरंजन के लिए रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलिविजन आदि का आविष्कार किया है। अतः यह कथन सत्य है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।

5. 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा'

'मेरा भारत महान'

पल्लवन - भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके तीन ओर समुद्र तथा एक ओर महान हिमालय है, जो भारत की भौगोलिक महत्ता को स्वतः प्रतिपादित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह सच में ही अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक विशेषताओं एवं विविधताओं के कारण भारत पूरे विश्व में हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। हमारे देश की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं महानतम संस्कृतियों में से एक है। विश्व को अध्यात्म, ज्योतिष एवं गणना देने का श्रेय हमारे देश भारतवर्ष को ही है। अतीत में भारत को 'विश्वगुरु' का दर्जा प्राप्त था।

भारत के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। स्वतन्त्रता आन्दोलन से लेकर कारगिल युद्ध तक हजारों-हजार वीरों ने हँसते-हँसते मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिये। कारगिल युद्ध के समय बालक-वृद्ध, नपुंसको (हिजड़ो) एवं भिखारियों तक ने यथाशक्ति आर्थिक सहायता करके अपने देशप्रेम का जो परिचय दिया, वह सर्वत्र प्रशंसनीय है। अतः हम **इकबाल** के शब्दों में कह सकते हैं कि -

‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा’ या फिर ‘मेरा भारत महान्।’

NOTES

6. ‘मन के हारे हार है, मन के जीते जीत’

पल्लवन - मनुष्य जो कुछ भी उद्यम आगे बढ़ने का प्रयास करता है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हि करता है, वह सब मन के सहारे ही निर्भर है। यदि मनुष्य का मन मर जाता है जो उसके लिए संसार में कुछ नहीं रह जाता। उसे चारों ओर से निराशा घेर लेती है। जब तक उसकी हिम्मत बनी रहती है, वह बड़े-बड़े संघर्ष से भी घबराता नहीं है। “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत” इस उक्ति का भाव यह है कि जब तक मनुष्य में धैर्य और हिम्मत बनी रहती है, तब तक वह पराजय को भी एक पाठ समझता है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह शान्त होकर नहीं बैठता और हिम्मत टूट जाती है, तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है और जब तक मन नहीं हारता तब तक शरीर कितना ही अशक्त हो जाये मनुष्य संघर्ष से मुँह नहीं मोड़ता। मनुष्य की मानसिक शक्ति उसकी इच्छा-शक्ति से जितनी बलवती होगी उसका मन उतना ही दृढ़ और संकल्पवान होगा। इसी इच्छा-शक्ति के द्वारा मनुष्य वह दैवी-शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे उसके आगे करोड़ों व्यक्ति नत-मस्तक हो जाते हैं।

साक्षात्कार

साक्षात्कार का अर्थ :- ‘साक्षात्कार’ शब्द अंग्रेजी के शब्द ‘इन्टरव्यू’ के शब्दार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको संवादयुद्ध भी कहते हैं। यह दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी बातचीत है, जिसका सरोकार समाज और राष्ट्रव्यापी होता है और कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय भी होता है। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं एक साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाला, तीसका पक्ष पाठक या श्रोता हैं। सम्भवतः पाठकों या श्रोताओं के लिए ही साक्षात्कार आयोजित होते हैं। हिन्दी में साक्षात्कार शब्द से साक्षात् कराना अथवा करने का बोध होता है। ‘इन्टरव्यू’ शब्द अधिक संवेदनशील शब्द है, जो विचारों से जुड़ा है।

एक लेखन के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

“साक्षात्कार वह विधा है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष और एक प्रश्नकर्ता आमने सामने हैं। उनके प्रश्न, उत्तरों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मान्यताएँ, अर्थात् व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। उसका चरित्र एवं उसकी अवधारणाएँ सामने आती हैं। उस व्यक्ति को अन्तरमन के देखे-अनदेखे कोनों की झाँकी दिखाई जाती है।”

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसके व्यक्ति एवं कृतित्व के बारे में पूछताछ करते हैं, और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अपने ढंग से उसका उत्तर देता है। यह बातचीत बहुत ही सहज वातावरण में होती है। साक्षात्कार से साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले दोनों का महत्व है। कोई छोटा, बड़ा नहीं है। साक्षात्कारकर्ता भी विषय का ज्ञाता होता है। साक्षात्कार देने वाले की पूरी जानकारी रखता है। कभी-कभी दोनों ही समान टक्कर के होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि साक्षात्कार दो प्रबुद्ध दिमागों की मुठभेड़ है।

दूसरी बात यह है कि साक्षात्कार या इन्टरव्यू में साक्षात्कारकर्ता को बहुत ही सजग रहना पड़ता है क्योंकि वही इसको सही दिशा देता है उसे राष्ट्रोपयोगी बनाता है। साक्षात्कारकर्ता की एक और विशेषता है कि वह साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के अन्तर्मन में प्रवेश करके उसके भीतर छिपी हुई भावनाओं, मान्यताओं को बड़ी कुशलता से प्रश्नोत्तर के द्वारा बाहर निकाल देता है। न चाहते हुए भी उत्तरदाता को सब कुछ व्यक्त कर देना पड़ता है। मतलब की यह वह उत्कृष्ट कला है जहाँ आप दूसरे के भीतर से, उसके सर्वश्रेष्ठ और ईमानदार को निकाल लेते हैं।

पत्रकारिता के जगत में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार साहित्य, विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार अपने पाठकों तक पहुँचा देता है।

साक्षात्कार का विकास :-

हिन्दी में यथार्थ और काल्पनिक दोनों ही प्रकार के साक्षात्कार लिखे गए हैं। हिन्दी जगत में बनारसीदास चतुर्वेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 'रत्नाकर से बातचीत' 'विशाल भारत' (सितम्बर 1931), और 'प्रेमचन्द्र के साथ दो दिन' 'विशाल भारत' (जनवरी 1932) में प्रकाशित करके शुरुआत की। बेनी माधव शर्मा की 'कविदर्शन' इस विद्या की प्रथम स्वतंत्र कृति मानी जाती है। पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' ने 'मैं इनसे मिला' (1955) के नाम से हिन्दी के प्रमुख साहित्यकारों का साक्षात्कार प्रस्तुत किया। 'हिन्दुस्तान' और 'धर्मयुग' जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं में भाषा, साहित्य और कला के सम्बन्ध में प्रायः साक्षात्कार निकलते रहे हैं।

साक्षात्कार के प्रकार :-

प्रो.त्रिभुवननाथ शुक्ल ने विषय की दृष्टि से साक्षात्कार के निम्नलिखित प्रकार बताये हैं।

1. साहित्यिक साक्षात्कार, 2. राजनीतिक साक्षात्कार, 3. ऐतिहासिक साक्षात्कार, 4. वैज्ञानिक साक्षात्कार, 5. सामाजिक साक्षात्कार, 6. आध्यात्मिक साक्षात्कार, 7. समसामयिक समस्याओं पर आधारित साक्षात्कार।

साक्षात्कार के उद्देश्य :- श्री एन.सी.पन्त ने अपनी पुस्तक "सम्पादनकला" में साक्षात्कार के उद्देश्यों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

1. उत्तरदाता के आमने-सामने होकर, ऐसी सूचनाएँ तथा जानकारी प्राप्त करना, जो उसके व्यक्तित्व का चित्रण करते हों।
2. साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति के आन्तरिक जीवन उसके तनाव, इरादे और उसके विचारों को जाना जाता है। अतः व्यक्तित्व की गहनता की परख करना साक्षात्कार का एक प्रमुख उद्देश्य है।
3. व्यक्तियों के विषय में आपबीती घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य है, जैसे महँगाई का प्रभाव जानने के लिए नौकरी पेशा गृहस्थों से उनकी कठिनाइयों के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
4. सामाजिक घटना में यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि किसी परिस्थिति में व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है? उसके व्यवहार के पीछे क्या प्रेरणा अथवा कारण है? क्या उद्देश्य है? इसे जानने के लिए संवाददाता कोई उपकल्पना करता है और उस उपकल्पना का परीक्षण करने के लिए लोगों की प्रवृत्तियों और उनके व्यवहार के उद्देश्यों को जानने के लिए साक्षात्कार करता है।
5. या तो कुछ लोग विशेषज्ञ होते हैं या उन्हें किसी घटना के बारे में विशेष जानकारी होती है।
6. किसी सामाजिक घटना से उन लोगों का गहरा सम्बन्ध होता है। यदि साक्षात्कारकर्ता को ऐसी ही किसी घटना का अध्ययन करना हो, तो वह उन लोगों से साक्षात्कार करता है। ऐसे लोग इस घटना के बारे में प्रामाणिक जानकारी देते हैं।

साक्षात्कार की प्रक्रिया :-

साक्षात्कार की प्रक्रिया और विधि के सन्दर्भ में श्री एन.सी.पन्त ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने लिखा है कि - "साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धीरे-धीरे विकसित होना चाहिए तथा बड़े स्वाभाविक ढंग से समाप्त करना चाहिए। उत्तरदाता पर केवल इना नियंत्रण रखना चाहिए कि वह बिना रोकटोक के अपनी बात को रख सकें।" आगे उन्होंने साक्षात्कार की विधि का निम्नानुसार उल्लेख किया है-

1. **साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों का चयन :-** साक्षात्कार-कर्ता को समस्या के अनुसार यह निर्णय करना होता है कि साक्षात्कार किससे किया जाए। उत्तरदाता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो घटना की समस्या की जानकारी रखता हो और उससे प्राप्त सूचनाएँ विश्वसनीय हो। रैंडम विधि से उत्तरदाता का चुनाव करना चाहिए।

2. **उत्तरदाता से साक्षात्कार के लिए समय माँगना :-** प्रत्येक आदमी नम्रता पसंद करता है। वह यह भी चाहता है कि लोग उसे महत्वपूर्ण समझें, इसलिए उत्तरदाता की सुविधानुसार साक्षात्कार का समय

और स्थान निश्चित करना चाहिए। उससे पहले से बातचीत करके साक्षात्कार के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेना चाहिए। अचानक किसी के घर में घुसकर तुरन्त साक्षात्कार की माँग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उत्तरदाता अपनी तोहीन समझता है। प्रतिदिन के जीवन में एकाएक व्यवधान हर आदमी सहन नहीं करता।

NOTES

3. **साक्षात्कार करते समय सुविधाजनक दशाएँ** :- साक्षात्कार का समय, स्थान और वातावरण कुछ ऐसा होना चाहिए कि बातचीत करने में सुविधा हो और घनिष्ठता की स्थापना हो सके। यदि मौसम का प्रकोप हो, मच्छर काट रहे हों, शोरगुल हो रहा हो उत्तरदाता को जल्दी हो, तो ऐसी दशाओं में साक्षात्कार सफल नहीं होता।

साक्षात्कारकर्ता के गुण :- साक्षात्कार में मुख्यतः दो घटक होते हैं। साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार का महत्वपूर्ण घटक है वह विषय विशेषज्ञ होता है। महत्वपूर्ण विषयों पर बहस करता है और साक्षात्कार को उपयोगी बनाता है। अतः उसके निम्नलिखित गुण होते हैं।

1. **आकर्षक व्यक्तित्व** :- आकर्षण का प्रथम सोपान उसका बाह्य व्यक्तित्व है। बाह्य व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि भावभंगिमा नियंत्रित होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य वेशभूषा धारण करना चाहिए। जैसे राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार में कुर्ता-पाजामा तथा धार्मिक व्यक्ति से मिलने पर धार्मिक वेशभूषा उचित होगी। उसे मृदुभाषी होनी चाहिए साथ ही साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति चुम्बकीय व्यक्तित्व वाला होना चाहिए।

2. **स्पष्ट उच्चारण** :- साक्षात्कार लेने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट उच्चारण करे क्योंकि यदि उच्चारण दोषपूर्ण हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। श्रोता उसकी बात समझने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। अतः यह आवश्यक है कि साक्षात्कार लेने वाले को अपने प्रश्न, शंकाएँ, विश्लेषण अत्यन्त स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। विशेषतः रेडियो, दूरदर्शन के लिए कार्य करने वालों में तो यह गुण नितान्त आवश्यक हैं।

3. **अच्छा श्रोता** :- साक्षात्कार लेने वाले के लिए यह भी आवश्यक है कि वह एक अच्छा श्रोता हो। वह कम बोले और साक्षात्कार देने वाले को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें।

4. **प्रत्युत्पन्नमति** :- साक्षात्कार लेने वाले को विवेकशील होना चाहिए। साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कार लेने वाले की योग्यता और चतुराई पर निर्भर करता है। उसमें इतनी योग्यता हो कि वह महत्वपूर्ण विषयों पर समाजोपयोगी बहस कर सकें और साक्षात्कार को अधिक से अधिक उपयोगी बना सके। किसी अनचाही असामाजिक बात के मुँह से निकल जाने पर साक्षात्कार लेने वाले का ही दायित्व है कि परिस्थिति को अनुकूल बनावे, इसके लिए प्रत्युत्पन्नमति का होना अनिवार्य हैं।

5. **आत्म विश्वास** :- आत्मविश्वास से तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, हासिल हो सकती है। अतः माइक्रोफोन के सामने बोलते हुए अथवा कैमरे का सामना करते हुए अथवा किसी बड़े व्यक्ति के सामने आ जाने पर साक्षात्कार लेने वाले का आत्मविश्वास सुरक्षित रहना चाहिए। उसके अन्दर आई हीन भावना लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होगी और प्रस्तुति फीकी पड़ जायेगी।

6. **तार्किक शक्ति** :- साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कार लेने वाले की तर्कशक्ति, वाक्चतुर्य और प्रतिभा पर निर्भर करती है। असंगत या निरर्थक प्रश्न पूछकर समय नष्ट मत कीजिए। तर्क-वितर्क करना तो ठीक है पर कुतर्क को स्थान नहीं मिलना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अत्यधिक चतुराई का परिचय देना चाहिए। उसमें तर्क करने की अदभुत क्षमता होनी चाहिए तभी वह साक्षात्कारदाता से सभी बातें उगलवा पायेगा और पाठकों या श्रोताओं के सामने सही तथ्य रख पायेगा, किन्तु तर्क नकारात्मक नहीं, सकारात्मक होना चाहिए।

साक्षात्कार और कहानी में अंतर :- साक्षात्कार वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करके उसके सम्बन्ध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके सम्बन्ध में अपनी क्रिया-प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं तथा रूचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार का संस्मरण का ही रूप है। जबकि कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण रहता है। उसका उद्देश्य केवल एक ही प्रभाव को उत्पन्न करता है।

अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. 'साक्षात्कार'.....की एक विधा हैं।
i. पत्रकारिता ii. व्याकरण iii. कोशविज्ञान iv. भाषा विज्ञान
2. साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम कितने पक्ष होना अनिवार्य है।
i. तीन ii. चार iii. दो iv. एक
3. पल्लवन का अर्थ है।
i. परिसंवाद ii. परिभ्रमण iii. संक्षेपण iv. विस्तार
4. किसी परिच्छेद या रचना के मूल स्वरूप को एक तिहाई रूप में लिखना.....
i. सारलेखन ii. पल्लवन iii. विस्तार iv. परिभ्रमण
5. सार लेखन की विशेषताएँ.....
i. पूर्णता ii. संक्षिप्तता iii. स्पष्टता iv. उपरोक्त सभी

उत्तर :- 1.(i), 2.(iii), 3.(iv), 4.(i), 5.(iv)

लघुउत्तरीय प्रश्न :-

1. सार-लेखन का महत्व स्पष्ट करो।
2. सार-लेखन की विशेषताएँ लिखो।
3. सार-लेखन की प्रक्रिया स्पष्ट करो।
4. सार-लेखन के कोई दो उदाहरण लिखो।
5. पत्राचारों का सार-लेखन स्पष्ट करो।
6. साक्षात्कार किसे कहते हैं।
7. साक्षात्कार का विकास किस प्रकार हुआ।
8. साक्षात्कार के उद्देश्य स्पष्ट करो।
9. साक्षात्कार की प्रक्रिया स्पष्ट करो।
10. साक्षात्कार और कहानी में अंतर स्पष्ट करो।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :-

1. सार-लेखन से क्या तात्पर्य है। सार-लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
2. पल्लवन से क्या समझते हो।
3. निम्न पक्तियों का पल्लवन करो।
i) सारे जहाँ से अच्छा.....
ii) प्रमाणन अंकुषण की रीढ़ की हडडी है।
iii) परहित सरिस धरम नहीं भाई।
iv) आवश्यकता अविष्कार की जननी है।
v) मन के हारे हार है, मन के जीत जीत।
4. पल्लवन करने की प्रक्रिया समझाइए।
5. साक्षात्कार के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
6. एक साक्षात्कार में कौन से गुण होने चाहिए।

NOTES